SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
वर्ष 2024–25 के लिए
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 1

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
वर्ष 2024–25 के लिए
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 1

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		iii
कार्यपालन सारांश		vii
अध्याय I–राज्य के वित्त का विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य की समेकित निधि	1.2	7
आकस्मिकता निधि	1.3	33
लोक लेखा	1.4	33
राजकोषीय संधारणीयता	1.5	36
निष्कर्ष	1.6	55
अच्छी प्रथाएं	1.7	55
अनुशंसाएं	1.8	56
अध्याय II–बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	57
बजट अनुमान एवं अपेक्षा तथा वास्तविक के मध्य अंतर	2.2	57
लक्ष्यवेधित्व बजट	2.3	61
विनियोग लेखे	2.4	62
बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया	2.5	62
सिंगल नोडल एजेन्सी	2.6	70
सिंगल नोडल एजेन्सी–स्पर्श	2.7	71
आकस्मिकता निधि	2.8	72
चयनित अनुदानों की समीक्षा	2.9	73
निष्कर्ष	2.10	93
अच्छी प्रथाएं	2.11	93
अनुशंसाएं	2.12	93
अध्याय III–वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली		
राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों द्वारा बजटेत्तर उधारियां	3.1	95
सरकार की चुकता न की गयी देयताएं	3.2	97
उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	3.3	99
व्यक्तिगत जमा खाते	3.4	103
लघु शीर्ष–800 का संचालन	3.5	105
मुख्य उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	3.6	107
विभागीय आंकड़ों का मिलान	3.7	108
रोकड़ शेष का मिलान	3.8	109
संभागीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित राशि	3.9	110
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.10	110

स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.11	111
दुर्विनियोग, हानियां, चोरियां, इत्यादि	3.12	112
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.13	113
निष्कर्ष	3.14	114
अच्छी प्रथाएं	3.15	114
अनुशंसाएं	3.16	115
परिशिष्ट	117 से 152	

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

मध्य प्रदेश शासन की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन करना और वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानसभा को सुझाव प्रदान करना है। प्रतिवेदन में तीन अध्याय शामिल हैं।

अध्याय I–राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा राज्य की वित्तीय स्थिति का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसमें प्रमुख सूचकांकों का व्यापक राजकोषीय विश्लेषण तथा राज्य की राजकोषीय स्थिति, जिसमें घाटा/अधिशेष, ऋण रूपरेखा और प्रमुख लोक लेखा लेन–देन शामिल हैं।

अध्याय II–बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य शासन के विनियोगों तथा आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से हुए विचलनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अध्याय III–वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न शासकीय विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग–अलग प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गयी है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उनको राज्य के विधानसभा के समक्ष रखवाएगा।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य शासन के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों एवं विभागों, के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणको, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखो और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वार्षिक वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों का संकलन करता है। इन लेखों की स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन के लिए राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे के प्रमुख आंकड़े शामिल हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजटः अनुमानों के सापेक्ष राजकोषीय मापदंडों और आवंटन प्राथमिकताओं का आंकलन करने के साथ–साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय अधिकारियों और कोषागारों के पास मौजूद अन्य आंकड़े (लेखांकन के साथ–साथ प्रबधंन सूचना प्रणाली);
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े और अन्य राज्य संबंधी आंकड़े;
- राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबधंन अधिनियम;
- वित्त आयोग की अनुशंसाएं;
- भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन;
- भारत सरकार की सर्वोत्तम कार्य–पद्धतियां और दिशा–निर्देश।

मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के साथ 23 सितंबर 2025 को एक आगम सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने में अपनाई गई लेखापरीक्षा पद्धति को समझाया गया। निर्गम सम्मेलन बैठक आयोजित करने के संबंध में दिसंबर 2025 में वित्त विभाग को एक पत्र भेजा गया, जिसके बाद जनवरी 2026 में एक अनुस्मारक भेजा गया। हालांकि, अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

शासकीय लेखों की संरचना

सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य शासन द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं

किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे–संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान, इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि द्वारा स्थापित की जाती है, और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे द्वारा की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे–अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमाएं (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (ये दोनों अस्थायी शीर्ष है, अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित है) शामिल होते हैं। लोक लेखे के अंतर्गत सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नही है।

शासकीय लेखों की संरचना

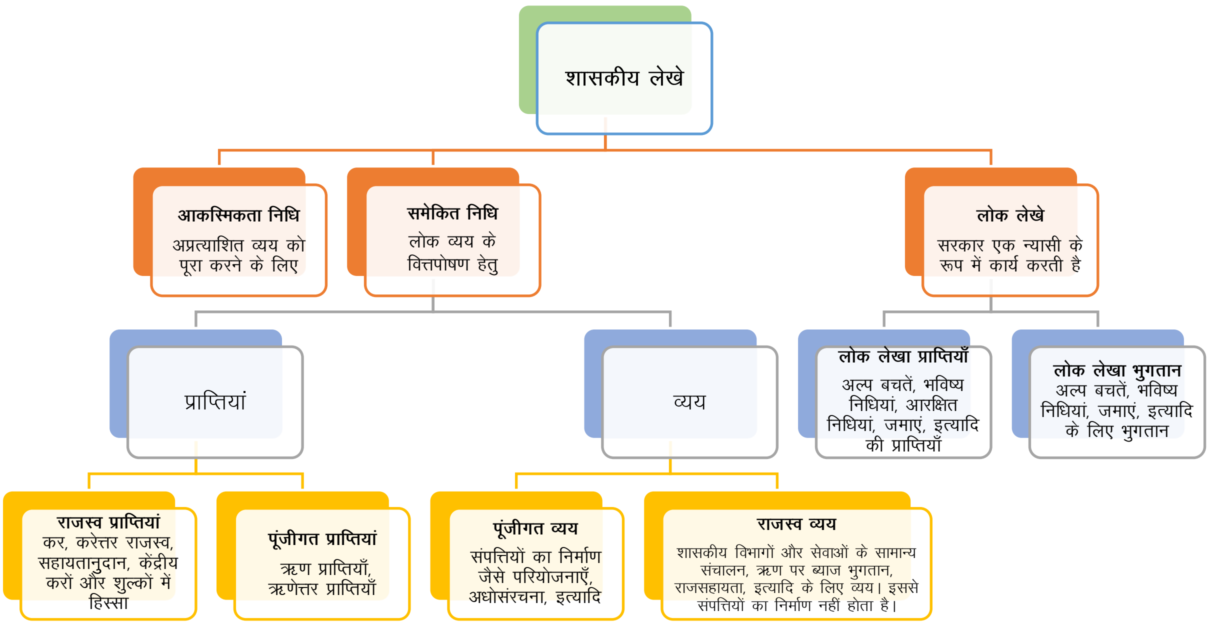

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

वर्ष 2024–25 के लिए राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन प्रथाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यपालन सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ो एवं पहलुओं को संक्षिप्त विवरण के माध्यम से, राजकोषीय संधारणीयता, बजट प्रयोजन के विरूद्ध प्रदर्शन, राजस्व और व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की गहन जानकारी प्रदान करता है।

मध्य प्रदेश राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मध्य प्रदेश की राजकोषीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करती है। यह राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है और उसके राजस्व और व्यय के प्रवृत्तियों की समीक्षा करता है, राज्य की ऋण स्थिति और उधार लेने के तरीकों का आंकलन करता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर उसके प्रदर्शन की तुलना करता है।

विगत वित्त वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान मध्यम वृद्धि दर्शायी। राज्य ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4.55 प्रतिशत का योगदान किया। 2024–25 को छोड़कर विगत पांच वर्षों में यह योगदान घट रहा है, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है। हमने पाया कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2023–24 में 14.73 प्रतिशत के विरूद्ध 7.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, करेत्तर राजस्व वृद्धि (12.38 प्रतिशत) मामूली थी एवं केंद्र से मिलने वाले सहायतानुदान में कमी आई। राज्य के स्वयं के राजस्व प्रदर्शन में सुधार हुआ है, फिर भी केंद्रीय सहायतानुदानों पर निर्भरता काफी हद तक बनी हुई है।

राज्य के व्यय में राजस्व व्यय की उच्च वृद्धि (78 प्रतिशत), विशेष रूप से प्रतिबद्ध व्यय और राजसहायताएं (राजस्व व्यय का 60 प्रतिशत, कुल व्यय का 47 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 60 प्रतिशत) का वर्चस्व था जो पूंजी निवेश के लिए सीमित राजकोषीय क्षमता छोड़ता है। इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ा है और बजट स्तर से अधिक रहा है, जो अधोसरंचना निवेश में सुधार को दर्शाता है। विगत पांच वर्षों में राजसहायताएं तीन गुना से अधिक और पिछले वर्ष से दोगुनी से अधिक हो गई है।परिणामस्वरूप, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबधंन अधिनियम के लक्ष्य स्तरों के भीतर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहा और राज्य के राजस्व अधिशेष में काफी कमी आई, जिससे राजकोषीय समेकन के लिए बहुत कम क्षमता बचती है। यद्यपि, बकाया देयताएं आंकिक लक्ष्यों के भीतर रहीं, लेकिन इसे महत्वपूर्ण बकाया बजटेत्तर उधारियों और प्रत्याभूतियों के माध्यम से आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य शासन ने वित्त वर्ष 2024–25 में राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण जमा, राज्य आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा शमन निधि, बजटेत्तर उधारियां और ऋण में शामिल नहीं की गई अन्य देयताएं, स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों का गैर–हस्तांतरण आदि के संबंध में ₹1,681.77 करोड़ (कुल व्यय का 0.43 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण बकाया देयताओं को भी काफी मात्रा में आगे बढ़ाया है।

लेखापरीक्षा अपने विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बकाया कर राजस्व की वसूली, कराधान में अनुपालन जोखिमों को कम करने, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में किए गए पूंजीगत निवेशों का पुनर्चक्रण करने और राजस्व वृद्धि के अनुरूप व्यय को युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्य द्वारा अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष में 57 अनुदानों और दो विनियोजनों के राजस्व/पूंजीगत, प्रभारित और मतदेय भागों में वृहद् स्तर पर बचतें और अधिशेष देखा गया। वित्त वर्ष 2024–25 में हुए आधिक्य व्यय को विधानसभा द्वारा नियमितीकरण करने की आवश्यकता है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा करने में देरी से भी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जिनमें से कुछ पंचायती राज विकास, सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन कल्याण, इत्यादि से संबंधित हैं, स्वायत्त निकायों के लिए लंबित प्रारूप लेखे और लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां/व्यय का बड़े पैमाने पर उपयोग वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

प्रतिवेदन में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में निधि पर बेहतर नजर रखने के लिए सिंगल नोडल एजेंसी और सिंगल नोडल एजेंसी–स्पर्श जैसी सकारात्मक पहलों के क्रियान्वयन का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन प्रणालियों में पूर्ण रूप से स्थानांतरण अभी लंबित है।

बढ़ते कर्ज का बोझ, उच्च प्रतिबद्ध व्यय और सीमित पूंजीगत निवेश राजकोषीय संधारणीयता के बारे में चिंताएं उत्पन्न करते हैं। दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वृद्धि, बेहतर व्यय नियंत्रण और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। बजटेत्तर उधारियों में पारदर्शिता बढ़ायी जाय, समय पर लेखांकन एवं प्रतिवेदन सुनिश्चित करना चाहिए। बजट प्रावधानों को और अधिक विवेकपूर्ण बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

अध्याय I
राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

अध्याय-I: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय मध्य प्रदेश के 2024–25 के वित्त का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक तथा राज्य की राजकोषीय संरचना शामिल है। यह राजस्व एवं व्यय, ऋण स्तर तथा राजकोषीय घाटों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, जिसमें लगातार असंतुलन और उधार पर निर्भरता को प्रकाशित किया गया है। यह अध्याय अत्यधिक प्रतिबद्ध व्यय, निवेशों पर कम प्रतिफल, तथा वित्तीय सूचना में मौजूद कमियों जैसे मुद्दों को उजागर करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश, मध्य भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38 प्रतिशत) है, तथा इसमें 55 जिले शामिल हैं। वर्ष 2025 तक, इसकी जनसंख्या 8.86 करोड़ (भारत की कुल जनसंख्या का 6.27 प्रतिशत) थी, जिसका जनसंख्या घनत्व 288 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह भाग राज्य की जनसांख्यिकी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य के जनसांख्यिकीय विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: राज्य का जनसांख्यिकीय स्वरूप

	मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय औसत
ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत) (जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह का प्रतिवेदन, 2020)	70.79	64.30
शहरी जनसंख्या (प्रतिशत) (जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह का प्रतिवेदन, 2020)	29.21	35.70
जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	288	430
प्रति 1,000 पुरुषों पर लिंग अनुपात (भारत की जनगणना, 2011)	931	943
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर (नमूना पंजीकरण प्रणाली, सांख्यिकी रिपोर्ट 2022)	40	26
प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर (मातृ मृत्यु बुलेटिन 2021–23)	12	5
कुल प्रजनन दर (एन.एफ.एच.एस–5, 2019–21)	2.00	2.00
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (एस.आर.एस. प्रतिवेदन 2019–23)	67.60	70.30
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)	20.63	14.96
साक्षरता दर (पी.एल.एफ.एस रिपोर्ट, 2023–24)	75.20	80.90

1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय

सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य स्तर पर इसी का मापन करता है, एवं दोनों ही आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसी देश या राज्य में एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय की प्रवृत्तियां **तालिका 1.2** में दी गई हैं, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई है। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की प्रवृत्तियां **चार्ट 1.2** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.2: सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां (वर्तमान मूल्यों पर)

वर्ष	भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	भारत की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)
2015-16	1,37,71,874	5,41,068	94,797	62,080
2016-17	1,53,91,669	6,49,823	1,04,880	74,324
2017-18	1,70,90,042	7,26,284	1,15,224	81,966
2018-19	1,88,99,668	8,29,805	1,25,946	92,337
2019-20	2,01,03,593	9,27,855	1,32,341	1,01,909
2020-21	1,98,54,096	9,46,218	1,27,244	1,01,958
2021-22	2,35,97,399	11,01,168	1,50,906	1,17,402
2022-23	2,68,90,473	12,21,813	1,69,145	1,27,947
2023-24	3,01,22,956	13,53,809	1,88,892	1,39,713
2024-25	3,30,68,145	15,03,395	2,05,324	1,52,615

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश

चार्ट 1.1: सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि तथा सकल घरेलू उत्पाद में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान

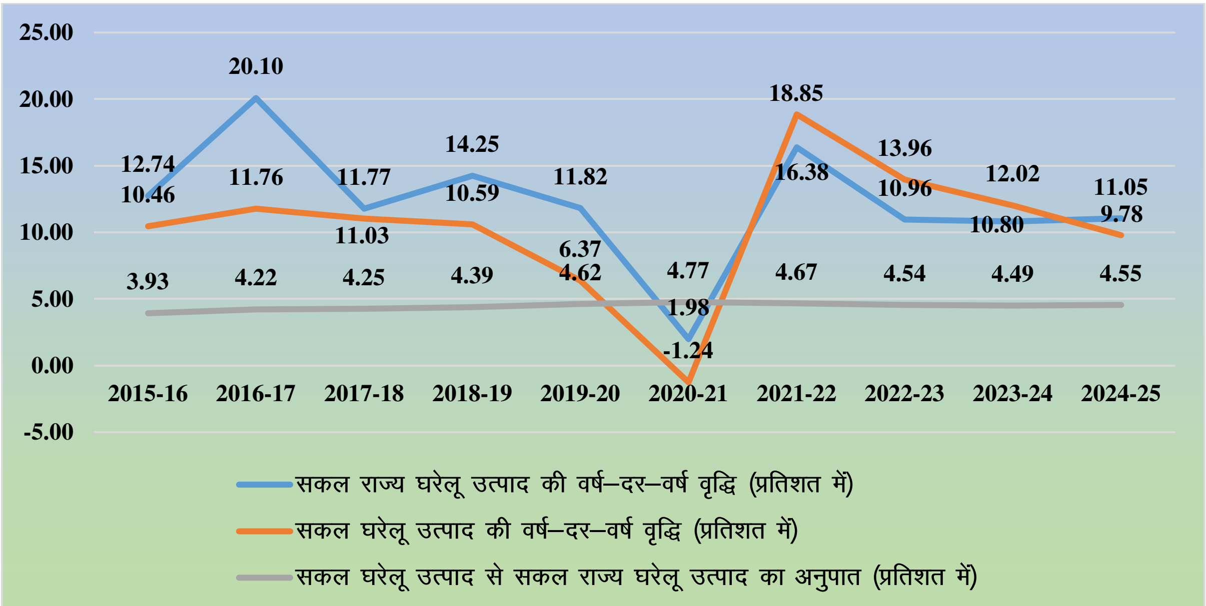

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश

चार्ट 1.2: भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश

भारत के सकल घरेलू उत्पाद और मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है। हालांकि, कोविड–19 से पहले सकल घरेलू उत्पाद और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में गिरावट आई थी, 2020–21 में इसमें तीव्र गिरावट दर्ज की गई और फिर इसमें तेजी से सुधार हुआ, जिसके बाद के वर्षों में इसमें धीरे–धीरे कमी आई। पिछले 10 वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान लगभग 4.50 प्रतिशत के आसपास स्थिर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान स्थिर रहा है।

आगे, **चार्ट 1.2** से यह स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्रमिक वृद्धि हुई है। हालांकि, भारत की प्रति व्यक्ति आय लगातार मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक रही है और यह अंतर 2015–16 में ₹32,717 से घटकर 2020–21 में ₹25,286 हो गया और फिर 2024–25 में बढ़कर ₹52,709 हो गया, जो दर्शाता है कि हाल के वर्षों में राज्य राष्ट्रीय औसत के बराबर नहीं पहुंच पा रहा है।

1.1.2.2 सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्र–वार योगदान

2024–25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किया गया क्षेत्र–वार योगदान तथा विगत पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्र–वार वृद्धि क्रमशः **चार्ट 1.3** एवं **चार्ट 1.4** में दर्शित है।

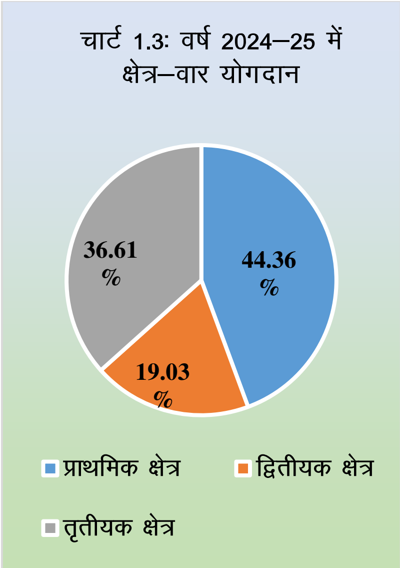

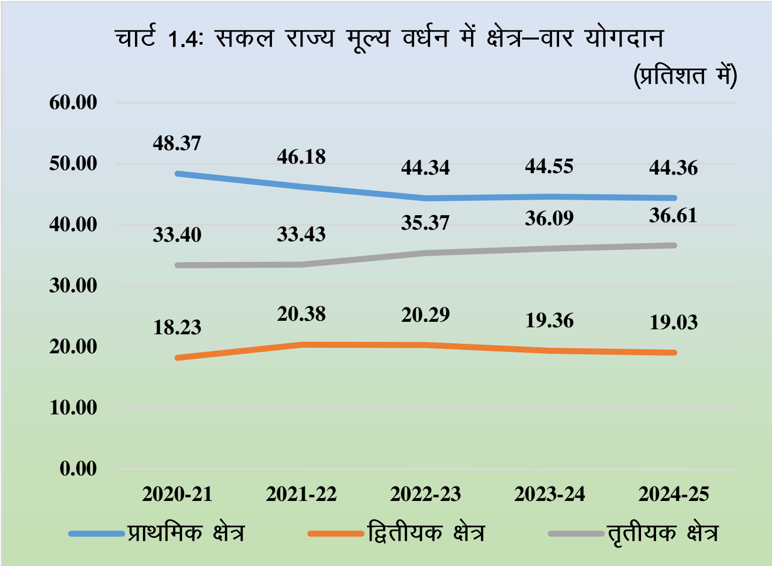

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश

चार्ट 1.5 2024–25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की संरचना उसके प्रमुख योगदानकारी घटकों के संदर्भ में दर्शाता है।

चार्ट 1.5: 2024–25 के दौरान क्षेत्र–वार वितरण

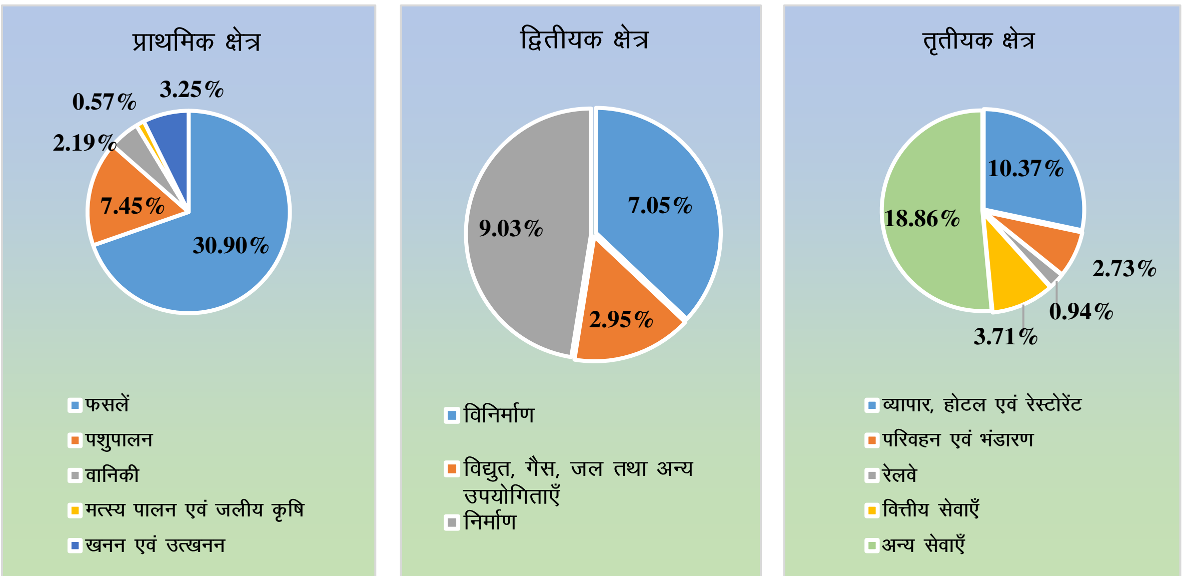

स्रोत: मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25

प्राथमिक क्षेत्र पूरे अवधि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा, हालांकि पिछले पांच वर्षों अर्थात 2020–25 के दौरान इसकी हिस्सेदारी 48.37 प्रतिशत से घटकर 44.36 प्रतिशत हो गयी थी इसके पश्चात् तृतीयक क्षेत्र तथा फिर द्वितीयक क्षेत्र का स्थान आता है। तृतीयक क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा है तथा इसमें स्थिर एवं सुधारोन्मुख प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर बना रहा और इसमें हल्की गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। विगत पांच वर्षों के दौरान, प्राथमिक एवं तृतीयक क्षेत्रों के बीच का अंतर कम हुआ है, जो सेवाओं की ओर क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है।

1.1.3 वित्त के मुख्य बिंदु

तालिका 1.3 वर्ष 2023–24 और 2024–25 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष दर्शाती है।

तालिका 1.3: वित्त के मुख्य बिंदु

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संघटक	2023.24 (वास्तविक)	2024.25 बजट अनुमान	2024.25 पुनरीक्षित अनुमान	2024.25 (वास्तविक)	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
1.	**कर राजस्व**	**1,79,389.22**	**1,97,849.47**	**1,97,136.27**	**1,95,428.66**	98.78	13.00
(i)	स्वंय के कर राजस्व	90,723.88	1,02,096.51	96,115.82	94,408.21	92.47	6.28
(ii)	केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश	88,665.34	95,752.96	1,01,020.45	1,01,020.45	105.50	6.72
2.	करेत्तर राजस्व	19,925.80	20,603.33	21,895.26	22,391.71	108.68	1.49
3.	सहायतानुदान और अंशदान	34,711.02	44,891.56	42,977.48	32,677.90	72.79	2.17
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**2,34,026.04**	**2,63,344.36**	**2,62,009.01**	**2,50,498.27**	95.12	16.66
5.	कर्जों और अग्रिमों की वसूली	371.79	474.42	3921.1	4,622.20	974.28	0.31
6.	अन्य प्राप्तियां	3.78	0	0	1.72	--	0.00
7.	उधार और अन्य देयतायें[अ]	44,485.14	66,374.23	62,934.62	64,387.70	97.01	4.28
8.	अंतर–राज्यीय समायोजन	-0.39	-	-	0.35	-	-
9.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7+8)**	**44,860.32**	**66,848.65**	**66,855.72**	**69,011.97**	103.24	4.59
10.	**कुल प्राप्तियां (4+9)**	**2,78,886.36**	**3,30,193.01**	**3,28,864.73**	**3,19,510.24**	96.76	21.25
11.	**राजस्व व्यय**	**2,21,538.26**	**2,61,644.41**	**2,60,983.1**	**2,48,925.28**	95.14	16.56
12.	ब्याज भुगतान	23,098.41	27,399.86	26,876.96	25,887.86	94.48	1.72
13.	पूंजीगत परिव्यय	56,538.59	61,633.49	64,929.93	67,440.89	109.42	4.49
14.	कर्ज तथा अग्रिम	809.51	3,104.86	2,451.43	3,144.03	101.26	0.21
15.	अंतर–राज्यीय समायोजन	-0.23	-	-	0.06	-	-
16.	**कुल व्यय (11+13+14+15)**	**2,78,886.13**	**3,26,382.76**	**3,28,364.46**	**3,19,510.26**	97.89	21.25
17.	**राजस्व घाटा(–)/ अधिशेष(+) (4–11)**	**12,487.78**	**1,699.95**	**1,025.91**	**1,572.99**	92.53	0.10
18.	**राजकोषीय घाटा(–)/ अधिशेष(+) {(4+5+6+8–16)}**	**-44,484.52**	**-62,563.98**	**-62,434.35**	**-64,387.72**	102.91	-4.28
19.	**प्राथमिक घाटा(–)/ अधिशेष(+) (18–12)**	**-21,386.11**	**-35,164.12**	**-35,557.39**	**-38,499.86**	109.49	-2.56

स्रोत: वित्त लेखे और बजट पुस्तिकाएं 2024–25

[अ] उधार और अन्य देयताएं: निवल (प्राप्तियां-वितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिकता निधि + निवल (प्राप्तियां-वितरण) लोक लेखा + निवल प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेष

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक राज्य शासन के वित्त का विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

1.1.4 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों तथा उनके उपयोग के संघटकों की तुलना **चार्ट 1.6** में दी गई है।

चार्ट 1.6: 2024–25 के दौरान निधियों के स्रोतों और उनके अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

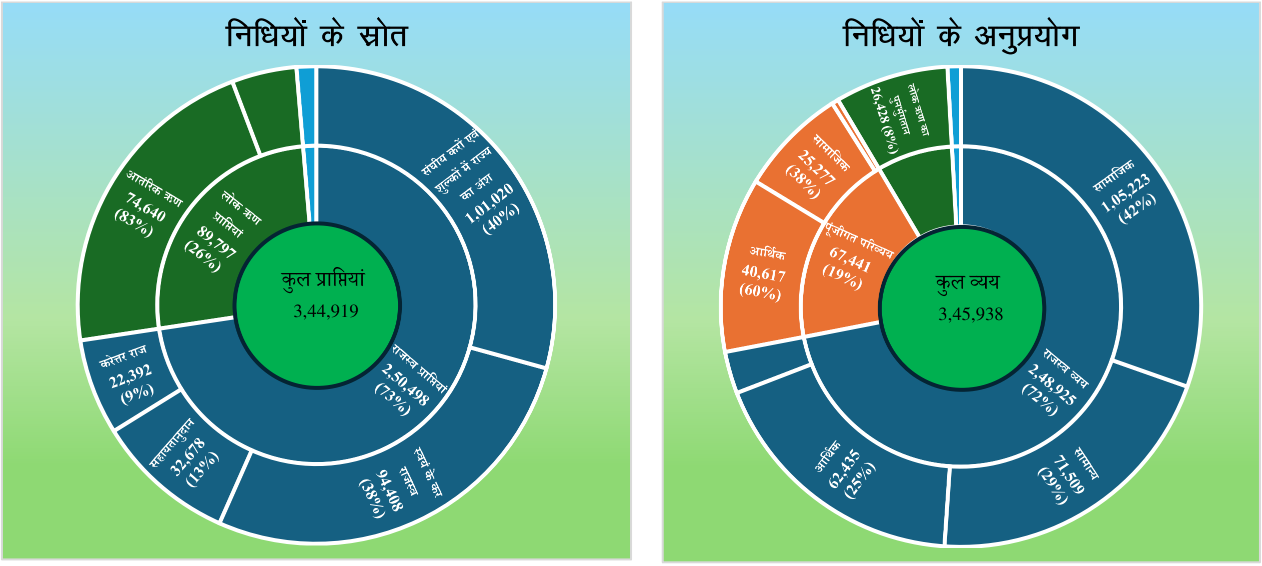

स्रोत: वित्त लेखे 2024–25

परिशिष्ट 1.2 वर्तमान वर्ष के साथ–साथ विगत वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों तथा राज्य की समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रदान करता है।

1.1.5 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं के मुख्य बिंदु

शासकीय लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय के माध्यम से सृजित परिसंपत्तियों को दर्शाते हैं। ***परिशिष्ट 1.3***, 31 मार्च 2025 तक की ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार देता है, जिसकी तुलना पिछले वर्ष की समान स्थिति से की गई है। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम, लोक लेखा एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांशीकृत स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं के मुख्य बिंदु

(₹ करोड़ में)

	देयताएं					परिसंपत्तियां			
		2023-24	2024-25	प्रतिशत वृद्धि/कमी			2023-24	2024-25	प्रतिशत वृद्धि/कमी
संचित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	2,82,515.51	3,33,216.48	17.95	अ	सकल पूंजीगत परिव्यय	4,14,464.87	4,81,905.78	16.27
ब	भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	62,254.31	66,345.46	6.57	ब	कर्ज एवं अग्रिम	48,263.44	46,785.27	-3.06
आकस्मिकता निधि		**1,000**	**1,000**	**0.00**			15	0	-
लोक लेखे									
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	16,976.37	15,344.25	-9.61	अ	विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	3.50	3.58	2.29

ब	जमाएं	20,544.55	26,734.35	30.13	ब	प्रेषण	-	-	**-**
स	आरक्षित निधियां	27,571.12	27,882.96	1.13	स	उचंत एवं विविध	-	-	**-**
द	प्रेषण	6,200.69	3,016.85	-51.35	**नकद शेष (उद्दिष्ट निधियों में किए गए निवेश सहित)**		**18,533.79**	**20,659.87**	**11.47**
इ	उचंत एवं विविध	735.68	2,181.86	196.58	**योग**		**4,81,280.60**	**5,49,354.50**	**14.14**
					पूर्णांक करने के कारण अंतर		**0.00**	**0.00**	**0.00**
					राजस्व खाते में घाटा		**-63,482.37**	**-73,632.29**	**15.99**
	योग	**4,17,798.23**	**4,75,722.21**	**13.86**			**4,17,798.23**	**4,75,722.21**	**13.86**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.2 राज्य की समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त सभी धन राज्य की समेकित निधि में समाविष्ट हैं।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि, 10 वर्षों की अवधि (2015–25) के दौरान, **तालिका 1.5** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियां	**1,05,511**	**1,23,307**	**1,34,875**	**1,48,893**	**1,47,643**	**1,46,377**	**1,85,876**	**2,03,986**	**2,34,026**	**2,50,498**
कर राजस्व	**78,612**	**90,258**	**95,664**	**1,08,369**	**1,05,342**	**1,01,373**	**1,35,779**	**1,47,154**	**1,79,389**	**1,95,428**
स्वयं के कर राजस्व	40,214	44,194	44,811	50,882	55,824	54,459	66,237	72,611	90,724	94,408
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	38,398	46,064	50,853	57,487	49,518	46,914	69,542	74,543	88,665	1,01,020
करेत्तर राजस्व	**8,569**	**9,086**	**9,061**	**11,899**	**10,349**	**9,902**	**15,305**	**19,878**	**19,926**	**22,392**
भारत सरकार से सहायतानुदान	**18,330**	**23,963**	**30,150**	**28,625**	**31,953**	**35,102**	**34,792**	**36,954**	**34,711**	**32,678**
राज्य के स्वयं का राजस्व (स्वयं का कर एवं करेत्तर राजस्व)	**48,783**	**53,280**	**53,872**	**62,781**	**66,173**	**64361**	**81542**	**92489**	**110650**	**116800**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**5,41,068**	**6,49,823**	**7,26,284**	**8,29,805**	**9,27,855**	**9,46,218**	**11,01,168**	**12,21,813**	**13,53,809**	**15,03,395**
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)										
राजस्व प्राप्तियां	19.03	16.87	9.38	10.39	- 0.84	-0.86	26.98	9.74	14.73	7.04
राज्य के स्वयं का राजस्व	3.92	9.22	1.11	16.54	5.40	-2.74	26.69	13.42	19.64	5.56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	12.74	20.10	11.77	14.25	11.82	1.98	16.38	10.96	10.80	11.05
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य् घरेलू उत्पाद	19.50	18.98	18.57	17.94	15.91	15.47	16.88	16.70	17.29	16.66
उत्प्लावकता अनुपात[1]										
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	1.49	0.84	0.81	0.89	--*	--*	1.65	0.89	1.36	0.64
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य का स्वयं राजस्व उत्प्लावकता	0.31	0.46	0.10	1.16	0.46	--*	1.63	1.23	1.82	0.50

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

(*नकारात्मक आंकडो को इंगित करता है)

[1] उत्प्लावकता अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तनीयता की लोच या डिग्री की गतिशीलता को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, 2024–25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता 0.64 का अर्थ है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक से वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.64 से वृद्धि होती है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों का योगदान **चार्ट 1.7** और **चार्ट 1.8** में दिया गया है।

चार्ट 1.7: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां

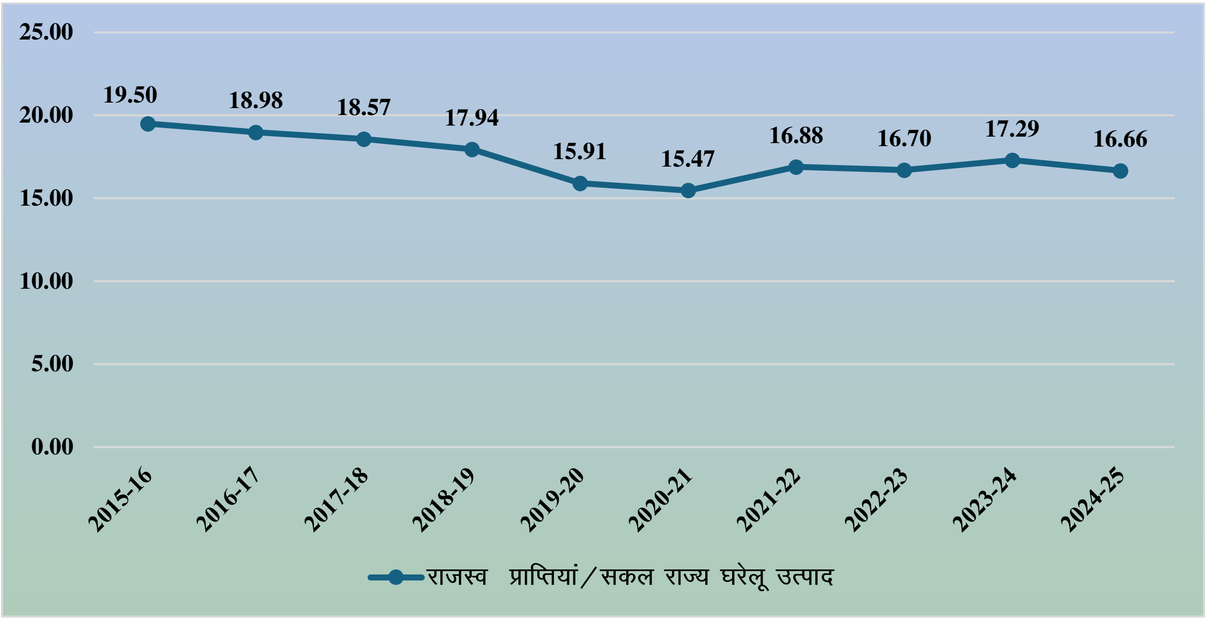

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.8: राजस्व प्राप्तियों में योगदान

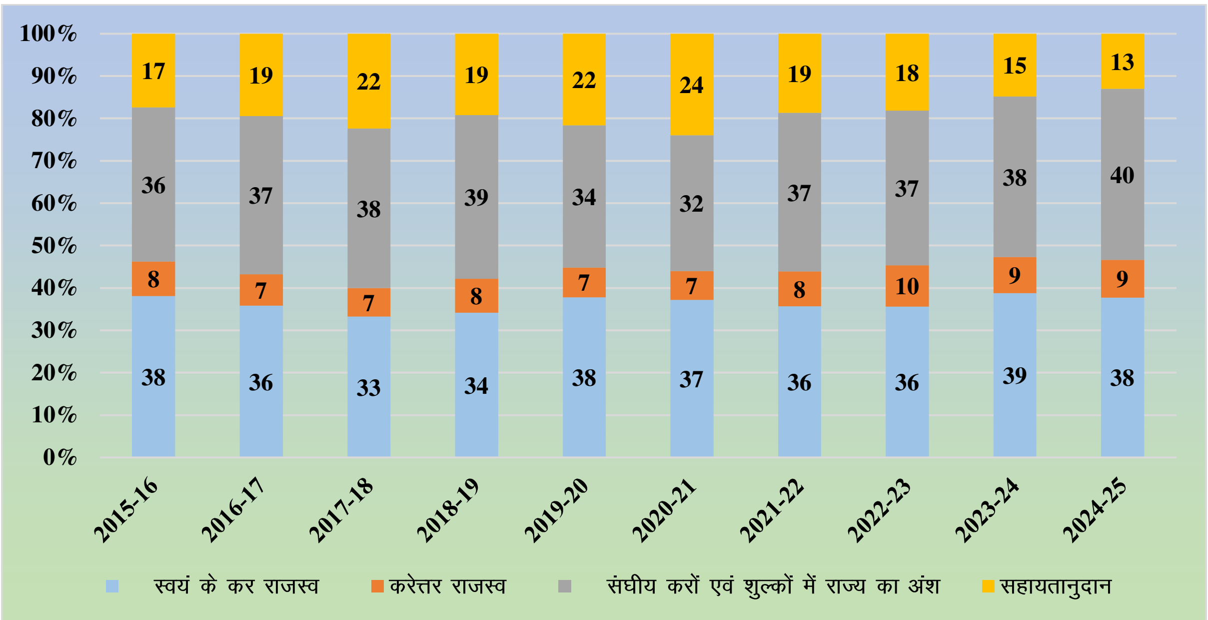

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका और चार्ट से देखा जा सकता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व वृद्धि असमान रही है। जहाँ 2015–16, 2021–22 तथा 2023–24 में राजस्व उत्प्लावकता एक से अधिक रही, जो यह दर्शाती है कि इन वर्षों में राजस्व में वृद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अधिक रही, वहीं शेष वर्षों में यह एक से नीचे रही, जो दिखाता है कि राजस्व वृद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गति के अनुरूप नहीं रही, जो राजकोषीय पक्ष पर दबाव की स्थिति को दिखाता है। राजस्व प्राप्तियों में सहायतानुदान का योगदान 2015–16 में 17 प्रतिशत से घटकर 2024–25 में 13 प्रतिशत तक रह गया है, हालांकि मध्यवर्ती वर्षों में इसमें उतार–चढ़ाव देखा गया है। यद्यपि, संघीय करों में राज्य के अंश का

योगदान 2020–21 में 32 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 40 प्रतिशत तक हो गया है, जो यह दर्शाता है कि हाल के वर्षों में संघीय करों के हस्तांतरण में काफी वृद्धि हुई है, जबकि राज्य के अपने संसाधनों (स्वयं कर एवं करेत्तर राजस्व) से प्राप्त योगदान लगभग स्थिर बना रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें 2019–21 के आसपास भारी गिरावट देखी गई। दीर्घकालिक प्रवृत्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व सृजन पर दबाव बनाने का सुझाव देती है। स्वयं के राजस्व में तीव्र वृद्धि के बिना राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता सीमित बनी रहेगी।

अ. राज्य के स्वयं के संसाधन

चार्ट 1.9: राज्य के स्वयं के राजस्व का विवरण

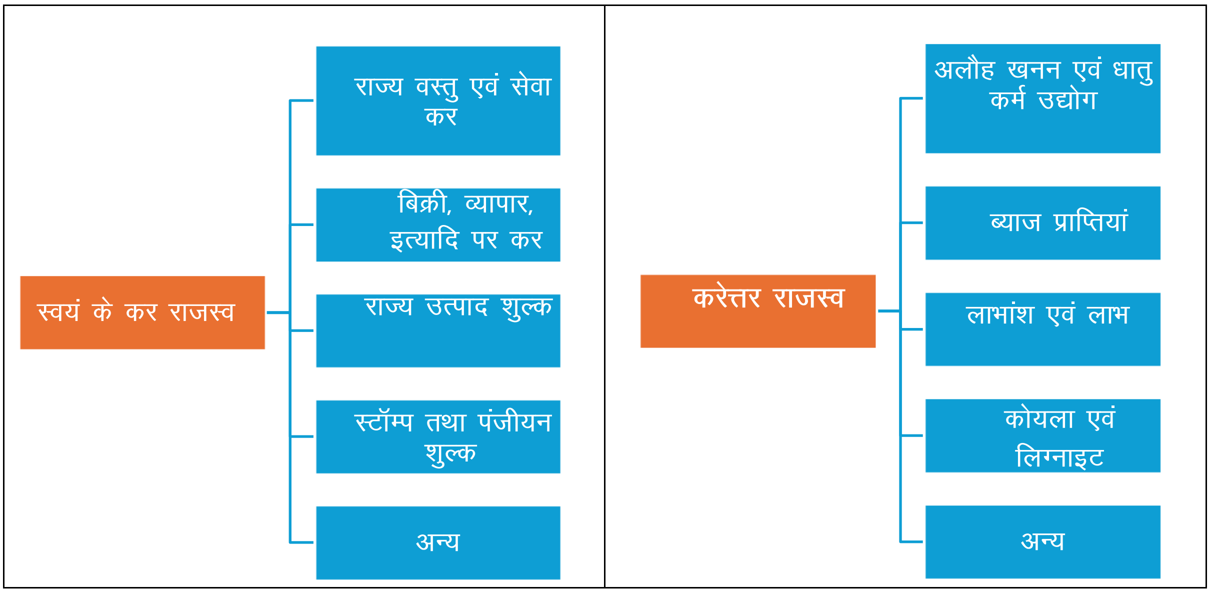

(i) स्वंय के कर राजस्व

स्वयं के कर राजस्व वह राजस्व है जो राज्य सरकार द्वारा संविधान के अंतर्गत प्रदत्त कराधान शक्तियों के अनुसार लगाए गए करों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। स्वयं के कर राजस्व के संबंध में वित्त वर्ष 2023–24 के वास्तविक आँकड़े तथा वित्त वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: स्वयं के कर राजस्व 2023–24 (वास्तविक) तथा 2024–25 (बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

कर राजस्व	2023–24 (वास्तविक)	2024–25 (बजट अनुमान)	2024–25 (पुनरीक्षित अनुमान)	2024–25 (वास्तविक)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	37,791	40,000	37,498	35,837
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	17,863	21,000	19,300	19,268
राज्य उत्पाद शुल्क	13,524	16,000	15,500	15,201
स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	10,331	12,500	12,000	11,357
विद्युत पर कर एवं शुल्क	4,207	5,000	4,534	5,278
वाहन कर	4,606	5,500	5,100	4,878
भू–राजस्व	1,079	701	812	1,069
अन्य	1,323	1,395	1,371	1,520
योग	**90,724**	**1,02,096**	**96,115**	**94,408**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं

वर्ष 2020–21 से 2024–25 की अवधि के दौरान स्वयं के कर राजस्व तथा उसके घटकों की प्रवृत्तियां क्रमशः **चार्ट 1.10** और **चार्ट 1.11** में दी गयीं हैं।

चार्ट 1.10: वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की प्रवृत्तियां

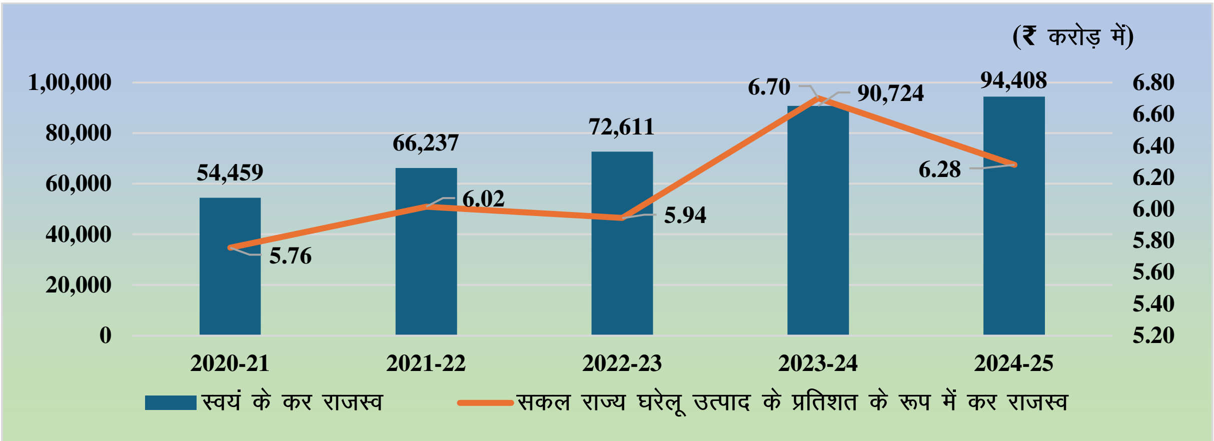

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.11: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

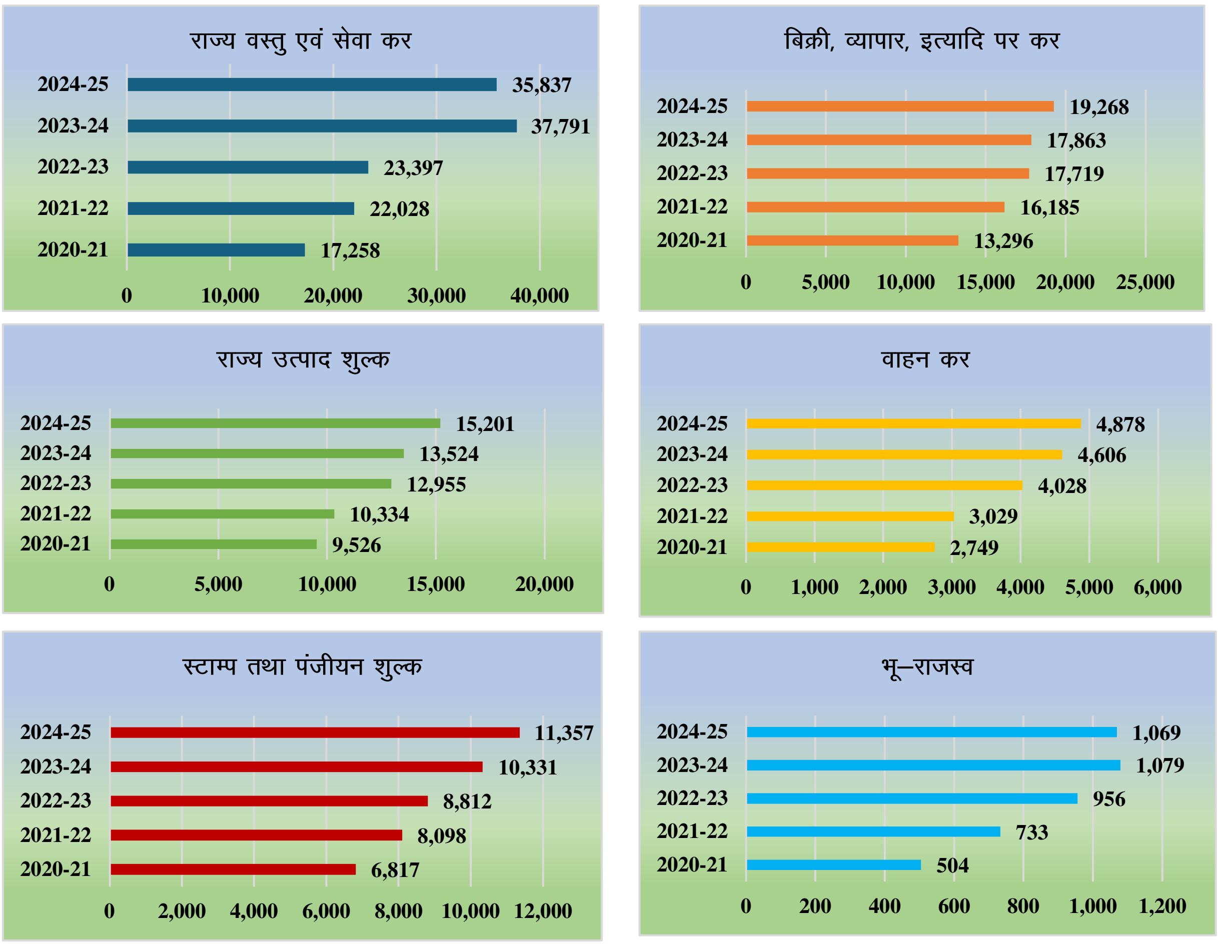

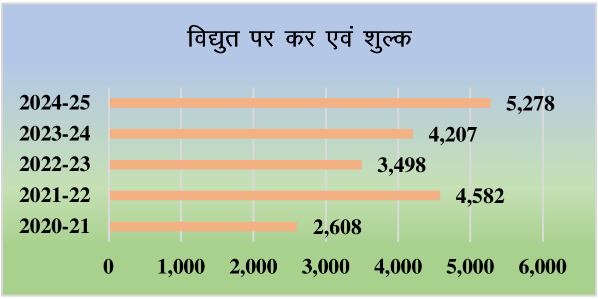

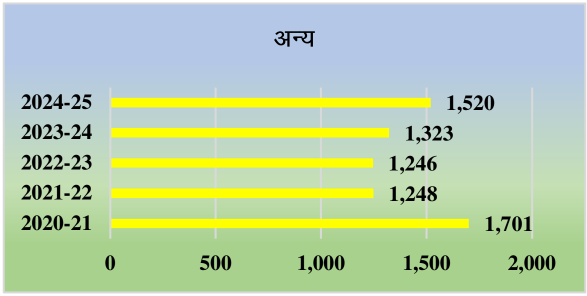

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकार का उद्देश्य स्वयं के कर राजस्व में दो अंकों की वृद्धि (12 प्रतिशत) का था, लेकिन वह केवल चार प्रतिशत की मामूली वृद्धि ही हासिल कर सका क्योंकि विद्युत पर कर और शुल्क को छोड़कर पांच प्रमुख राजस्व स्रोतों में से चार अपने बजट अनुमानों को पूरा नहीं कर सके।

स्वयं के कर राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी वृद्धि हमेशा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुरूप नहीं रही है। 2023–24 में इसमें पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से तीव्र वृद्धि हुई, जो 2024–25 में धीमी हुई और केवल मामूली वृद्धि दर्ज की गई। स्वयं के कर राजस्व और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2023–24 में 6.70 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो सुदृढ़ कर संग्रहण को दर्शाता है, लेकिन 2024–25 में यह घटकर 6.28 प्रतिशत हो गया क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राजस्व की तुलना में अधिक तीव्र थी। 2024–25 में आई यह कमी राजस्व संग्रहण को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर करती है ताकि उत्प्लावकता और राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखा जा सके।

2023–24 के दौरान, स्वयं के कर राजस्व में तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई, जो 62 प्रतिशत से बढ़कर ₹23,397 करोड़ से ₹37,791 करोड़ तक हो गया। हालांकि, यह गति बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि 2024–25 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर पांच प्रतिशत से घटकर ₹35,837 करोड़ रह गया, जिससे समग्र स्वयं के कर वृद्धि में कमी आई।

(ii) करेत्तर राजस्व

राज्य के करेत्तर राजस्व से आशय किराया, शुल्क, रॉयल्टी तथा अन्य प्राप्तियों से है जो राज्य सरकार को करों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के वास्तविक आंकड़े तथा वित्त वर्ष 2024–25 के लिए करेत्तर राजस्व के बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक आंकड़ों का विवरण **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: मुख्य करेत्तर राजस्वः 2023–24 (वास्तविक) तथा 2024–25 (बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2023–24 (वास्तविक)	2024–25 (बजट अनुमान)	2024–25 (पुनरीक्षित अनुमान)	2024–25 (वास्तविक)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	9,171	11,510	10,496	9,230
ब्याज प्राप्तियां	1,934	1,675	2,198	3,384
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,545	2,180	2,405	2,196
वानिकी एवं वन्य जीवन	1,421	1,650	1,485	1,650
लाभांश एवं लाभ	291	264	282	286
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	4,564	3,324	5,029	5,646
योग	**19,926**	**20,603**	**21,895**	**22,392**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020–21 से 2024–25 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व तथा उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ क्रमशः **चार्ट 1.12** और **चार्ट 1.13** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.12: वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 के दौरान करेत्तर राजस्व की प्रवृत्तियां

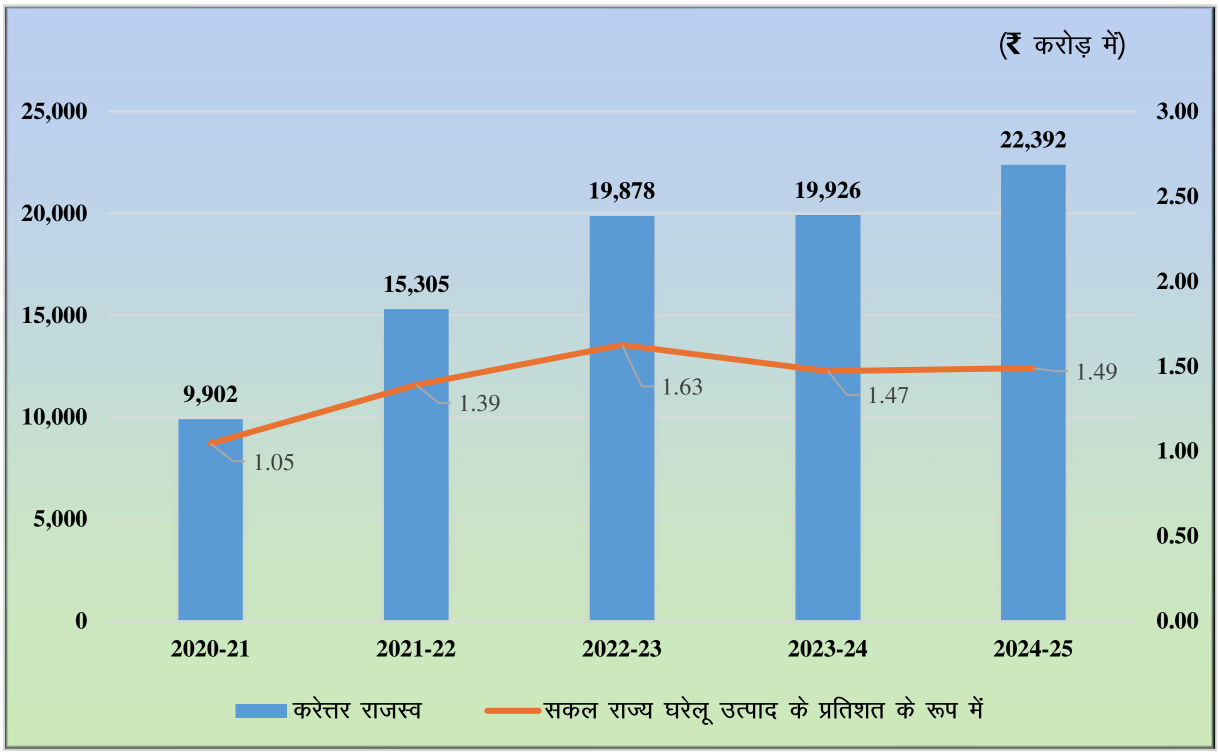

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.13: राज्य के करेत्तर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

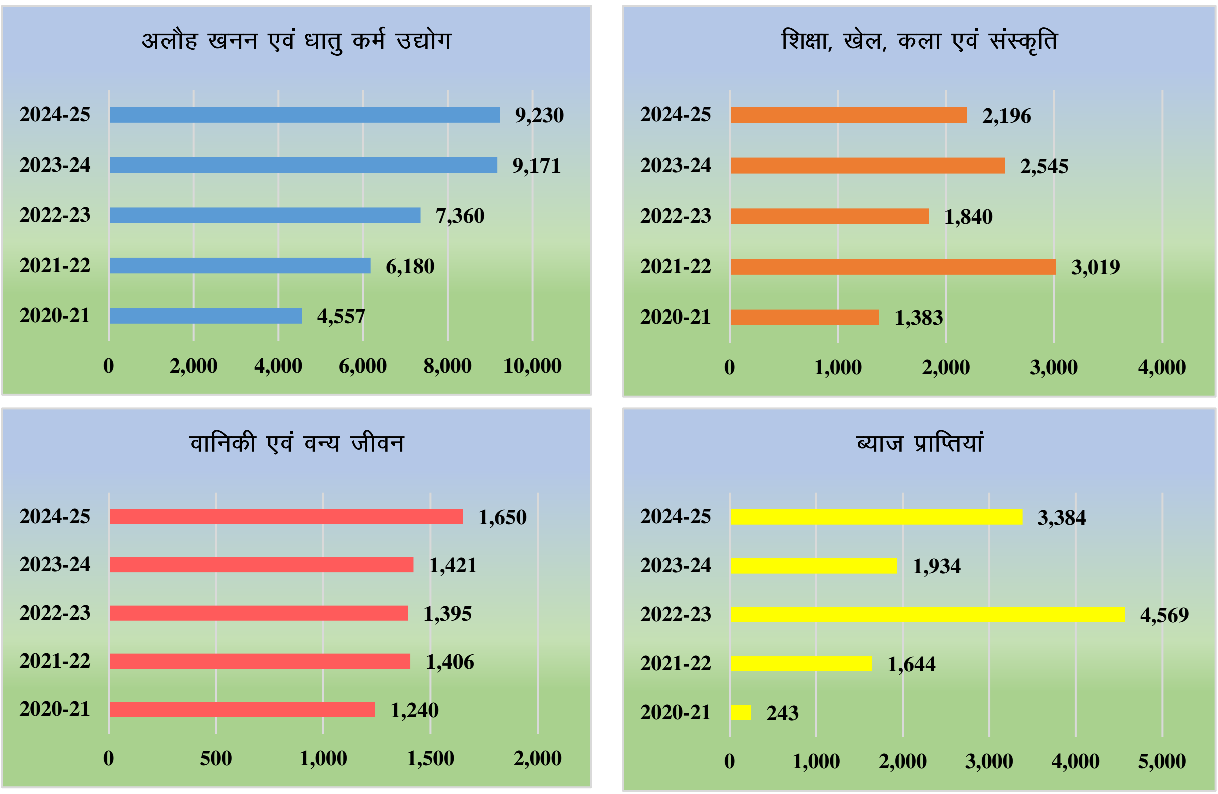

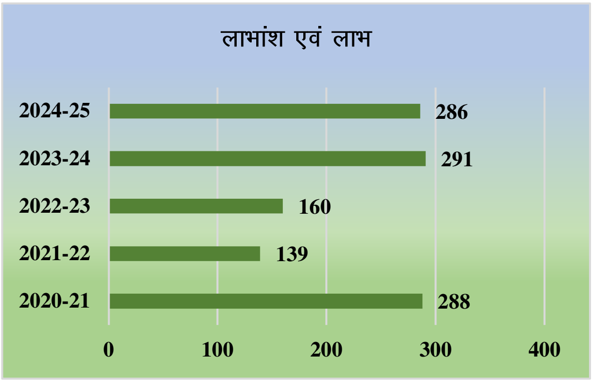

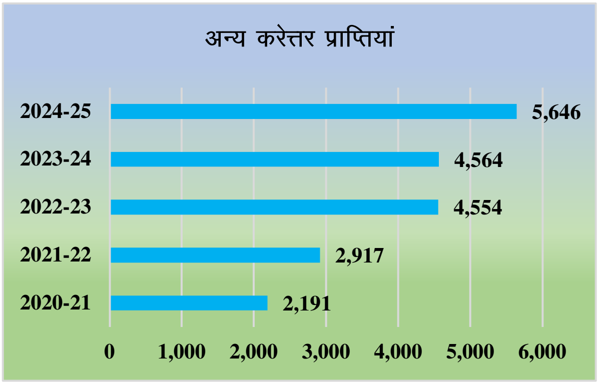

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024–25 में करेत्तर राजस्व बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान दोनों से अधिक रहा, जिसका प्रमुख कारण ब्याज प्राप्तियों में अत्यधिक वृद्धि रही। वहीं, खनन से प्राप्त राजस्व स्थिर बना रहा और निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम रहा। वर्ष 2020–21 की तुलना में करेत्तर राजस्व दोगुने से भी अधिक हो गया है, जो इसके सुदृढ़ता तथा आय स्रोतों के विविधीकरण को दर्शाता है। यद्यपि 2024–25 में कुल राशि के रूप में करेत्तर राजस्व ने अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर भी ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और उपयोग शुल्क जैसे स्थिर घटकों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं, क्योंकि खनन आधारित राजस्व अस्थिर बना रहता है।

ब. संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश

संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश के घटकों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.8** एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का प्रतिशत **चार्ट 1.14** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 1.8: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	निगम कर	आय पर कर के अतिरिक्त निगम कर	संपत्ति पर कर	सीमा शुल्क	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	योग
2015-16	-	-	12,078	8,400	3	6,134	5,100	6,656	27	**38,398**
2016-17	-	-	14,752	10,252	34	6,346	7,246	7,434	0	**46,064**
2017-18	716	5,132	15,569	13,147	0	5,131	5,363	5,795	0	**50,853**
2018-19	14,188	1,132	19,990	14,722	7	4,075	2,708	531	134	**57,487**
2019-20	14,052	-	16,884	13,229	1	3,139	2,182	-	31	**49,518**
2020-21	13,947	-	14,155	14,511	0	2,495	1,577	203	25	**46,913**
2021-22	19,855	-	20,563	20,589	4	4,950	2,647	863	71	**69,542**
2022-23	21,064	-	24,990	24,399	0	2,930	919	116	123	**74,541**
2023-24	26,909	-	26,613	30,735	0	3,107	1,176	17	3	**88,666**
2024-25	29,504	-	28,665	36,557	0	5,139	989	3	163	**1,01,020**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.14: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश का प्रतिशत

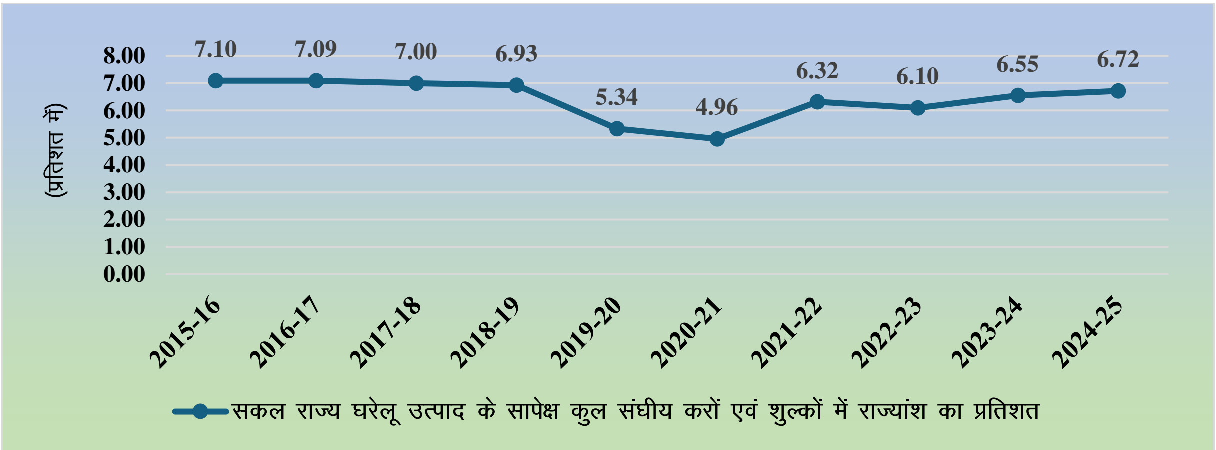

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट दर्शाता है कि 2015–16 से 2020–21 के दौरान संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश की स्थिर से घटती प्रवृत्ति रही, जिसके बाद 2021–22 से 2024–25 के बीच इसमें क्रमिक वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर, जैसे निगम कर और आयकर, इस अवधि में मुख्य योगदानकर्ता रहे हैं, जिनका योगदान 2015–16 से 2024–25 के दौरान कुल केंद्रीय अंतरण का लगभग 53 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच रहा है। राजस्व प्राप्तियों में संघीय करों में राज्य के हिस्से का योगदान 2020–21 में 32 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 40 प्रतिशत हो गया है। जो दर्शाता है कि हाल के वर्षों में राज्य की निर्भरता स्वयं के संसाधनों की तुलना में केंद्र से कर अंतरण पर अधिक बढ़ी है, जबकि राज्य के स्वयं के संसाधनों (कर एवं करेत्तर राजस्व) का योगदान अपेक्षाकृत स्थिर बना रहा। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि राज्य की राजकोषीय संसाधन व्यवस्था में केंद्रीय अंतरणों पर मध्यम से उच्च स्तर की निर्भरता है, जिससे राज्य केंद्र की हस्तांतरण नीतियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

स. भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों तथा उसके घटकों की प्रवृत्ति एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में क्रमशः **तालिका 1.9** एवं **चार्ट 1.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयोजनेतर अनुदान	राज्य आयोजित योजनाओं के लिए अनुदान	केंद्र आयोजित योजनाओं के लिए अनुदान	केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	राज्यों को अन्य अनुदान (वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति)	केंद्र प्रायोजित योजना	वित्त आयोग अनुदान	अन्य अंतरण/राज्यों को/विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान	योग
2015-16	3,990	13,371	359	610	-	-	-	-	**18,330**
2016-17	5,473	17,702	257	531	-	-	-	-	**23,963**
2017-18	4,408	23,164	67	-	2,511	-	-	-	**30,150**
2018-19	4,921	20,821	17	-	2,866	-	-	-	**28,625**
2019-20	-	-	-	-	6,327	19,548	6,078	-	**31,953**
2020-21	-	-	-	-	-	21,340	6,577	7,185	**35,102**
2021-22	-	-	-	-	-	25,488	5,609	3,695	**34,792**
2022-23	-	-	-	-	-	26,291	5,495	5,169	**36,955**
2023-24	-	-	-	-	-	25,855	5,306	3,550	**34,711**
2024-25	-	-	-	-	-	24,967	6,961	750	**32,678**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.15: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

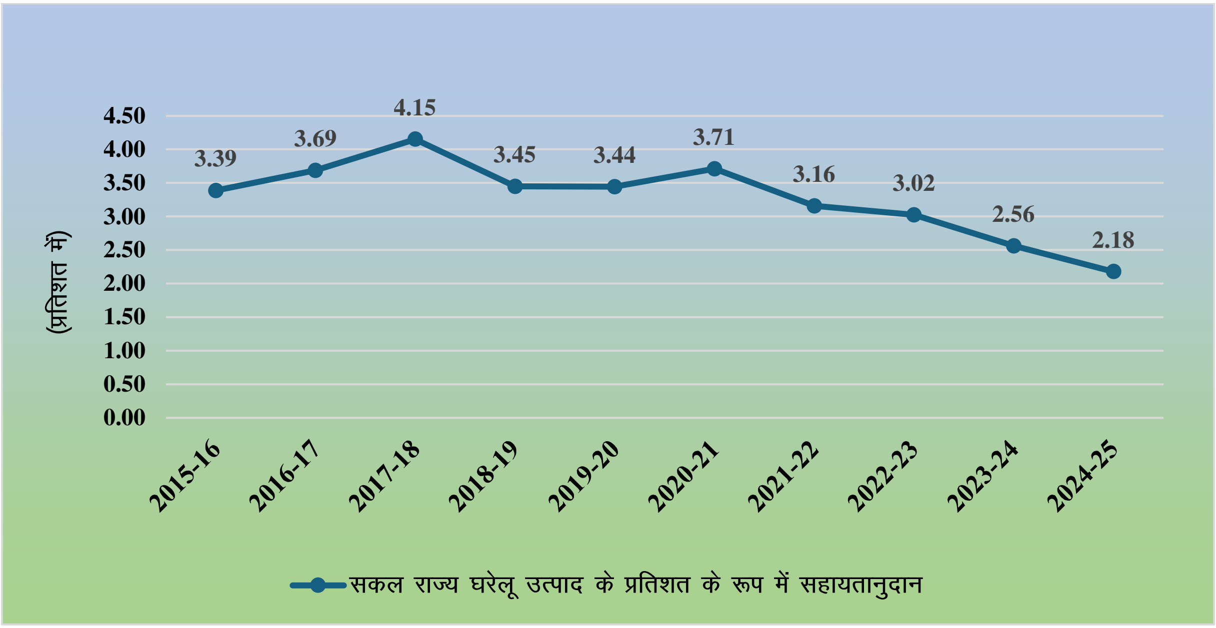

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

(i) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2024–25 के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु ₹24,967 करोड़ के अनुदानों में से मुख्य आवंटन जिन योजनाओं को किया गया उनको **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएं

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2024–25	2023–24	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
प्रधानमंत्री आवास योजना	4,566	1,532	198
समग्र शिक्षा अभियान	3,435	3,376	2
जल जीवन मिशन	2,622	5,448	(-)52
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1,872	2,254	(-)17
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन)	1,516	1,238	22
केन–बेतवा लिंक राष्ट्रीय योजना	1,363	-	-
आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	1,108	1,126	(-)2

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

(ii) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान, राज्यों को स्थानीय निकायों, राज्य आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा शमन निधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदानों के लिए, प्रदान किए गए। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 1.11** में दिया गया है।

तालिका 1.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी एवं अंतरित सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण		2024–25 के लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं	2024–25 के दौरान भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी	राज्य शासन द्वारा जारी (भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि का कुल प्रतिशत)
i. पंचायती राज संस्थानों को अनुदान		**3,265**	**3,054.10**	**3,054.10 (100)**
अ. संबद्ध अनुदान[2]		1,959	1,832.46	1,832.46 (100)
ब. असंबद्ध अनुदान[3]		1,306	1,221.64	1,221.64 (100)
ii. नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान		**1,588**	**1,076.97**	**670.47 (62)**
अ. दस लाख से कम आबादी वाले शहर (निष्पादन/संबद्ध अनुदान)		495	417.77	127.77 (31)
ब. दस लाख से कम आबादी वाले शहर (सामान्य आधारभूत/असंबद्ध अनुदान)		1,093	659.20	542.70 (82)
iii. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान		**1,018**	**1,226.76**	**135.20 (11)**
स्थानीय निकायों के लिए योग (i+ii+iii)		**5,871**	**5,357.83**	**3,859.77 (72)**
राज्य आपदा मोचन निधि	केन्द्रांश	1,686.40	1,686.40	1,686.40 (100)
	राज्यांश	561.60	561.60	561.60 (100)
राज्य आपदा शमन निधि	केन्द्रांश	421.60	411.50	411.50 (100)
	राज्यांश	140.40	137.10	137.10 (100)
राज्य आपदा मोचन शमन निधि के लिए योग		**2,810.00**	**2,796.60**	**2,796.60 (100)**

स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

2024–25 के दौरान राज्य ने भारत सरकार से प्राप्त वित्त आयोग के अनुदानों को पंचायती राज संस्थाओं तथा राज्य आपदा मोचन एवं शमन निधि के लिए पूर्ण रूप से जारी किया। हालांकि, अनुदान का हिस्सा (₹1,498.06 करोड़), अर्थात नगरीय स्थानीय निकायों (₹406.50 करोड़) तथा स्वास्थ्य क्षेत्र (₹1,091.56 करोड़) के लिए जारी नहीं किया गया। जारी नहीं किया गया भाग मुख्यतः दस लाख से कम आबादी वाले शहर के निष्पादन/संबद्ध अनुदान तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदान के एक बड़े हिस्से से संबंधित है, जो आंतरिक आवंटन एवं उपयोग की योजना में कमी का संकेत देता है। राज्य शेष राशि को समय पर जारी करना सुनिश्चित करे तथा सभी अनुदानों का वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण एवं प्रभावी ढंग से वितरित करना सुनिश्चित करे।

1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश प्रक्रिया से प्राप्तियां, कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्त संस्थानों एवं वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) से ऋण प्राप्तियां और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम शामिल हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत एवं लोक ऋण प्राप्तियां **चार्ट 1.16** में दर्शाई गई हैं।

2 सम्बद्ध अनुदान का उपयोग पेयजल, वर्षा जल संचयन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

3 असम्बद्ध अनुदान का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है।

चार्ट 1.16: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत एवं लोक ऋण प्राप्तियां

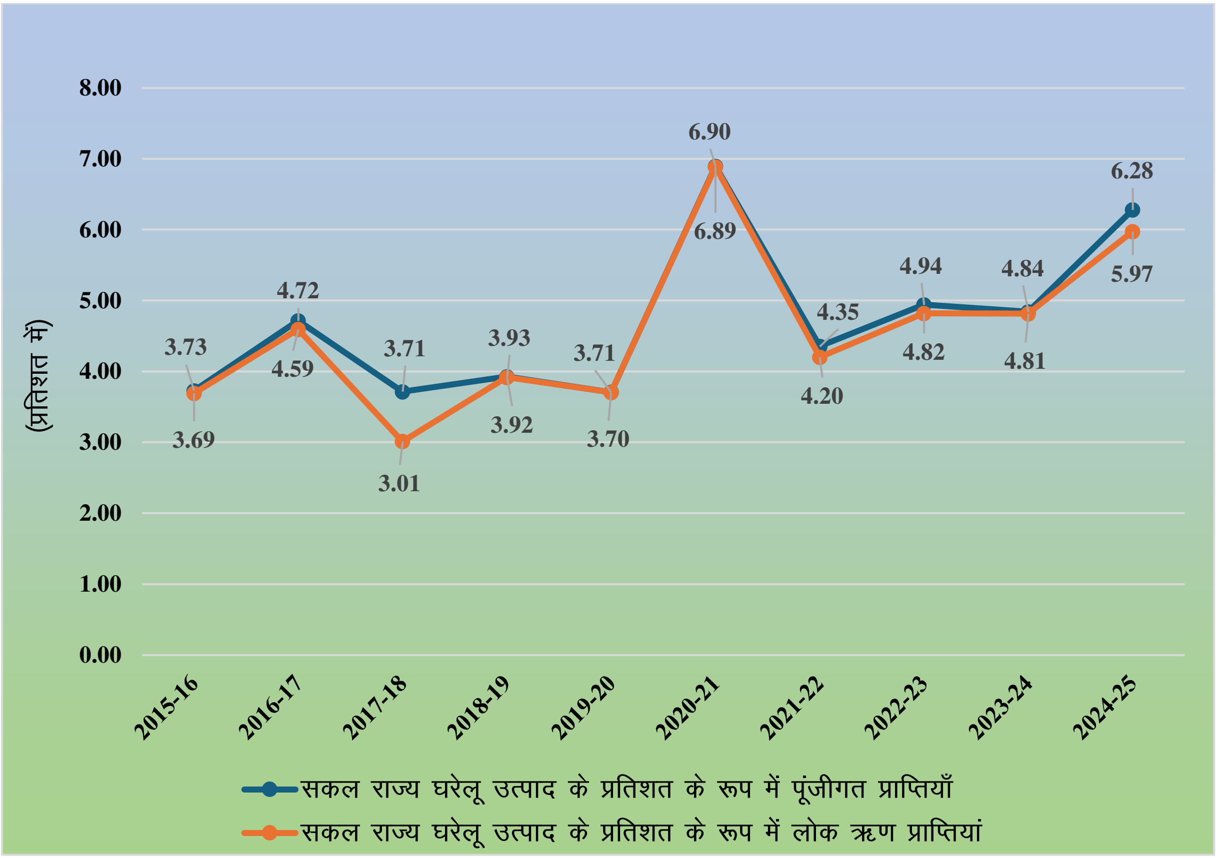

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015–16 से 2024–25 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों तथा उनके घटकों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.12** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटकों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)**	**20,175**	**30,643**	**26,981**	**32,580**	**34,424**	**65,243**	**47,946**	**60,371**	**65,556**	**94,421**
2.	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	26	24	19	13	14	14	1,598	47	4	2
3.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	2	-	-	-	-	-	1	-1	0	0
4.	कर्जों और अग्रिमों की वसूली	162	772[4]	5,070[5]	70	46	58	62	1,458	372	4,622
5.	**ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (2+3+4)**	**190**	**796**	**5,089**	**83**	**60**	**72**	**1,661**	**1,504**	**376**	**4,624**
6.	**लोक ऋण प्राप्तियां (7+8)**	**19,985**	**29,847**	**21,892**	**32,497**	**34,364**	**65,171**	**46,285**	**58,867**	**65,180**	**89,797**
7.	आंतरिक ऋण	18,659	28,581	19,975	28,701	29,496	54,242	33,671	48,202	50,108	74,640
8.	भारत सरकार से प्राप्त कर्ज और अग्रिम	1,326	1,267	1,917	3,796	4,868	10,929	12,614	10,665	15,072	15,157
	वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)										
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	12.74	20.10	11.77	14.25	11.82	1.98	16.38	10.96	10.80	11.05
10.	पूंजीगत प्राप्तियां	(-)7.72	51.89	(-)11.95	20.75	5.66	89.53	(-)26.51	25.91	8.59	44.03
11.	लोक ऋण प्राप्तियां	32.62	49.35	(-) 26.65	48.44	5.75	89.65	(-)28.98	27.18	10.72	37.77
12.	आंतरिक ऋण	36.23	53.18	(-)30.11	43.68	2.77	83.9	(-)37.92	43.16	3.95	48.96
13.	भारत सरकार से प्राप्त कर्ज और अग्रिम	(-)3.35	(-)4.45	51.30	98.02	28.24	124.51	15.42	(-)15.45	41.32	0.56

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

4 इसमें से ₹507 करोड़ कृषि एवं सम्बंधित गतिविधियों के लिए दिए गए कर्जों की वसूली से संबंधित है।
5 इसमें से ₹4,622 करोड़ 'विद्युत परियोजनाओं के लिए दिए गए कर्जों की वसूली' से संबंधित है।

2015–2025 की अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां समग्र रूप से बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दिखाती है, हालांकि 2021–22 में उल्लेखनीय गिरावट हुई, क्योंकि 2020–21 (कोविड अवधि) में शासन द्वारा ली गई उधारी लगभग 90 प्रतिशत अधिक थी। लोक ऋण प्राप्तियां लगातार पूंजीगत प्राप्तियों के 95 प्रतिशत से अधिक रहीं, जो राज्य की अपनी राजकोषीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाती हैं। ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (जैसे वसूलियां, विनिवेश) का योगदान 2017–18 (19 प्रतिशत), 2021–22 (तीन प्रतिशत) और 2024–25 (पांच प्रतिशत) को छोड़कर नगण्य बना रहा।

ऋण पर निर्भरता में लगातार वृद्धि राजकोषीय संधारणीयता के संबंध में चिंता बढ़ाती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर राज्य के कोष पर बढ़ते हुए ब्याज भार के रूप में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही, यह भविष्य के बजटों पर अतिरिक्त दबाव डालती है कि वे विकास को बढ़ावा देने वाले व्यय की कीमत पर ऋण चुकाने के लिए संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करें।

1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक आंकड़े

15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक के लिए अनुमानित राजस्व, घाटे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.13** में दिए गए हैं।

तालिका 1.13: 15वें वित्त आयोग के अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 श्रृंखला वर्तमान मूल्य पर)	9,65,307	9,46,218	9,08,401	11,01,168	9,78,966	12,21,813	10,62,853	13,53,809	11,58,236	15,03,395
स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	85,771	64,361	74,147	81,542	81,246	92,489	89,829	1,10,650	99,771	1,16,800
राज्य का स्वयं कर राजस्व	73,449	54,459	58,453	66,237	64,211	72,611	71,188	90,724	79,290	94,408
राज्य का करेत्तर राजस्व	12,322	9,902	15,694	15,305	17,035	19,878	18,641	19,926	20,481	22,392
संघीय करों/शुल्कों में राज्यांश	46,025	46,914	52,247	69,542	64,107	74,543	80,184	88,665	95753	1,01,020
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(–)	-3.04	1.94	-2.08	-0.44	-2.60	-0.33	-3.16	-0.92	-3.86	-0.11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	5.0	5.27	4.50	3.40	4.00	3.37	3.50	3.29	4.12	4.28

स्रोत: वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.2.4 व्यय

शासकीय व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और कर्ज एवं अग्रिमों में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय में विभागों के रखरखाव, मरम्मत तथा दैनिक कार्यों के संचालन से संबंधित व्यय शामिल होते हैं, जिसमें प्रशासनिक तथा स्थापना व्यय भी सम्मिलित हैं। पूंजीगत व्यय का संबंध परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण तथा संस्वीकृत परिसंपत्तियों में सुधार या परिवर्धन से होता है। कर्ज एवं अग्रिम में वे निधियां शामिल होती हैं जो शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं को प्रदान की जाती हैं जो समय के साथ वसूलने योग्य होती हैं। व्यय का विवरण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों का अंश क्रमशः **तालिका 1.14**, **चार्ट 1.17** और **चार्ट 1.18** में दिया गया है।

तालिका 1.14: कुल व्यय एवं उसके संघटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	राजस्व व्यय	पूंजीगत परिव्यय	कर्ज एवं अग्रिम	आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन
2015-16	**1,19,764**	99,771	16,835	3,158	-
2016-17	**1,51,766**	1,19,537	27,288	4,941	-
2017-18	**1,62,709**	1,30,246	30,913	1,550	-
2018-19	**1,72,663**	1,42,149	29,424	1,090	-
2019-20	**1,80,672**	1,50,444	29,241	987	-
2020-21	**1,96,319**	1,64,733	30,356	1,230	-
2021-22	**2,25,023**	1,81,061	40,733	3,229	-
2022-23	**2,46,693**	1,99,895	44,438	2,360	-
2023-24	**2,78,886**	2,21,538	56,538	810	-
2024-25	**3,19,510**	2,48,925	67,441	3,144	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.17: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय

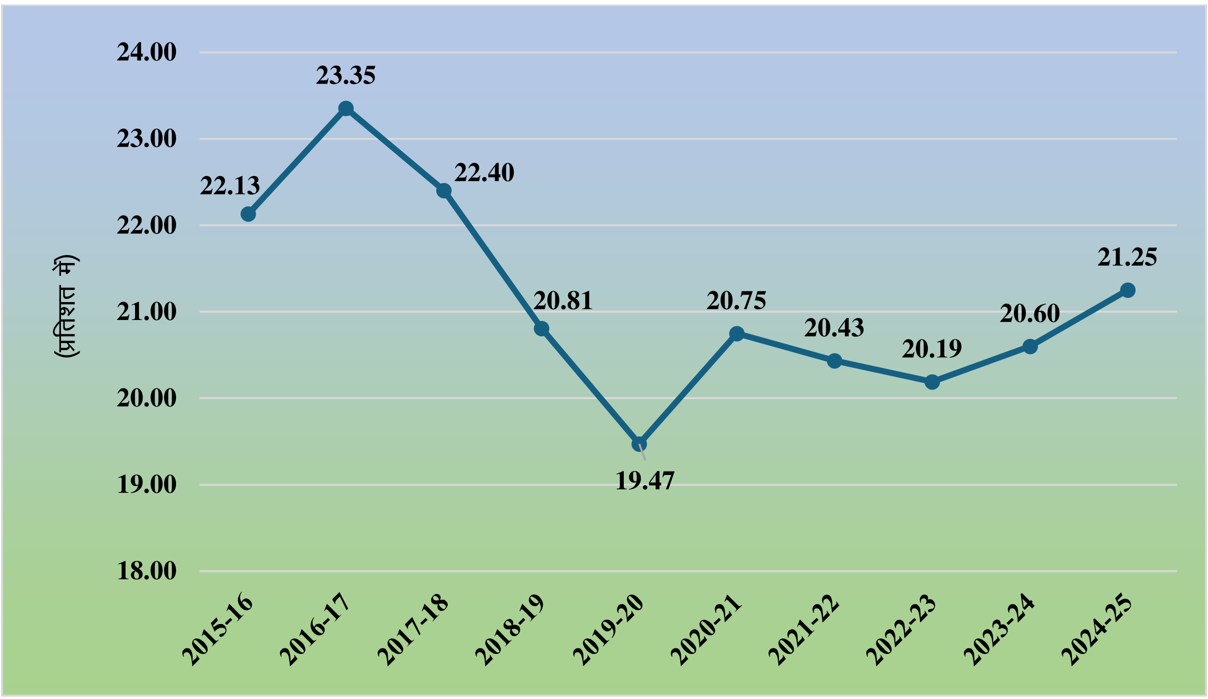

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.18: कुल व्यय में संघटकों का अंश

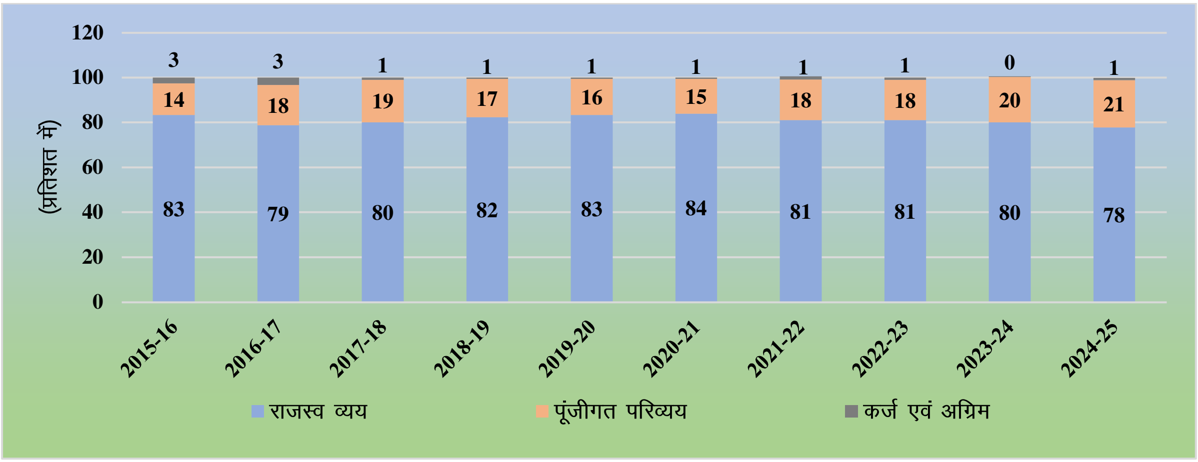

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए ₹3,19,510 करोड़ के कुल व्यय में से ₹54,097 करोड़ का एक हिस्सा पास–थ्रु लेनदेन जैसे कि वित्त आयोग अनुदान, भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास, सिंगल नोडल एजेंसी, राज्य आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा शमन निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं अन्य अंतरणों से संबंधित था।

व्यय रूपरेखा दर्शाती है कि राजस्व व्यय लगातार बड़े हिस्से के रूप में रहा है, हालांकि हाल के वर्षों में इसका अनुपात क्रमिक ह्रास को दिखाता है, जो 2020–21 में 84 प्रतिशत से घटकर 2024–25 में 78 प्रतिशत हो गया है, जो पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन में वृद्धि की ओर क्रमिक बदलाव को दर्शाता है।

विगत पांच वर्षों के दौरान, पूंजीगत परिव्यय में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है, जो 2020–21 में 15 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 21 प्रतिशत हो गयी है। यह पूंजी सृजन तथा परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में परिवर्तन का संकेतक है। हालांकि, समग्र व्यय की प्रवृत्ति तेजी से ऋण–आधारित होती जा रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा उधार के माध्यम से वित्त–पोषित किया जा रहा है।

क्षेत्र–वार कुल व्यय

व्यय के क्षेत्र–वार संघटक **तालिका 1.15** में दिये गये है तथा कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष अंश **चार्ट 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: क्षेत्र–वार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य सेवाएं	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	स्थानीय निकायों को अनुदान	कर्ज एवं अग्रिम
2015-16	26,249	45,675	38,790	5,891	3,158
2016-17	28,601	51,228	60,190	6,807	4,940
2017-18	32,843	63,705	57,547	7,065	1,550
2018-19	38,835	64,427	60,640	7,672	1,090
2019-20	40,809	71,147	61,830	5,900	987
2020-21	48,859	76,889	63,441	5,900	1,230
2021-22	50,450	85,996	78,223	7,125	3,229
2022-23	55,972	96,716	83,768	7,877	2,360
2023-24	64,034	1,14,625	90,901	8,516	810
2024-25	73,056	1,30,501	1,03,052	9,758	3,144

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.19: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष अंश

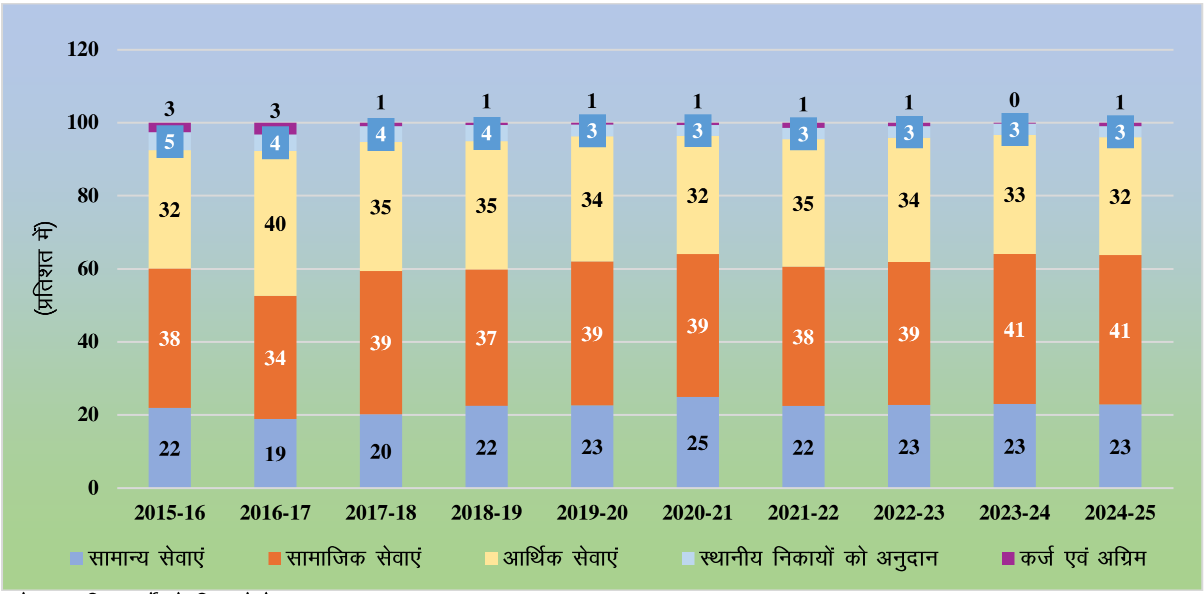

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय में स्थिरता के संकेत दिखाई देते हैं। सामान्य सेवाएं, जो मुख्यतः प्रशासनिक तथा शासन से संबंधित व्यय को दर्शाती हैं, कुल व्यय में एक बड़ी हिस्सेदारी बनाए हुए है, जिससे विकासात्मक व्यय की गुंजाइश सीमित हो जाती है। सामाजिक सेवाओं को लगातार सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है तथा वर्षों के दौरान इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जो एक मजबूत कल्याणकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है, लेकिन साथ ही बार–बार राजकोषीय दबाव भी पैदा करती हैं।

1.2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वर्तमान सेवाओं के स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसलिए, इससे राजकीय अधोसंरचना एवं सूचना संजाल में कोई नई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय की वृद्धि, कुल व्यय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों के साथ इसका अनुपात **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: राजस्व व्यय–आधारभूत मानदंड

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	
							राजस्व व्यय	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
2015-16	**1,19,766**	99,771	1,05,511	94.56	83.30	18.44	21.12	12.74
2016-17	**1,51,767**	1,19,537	1,23,307	96.94	78.76	18.40	19.81	20.10
2017-18	**1,62,709**	1,30,246	1,34,875	96.57	80.05	17.97	8.96	11.77
2018-19	**1,72,664**	1,42,149	1,48,893	95.47	82.33	17.56	9.14	14.25
2019-20	**1,80,672**	1,50,444	1,47,643	101.90	83.27	16.59	5.84	11.82
2020-21	**1,96,319**	1,64,733	1,46,377	112.54	83.91	17.40	9.50	1.98
2021-22	**2,25,023**	1,81,061	1,85,876	97.41	80.46	16.57	9.91	16.38
2022-23	**2,46,693**	1,99,895	2,03,986	97.99	81.03	16.04	10.40	10.96
2023-24	**2,78,886**	2,21,538	2,34,026	94.66	79.44	16.25	10.83	10.80
2024-25	**3,19,510**	2,48,925	2,50,498	99.37	77.91	16.56	12.36	11.05

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, राजस्व व्यय लगभग 10–12 प्रतिशत की वार्षिक दर से लगातार बढ़ रहा है, जो सामान्यतः सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर के अनुरूप है परन्तु राजस्व व्यय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उच्च अनुपात (लगभग 16–18 प्रतिशत) सीमित लचीलापन दर्शाता है।

राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय का प्रमुख घटक रहा है। हालांकि, यह अनुपात 2020–21 में लगभग 84 प्रतिशत से घटकर 2024–25 में 78 प्रतिशत हो गया है, फिर भी यह दर्शाता है कि संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा नियमित और प्रतिबद्ध व्यय में लगा हुआ है, जिससे दीर्घकालिक विकास को गति देने वाले पूंजीगत निवेश के लिए अपेक्षाकृत कम राजकोषीय क्षमता बचती है।

अ. क्षेत्र–वार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की क्षेत्र–वार संरचना **तालिका 1.17** में दी गई है और राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी **चार्ट 1.20** में दर्शाई गई है। क्षेत्र–वार व्यय का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

तालिका 1.17: क्षेत्र–वार राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य सेवाएं	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	सहायतानुदान एवं अंशदान
2015-16	25,700	42,651	25,529	5,891
2016-17	27,903	47,942	36,885	6,807
2017-18	32,100	58,346	32,735	7,065
2018-19	38,113	58,707	37,658	7,672
2019-20	39,827	64,225	40,493	5,900
2020-21	47,885	68,757	42,191	5,900
2021-22	49,461	71,644	52,831	7,125
2022-23	54,807	82,084	55,127	7,877
2023-24	62,830	93,007	57,185	8,516
2024-25	71,509	1,05,223	62,435	9,758

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.20: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी

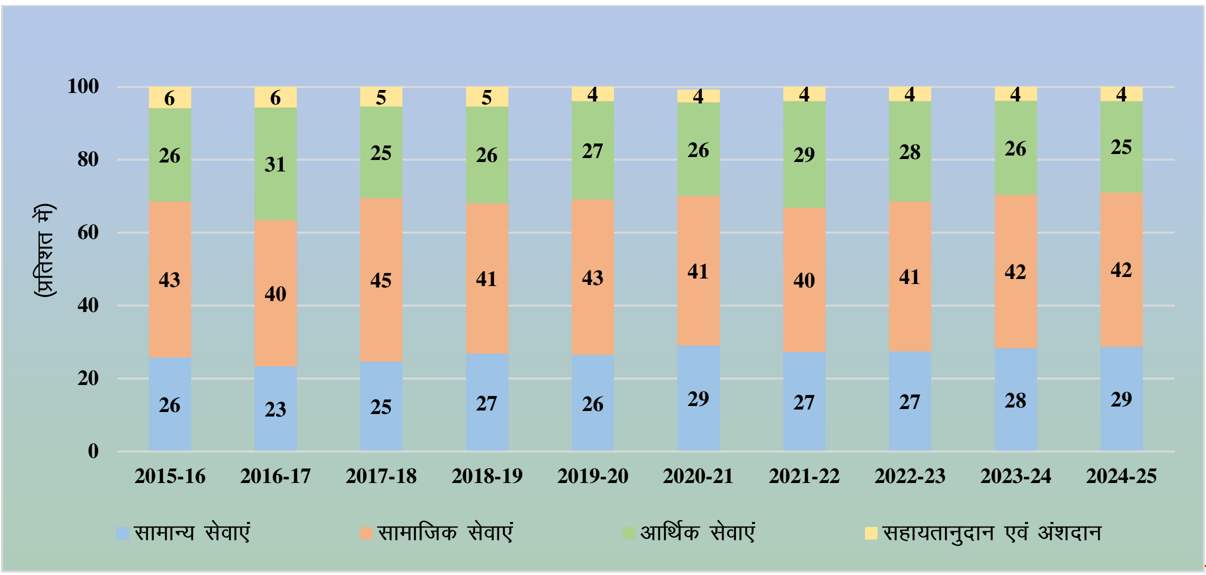

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका और चार्ट से देखा जा सकता है कि सामाजिक सेवाएं व्यय में निरंतर प्रमुख स्थान पर रही हैं तथा कुल व्यय का 40–45 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं, जो कल्याणकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है। सामान्य सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता होना महत्वपूर्ण रूप से प्रशासनिक और प्रतिबद्ध व्यय भार को दर्शाता है।

ब. प्रतिबद्ध व्यय

राज्य शासन के राजस्व लेखों पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, तथा पेंशन शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका प्रथम प्रभार होता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटक **तालिका 1.18** में दिए गए हैं, तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अन्य व्यय के लिए शेष राजकोषीय क्षमता **चार्ट 1.21** में दिया गया है।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन एवं मजदूरी	पेंशन पर व्यय	ब्याज भुगतान	योग	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय
2015-16	20,554	7,819	8,091	36,464	36.54
2016-17	21,577	8,793	9,079	39,449	33.00
2017-18	24,027	9,290	11,045	44,362	34.06
2018-19	27,256	11,984	12,696	51,936	36.54
2019-20	31,160	12,053	14,217	57,430	38.17
2020-21	37,759	14,671	15,918	68,348	41.49
2021-22	41,096	17,042	18,446	76,584	42.30
2022-23	46,799	19,691	19,453	85,943	42.99
2023-24	50,249	21,966	23,098	95,313	43.02
2024-25	54,179	26,201	25,888	1,06,268	42.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.21: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय के घटक और शेष राजकोषीय क्षमता

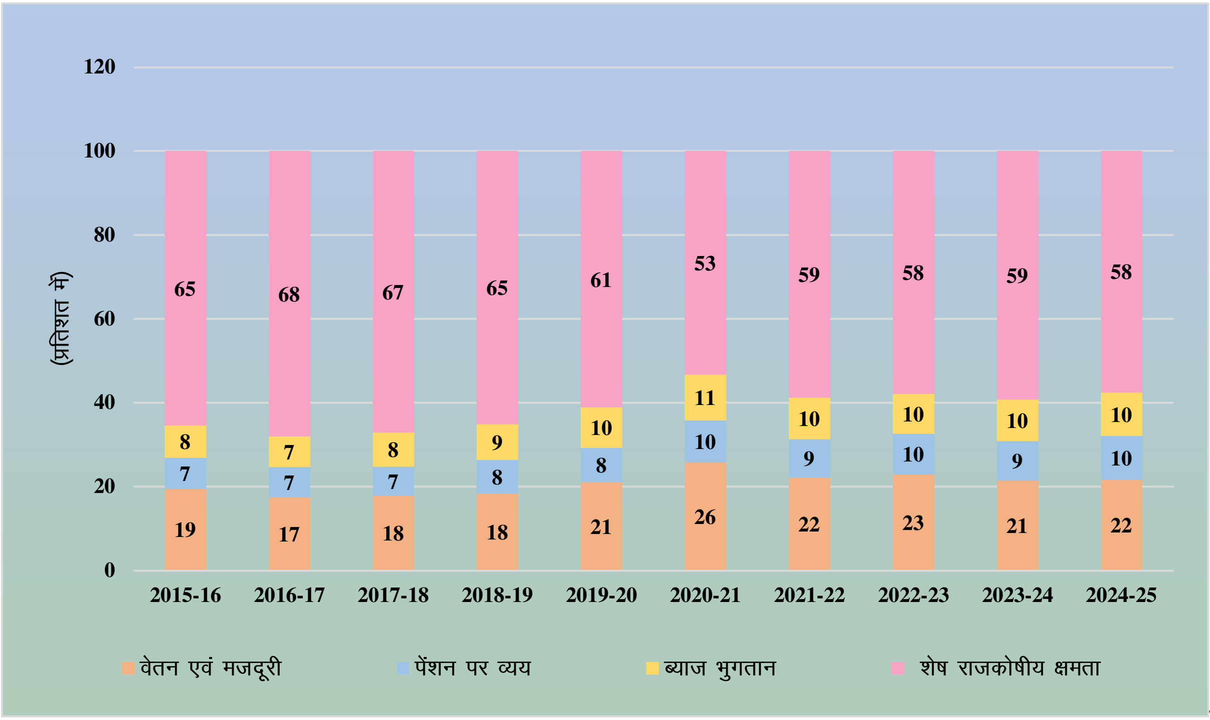

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका और चार्ट से देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा पिछले 10 वर्षों में लगातार उच्च बना रहा है और 35 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के बीच रहा है, जबकि 2024–25 में प्रतिबद्ध व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली बदलाव आया है। इससे यह संकेत मिलता है कि राज्य के संसाधनों का एक बड़ा और काफी हद तक अनम्य हिस्सा निश्चित दायित्वों तथा नियमित देयताओं को पूरा करने में व्यय हो रहा है, जिससे अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए राजकोषीय क्षमताओं की कमी हो रही है।

राज्य को व्यय प्रबंधन में सुधार हेतु कर्मचारी लागतों का युक्तिकरण, पेंशन सुधार तथा विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है।

स. राजसहायताएं

वर्तमान वर्ष के दौरान राजसहायताओं में विगत वर्ष की तुलना में ₹23,320 करोड़ (114.49 प्रतिशत) से वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा राजसहायता में ₹13,475 करोड़ (253.55 प्रतिशत), किसान कल्याण एवं कृषि विकास में ₹6,670 करोड़ (79.66 प्रतिशत), औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन में ₹1,510 करोड़ (158 प्रतिशत) तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में ₹1,144 करोड़ (217.24 प्रतिशत) के कारण हुई।

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक विभाग–वार प्रमुख राजसहायता का विवरण **तालिका 1.19** तथा इसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण **चार्ट 1.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 के दौरान विभाग–वार राजसहायता

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	ऊर्जा	3,626	7,060	3,940	5,315	18,790
2.	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	4,971	6,575	8,864	8,373	15,043
3.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	290	1,331	1,400	956	2,465
4.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	276	570	801	527	1,671
5.	स्कूल शिक्षा	282	343	510	1,125	1,366
6.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	549	687	812	1287	992
7.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	400	403	492	600	772
8.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	152	195	401	480	766
9.	सहकारिता	383	1,008	584	490	538
10.	अन्य विभाग[6]	2,739	1,114	1,484	1,217	1,284
	योग	**13,669**	**19,285**	**19,289**	**20,367**	**43,687**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[6] अन्य विभागों में 27 विभाग शामिल हैं, जिनमें राजसहायताओं का प्रमुख हिस्सा रखने वाले विभागों में सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, अनुसूचित जाति कल्याण आदि शामिल हैं।

चार्ट 1.22: राजसहायताओं की प्रवृत्ति का विश्लेषण

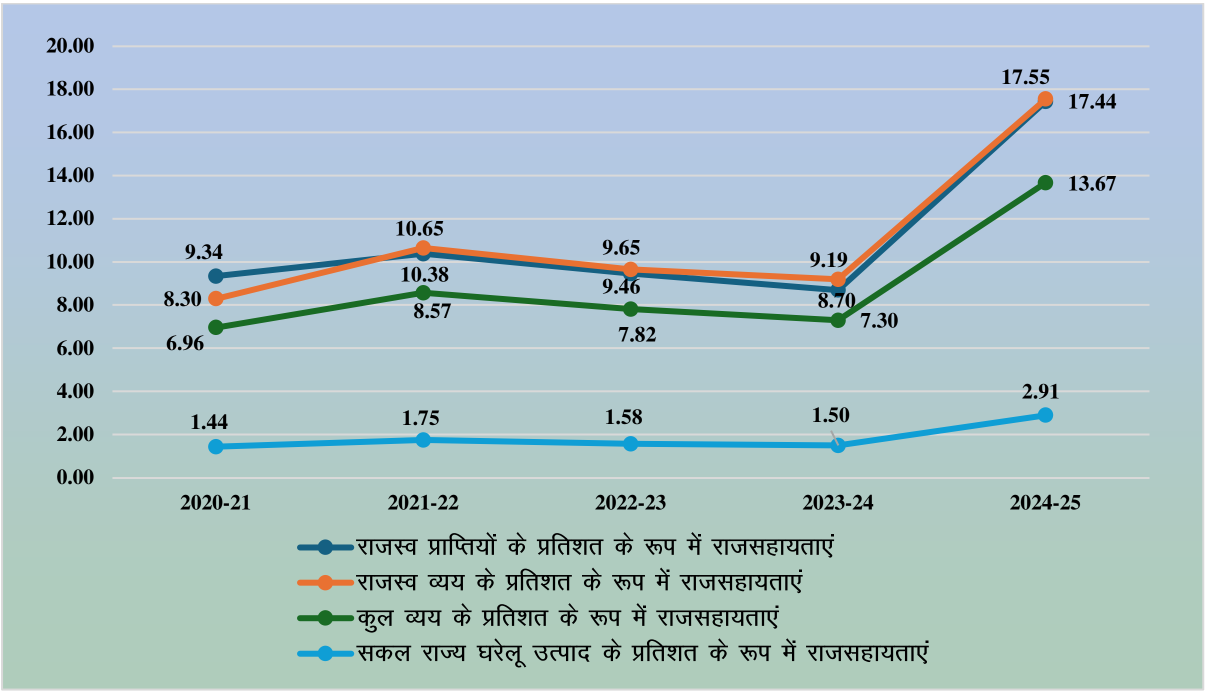

मध्य प्रदेश की राजसहायताएं विगत पांच वर्षों में तीन गुना से अधिक और विगत वर्ष से दो गुने से अधिक हो गई हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में 2023–24 की तुलना में हुई तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा (254 प्रतिशत), किसान कल्याण एवं कृषि विकास (80 प्रतिशत) तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन (158 प्रतिशत) में पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही संदर्भों में राजसहायता में वृद्धि के कारण थी।

पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मध्य प्रदेश	9.34	10.38	9.46	8.70	17.44
उत्तर प्रदेश	3.94	5.43	5.09	5.31	5.58
छत्तीसगढ़	11.57	8.24	8.85	10.43	13.75
राजस्थान	11.04	12.70	13.42	13.97	14.96
उत्तर–पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों का औसत	9.73	9.17	9.32	9.35	11.38

मध्य प्रदेश में राजसहायताएं वर्ष 2023–24 तक सभी राज्यों के औसत के करीब बनी रहीं। हालांकि, 2024–25 में यह तेजी से बढ़कर 17.44 प्रतिशत हो गई, जो उत्तर–पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के औसत (11.38 प्रतिशत) के अलावा पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तुलना में काफी अधिक है।

बढ़ती हुई राजसहायताएं पूंजीगत निर्माण, अधोसंरचना और उत्पादक निवेश के लिए राजकोषीय क्षमता को कम करती है, जिससे अंततः उधार पर निर्भरता बढ़ जायेगी।

द. राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 2020–21 से 2024–25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता का विवरण **तालिका 1.20** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगर पालिकाएं	6,292.63	6,381.23	6,508.50	6,930.17	6,732.25
नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतानुदान	581.30	620	481.11	776.83	806.42
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थान	19,103.09	16,889.40	20,441.40	17,203.40	22,231.98
पंचायती राज संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतानुदान	0	0	0	0	0
योग (अ)	**25,977.02**	**23,890.63**	**27,431.01**	**24,910.40**	**29,770.65**
(ब) अन्य					
विश्वविद्यालय	107.79	109.33	148.81	199.48	243.10
विकास प्राधिकरण	3,116.20	4,523.47	4,116.23	4,060.68	3,306.91
गैर–सरकारी संगठन	880.53	1,090.95	1,047.81	839.28	1,027.49
अन्य संस्थान	34,189.41	36,983.59	39,762.94	51,983.18	42,061.13
योग (ब)	**38,293.93**	**42,707.34**	**45,075.79**	**57,082.62**	**46,638.63**
योग (अ+ब)	**64,270.95**	**66,597.97**	**72,506.80**	**81,993.02**	**76,409.28**
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल सहायतानुदान	**581.30**	**620**	**481.11**	**776.83**	**806.42**
राजस्व व्यय	1,64,733	1,81,061	1,99,895	2,21,538	2,48,925.28
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	39.02	36.78	36.27	37.01	30.70

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

संविधान के अनुच्छेद 243(I) के अनुपालन में, मध्य प्रदेश शासन ने जून 1994 से अब तक पांच राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है। प्रथम और द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन समय पर हुआ, तथा इसमें देरी की शुरुआत तृतीय राज्य वित्त आयोग के गठन से हुई जिसका गठन 10.12.2004 को होना था, लेकिन वास्तव में इसका गठन 12.07.2005 को हुआ। इसकी अनुशंसा अवधि 2006–2011 थी; हालांकि, इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन को असामान्य रूप से 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया।

चौथा राज्य वित्त आयोग, का गठन 20.03.2017 को हुआ था, किन्तु इसकी अनुशंसाओं को राज्य शासन द्वारा लागू नहीं किया। इसके स्थान पर शासन ने सीधे पांचवे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को वर्ष 2022–23 से अपनाया, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को देय अंशदान राज्य के विभाज्य कोष का अगले चार वर्षों 2022–23 से 2025–26 तक चरणबद्ध तरीके से क्रमशः 6.25 प्रतिशत, 7.50 प्रतिशत, 8.75 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत हस्तांतरण किया जाएगा।

चौथे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन न होने तथा पांचवे राज्य वित्त आयोग को प्रभावी रूप से लागू करने में हुई देरी के कारण, राज्य ने 31.03.2022 तक अपने विभाज्य कोष का केवल पांच प्रतिशत ही स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया। इसके परिणामस्वरूप मध्यवर्ती वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को होने वाले अंतरण अपेक्षित स्तर से काफी कम रहे, जो राज्य वित्त आयोगों द्वारा परिकल्पित किए गए थे। तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को उसके अनुशंसित अवधि से आगे लंबे समय तक जारी रखने तथा पांच प्रतिशत के अस्थायी हस्तांतरण की व्यवस्था के कारण निधियों के प्रवाह में ठहराव उत्पन्न हुआ, जिससे स्थानीय निकायों की विकासात्मक गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की क्षमता प्रभावित हुई।

1.2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी अधोसंरचना परिसंपत्तियों जैसे सड़कें, भवन, इत्यादि के निर्माण पर होने वाला व्यय है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पूंजीगत व्यय का वहन बजटीय सहायता तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बजटेत्तर उधारियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें राज्य शासन द्वारा कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी सम्मिलित होते हैं। राज्य में विगत 10 वर्षों अर्थात 2015–25 के दौरान पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.23** में दिया गया है।

चार्ट 1.23: राज्य में पूंजीगत व्यय

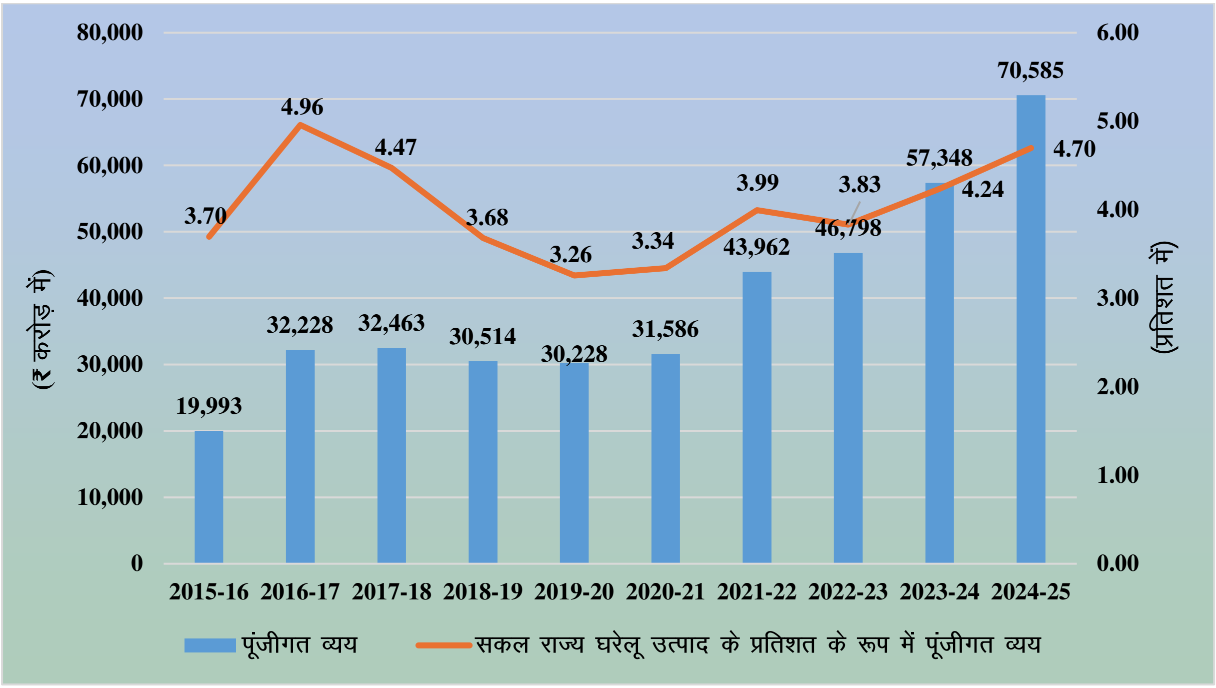

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

₹70,585 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अलावा, राज्य शासन ने स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु ₹1,051 करोड़ सहायतानुदान के रूप में भी हस्तांतरित किए। इसके अतिरिक्त, ऋण प्राप्तियों की तुलना में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 79 प्रतिशत रहा, जो यह दर्शाता है कि उधार ली गई राशि को समानुपातिक रूप से अधोसंरचनात्मक विकास में परिवर्तित नहीं किया गया।

पूंजीगत व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जो राज्य द्वारा विकासोन्मुख व्यय को सुदृढ़ करने के प्रति किए गए सचेत प्रयास को दर्शाती है। यद्यपि विभिन्न वर्षों में वृद्धि की गति में अंतर रहा है, लेकिन समग्र प्रवृत्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विस्तार के अनुरूप है, जैसा कि पूंजीगत व्यय से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में निरंतर सुधार से स्पष्ट होता है। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा भी धीरे–धीरे बढ़ रहा है, जो यह संकेत देता है कि केवल राजस्व व्यय तक संसाधनों को सीमित रखने के बजाय अधोसंरचना तथा परिसंपत्तियों के सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रदान की जाने वाली सहायतानुदान भी एक महत्वपूर्ण घटक रहा है, जो राज्य के स्वयं के प्रयासों का पूरक है तथा इसके राजकोषीय क्षमता पर अत्यधिक दबाव डाले बिना पूंजीगत निर्माण के उच्च स्तर को सक्षम बनाता है।

अ. क्षेत्र–वार पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय के क्षेत्र–वार संघटक एवं विभिन्न क्षेत्रों में इनकी सापेक्ष हिस्सेदारी क्रमशः **तालिका 1.21** एवं **चार्ट 1.24** में दिया गया है। क्षेत्र–वार व्यय का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

तालिका 1.21: क्षेत्र–वार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य सेवाएं	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	कर्ज एवं अग्रिम
2015-16	549	3,024	13,262	3,158
2016-17	698	3,285	23,305	4,940
2017-18	743	5,358	24,812	1,550
2018-19	723	5,719	22,982	1,090
2019-20	982	6,922	21,337	987
2020-21	974	8,132	21,250	1,230
2021-22	989	14,352	25,392	3,229
2022-23	1,165	14,632	28,641	2,360
2023-24	1,204	21,618	33,716	810
2024-25	1,547	25,277	40,617	3,144

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.24: पूंजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी

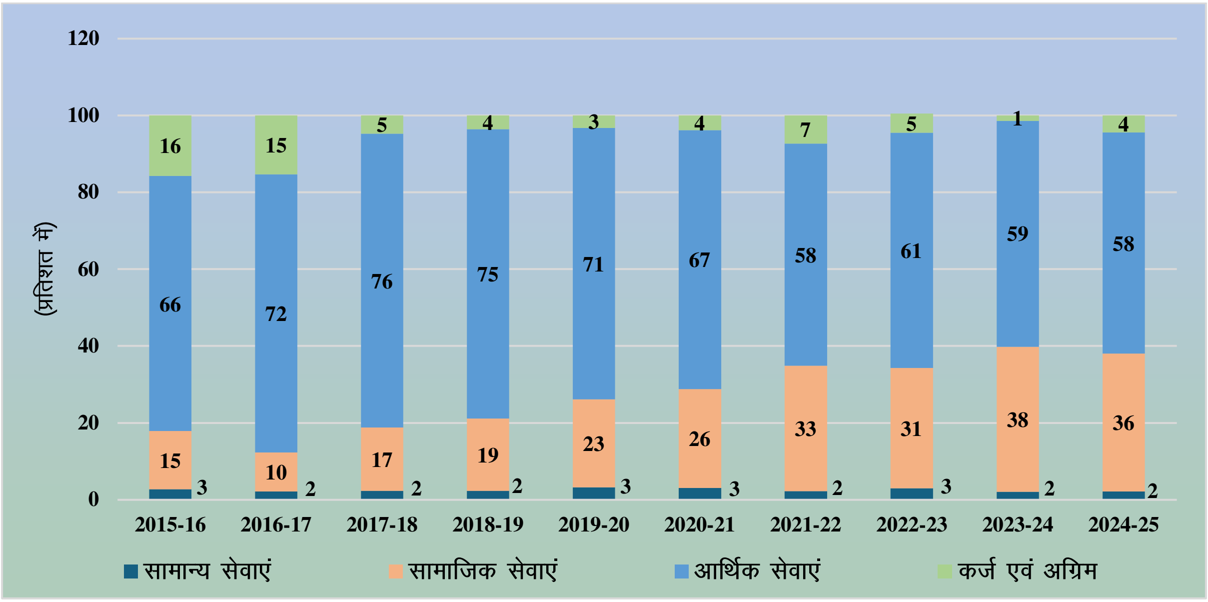

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

ब. कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, राज्य शासन का कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश ₹54,478 करोड़ था, जिसमें मुख्यत: सरकारी कंपनियां (₹35,795 करोड़), सहकारी समितियां (₹4,241 करोड़), वैधानिक निगम (₹14,440 करोड़), अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां (₹1.31 करोड़) शामिल थीं।

वर्ष के अंत में कंपनियों, निगमों तथा सहकारी बैंकों एवं समितियों में किए गए निवेश की प्रवृत्ति तथा इन निवेशों पर प्राप्त प्रतिफल को **चार्ट 1.25** में दर्शाया गया है। शासन द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की दर के सापेक्ष शासन की उधारी पर औसत ब्याज दर को **चार्ट 1.26** में दर्शाया गया है।

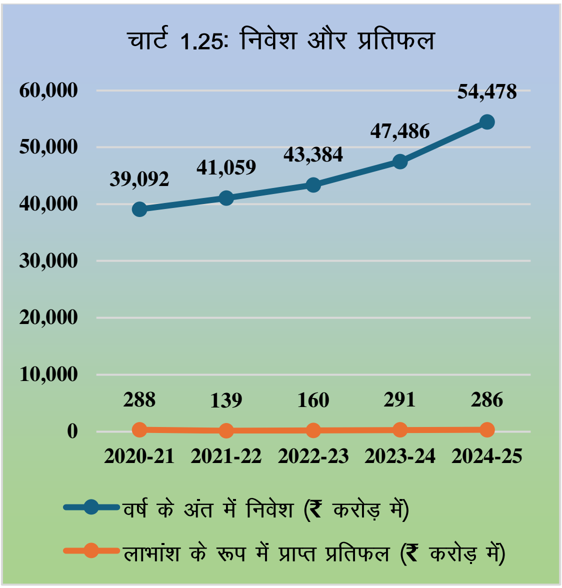

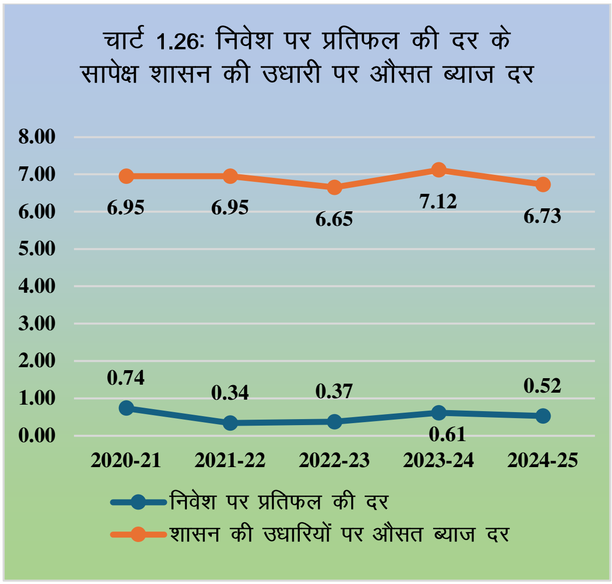

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2024–25 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल ₹286 करोड़ (0.52 प्रतिशत) रहा। 2020–25 के दौरान यह प्रतिफल केवल 0.34 प्रतिशत और 0.74 प्रतिशत के बीच था, जबकि इसी अवधि में राज्य सरकार द्वारा लिए गए उधारियों पर औसत ब्याज दर 6.65 प्रतिशत और 7.12 प्रतिशत के बीच रही। पिछले पांच वर्षों में, सरकारी उधारियों की लागत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल के बीच का अंतर लगभग ₹14,339 करोड़ था।

यह देखा गया कि वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, 11 कंपनियों, दो वैधानिक निगमों और एक सहकारी समिति में ₹6,992 करोड़ का निवेश किया गया था, हालांकि, इनमें से किसी भी कंपनी या वैधानिक निगम ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश नहीं दिया। वित्त वर्ष 2024–25 में केवल दो[7] कंपनियों और तीन[8] वैधानिक निगमों ने क्रमशः ₹18.36 करोड़ और ₹262.76 करोड़ का लाभांश दिया, जबकि इस वर्ष के दौरान इन कंपनियों में कोई नया निवेश नहीं किया गया था। राज्य सरकार के कुल निवेश पर लाभांश/ब्याज से प्राप्त प्रतिफल मात्र 0.52 प्रतिशत था, जो सरकार द्वारा अपने उधार पर भुगतान की जाने वाली औसत ब्याज दर 6.73 प्रतिशत की तुलना में नगण्य था।

स. राज्य शासन द्वारा लिए गए कर्ज एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, राज्य शासन कई संस्थानों/संगठनों को कर्ज और अग्रिम भी प्रदान कर रहा है। **तालिका 1.22** में 31 मार्च 2025 तक बकाया कर्जों एवं अग्रिमों की स्थिति और पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य शासन द्वारा अपने उधारों पर प्राप्त ब्याज और ब्याज भुगतान की तुलना प्रस्तुत की गई है।

7 मेंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन।

8 मध्य प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

तालिका 1.22: 2015–25 के दौरान संवितरित एवं वसूल किए गए कर्जों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया कर्ज का प्रारंभिक शेष (1)	**37,842**	**40,827**[9]	**44,989**[10]	**41,124**[11]	**42,144**	**42,585**[12]	**43,757**	**46,924**	**47,826**	**48,263**
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि (2)	3,158	4,941	1,550	1,090	987	1,230	3,229	2,360	809	3,144
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (3)	162	772	5,070	70	46	58	62	1,458	372	4,622
बकाया कर्ज का अंतिम शेष (4)	**40,838**	**44,996**	**41,469**	**42,144**	**43,085**	**43,757**	**46,924**	**47,826**	**48,263**	**46,785**
निवल जोड़ (5) = (2-3)	**2,996**	**4,169**	**(-)3,520**	**1,020**	**941**	**1,172**	**3,167**	**902**	**437**	**(-)1,478**
प्राप्त ब्याज (6)	139	62	97	235	130	88	1,432	4,033	1,509	2,089
शासन द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर ब्याज की दर (7)	0.34	0.14	0.23	0.56	0.30	0.20	3.05	8.43	3.13	4.47
शासकीय उधारियों[13] पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत) (8)	7.82	7.28	7.61	7.77	7.50	6.95	6.95	6.65	7.12	6.73
प्राप्त किए गए ब्याज एवं भुगतान किए गए ब्याज की दर के बीच अंतर (9)	-7.48	-7.14	-7.38	-7.21	-7.20	-6.75	-3.90	1.78	-4.00	-2.26

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

9 छत्तीसगढ़ को प्रोफोर्मा अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष में ₹10.21 करोड़ की कमी आई।
10 छत्तीसगढ़ को प्रोफोर्मा अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष में ₹6.74 करोड़ की कमी आई।.
11 छत्तीसगढ़ को प्रोफोर्मा अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष में ₹345.35 करोड़ की कमी आई।
12 प्रोफोर्मा में सुधार के कारण प्रारंभिक शेष में ₹500 करोड़ की कमी आई।
13 राज्य शासन को वर्ष 2020–21 (₹1,320 करोड़), 2021–22 (₹1,512.36 करोड़), 2022–23 (₹7,360.20 करोड़) और 2023–24 (₹12,636.20 करोड़) के दौरान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हुआ। ब्याज की दरें उक्त ब्याज मुक्त ऋण, ब्याज रहित आरक्षित निधि और जमा निधि को छोड़कर परिकलित की गई हैं।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, 2022–23 को छोड़कर, कर्जों पर अर्जित ब्याज दर सरकारी उधार की औसत लागत से काफी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप पूरी अवधि में नकारात्मक ब्याज अंतर रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार प्रभावी रूप से इन कर्जों पर राजसहायता दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर ब्याज लागत का आवर्ती बोझ पड़ रहा है। लगातार नकारात्मक ब्याज दर का मतलब है कि सरकार को ऋण देने के संचालन पर शुद्ध लागत वहन करनी पड़ रही है, जो राजकोषीय संधारणीयता को प्रभावित करती है। इसके अलावा, अनियमित वसूली प्रतिरूप से रोकड़ प्रवाह प्रभावित हो सकता है और अन्य विकास प्राथमिकताओं के लिए धन की उपलब्धता कम हो सकती है। सरकारी कर्जों पर ब्याज दर निर्धारण की नीति पर पुनर्विचार करना आवश्यक है ताकि उधार दरों को उधार लेने की लागत और बाजार के रुझानों के साथ अधिक निकटता से जोड़ा जा सके।

1.3 आकस्मिकता निधि

मध्य प्रदेश शासन की आकस्मिकता निधि राज्य विधानसभा द्वारा इसकी मंजूरी लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जब विधानसभा अतिरिक्त व्यय को स्वीकृति दे देता तब उसके बाद निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। निधि का कोष ₹1,000 करोड़ है।

2024–25 के दौरान, विभिन्न बजट शीर्षों जैसे 2202, 2203 और 2235 के अंतर्गत निधि से ₹12.60 करोड़ आहरित किए गए थे। हालांकि, कुल राशि ₹27.60 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष के ₹15 करोड़) की वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत तक प्रतिपूर्ति कर ली गई थी। 31 मार्च 2025 को आकस्मिकता निधि में ₹1,000 करोड़ शेष था।

निधि को सुरक्षित रखने और वर्ष के दौरान अप्रत्याशित या आपातकालीन खर्चों को पूरा करने के लिए समय पर प्रतिपूर्ति आवश्यक है। 2024–25 के दौरान की गई निकासी की प्रतिपूर्ति उसी वित्तीय वर्ष में पूरी कर ली गई और कोई कमी नहीं देखी गई।

आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय का विवरण अध्याय–II की कंडिका क्रमांक 2.8 में दिया गया है।

1.4 लोक लेखा

कुछ लेन–देन जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाएं, उचन्त, प्रेषण, इत्यादि के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरण जो कि समेकित निधि का भाग नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते है एवं यह राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। सरकार इनके संबंध में बैंकर के रुप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में संघटक–वार निवल शेष **तालिका 1.23** में दिया गया है:

तालिका 1.23: लोक लेखों में संघटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उपक्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
झ. अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि, राज्य भविष्य निधियां एवं अन्य लेखा	19,894.09	19,310.64	18,019.74	16,976.37	15,344.25
ञ. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियां	5,684.40	7,997.82	8,963.55	13,168.37	15,972.72
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	10,144.49	12,363.12	14,032.37	13,428.99	10,821.94
	योग	**15,828.89**	**20,360.94**	**22,995.92**	**26,597.36**	**26,794.66**
ट. जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	(-)66.79	(-)94.80	204.43	288.26	151.51
	(ख) ब्याज रहित जमा	20,400.20	19,276.88	21,506.83	20,256.28	26,582.84
	(ग) अग्रिम	(-)3.48	(-)3.48	(-)3.49	(-)3.50	(-)3.58
	योग	**20,329.93**	**19,178.60**	**21,707.77**	**20,541.04**	**26,730.77**
ठ. उचन्त एवं विविध	(ख) उचन्त	(-)862.43	251.45	573.27	514.28	1,887.96
	(ग) अन्य लेखे	(-)20,177.29	(-)16,810.90	(-)21,389.80	(-)17,846.96	(-)19,677.90
	(घ) विदेशी देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे	(-)0.15	(-)0.15	(-)0.15	(-)0.15	(-)0.15
	(ङ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	योग	**(-)21,039.87**	**(-)16,559.60**	**(-)20,816.68**	**(-)17,332.83**	**(-)17,790.09**
ड. प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	3,820.37	5,499.15	6,402.02	7,198.98	4,026.54
	(ख) अंतः सरकार समायोजन लेखा	(-)655.74	(-)717.05	(-)724.69	(-)998.29	(-)1,009.69
	योग	**3,164.63**	**4,782.10**	**5,677.33**	**6,200.69**	**3,016.85**
महायोग		**38,177.67**	**47,072.68**	**47,584.08**	**52,982.63**	**54,096.45**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोटः धनात्मक आंकड़ें नामे शेष को प्रदर्शित करती है एवं ऋणात्मक जमा शेष को प्रदर्शित करते है

1.4.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य शासन के लोक लेखों के अंतर्गत पूर्ण परिभाषित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की जाती है। इन निधियों को भारत या राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों के अंशदान या अनुदानों से पूरा किया जाता है। इसमें ब्याज सहित आरक्षित निधियां और ब्याज रहित आरक्षित निधियां शामिल है।

31 मार्च 2025 को ब्याज सहित तीन एवं ब्याज रहित पांच आरक्षित निधियां थी। 31 मार्च 2025 को इन आरक्षित निधियों में पड़े हुए शेषों को **तालिका 1.24** में दिया गया है:

तालिका 1.24: आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	आरक्षित निधियों का नाम	31 मार्च 2025 को शेष
अ	ब्याज सहित आरक्षित निधियां	**15,972.72**
1	राज्य आपदा मोचन निधि	5,184.40
2	राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि	9,783.35
3	राज्य आपदा शमन निधि	1,004.97
ब	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	**10,821.94**
1	सूखा राहत निधि	5.93

स.क्र.	आरक्षित निधियों का नाम	31 मार्च 2025 को शेष
2	मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	5.11
3	राजस्व आरक्षित निधि	24.09
4	विकास एवं कल्याण निधि	10,430.08
5	सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	356.73
	कुल योग	**26,794.66**

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25

1.4.3 रोकड़ शेष

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना होगा। यदि शेष इस न्यूनतम सीमा से नीचे गिर जाता है, तो इस कमी को अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/विशेष आहरण सुविधा/अधिविकर्ष जैसे साधनों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिसमें अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जाता है। राज्य शासन, उद्दिष्ट आरक्षित निधियों से प्राप्त रोकड़ शेष सहित, अधिशेष रोकड़ शेष का निवेश भारत सरकार की प्रतिभूतियों और कोषालय देयकों में करती है। इन निवेशों से होने वाली आय को '0049–ब्याज प्राप्तियां' के अंतर्गत जमा किया जाता है।

राज्य शासन के लिए बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त रोकड़ शेष रखते हुए बाजार से ऋण लेना अवांछनीय है, क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग के बजाय धन निष्क्रिय रहता है। **तालिका 1.25** में वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए रोकड़ शेष और निवेश संबंधी विवरण दिए गए हैं।

तालिका 1.25: रोकड़ शेष एवं उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2025 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)508.49	(-)400.38
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	**18,071.06**	**19,974.64**
योग (अ)	**17,562.57**	**19,574.26**
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय शेष	(-)3.38	(-)3.52
विभागीय अधिकारियों के साथ आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.84	0.84
उद्दिष्ट निधि में से निवेश	973.76	1,088.29
योग (ब)	**971.22**	**1,085.61**
महायोग (अ)+(ब)	**18,533.79**	**20,659.87**
अर्जित ब्याज	**168.49**	**209.27**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले 10 वर्षों के रोकड़ शेष निवेश का विवरण **तालिका 1.26** में दिया गया है:

तालिका 1.26: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि(+)/कमीं(–)	अर्जित ब्याज
2015-16	4,791.31	9,485.24	4,693.93	250.71
2016-17	9,485.24	10,628.22	1,143.64	426.89
2017-18	10,628.22	7,412.19	(-)3,216.03	491.39

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि(+)/कमीं(–)	अर्जित ब्याज
2018-19	7,412.19	8,638.46	956.27	146.45
2019-20	8,638.46	11,270.17	2,631.71	145.29
2020-21	11,270.17	20,788.72	9,518.55	144.73
2021-22	20,788.72	17,441.88	(-)3,346.84	196.99
2022-23	17,441.88	23,149.64	5,707.76	166.17
2023-24	23,149.64	18,071.06	(-)5,078.58	168.49
2024-25	18,071.06	19,974.64	1,903.58	209.27

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकार को सभी कार्य दिवसों में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कम से कम ₹1.96 करोड़ का रोकड़ शेष बनाए रखना आवश्यक है। वर्ष 2015–16 से 2024–25 की 10 वर्षीय अवधि के दौरान, रोकड़ शेष (रोकड़ शेष निवेश लेखे में निवेश सहित) निर्धारित न्यूनतम स्तर से काफी अधिक रहा। वर्ष 2020–25 के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जब राज्य सरकार को न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम, विशेष आहरण सुविधा या अधिविकर्ष का सहारा लेना पड़ा हो। इसके अलावा, उद्दिष्ट निधियों में से निवेश वर्ष की शुरुआत में ₹973.76 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में ₹1,088.29 करोड़ तक हो गया और वर्ष के दौरान उद्दिष्ट निधियों में कोई व्यपवर्तन नहीं देखा गया।

1.5 राजकोषीय संधारणीयता

राजकोषीय संधारणीयता किसी सरकार की राजस्व और व्यय को इस प्रकार से प्रबंधित करने की क्षमता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह अत्यधिक उधार लिए बिना या अस्थिर ऋण जमा किए बिना सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और ऋण चुकाने जैसे अपने वर्तमान और भविष्य के दायित्वों को पूरा कर सके। इसका तात्पर्य दीर्घकालिक रूप से राजस्व सृजन और व्यय के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है। **चार्ट 1.27** और **चार्ट 1.28** क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020–25 के दौरान राज्य की प्राप्तियों और व्यय को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं।

चार्ट 1.27: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की प्राप्तियां

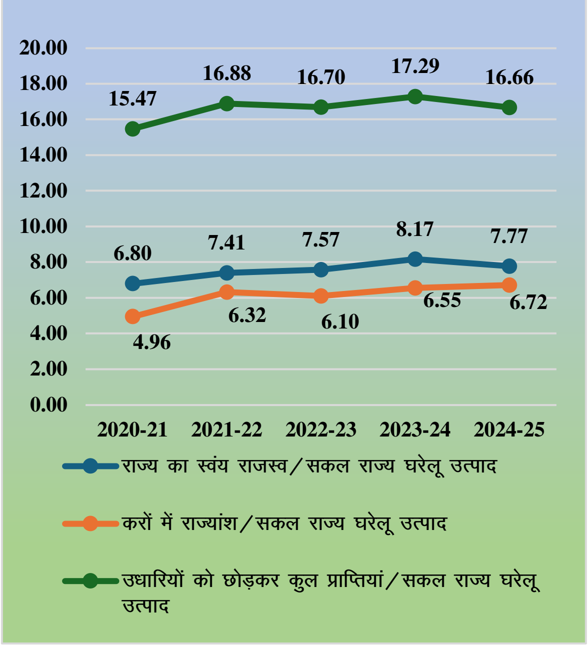

चार्ट 1.28: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का व्यय

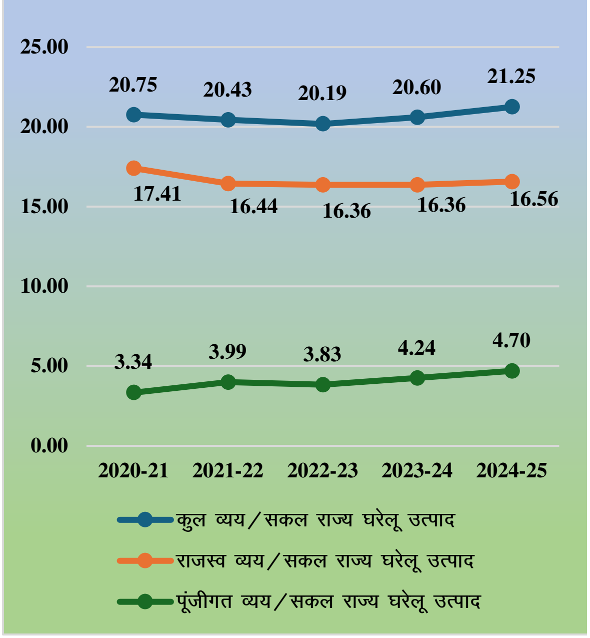

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.5.1 लोक देयता प्रबंधन

वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए राज्य की बकाया देयताओं को सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के साथ **चार्ट 1.29** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.29 बकाया लोक देयताओं एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इसका प्रतिशत

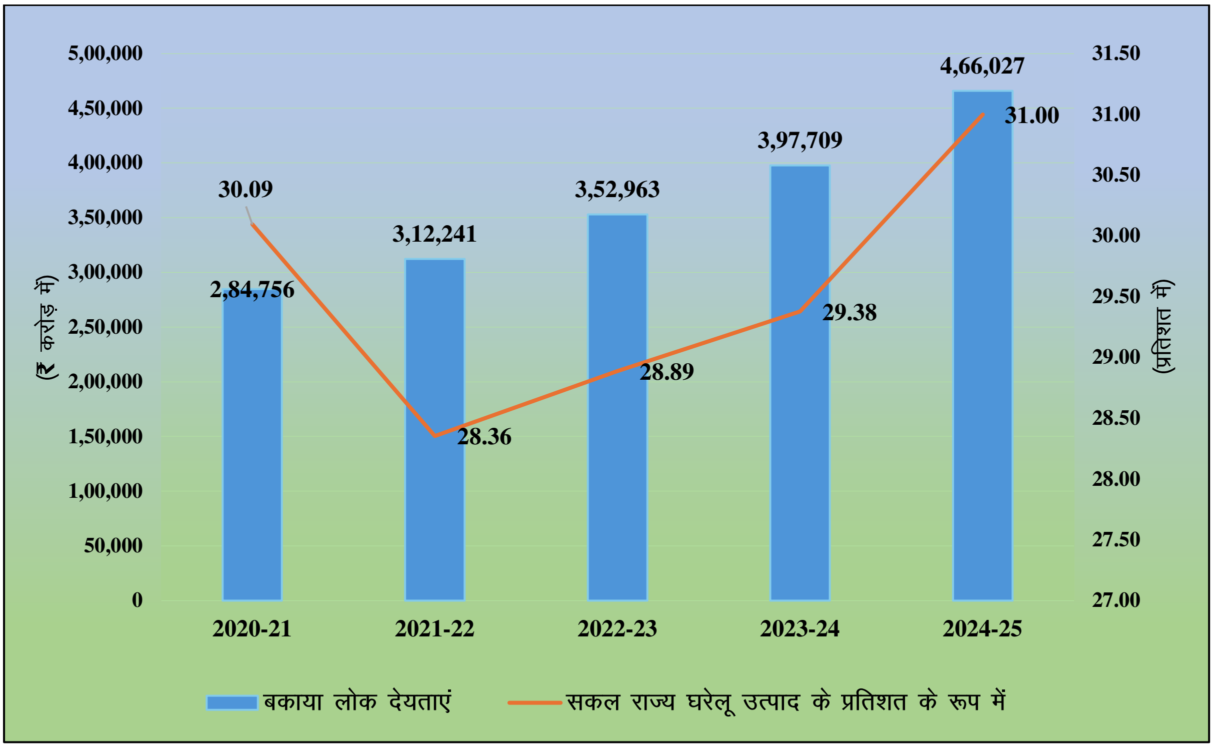

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.5.1.1 देयता रूपरेखाः

राज्य सरकार की कुल देयताएं आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण), केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से बनती है। 2015–16 से प्रारंभ 10 वर्षों की अवधि के लिए राज्य की संघटक–वार देयताओं की प्रवृत्तियां **तालिका 1.27** में प्रदर्शित हैः

तालिका 1.27: संघटक–वार देयताओं की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल बकाया देयताएं[14]	**1,27,144**	**1,55,800**	**1,72,363**	**1,94,309**	**2,30,572**	**2,89,298**	**3,23,794**	**3,64,516**	**4,09,262**	**4,69,003**
लोक ऋण	**97,386**	**1,22,308**	**1,38,424**	**1,57,398**	**1,80,829**	**2,33,242**	**2,64,364**	**3,01,226**	**3,44,770**	**3,99,562**
आंतरिक ऋण	83,718	1,08,391	1,23,683	1,40,009	1,59,793	2,02,719	2,23,013	2,51,428	2,82,516	3,33,216
भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	13,668	13,917	14,741	17,389	21,036	30,523	41,351	49,798	62,254	66,345
लोक लेखा देयताएं	**29,758**	**33,492**	**33,939**	**36,911**	**49,743**	**56,056**	**58,854**	**62,726**	**64,118**	**68,874**
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	13,682	14,493	14,331	16,577	19,033	19,894	19,311	18,020	16,976	15,344
ब्याज सहित आरक्षित निधियां	770	770	102	75	5,200	5,684	7,998	8,964	13,168	15,973
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	6,959	6,447	5,409	5,999	6,700	10,144	12,363	14,032	13,429	10,822
ब्याज सहित जमाएं	32.46	2.93	(-)16.63	(-)31.54	(-)44.45	(-)67	(-)95	204	288	152
ब्याज रहित जमाएं	8,313	11,778	14,113	14,292	18,854	20,400	19,277	21,507	20,256	26,583
बजटेत्तर उधारियां	-	-	-	-	-	-	576	564	374	568
कुल बकाया देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.98	22.54	10.63	12.73	18.66	25.47	11.92	12.58	12.28	14.60
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,41,068	6,49,823	7,26,284	8,29,805	9,27,855	9,46,218	11,01,168	12,21,813	13,53,809	15,03,395
देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.50	23.98	23.73	23.42	24.85	30.09	28.36	28.89	29.38	31.00
उधारियां एवं अन्य देयताएं										
कुल प्राप्तियां	49,524	64,106	52,579	71,063	85,613	1,37,196	88,536	1,19,552	1,24,741	1,91,974
कुल पुनर्भुगतान	31,067	35,448	34,506	49,087	49,351	78,470	54,616	78,818	79,805	1,23,851
कुल उपलब्ध निधियां	18,457	28,658	18,073	21,976	36,262	58,726	33,920	40,734	44,936	68,123
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	62.73	55.30	65.63	69.08	57.64	57.20	61.69	65.93	63.98	64.51

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: वित्त लेखों पर टिप्पणियों के अनुसार 2024–25 तक संचयी बजटेत्तर उधारी ₹3,668 करोड़ थी।

[14] कुल बकाया देयताओं में वस्तु एवं सेवा कर में कमीं की क्षतिपूर्ति के बदले में प्राप्त बैक टू बैक ऋण शामिल है।

2024–25 के अंत में कुल बकाया देयताओं का घटक–वार विभाजन **चार्ट 1.30** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.30: वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत में कुल बकाया देयताओं का घटक–वार विभाजन

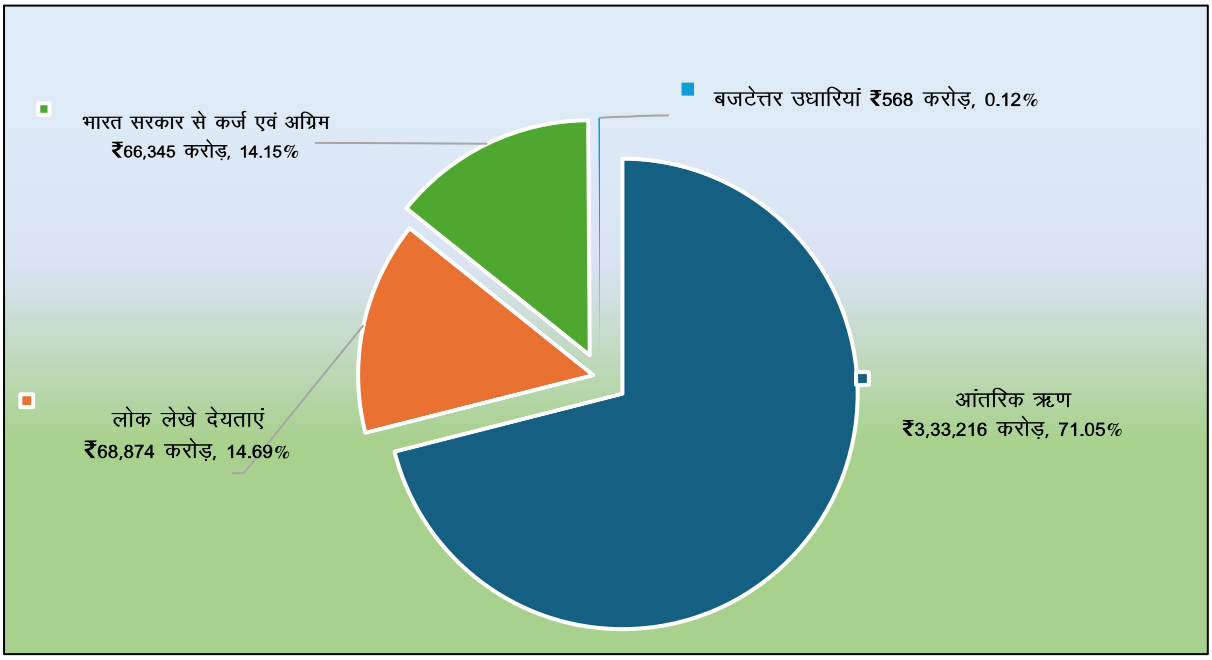

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25

चार्ट 1.31 10 वर्षों की अवधि यानी 2015–25 के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण की मात्रा के सापेक्ष पुनर्भुगतान की गई मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 1.31: लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

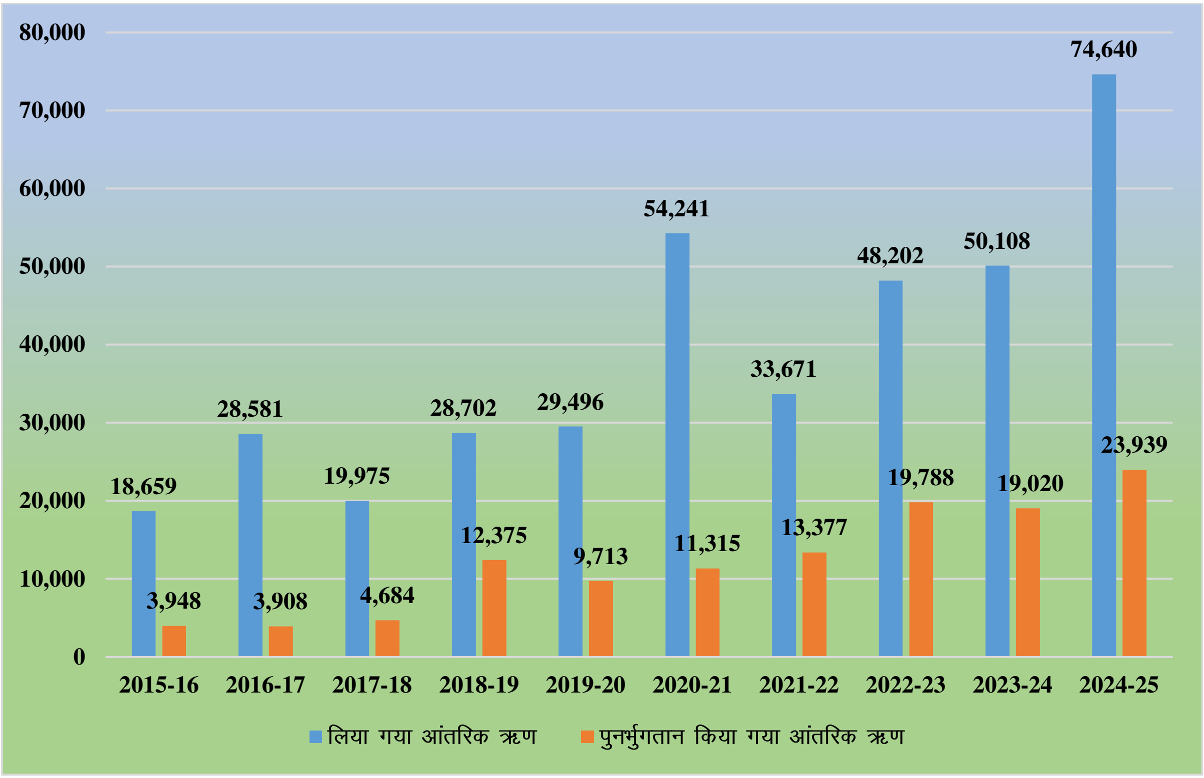

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन का आंतरिक ऋण 2015–16 में ₹83,718 करोड़ से 2024–25 तक ₹2,49,498 करोड़ (298 प्रतिशत) से बढ़कर ₹3,33,216 करोड़ हो गया। 2024–25 के दौरान राशि ₹21,466 करोड़ का आंतरिक ऋण पर ब्याज का भुगतान किया गया।

राज्य की कुल बकाया देयताओं में पिछले 10 वर्षों की अवधि अर्थात 2015–16 से 2024–25 के दौरान लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखा गयी है, जिसमें वृद्धि दर 2023–24 में 12.28 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 14.60 प्रतिशत हो गई है। 2024–25 में यह तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से लोक ऋण, विशेष रूप से आंतरिक ऋण में वृद्धि के कारण हुई, जो वर्ष के दौरान काफी बढ़ गया। 2015–16 से बकाया देयताओं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात लगातार बढ़ रहा है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में उधार पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

1.5.1.2 उधार लिए गए धन का उपयोग

उधार लिए गए धन का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए एवं बकाया कर्ज पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार लिए गए धन का उपयोग करना सकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है। 2015–25 के दौरान उधार लिए गए धन के उपयोग का विवरण और प्रवृत्तियां क्रमशः **तालिका 1.28** एवं **चार्ट 1.32** में दिया गया है:

तालिका 1.28: उधार लिए गए धन का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियां	पूर्व की उधारियों का पुनर्भुगतान अर्थात मूलधन (प्रतिशत)	उधारियों की निवल उपलब्ध निधि	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्ज एवं अग्रिम	राजस्व व्यय का भाग जो निवल उपलब्ध उधारियों से मिलता है
2015-16	19,985.30	4,860.36 (24.32)	15,124.94	16,809.00	2,995.59	निरंक
2016-17	29,847.41	4,925.41 (16.50)	24,922.00	27,264.12	4,168.22	निरंक
2017-18	21,892.17	5,776.38 (26.39)	16,115.79	30,893.87	(-)3,519.33	निरंक
2018-19	32,497.42	13,523.72 (41.61)	18,973.70	29,411.17	1,019.78	निरंक
2019-20	34,364.41	10,933.62 (31.82)	23,430.79	29,227.82	941.3	निरंक
2020-21	65,170.50	12,757.30 (19.58)	52,413.20	30,341.31	1,172.00	20,899.89
2021-22	46,284.98	15,162.44 (32.76)	31,122.54	39,135.41	3,166.52	निरंक
2022-23	58,867.32	22,006.24 (37.38)	36,861.08	44,391.60	902.05	निरंक
2023-24	65,180.02	21,635.72 (33.19)	43,544.30	56,534.81	437.72	निरंक
2024-25	89,797.05	26,428.21 (29.43)	63,368.84	67,439.17	1,478.17	निरंक

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.32: उधार लिए गए धन के उपयोग की प्रवृत्तियां

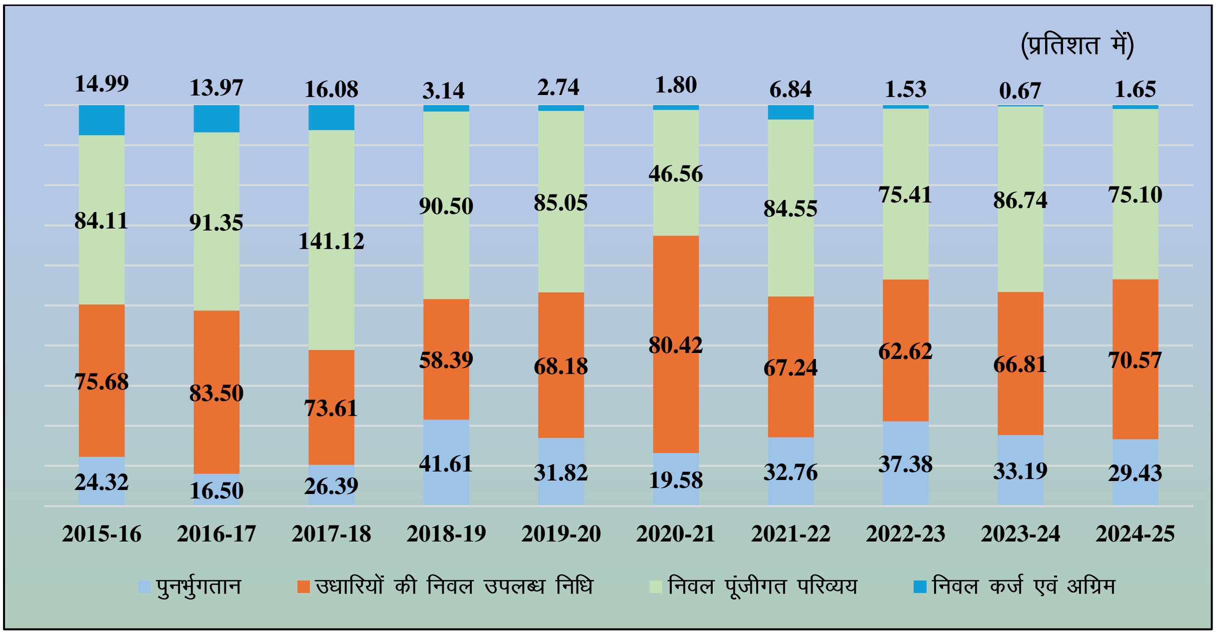

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका/चार्ट से यह देखा जा सकता है कि राज्य शासन ने 2024–25 के दौरान अपने कुल उधार का 29.43 प्रतिशत हिस्सा पिछले ऋणों/देयताओं के भुगतान में खर्च किया (पिछले 10 वर्षों के दौरान औसत व्यय 29.30 प्रतिशत), जिससे उधार लिए गए धन में से पूंजीगत परिव्यय करने के लिए कम निधि उपलब्ध रही। ऋण पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध निवल उधार निधि का प्रतिशत 2015–16 से 2024–25 की अवधि के दौरान 58.39 प्रतिशत एवं 83.50 प्रतिशत के बीच रहा, जिससे विकासात्मक गतिविधियों के लिए सीमित निधि ही बचती है। राजस्व व्यय के लिए उधार का उपयोग केवल 2020–21 में देखा गया। ऋण भुगतान के लिए उधार पर अत्यधिक निर्भरता ब्याज के बोझ के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है।

1.5.1.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा शासन द्वारा ऋण पुनर्भुगतान या ऋण चुकाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा **चार्ट 1.33** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 1.33: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

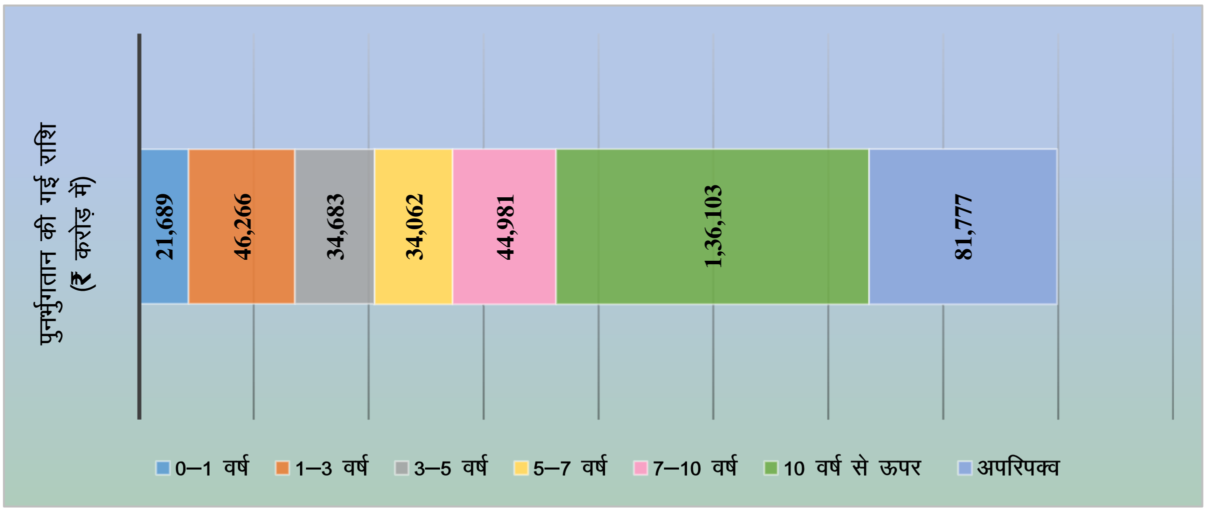

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की परिपक्वता रूपरेखा अल्प से मध्यम अवधि (0–7 वर्ष) में देयताओं के महत्वपूर्ण संकेन्द्रण को दर्शाती है, जिसमें ₹1,36,700 करोड़ की पुनर्भुगतान देयताएं शामिल हैं। यह ऋण संकेन्द्रण प्रतिरूप बढ़ी मात्रा में ऋण अवधि के बढ़ने और पुनर्वित्तपोषण जोखिमों को दर्शाता है, क्योंकि अल्पावधि में बड़ी मात्रा में देयताओं का भुगतान या पुनर्वित्तपोषण किया जाना होगा। इससे राज्य की तरलता पर दबाव पड़ सकता है, विशेष तौर पर यदि बाजार की स्थितियां कठिन हो जाएं या उधार लेने की लागत बढ़ जाए।

1.5.1.4 राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान

तालिका 1.29 2015–25 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिमान को दर्शाती है।

तालिका 1.29: राजकोषीय घाटे के संघटक एवं इसका वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**(-)14,065 (2.60)**	**(-)27,664 (4.26)**	**(-)22,745 (3.12)**	**(-)23,688 (2.93)**	**(-)32,970 (3.64)**	**(-)49,870 (5.27)**	**(-)37,487 (3.43)**	**(-)41,202 (3.31)**	**(-)44,485 (3.26)**	**(-)64,387.72 (4.28)**
	राजकोषीय घाटा/आधिक्य के घटक										
1	राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	5,740	3,770	4,629	6,744	(-)2,801	(-)18,356	4,815	4,091	12,487.78	1,572.99
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-)16,809	(-)27,265	(-)30,894	(-)29,411	(-)29,228	(-)30,342	(-)39,135	(-)44,392	(-)56,534.81	(-)67,439.17
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	(-)2,996	(-)4,169	3,520	(-)1,021	(-)941	(-)1,172	(-)3,167	(-)902	(-)437.72	1,478.17
	राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान										
1	बाजार उधारियां	12,991	14,551	13,125	15,001	16,550	38,773	13,900	27,585	27,000	47,941.91
2	भारत सरकार से कर्ज	414	249	824	2,647	3,647	9,487	10,829	8,447	12,456	12,667.88
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	922	1,266	1,348	1,086	2,970	3,582	4,129	1,360	3,257	1,926.86
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	798	1,590	913	334	310	572	2,265	205	1,567	1,568.19
5	आरक्षित निधियां	1,733	(-)498	(-)1,038	590	5,827	3,929	4,532	2,635	3,602	311.83
6	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	1,025	813	680	2,249	2,456	860	(-)583	(-)1,291	(-)1,043	(-)1,632.12
7	जमा एवं अग्रिम	574	3,436	2,316	164	4,550	1,524	(-)1,151	2,529	(-)1,167	6,189.72
8	उचंत एवं विविध	1,457	(-)842	110	(-)677	(-)1,552	640	1,128	1,448	(-)1,596	1,444.37
9	प्रेषण	(-)352	(-)72	704	642	(-)69	1,003	1,617	895	523	(-)3183.84
10	अन्य[15]	0	7,266	(-)94	(-)94	(-)47	0	0	(-)755	(-)732	(-)721.00
11	रोकड़ में वृद्धि (+)/कमीं(-)	(-)5,497	(-)95	3,857	1,746	(-)1,672	(-)10,500	822	(-)1,856	618	(-)2,126.08
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**14,065**	**27,664**	**22,745**	**23,688**	**32,970**	**49,870**	**37,487**	**41,202**	**44,485**	**64,387.72**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

15 आकस्मिकता निधि एवं निवेश तथा बंधपत्र के अधीन लेन–देन।

1.5.2 लेखापरीक्षा के बाद घाटे के संकेतक

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य के वित्त लेखों के अनुसार, राज्य का राजस्व अधिशेष ₹1,572.99 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत) था, राजकोषीय घाटा ₹64,387.72 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.28 प्रतिशत) था, जबकि प्राथमिक घाटा ₹38,500 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.56 प्रतिशत) था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2024–25 के दौरान, राज्य शासन ने राजस्व संबंधी राशि ₹2,004.48 करोड़ को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया (अध्याय–II के कंडिका क्रमांक 2.5.6 में विस्तृत विवरण दिया गया है)। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय और राजस्व अधिशेष में ₹2,004.48 करोड़ का अत्युक्त दिखाया गया, जिसके कारण राजस्व अधिशेष राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया और लेखापरीक्षा के बाद यह ₹431.49 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.03 प्रतिशत) रह गया।

1.5.3 राजकोषीय संतुलनः घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 और 15वें वित्त आयोग के अनुरूप इसके संशोधनों के अनुसार, राज्य के लक्ष्यः

- राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर बनाए रखना, सुधार के लक्ष्यों को पूरा करने पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी।
- बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 32.32 प्रतिशत से नीचे रखा जाना चाहिए।
- ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित है।
- वेतन पर होने वाला व्यय राज्य के स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का 22 प्रतिशत तक सीमित है।
- मध्य प्रदेश भी मध्यम–अवधि राजकोषीय नीति का पालन करता है एवं उसे बजटेत्तर उधारियों को उजागर करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा के बाद, वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2024–25 के लिए राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के संबंध में उपलब्धियों का विवरण एवं लेखापरीक्षा के पश्चात घाटों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण क्रमशः **तालिका 1.30** एवं **चार्ट 1.34** में दिया गया है।

तालिका 1.30: मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मानदण्ड		अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियां									
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	लक्ष्य	राजस्व आधिक्य	5,740	7,781[16]	4,629	6,744	(-)2,801	(-)18,356	4,815	4,091	12,488	1,573
	उपलब्धि		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा* (–) आधिक्य(+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य		2.60 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50% से अधिक नहीं)	3.12 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50% से अधिक नहीं)	3.14 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50% से अधिक नहीं)	2.93 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24% से अधिक नहीं)	3.64 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.34 से अधिक नहीं)	5.19 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.99% से अधिक नहीं)	3.30 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.50% से अधिक नहीं)	3.11 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56% से अधिक नहीं)	3.26 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.02% से अधिक नहीं)	4.28 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.12% से अधिक नहीं)
	उपलब्धि		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
कुल बकाया देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य		23.49 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 24.43% से अधिक नहीं)	23.98 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 24.43% से अधिक नहीं)	23.78 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 24.43% से अधिक नहीं)	24.01 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 26.34% से अधिक नहीं)	25.43 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 24.43% से अधिक नहीं)	29.61[17] (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 28.83% से अधिक नहीं)	27.48[18] (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 28.52% से अधिक नहीं)	26.68[19] (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 33.31% से अधिक नहीं)	29.17[20] (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 30.42% से अधिक नहीं)	30.99[21] (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 32.32% से अधिक नहीं)
	उपलब्धि		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* इसमें ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए अनुमत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार शामिल हैं।

16 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के प्रभाव को छोड़कर, उज्जवल डिस्कॉम एस्योरेंस योजना के प्रभाव को शामिल करने पर, राजस्व अधिशेष ₹3,770 करोड़ होगा।

17 ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की गणना ₹2,84,756 करोड़ के कुल ऋण पर की गई है, जिसमें ₹2,89,298 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से वस्तु एवं सेवा कर में कमीं के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,542 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को शामिल नहीं किया गया है।

18 ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की गणना ₹3,12,241 करोड़ के कुल ऋण पर की गई है, जिसमें ₹3,23,218 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से वस्तु एवं सेवा कर में कमी के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि ₹11,553 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को शामिल नहीं किया गया है एवं ₹576 करोड के बजटेत्तर उधारी को शामिल किया गया।

19 ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की गणना ₹3,52,963 करोड़ के कुल ऋण पर की गई है, जिसमें ₹3,63,952 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से वस्तु एवं सेवा कर में कमी के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि ₹11,553 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को शामिल नहीं किया गया है एवं ₹564 करोड के बजटेत्तर उधारी को शामिल किया गया।

20 ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की गणना ₹3,97,709 करोड़ के कुल ऋण पर की गई है, जिसमें ₹4,08,888 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से वस्तु एवं सेवा कर में कमी के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि ₹11,553 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को शामिल नहीं किया गया है एवं ₹374 करोड के बजटेत्तर उधारी को शामिल किया गया।

21 ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की गणना ₹4,66,027 करोड़ के कुल ऋण पर की गई है, जिसमें ₹4,69,003 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से वस्तु एवं सेवा कर में कमी के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि ₹2,976 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को शामिल नहीं किया गया है एवं ₹568 करोड के बजटेत्तर उधारी को शामिल किया गया।

चार्ट 1.34: लेखापरीक्षा के बाद घाटों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

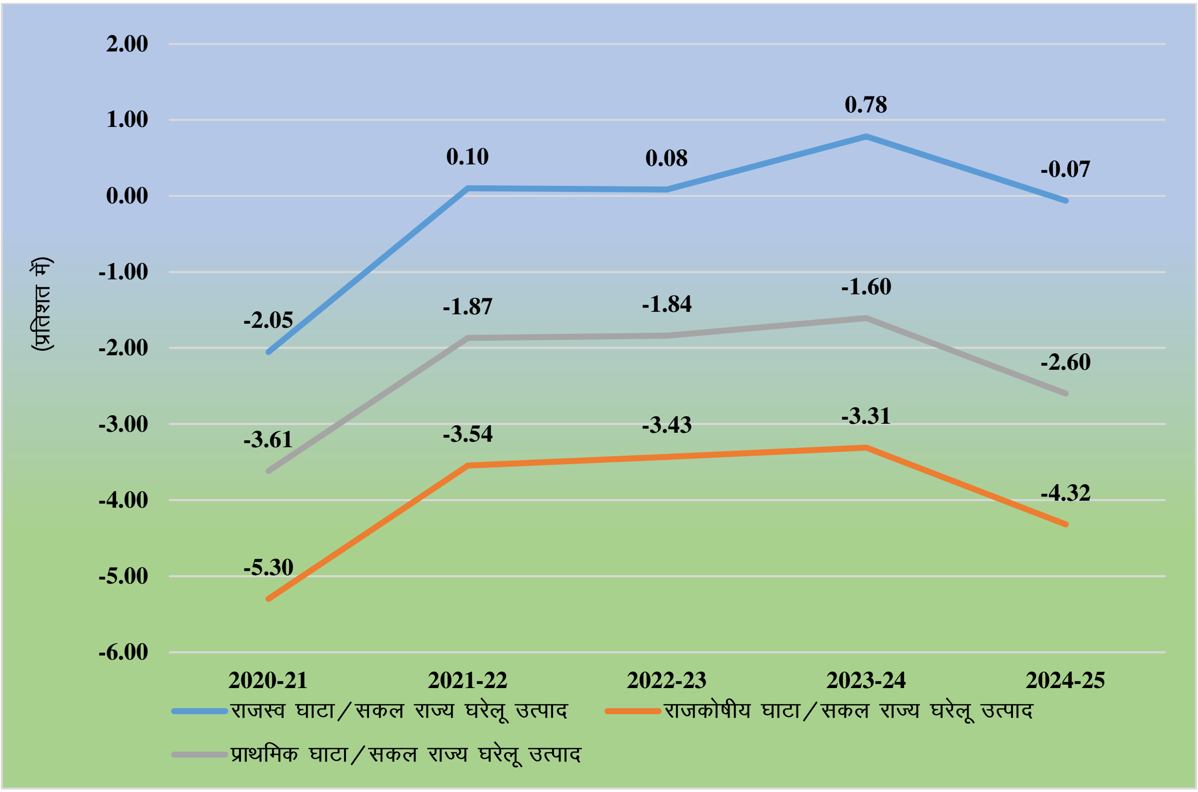

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित एवं राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्य के सापेक्ष 2024–25 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में प्राप्त उपलब्धियां, **चार्ट 1.35, चार्ट 1.36** एवं **चार्ट 1.37** में दी गई हैं।

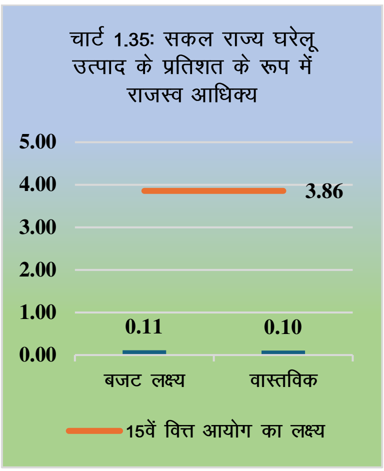

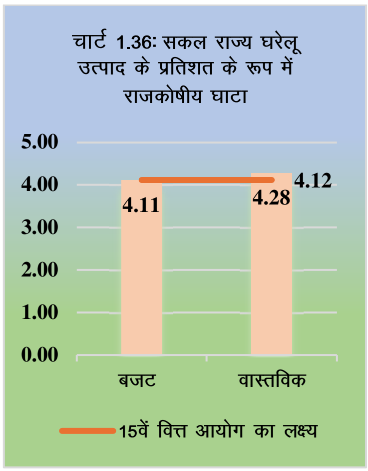

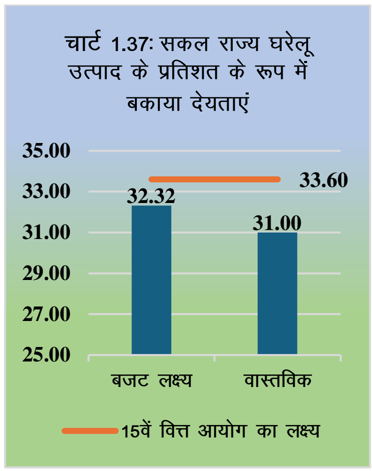

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 और 2020–21 को छोड़कर, राज्य ने राजस्व अधिशेष हासिल किया और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखा। हालांकि, 2024–25 में, राजकोषीय घाटा लक्ष्य से थोड़ा ऊपर (4.12 प्रतिशत के विरूद्ध 4.28 प्रतिशत) बढ़ गया, जो राजकोषीय दबावों में वृद्धि का संकेत देता है। इस गिरावट का एक प्रमुख कारण राजसहायताओं में तीव्र वृद्धि थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी होकर ₹23,320 करोड़ (114 प्रतिशत) से बढ़ गई। इसके अलावा, 2024–25 में सरकार राजस्व अधिशेष–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात और राजकोषीय घाटा–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को 15वें वित्त

आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर रखने में असमर्थ रही। साथ ही, बकाया ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों और बजट लक्ष्य के भीतर ही बना रहा।

1.5.4 ऋण संधारणीयता विश्लेषण

ऋण संधारणीयता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण संधारणीयता संकेतकों में भिन्नताओं का विश्लेषण **तालिका 1.31** में दिया गया है।

तलिका 1.31: ऋण संधारणीयता संकेतक में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	ऋण संधारणीयता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	कुल देयताएं या कुल ऋण[22]	1,27,144	1,55,800	1,72,363	1,94,309	2,30,572	2,84,756	3,12,241	3,52,963	3,97,709	4,66,027
1क	ब्याज रहित ऋण (आरक्षित निधियां एवं जमाएं)	15,273	18,225	19,522	20,290	25,554	31,865	34,472	45,732	56,514	37,405
1ख	कुल देयताएं या कुल ऋण (ब्याज रहित ऋण को छोड़कर)	1,11,871	1,37,575	1,52,841	1,74,019	2,05,018	2,52,891	2,77,769	3,07,231	3,41,195	4,28,622
2	कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.66	22.98	11.10	13.86	17.81	23.50	9.65	13.04	12.68	17.18
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्यों पर)	5,41,068	6,49,823	7,26,284	8,29,805	9,27,855	9,46,218	11,01,168	12,21,813	13,53,809	15,03,395
4	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.74	20.10	11.77	14.25	11.82	1.98	16.38	10.96	10.80	11.05
5	कुल ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.50	23.98	23.78	24.00	25.43	30.08	28.57	28.32	29.17	31.00
6	सकल उधारियों का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	24.4	22.8	20.0	25.30	21.40	27.56	17.50	22.33	20.07	26.58
7	सकल उधारियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधारियां	75.6	77.2	80.0	74.70	78.6	72.40	82.51	77.67	79.93	73.42
8	कुल ऋण पर ब्याज भुगतान	8,091	9,079	11,045	12,696	14,217	15,918	18,446	19,453	23,098	25,888
9	कुल ऋण[23] पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.82	7.28	7.61	7.77	7.50	6.95	6.95	6.65	7.12	6.73
10	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	7.67	7.36	8.19	8.53	9.63	10.87	9.92	9.54	9.87	10.33
11	राजस्व घाटा/आधिक्य	5,740	7,781	4,629	6,744	-2,801	-18,356	4,815	4,091	12,488	1,573
12	प्राथमिक राजस्व शेष	13,831	12,849	15,675	19,439	11,415	-2,438	23,261	23,544	35,586	27,461
13	प्राथमिक शेष	-19,573	-13,666	-12,643	-20,274	-18,753	-33,952	-19,041	-21,749	-21,387	-38,500

[22] इसमें लोक ऋण और अन्य देयताएं, बजटेत्तर उधारियां शामिल हैं, लेकिन इसमें 2020–21 में ₹4,542 करोड़ और 2021–22 में ₹7,011.17 करोड़, 2022–23 और 2023–24 में ₹11,553 करोड़ और 2024–25 में ₹2,976 करोड़ के बैक टू बैक ऋण शामिल नहीं हैं, जो भारत सरकार द्वारा राज्य को वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति के बदले में प्रदान किए गए थे

[23] कुल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर की गणना आरक्षित निधियों, ब्याज रहित जमाओं और पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को दी गई 50 वर्षों की ब्याज मुक्त केंद्रीय सहायता को समायोजित करके की गई है। प्रभावी ब्याज दर = ब्याज भुगतान/ऋण की प्रारंभिक और अंतिम मात्रा का औसत (ब्याज रहित देयताओं को छोड़कर)x100

स. क्र.	ऋण संधारणीयता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
14	प्राथमिक शेष / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	-3.62	-2.10	-1.74	-2.44	-2.02	-3.59	-1.73	-1.78	-1.58	-2.56
15	कुल ऋण पर ब्याज दर एवं प्रभावी ब्याज दर के मध्य अंतर[24]	-6.79	-6.83	-6.93	-6.31	-6.82	-6.61	-2.97	2.20	-4.21	-3.24
16	तरलता प्रबंधन (भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन उपकरणों का उपयोग) (कई अवसरों पर)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
17	ऋण संधारणीयता (प्रमात्रा प्रसार[25]+प्राथमिक शेष)	-14,072	3,972	-6,285	-8,989	-9,908	-46,529	7,135	-8,521	-8,835	-19,968
18	**डॉमर अंतराल**										
क	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर मूल्यों पर)	4,18,736	4,70,669	4,97,102	5,43,272	5,67,525	5,40,604	5,93,665	6,28,256	6,71,636	7,12,260
ख	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर)	9.06	12.40	5.62	9.29	4.46	-4.74	9.82	5.83	6.90	6.05
ग	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति (प्रतिशत)	4.36	3.53	2.73	3.50	5.47	6.83	6.45	7.46	4.36	4.73
घ	प्रभावी ब्याज दर	7.82	7.28	7.61	7.77	7.50	6.95	6.95	6.65	7.12	6.73
ङ	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (वास्तविक प्रभावी ब्याज दर–मुद्रा स्फीति)	3.46	3.75	4.88	4.27	2.03	0.12	0.50	-0.81	2.76	2.00
च	ब्याज अंतर वृद्धि (वास्तविक वृद्धि–वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	5.60	8.65	0.74	5.02	2.43	-4.87	9.31	6.64	4.14	4.05
छ	प्राथमिक शेष	-19,573	-13,666	-12,643	-20,274	-18,753	-33,952	-19,041	-21,749	-21,387	-38,500

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संचालनालय आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश

** ब्याज भुगतान/(विगत वर्ष एवं चालू वर्ष का औसत बकाया ऋण *(प्रतिशत में)*

 # राज्य सरकार के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण प्राप्तियों और लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।

24 निवेश पर प्रतिफल का मापन ब्याज प्राप्ति की प्रभावी दर से किया जाता है।
निवेश पर प्रतिफल = ब्याज प्राप्तियां/संवितरित कर्जों एवं अग्रिमों के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का औसत *100

25 प्रमात्रा प्रसार = ऋण*दर प्रसार (ब्याज रहित देयताओं को छोड़कर)

ऋण संधारणीयता विश्लेषण को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

- विगत तीन वर्षों में ऋण, अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। यह एक प्रारंभिक संकेत है कि यदि विकास दर तीव्र गति से नहीं हुआ या उधारी की गति को कम नहीं किया गया, तो ऋण संधारणीयता प्रतिकूल हो सकती है।
- कुल ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात विगत कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। यह वृद्धि अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष ऋण भार में वृद्धि को इंगित करती है। यदि इस अनुपात में लगातार वृद्धि होती है, लेकिन इसके साथ राजस्व सृजन अथवा आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं होती है, तो यह ऋण संधारणीयता को प्रभावित कर सकता है।
- नई उधारियों से पुनर्भुगतान जारी है तथा 2024–25 में निवल उधारी उपलब्धता 70 प्रतिशत के आसपास पूंजीगत व्यय और विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध है।
- प्राथमिक शेष घाटे में बना हुआ है एवं 2024–25 में स्थिति और भी खराब हो गई, जो दर्शाता है कि कि ब्याज भुगतान के लिए भी राज्य उधार लेना जारी रखे हुए है। जब तक प्राथमिक घाटे में उल्लेखनीय कमी नहीं आती, आर्थिक विकास धीमा होने या उधार लेने की लागत बढ़ने पर ऋण का स्तर बढ़ता रहेगा।
- संधारणीयता अभी भी तर्कसंगत है लेकिन मजबूती कम हो रही है। राज्य को प्राथमिक घाटे को कम करने, परिपक्वताओं को सुगम बनाने/पुनर्वित्त करने, और मध्यम–अवधि के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय योजना की आवश्यकता है।

1.5.5 प्रत्याभूतियों–आकस्मिक देयताओं की स्थिति

प्रत्याभूतियां उधारकर्ता की चूक के कारण राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य, वैधानिक निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थानों जैसी संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों के लिए प्रत्याभूति प्रदान करता है। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, बकाया प्रत्याभूतियां पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। विगत 10 वर्षों के लिए कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रत्याभूति और बकाया प्रत्याभूति की स्थिति का विवरण **तालिका 1.32** में दिया गया है।

तालिका 1.32: राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि लागू सीमा तक (मानदण्ड)	ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	वर्ष के अंत में प्रत्याभूतियों की बकाया राशि
2015-16	70,913	35,621	27,530
2016-17	84,409	42,476	33,397
2017-18	98,646	25,048	14,003
2018-19	1,07,900	43,459	30,763
2019-20	1,19,114	45,147	30,930
2020-21	1,18,115	52,928	37,010
2021-22	1,17,101	53,452	35,006
2022-23	1,48,701	59,241	39,788
2023-24	1,63,189	68,649	45,551
2024-25	1,87,221	71,195	45,307

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2025 तक ₹45,307 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण (₹26,763 करोड़); विद्युत (₹9,007 करोड़); सहकारिता (₹4,438 करोड़); शहरी विकास एवं आवास (₹2,994 करोड़); वित्त (₹48 करोड़); और अन्य (₹134.83 करोड़) से संबंधित थी।

वर्तमान वर्ष के दौरान ₹45,307 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति में से, राज्य शासन ने ₹4,627 करोड़ की प्रत्याभूति तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी थी, जिनकी निवल संपत्ति ऋणात्मक हो चुकी थी। इसका अर्थ है कि उनके ऋणों के पुनर्भुगतान की वास्तविक देयता राज्य शासन की है।

शासन ने 2015–25 के दौरान मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित सीमाओं के भीतर ही प्रत्याभूति दी। इस सीमा का उपयोग लगभग 25 से 50 प्रतिशत के बीच रहा, जो दर्शाता है कि राज्य ने आकस्मिक देयताओं के अत्यधिक संचय से बचाव किया है। यह राजकोषीय बुद्धिमत्ता का संकेत है, क्योंकि किसी भी वर्ष में प्रत्याभूति अनुमेय सीमा के करीब नहीं पहुंची या उसका उल्लंघन नहीं किया। हालांकि, ब्याज सहित बकाया प्रत्याभूति की कुल राशि में 2015–16 से 2024–25 तक क्रमिक वृद्धि हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि आकस्मिक देयताओं को सक्रिय रूप से कम करने के बजाय आगे बढ़ाया जा रहा है और उनमें वृद्धि हो रही है। इस तरह की प्रवृत्ति मध्यम से लंबी अवधि में संभावित राजकोषीय जोखिमों को बढ़ा सकती है, विशेषकर यदि इन प्रत्याभूति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपयोग किया जाता है। हालांकि, मध्य प्रदेश शासन ने 27.01.2006 की अधिसूचना के माध्यम से ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन 2006 में किया, जिसका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान शासन को ₹48.16 करोड़ का अंशदान देना था (2023–24 में शासन को प्रत्याभूति शुल्क के रूप प्राप्त ₹24.08 करोड़ और समरूप अंश ₹24.08 करोड़)। हालांकि, 2024–25 में, सरकार ने ₹100.47 करोड़ का अंशदान दिया और प्रत्याभूति मोचन निधि पर प्राप्त ₹114.52 करोड़ के ब्याज को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्निवेशित किया गया। 31 मार्च 2025 तक निधि में कुल संचय ₹1,302.73 करोड़ था (31 मार्च 2024 तक ₹1,087.74 करोड़), जिसमें से ₹1,080.65 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के पास निवेश किए गए थे।

1.5.6 राजकोषीय स्थिरता के उपाय

राजस्व बढ़ाकर और व्यय को युक्तिसंगत बनाकर घाटे को कम किया जा सकता है। इसमें कर अनुपालन को मजबूत करना, कर आधार को व्यापक बनाना, उपयोगकर्ता शुल्कों को पुनरीक्षित करना और निष्क्रिय सरकारी संपत्तियों का मुद्रीकरण करना शामिल है। व्यय के पक्ष पर, राजसहायताओं का बेहतर लक्ष्यीकरण, वेतन और पेंशन वृद्धि को नियंत्रित करना, और व्यय का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता देना और पारदर्शी एवं कुशल उधार के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करना राजकोषीय दबाव को और कम कर सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय क्षमता पैदा करते हैं और राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे को संधारणीय तरीके से कम करने में मदद करते हैं। इन पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

1.5.6.1 राज्य के राजस्व में सुधार करना

राजस्व की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर राजकोषीय क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है और ऋण पर निर्भरता कम की जा सकती है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टाम्प शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख करों के आंकलन में अक्षमताएं, कम मूल्यांकन और सीमित प्रवर्तन तंत्र के कारण राजस्व वृद्धि धीमी रहेगी। कम उपयोगकर्ता शुल्क, लागत वसूली में कमी और सार्वजनिक परिसंपत्तियों और निवेशों पर कम प्रतिफल के कारण करेत्तर राजस्व की कम प्राप्ति राजकोषीय क्षमता को भी बाधित करती है। लंबित बकाया (कर और करेत्तर) को समय पर प्राप्त करना राजकोषीय क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम है। राजस्व बकाया, मूल्यांकन बकाया और कर चोरी

के मामलों से संबंधित जानकारी विभिन्न विभागों जैसे वाणिज्यिक कर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग, परिवहन विभाग, खनन, भूविज्ञान विभाग, स्टाम्प और पंजीकरण विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग से चाही गयी थी। हालांकि, केवल स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने ही पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने कर बकाया एवं कर चोरी से संबंधित जानकारी दी, जबकि वन विभाग ने केवल राजस्व बकाया से संबंधित जानकारी दी। उपर्युक्त विभागों को छोड़कर अन्य सभी विभागों ने 31 दिसंबर 2025 तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

अ राजस्व बकाया

31 मार्च 2025 तक, राजस्व के प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व का बकाया ₹416.55 करोड़ था, जिसमें से ₹260.29 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका 1.33** में दर्शाया गया है।

तलिका 1.33: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि	31 मार्च 2025 तक पांच वर्षों से अधिक बकाया राशि
1.	स्टाम्प और पंजीयन शुल्क	387.70	234.63
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	28.85	25.66
	योग	**416.55**	**260.29**

स्रोतः विभागीय जानकारी

बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया के लिए संबंधित विभागों द्वारा केंद्रित प्रयासों तथा बैंकों, पुलिस विभाग एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

ब बकाया आंकलन

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग और खनन विभाग द्वारा वर्ष की शुरुआत में लंबित प्रकरणों की संख्या, मूल्यांकन के लिए देय मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रकरणों की संख्या और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित प्रकरणों की संख्या के बारे में जानकारी **तालिका 1.34** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.34: बकाया आंकलन

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2024–25 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण	2024–25 के दौरान नए लंबित प्रकरण	आंकलन के लिए बकाया कुल प्रकरण	2024–25 के दौरान निपटाये गए प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत
स्टाम्प और पंजीयन शुल्क	32,972	1,785	34,757	3,031	31,726	8.72
खनन	2,838	7,734	10,572	6,555	4,017	62.00
योग	35,810	9,519	45,329	9,586	35,743	21.15

स्रोतः विभागीय जानकारी

वर्ष 2020–25 की अवधि के दौरान, संबंधित वर्षों के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या क्रमशः 12,627 (2020–21), 13,282 (2021–22), 33,220 (2022–23), 24,907 (2023–24) थी, इसके विरूद्ध वर्ष 2024–25 के अंत में यह संख्या 35,743 थी। इस अवधि के दौरान प्रकरणों के निपटान की दर 5.02 प्रतिशत से 43.79 प्रतिशत के बीच रही।

स विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के प्रकरणों, वापसी के प्रकरणों आदि का विवरण

कर अपवंचन के जिन प्रकरणों का पता चला, जिन प्रकरणों का अंतिम निपटान हुआ और अतिरिक्त कर की जो मांगें की गई, वे राज्य शासन के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग और खनन विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान पता लगाए गए कर अपवंचन के प्रकरणों, अंतिम रूप दिए गए प्रकरणों और अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, संबंधित विभागों द्वारा जैसा सूचित किया गया के अनुसार, **तालिका 1.35** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35: पता लगाये गए कर अपवंचन

राजस्व की प्रकृति	31.03.2024 तक लंबित प्रकरण	2024–25 के दौरान पता लगाए गए प्रकरण	कुल प्रकरणों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच पूरी हो चुकी है और जुर्माने सहित अतिरिक्त मांगें उठाई गई हैं		31.03.2025 तक लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
स्टाम्प और पंजीयन शुल्क	14,455	9,630	24,085	10,023	128.73	14,062
खनन	10,401	9,528	19,929	8,323	70.65	11,606
योग	24,856	19,158	44,014	18,346	199.38	25,668

स्रोतः विभागीय जानकारी

1.5.6.2 व्यय पक्ष के मुद्दे

अ प्रतिबद्ध व्यय एवं राजसहायताओं से राजकोषीय तनाव

चार्ट 1.38 और **चार्ट 1.39** क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020–25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और राजसहायताओं को एक साथ दर्शाते हैं।

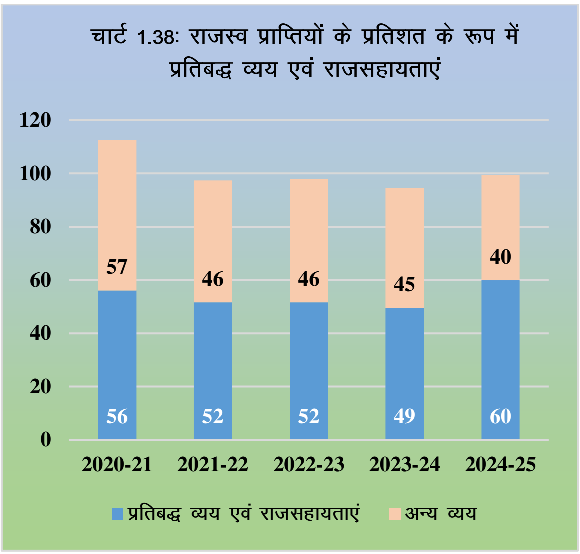

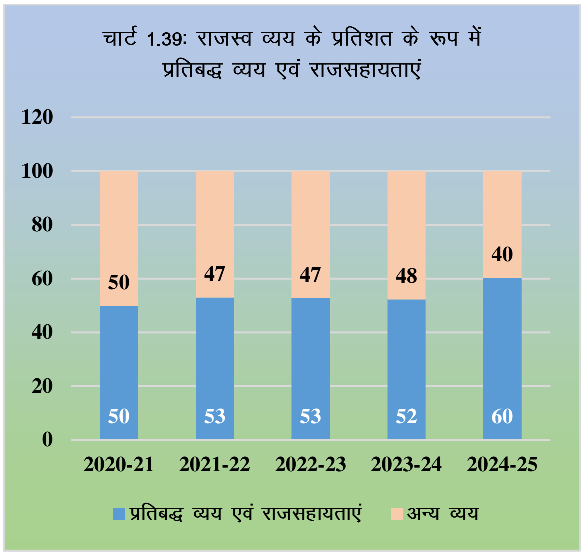

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.38 दर्शाता है कि 2020–21 में, कुल व्यय राजस्व प्राप्ति के 100 प्रतिशत से अधिक था, जो उस वर्ष राजस्व घाटे का संकेत देता है, क्योंकि व्यय राजस्व से अधिक था। इसके विपरीत, बाद के वर्षों में 2021–22 से 2024–25 तक के, कुल व्यय राजस्व प्राप्ति के 100 प्रतिशत से कम रहा, जो इन वर्षों में राजस्व अधिशेष को दर्शाता है।

2024–25 में, राज्य का प्रतिबद्ध व्यय ₹1,06,269 करोड़ था, जिसमें वेतन और मजदूरी (₹54,179 करोड़), पेंशन (₹26,202 करोड़) और ब्याज भुगतान (₹25,888 करोड़) शामिल थे, जो राजस्व प्राप्तियों का लगभग 42 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, राजसहायता ₹43,687 करोड़ थी, जिससे कुल निश्चित व्यय ₹1,49,956 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 60 प्रतिशत था। इस प्रकार के व्यय की उच्च और अनम्य प्रकृति राजकोषीय क्षमता को काफी हद तक कम कर देती है, जिससे पूंजीगत निवेश और विकासात्मक प्राथमिकताओं की ओर संसाधनों को आवंटित करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है। यह संरचनात्मक असंतुलन लगातार राजस्व और प्राथमिक घाटे के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय संधारणीयता को बाधित करता है, और उभरती सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की सरकार की क्षमता को कम करता है।

राजकोषीय लचीलेपन को बढ़ाने और एक संधारणीय राजकोषीय मार्ग सुनिश्चित करने के लिए, राजसहायता के युक्तिकरण, बेहतर लक्ष्यीकरण और वेतन एवं पेंशन प्रतिबद्धताओं के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से व्यय सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

ब अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरूद्ध

अपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी का आंकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में पूंजी का अवरुद्ध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक परियोजनाओं के अपेक्षित लाभों से वंचित रखता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, लिए गए उधार से ऋण और ब्याज देयताओं के भुगतान के रूप में अतिरिक्त बोझ उत्पन्न होगा। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण **तालिका 1.36** में दिखाया गया है (यह जानकारी वर्ष 2024–25 के वित्त लेखों के ***परिशिष्ट–IX*** के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है)।

तालिका 1.36: अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरूद्ध

(₹ करोड़ में)

विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत	सभी अपूर्ण परियोजना–ओं का वास्तविक संचित व्यय	परियोज–नाओं की संख्या जिनकी लागत पुनरीक्षित की गई	परियोजनाओं की अनुमानित लागत जिसके लिए लागत पुनरीक्षित की गई		
					प्रारंभिक	पुनरीक्षित अनुमानित लागत	बढ़ी हुई लागत
जल संसाधन विभाग	33	20,972	21,607	16	13,657	16,742	3,085

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25

इन 33 चालू परियोजनाओं की अनुमानित लागत ₹24,057 करोड़ (प्रारंभिक बजट ₹20,972 करोड़ और लागत में ₹3,085 करोड़ की वृद्धि) में से ₹21,607 करोड़ 2024–25 तक व्यय किए जा चुके हैं। इसलिए, इन 33 परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹2,450 करोड़ का पूंजीगत व्यय अवरुद्ध रह गया।

वर्ष 2024–25 के वित्तीय लेखों के ***परिशिष्ट–IX*** में अपूर्ण जानकारी के कारण, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2025 तक वास्तविक प्रगतिशील व्यय, लंबित भुगतान (भविष्य की देयताएं), पुनरीक्षित लागत और कार्य की भौतिक प्रगति का पता नहीं लगा सकी।

स राजकोषीय क्षमता पर अन–उन्मोचित दायित्व

यदि बकाया/स्थगित देयताओ का समय पर समाधान नहीं किया जाता है, तो भविष्य के विकास और बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए उपलब्ध राजकोषीय क्षमता कम हो जायेगी। पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी पैदा करने के अलावा, यह राज्य की सतत तरीके से संसाधन जुटाने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य और दीर्घकालिक संधारणीयता प्रभावित होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन पर वर्षों से कई ऐसे अन–उन्मोचित देयताएं संचित हो गई हैं और जिनका राजकोषीय संधारणीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इनमें शामिल हैं:

- राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण जमा, राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा शमन निधि से संबंधित कुल ₹559.22 करोड़ का अन–उन्मोचित ब्याज।
- बजटेत्तर उधारियां एवं अन्य देयताएं जो संचित ऋण में शामिल नहीं हैं, जिसकी राशि ₹568.12 करोड़ है।
- राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को दिए गए कुल ₹554.43 करोड़ के अनुदान का हस्तांतरण न होना।

इन अन–उन्मोचित देयताओं का संचयी मूल्य ₹1,681.87 करोड़ था, जो वर्ष 2024–25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.11 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे का 2.61 प्रतिशत के बराबर है।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है, कि राज्य शासन सभी अन–उन्मोचित देयताओं को पारदर्शी रूप से उजागर करे और उनका समाधान करे तथा भविष्य में राजकोषीय तनाव से बचने के लिए इन देयताओं के समय पर निर्वहन के लिए प्रावधान करे।

1.6 निष्कर्ष

जब 2021–22 से 2023–24 तक राज्य के अपने संसाधनों की उत्प्लावकता एक से ऊपर थी, तब यह दर्शाती थी कि राज्य के स्वयं के राजस्व में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई, वहीं 2024–25 में, यह एक से नीचे गिर गई, जो दर्शाता है कि राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ तालमेल नहीं रख पाया, जो राजकोषीय पक्ष पर दबाव का संकेत है।

2021–22 से लगातार तीन वर्षों तक राज्य ने राजस्व अधिशेष हासिल किया और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखा। हालांकि, 2024–25 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य (4.12 प्रतिशत के विरुद्ध 4.28 प्रतिशत) से थोड़ा ऊपर चला गया। इस गिरावट का एक प्रमुख कारण राजसहायताओं में भारी वृद्धि थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई।

1.7 अच्छी प्रथाएं

- मध्य प्रदेश ने 2024–25 के राजकोषीय घाटे को छोड़कर, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन ढांचे के तहत राजकोषीय उत्तरदायित्व लक्ष्यों का पालन किया है, जिससे वित्तीय प्रबंधन में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।
- राज्य ने समय पर बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें प्राप्तियों, व्ययों एवं देयताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाती है, जिससे राजकोषीय पारदर्शिता बढ़ती है।
- मध्य प्रदेश ने लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखा है, जो सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है और पूंजीगत व्यय एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिए अधिक राजकोषीय क्षमता प्रदान करता है।

1.8 अनुशंसाएं

- शासन कर अनुपालन में सुधार करके और विशेष रूप से लाभांश, खनन और ब्याज प्राप्तियों के लिए एक स्पष्ट करेत्तर राजस्व नीति को लागू करके, तथा उपयोगकर्ता प्रभार और शुल्क को समय–समय पर पुनरीक्षित करके राजस्व संग्रहण को मजबूत कर सकती है।
- राज्य को व्यय प्रबंधन में सुधार लाने की आवश्यकता है, जैसे कि कर्मचारी लागत का युक्तिकरण, पेंशन सुधार, विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन रणनीतियां और ब्याज भुगतान पर नियंत्रण, ताकि विकासात्मक व्यय के लिए राजकोषीय क्षमता सृजित की जाऐ।
- राज्य को राजसहायता को युक्तिसंगत बनाना चाहिए और बेहतर ढंग से लक्षित करना चाहिए ताकि पूंजी निर्माण, अवसंरचना विकास और उत्पादक निवेश के लिए राजकोषीय क्षमता उपलब्ध हो सके। इससे उधारियों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता मिलेगी।
- ऋण संधारणीयता अभी भी तर्कसंगत है, लेकिन इसकी मजबूती कम हो रही है। राज्य को प्राथमिक घाटे को कम करने, परिपक्वताओं को सुगम बनाने/पुनर्वित्त करने, और मध्यम–अवधि के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय योजना की आवश्यकता है।

अध्याय **II**
बजटीय प्रबंधन

अध्याय-II: बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय मध्य प्रदेश की बजट प्रक्रिया की समीक्षा करता है और बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। इसमें अत्यधिक व्यय, लगातार बचत और वित्तीय वर्ष के अंत में धन की समर्पण (सरेंडर) जैसी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। यह वित्तीय योजना, नियंत्रण और अनुपालन में मौजूद कमजोरियों को रेखांकित करता है तथा यथार्थवादी बजट निर्माण, धन के समय पर उपयोग और जेंडर बजटिंग, कृषि बजटिंग एवं बाल बजटिंग जैसी आधुनिक प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल देता है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे ''वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)'' कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना है। व्यय का अनुमान व्यय की 'भारित' और 'दत्तमत' मदों[26] को अलग–अलग दिखाता है और राजस्व लेखों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। विभागाध्यक्षों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय अनुमान तैयार किया जाता है तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसे 'अनुदान की मांग' कहा जाता है। राज्य बजट मुख्य रूप से निम्न अभिलेखों का संकलन होता है।

- ✓ **वार्षिक वित्तीय विवरण**
- ✓ **अनुदान की मांग**
- ✓ **अन्य**
- ✓ **मध्यम अवधि राजकोषीय योजना**
- ✓ **राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विवरण**

2.2 बजट अनुमान एवं अपेक्षा तथा वास्तविक के मध्य अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय के कुशल प्रबंधन में संसाधनों के इष्टतम उपयोग, योजना कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा निगरानी क्षमता एवं राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का संतुलन है। सतत बचतें/अधिकता अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है।

राज्य विधानसभा से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचतों का विवरण **तालिका 2.1** में सारांशीकृत किया गया है।

[26] **भारित व्यय**: व्यय की कुछ श्रेणीयाँ (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों का पुनर्भुगतान, इत्यादि) राज्य की संचित निधि पर भारित होती है और इन्हें विधान सभा के अन्तर्गत मत के अधीन नहीं रखा जाता है। **दत्तमत व्यय**: अन्य सभी प्रकार के व्यय विधानसभा द्वारा मत के माध्यम से होते है।

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

दत्तमत/ भारित	व्यय की प्रकृति	बजट (मूल)	बजट (अनुपूरक)	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचतें (–)	समर्पित राशि	2024–25
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	2,38,838.00	20,784.11	2,59,622.11	2,25,481.36	34,140.75	16,693.97	48.90
	II. पूंजीगत	62,846.53	18,097.41	80,943.94	71,572.03	9,371.92	4,201.05	44.83
	III. कर्ज एवं अग्रिम	3,102.86	2,050.00	5,152.86	3,144.03	2,008.83	0.01	0.00
	योग दत्तमत	**3,04,787.39**	**40,931.52**	**3,45,718.91**	**3,00,197.42**	**45,521.50**	**20,895.03**	**45.90**
भारित	IV. राजस्व	30,176.82	235.31	30,412.13	28,457.62	1,954.51	87.01	4.45
	V. पूंजीगत	406.30	500.14	906.44	802.33	104.11	6.29	6.04
	VI. लोक ऋण	29,696.85	0.00	29,696.85	26,428.21	3,268.64	1.96	0.06
	योग भारित	**60,279.97**	**735.45**	**61,015.42**	**55,688.16**	**5,327.26**	**95.26**	**1.79**
	महायोग	**3,65,067.36**	**41,666.97**	**4,06,734.33**	**3,55,885.58**	**50,848.76**	**20,990.29**	**41.28**

स्रोतः व्ही.एल.सी. आंकड़ें एवं विनियोग लेखे 2024–25

नोटः ऊपर दिखाए गए व्यय राजस्व शीर्षों (₹5,013.71 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹4,933.41 करोड़) के अंतर्गत व्यय में कमीं के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों को बिना शामिल किए सकल आंकड़े हैं।

अवधि 2020–21 से 2024–25 मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान, वास्तविक व्यय में रुझान नीचे **तालिका 2.2** में दिये गये है।

तालिका 2.2: वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	2,05,397	2,41,375	2,79,237	3,14,025	3,65,067
अनुपूरक बजट	30,530	41,404	42,421	57,984	41,667
कुल बजट	2,35,927	2,82,779	3,21,658	3,72,009	4,06,734
पुनरीक्षित अनुमान	2,07,710	2,37,909	2,79,697	3,28,786	3,65,713
वास्तविक व्यय	2,12,983	2,42,993	2,71,114	3,04,083	3,55,885
बचतें	22,944	39,786	50,544	67,926	50,849
मूल बजट से अनुपूरक बजट का प्रतिशत	14.86	17.15	15.19	18.46	11.41
कुल बजट से कुल बचत/आधिक्य का प्रतिशत	9.73	14.07	15.71	18.26	12.50
कुल बजट–पुनरीक्षित अनुमान	28,217	44,870	41,961	43,223	41,021
पुनरीक्षित अनुमान–वास्तविक व्यय	(-)5,273	(-)5,084	8,583	24,703	9,827
कुल बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान के अंतर का कुल बजट से प्रतिशत	11.96	15.87	13.05	11.62	10.09
पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक व्यय के अन्तर का कुल बजट से प्रतिशत	(-)2.24	(-)1.80	2.67	6.64	2.42

स्रोतः संबंधित वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे

तालिका 2.2 दर्शाती है कि 2024–25 के दौरान ₹41,667 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान पिछले वर्ष के मूल प्रावधान का 18.46 प्रतिशत के विरूद्व 11.41 प्रतिशत था।

चार्ट 2.1: बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक व्यय को दर्शानें वाली प्रवृत्ति

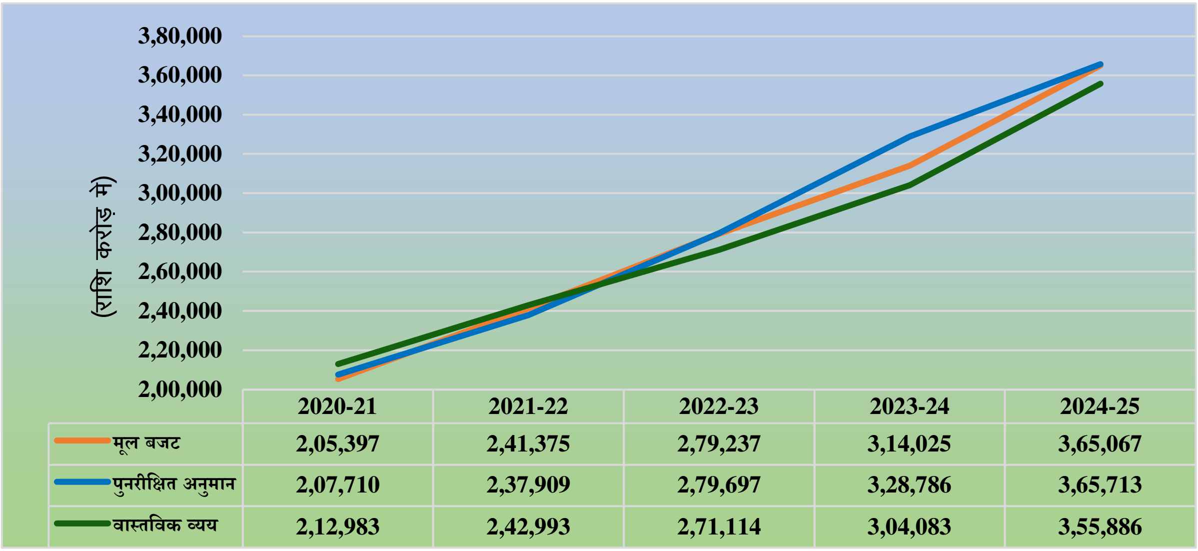

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जैसा कि **चार्ट 2.1** में देखा जा सकता है, 2024–25 के लिए मूल बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान लगभग समान हैं तथा वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से मामूली रूप से कम है, जो स्वीकार्य विचलन की सीमा के भीतर है। इसके विपरीत, 2023–24 में स्पष्ट विचलन परिलक्षित होता है, जहाँ संशोधित अनुमान के अनुरूप व्यय नहीं किया गया, जो निधियों के आवंटन अथवा क्रियान्वयन में अक्षमताओं को दर्शाता है।

2.2.1 घटक/सेवा–वार बजटीय प्रावधानों एवं व्यय का विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बजट एवं व्यय का घटक–वार विश्लेषण **तालिका 2.3** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2024–25 के लिए घटक–वार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल बजट के विरूद्व व्यय का प्रतिशत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6=3/2*100)**
प्रतिबद्ध व्यय	1,15,056.66	1,06,267.48	33.23	34.26	92.36
राज्य की योजनाएं	1,69,191.54	1,51,498.32	48.86	48.84	89.54
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए केंद्रांश	37,683.12	25,561.48	10.88	8.24	67.83
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए राज्यांश	20,327.08	23,333.31	5.87	7.52	114.79
बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं	4,009.27	3,534.75	1.16	1.14	88.16
योग	**3,46,267.67**	**3,10,195.34**	**-**	**-**	**89.58**

स्रोत: व्ही.एल.सी. आंकड़ें एवं विनियोग लेखे 2024–25

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कुल बजट का उपयोग लगभग 90 प्रतिशत है, जो व्यय के एक स्वस्थ प्रतिरूप को दर्शाता है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कुल व्यय बजट की तुलना में 14 प्रतिशत से कम रहा तथा केन्द्रांश में कमी की भरपाई राज्यांश द्वारा की गयी, जो केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की निधिकरण में असंतुलन को दर्शाता है।

बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

स्वीकृत बजट के विरूद्ध व्यय दर्शाने के अलावा, विनियोग लेखें उन प्रकरणों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते है जहां व्यय बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों में उप–शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस तरह की भिन्नता की सीमा निर्धारित (सितंबर 2004) की गयी है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को प्रारूप विनियोग लेखा प्रदान करता है और लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

बचतें	• *टिप्पणियां की जानी है यदि अनुदान के अंतर्गत कुल बचतें कुल प्रावधान का पांच प्रतिशत या अधिक है।* • *टिप्पणियां की जानी है यदि उप–शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचतें उप–शीर्ष के कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत या अधिक है, बशर्ते बचतों की राशि:* *(क) ₹40 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है,* *(ख) ₹20 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ के मध्य है, अथवा* *(ग) ₹10 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।* • *टिप्पणियां की जानी है यदि अनुदान में भारित व्यय के अंतर्गत कुल बचतें ₹10 लाख से कम नहीं है।*
आधिक्य	• *उन सभी प्रकरणों में जहां किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो पर प्रावधान से आधिक्य के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणी की जानी है।* • *ऐसे सभी प्रकरणों में टिप्पणियां की जानी है जहां किसी वैयक्तिक उप–शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹10 लाख से अधिक और उप–शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से भी अधिक है।* • *ऐसे सभी प्रकरणों में टिप्पणियां की जानी है जहां किसी वैयक्तिक उप–शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उस उप–शीर्ष के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है बशर्ते:* *(क) प्रत्येक उप–शीर्ष में आधिक्य ₹40 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है;* *(ख) प्रत्येक उप–शीर्ष में आधिक्य ₹20 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ के मध्य है; अथवा* *(ग) प्रत्येक उप–शीर्ष में आधिक्य ₹10 लाख से अधिक है जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।*

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

विनियोग लेखों में पाई गई विभिन्नताओं के प्रकरणों में प्राप्त स्पष्टीकरणों का सारांश **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: विनियोग लेखों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश

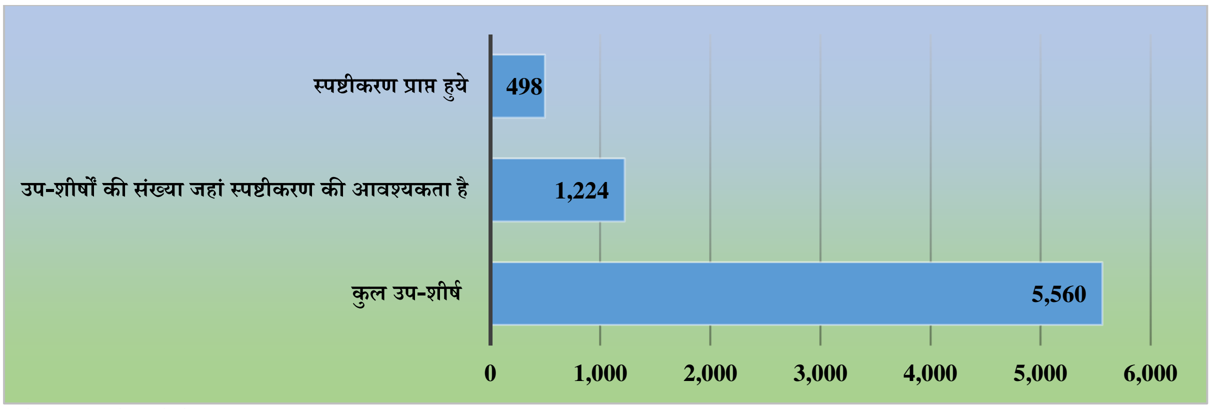

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

कुल 5,560 उप–शीर्षों में से 1,224 उप–शीर्षों के लिए स्पष्टीकरण अपेक्षित थे, जबकि केवल 498 उप–शीर्षों के लिए ही स्पष्टीकरण प्राप्त हुये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 59 प्रतिशत उप–शीर्षों में बड़ी संख्या में भिन्नताओं के संबंध में स्पष्टीकरण अभी भी प्राप्त होना शेष है।

2.3 लक्ष्यवेधित्व बजट

व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम यह मापता है कि बजट के क्रियान्वयन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनर्आवंटन ने व्यय संरचना की भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है।

राज्य द्वारा बजट के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले अनुदानों, आधिक्य और बचतों का वर्ष–वार विश्लेषण **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष–वार अनुदानें, आधिक्य और बचतें

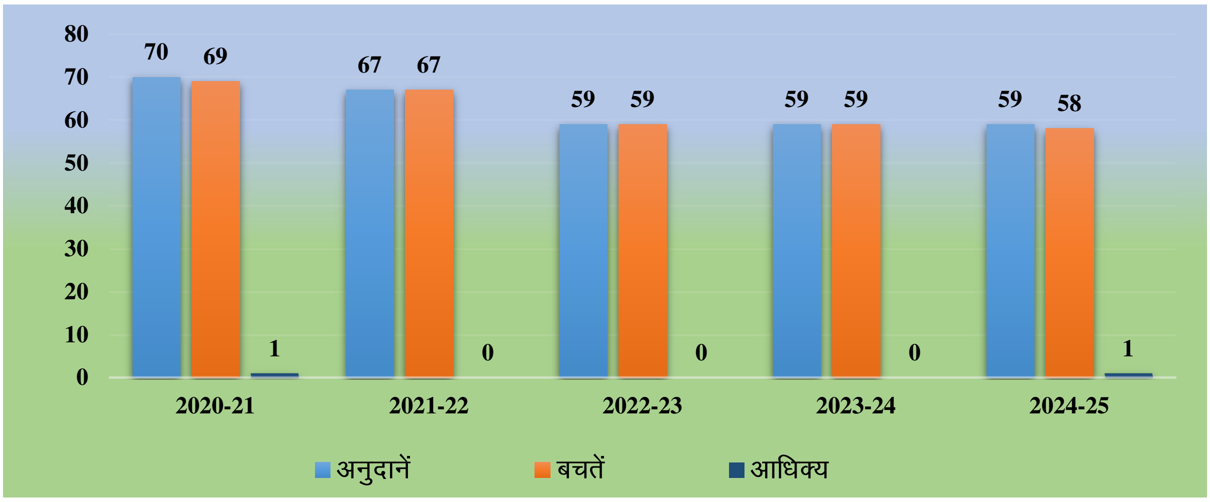

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए व्यय परिणाम संरचना को **तालिका 2.4** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 2.4: समग्र व्यय संरचना विचलन वित्त वर्ष 2024–25

अनुभाग	समग्र विचलन (प्रतिशत)	विचलन की सीमा (प्रतिशत)	अनुदानों की संख्या
राजस्व (दत्तमत)	5.14	0 से ± 25	35
		± 25 से ± 50	17
		± 50 से ± 100	6
		≥ ±100	1
पूंजीगत (दत्तमत)	-13.29	0 से ± 25	24
		± 25 से ± 50	11
		± 50 से ± 100	23
		≥ 100	1
राजस्व (भारित)	5.70	0 से ± 25	20
		± 25 से ± 50	1
		± 50 से ± 100	38
पूंजीगत (भारित)	97.33	0 से ± 25	52
		± 25 से ± 50	3
		± 50 से ± 100	3
		≥ 100	1

स्रोतः व्ही.एल.सी. आंकड़ें एवं विनियोग लेखे वर्ष 2024–25

राजस्व (दत्तमत और भारित) अनुभाग समग्र नियंत्रित व्यय को दर्शाते हैं। हालांकि, राजस्व (भारित) के अंतर्गत बड़ी संख्या में अनुदानें महत्वपूर्ण विचलन को प्रदर्शित करती हैं, जो इस श्रेणी में अधिक सटीक अनुमान लगाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग उल्लेखनीय कम व्यय और विचलनों की व्यापक सीमा परिलक्षित होती है, जो योजना और कार्यान्वयन में अंतर्निहित मुद्दों का सुझाव देता है। इसके विपरीत, जबकि अधिकांश अनुदानों के लिए पूंजीगत (भारित) अनुभाग स्थिर प्रतीत होता है, समग्र विचलन कुछ ऐसें अनुदानों से अत्याधिक प्रभावित है, जिनमें असाधारण रूप से अधिक व्यय हुआ है जो महत्वपूर्ण किन्तु अलग–अलग कमियों की ओर इशारा करता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि मध्य प्रदेश शासन विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के लिए बजट पूर्वानुमान को सुदृढ़ करें, ताकि बजट अनुमान और वास्तविक उपयोग के बीच बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके। सरकार भारित व्ययों के लिए उनकी अपेक्षाकृत अधिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए निगरानी और नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है।

2.4 विनियोग लेखे

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों की राशि और विनियोग अधिनियम की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय लेखे है, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों और भारित विनियोगों की राशि की तुलना में है, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इन लेखों में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, समर्पण और पुनर्विनियोजन प्रत्यक्ष रूप से सकल आधार पर दर्शायी गयी है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है और यह कि संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अंतर्गत व्यय भारित होने के लिए आवश्यक है इसलिए यह भारित व्यय है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

2.5 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया

2.5.1 बिना बजट प्रावधान के व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा राज्य की संचित निधि से कोई राशि आहरित नहीं की जाएगी। मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 14.3 में प्रावधान है कि अनुदान की अनुपूरक मांगों के माध्यम से विधानसभा के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य की समेकित निधि से ''नई सेवा'' या ''सेवा के नए साधन'' पर कोई व्यय नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अनुच्छेद 267(1) के अनुसार, यदि विधानसभा के पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा करना संभव नहीं है, तो विधानसभा द्वारा प्राधिकरण लंबित रहने के दौरान नई सेवा/सेवा के नए साधन पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से राशि आहरित की जा सकती है।

मध्य प्रदेश में समस्त व्यय एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। बजट प्रावधान भी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से किया जा रहा है।

यह देखा गया कि मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में कोई प्रावधान किए बिना और कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना वर्ष 2024–25 के दौरान दो अनुदानों के विभिन्न घटकों के अंतर्गत नौ प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ से अधिक) में ₹5,389.42 करोड़ (***परिशिष्ट 2.1***) का व्यय किया गया था।

इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय मूल बजट में प्रावधान के बिना हुआ, राज्य में व्यय के प्राधिकरण हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के होने के बाद भी इस प्रकार का व्यय होना आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमी और अनुचित निगरानी को दर्शाता है।

सरकार आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने पर विचार कर सकती है और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में बिना बजट प्रावधान के व्यय न हो।

2.5.2 आधिक्य व्यय और उसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय को राज्य विधान सभा द्वारा नियमित कराये। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों की चर्चा पूर्ण होने के बाद आधिक्य व्यय का नियमितीकरण किया जाता है।

क. वर्तमान वर्ष के दौरान आधिक्य व्यय

2024–25 के दौरान, अनुदान संख्या 6 वित्त में, बजट प्रावधान ₹26,326.43 करोड़ था और व्यय ₹26,526.19 करोड़ किया गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹199.75 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। इस अनुदान के अंतर्गत जिन योजनाओं पर आधिक्य व्यय हुआ, नीचे **तालिका 2.5** में दिया गया है:

तालिका 2.5: अनुदान संख्या 6 वित्त के अंतर्गत योजनाओं में आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विस्तृत शीर्ष तक लेखा शीर्ष और योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनु.+ पुनर्विनियोजन)	किया गया व्यय	आधिक्य व्यय
1	2054-003.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव	1.00	1.82	0.82
2	2054-095.0101.6327-मध्य प्रदेश आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना	6.50	7.23	0.73
3	2071-01.101.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	4,903.00	6,553.64	1,650.64
4	2071-01.102.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	264.00	272.77	8.77
5	2071-01.105.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	1,590.00	2,050.64	460.64
6	2071-01.111.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	13.70	19.63	5.93
7	2071-01.115.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	840.00	949.09	109.09
8	2071-01.115.9999- समग्र मध्य प्रदेश पेंशन	375.00	381.73	6.73
	योग	**7,993.20**	**10,236.55**	**2,243.35**

स्रोत: विनियोग लेखे 2024–25

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आठ योजनाओं में ₹2,243.35 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसे अनुदान के अंतर्गत अन्य योजनाओं में हुई बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर ₹199.75 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

क्रम संख्या 3, 5 और 6 में आधिक्य व्यय के कारणों के संबंध में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पेंशन वसूली राशि को पुनरीक्षित करते समय की गई पेंशन देनदारियों के लिए अतिरिक्त वसूली को बताया गया है। अन्य प्रकरणों में कोई कारण प्रतिवेदित नही है।

ख. पिछले वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण

तालिका 2.6 में दर्शाए गए, 2018–19 से 2024–25 से संबंधित ₹1,238.29 करोड़ के आधिक्य संवितरण, जिनका नियमितीकरण लंबित है, जिसे राज्य विधानसभा से नियमित किया जाना अभी तक शेष है।

तालिका 2.6: पिछले वर्षों से संबंधित आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/विनियोग	अनुदान/विनियोग का विवरण	नियमितीकरण के लिए आधिक्य राशि
2018-19	Ch-II	लोक ऋण (पूंजीगत–भारित)	1,026.20
	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व–दत्तमत)	2.42
2020-21	20	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजस्व–दत्तमत)	9.92
2024-25	6	वित्त (राजस्व–दत्तमत)	199.75
		योग	**1,238.29**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

आधिक्य व्यय इंगित करता है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण अप्रभावी था, और बजट अनुमान यथार्थवादी आधार पर तैयार नहीं किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा आधिक्य व्यय के मौजूदा प्रकरणों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र किया जा सकता है तथा ऐसे आधिक्य व्यय पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। आधिक्य व्यय के सभी मौजूदा प्रकरणों का यथाशीघ्र नियमितीकरण किया जाना आवश्यक है।

2.5.3 अनावश्यक रही अनुपूरक अनुदानें

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं। जब ऐसा अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाया जाता है और पुनर्विनियोजन द्वारा आधिक्य को समायोजित करने हेतु अनुदान के भीतर बचत की कोई संभावना नहीं होती है, तो संबंधित विभाग के सचिव द्वारा वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग के लिए प्रस्ताव देते हैं।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली, 2012 अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि बजटीय प्रावधान कम रह जाता है और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत व्यय के लिए प्रतिबद्धता पहले से ही की गई है।

वर्ष 2024–25 के लिए राज्य विधानसभा ने 17.12.2024 एवं 11.03.2025 में कुल ₹41,666.97 करोड़ (39 अनुदानों एवं दो विनियोगों) के दो अनुपूरक बजट अनुमोदित किये। लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह पाया गया कि वर्ष 2024–25 के दौरान 33 प्रकरणों में ₹6,253.66 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ तीन करोड़ से अधिक) अनावश्यक साबित हुए (***परिशिष्ट 2.2***) क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँचा। इसी प्रकार, 13 प्रकरणों में ₹5,921.96 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ तीन करोड़ से अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए (***परिशिष्ट 2.3***) क्योंकि अनुपूरक प्रावधानों की पूरी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

2.5.4 निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित होती है, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, को पहचान कर निधियों को स्थानांतरित किया जाता है। 2024–25 के दौरान, 57 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत ₹61,272.36 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए।

आगे, 28 प्रकरणों (***परिशिष्ट 2.4*–क्रम संख्या 1 से 28**) में, विभिन्न विभागों द्वारा किए गए पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से ₹ तीन करोड़ से अधिक के प्रावधान में कमी करना अविवेकपूर्ण साबित हुआ क्योंकि इन प्रकरणों के अंतर्गत ₹112.13 करोड़ का आधिक्य व्यय था, जहां आधिक्य व्यय ₹ एक लाख से अधिक या उसके बराबर है। सात प्रकरणों में, (***परिशिष्ट 2.4*–क्रम संख्या 29 से 35**) प्रावधान में वृद्धि भी अनावश्यक साबित हुई क्योंकि व्यय या तो मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के बराबर था या उसके स्तर तक नहीं पहुँचा, जिसके परिणामस्वरूप इन मामलों में ₹355.76 करोड़ की बचत हुई, जहां बचत ₹ एक लाख से अधिक या उसके बराबर है।

2.5.5 अव्ययित राशि एवं समर्पित विनियोजन एवं वृहद् बचतें/समर्पण

बजट प्रस्तावों को व्यय की गुणवत्ता को संतुलित करने और बजटीय निधियों के अल्प उपयोग को कम करने के लिए सभी अनुमानित व्यय को उचित व्यय स्तरों के लिए अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए। व्यय करने वाली इकाइयों द्वारा समय पर समर्पण स्वीकृत बजट के भीतर इष्टतम पुनर्विनियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

अनुदानों और विनियोगों के विश्लेषण में यह पाया गया कि वर्ष 2024–25 के दौरान 31 प्रकरणों (21 अनुदान और दो विनियोग के अंतर्गत) में, बचत (समर्पित राशि को छोड़कर) प्रत्येक प्रकरण में ₹100 करोड़ से अधिक थी (***परिशिष्ट 2.5***)। आगे, यह भी देखा गया कि वर्ष 2024–25 के दौरान तीन अनुदानों में जैसा कि **तालिका 2.7** (कुल बजट ₹ एक करोड़ से अधिक) में दर्शाया गया है, कुल अनुदान राशि ₹42.00 करोड़ के विरूद्ध कोई व्यय नही हुआ।

तालिका 2.7: वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान संपूर्ण अनुदान का अनुपयोग

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान की संख्या और नाम	राशि
1	6–वित्त (पूंजीगत–भारित)	2.00
2	34–सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (पूंजीगत–भारित)	20.00
3	35–सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (राजस्व–भारित)	20.00
	योग	**42.00**

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

आगे, यह भी देखा गया कि 31 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत 42 प्रकरणों में, 2022–23 से 2024–25 के दौरान प्रत्येक प्रकरण (***परिशिष्ट 2.6***) में ₹100 करोड़ से अधिक की सतत् बचतें पायी गयी।

2024–25 के दौरान उपयोग के प्रतिशतता के साथ कुल बचतों के आधार पर समूहीकृत अनुदानों का विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** और **चार्ट 2.4** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.4: उपयोग के प्रतिशतता के साथ कुल बचतों के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण

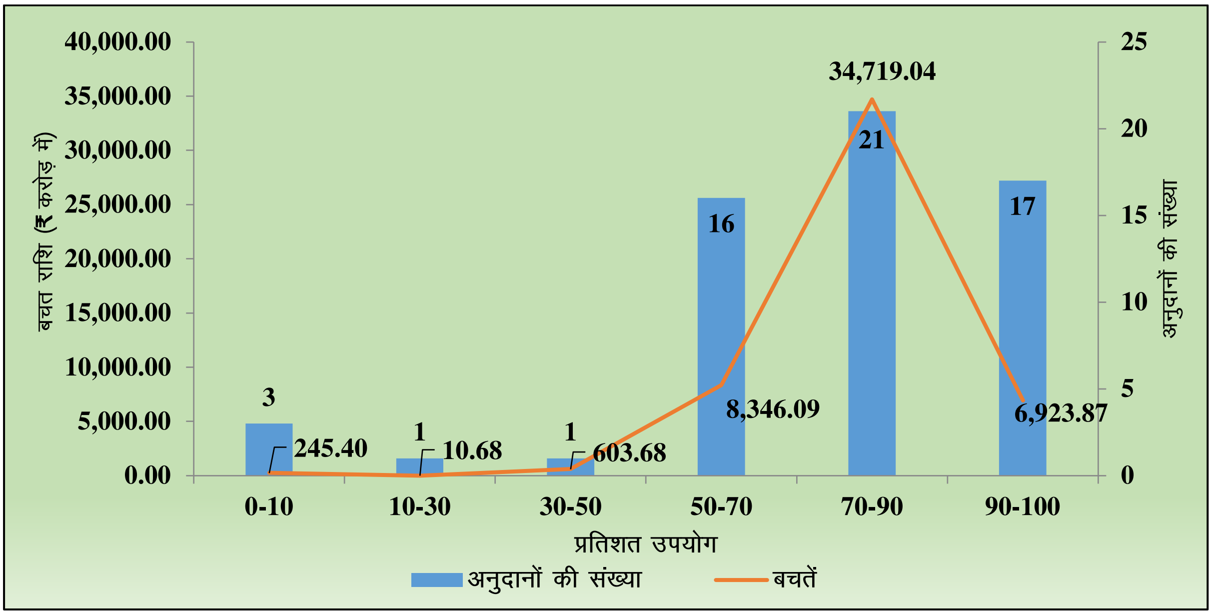

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

यह देखा गया कि 51 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत बचत राशि ₹29,858.45 करोड़ (***परिशिष्ट 2.8***) समर्पित नहीं की गयी। मार्च के अंतिम दिन (प्रत्येक प्रकरण में ₹100 करोड़ से अधिक) समर्पित की गई बचतों का विवरण ***परिशिष्ट 2.9*** में दिया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2024–25 के लिए बचतें और समर्पण

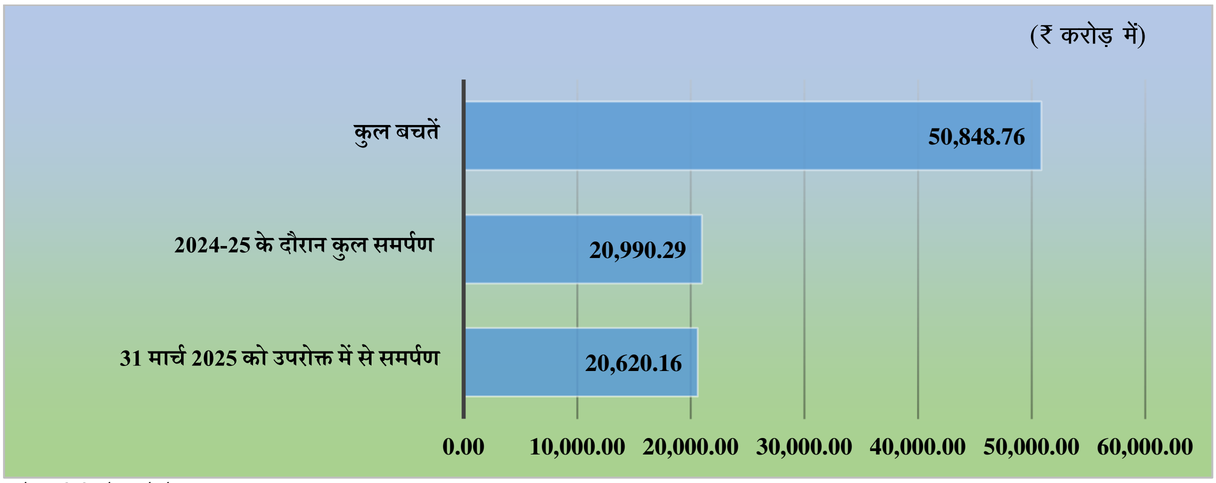

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

चार्ट 2.5 के विश्लेषण से पता चला है कि बचतों का केवल 41.28 प्रतिशत समर्पित किया गया था। ₹20,990.29 करोड़ की समर्पित की गई राशि में से ₹20,620.16 करोड़ (98.24 प्रतिशत) को 31 मार्च 2025 को समर्पित कर दिया गया था।

2.5.6 राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण

भारत सरकार के लेखा मानक–2 को 2011 में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्राप्त या दी गई सहायतानुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार लेखा मानक–2 के अनुसार सहायतानुदान एक सरकार से दूसरी सरकार, निकाय, संस्थानों या

व्यक्ति को दी गयी सहायता, दान या अंशदान की प्रकृति का भुगतान है। इसके अलावा, सहायतानुदान पर व्यय को अनुदानकर्ता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। शासकीय लेखांकन नियम, 1990 के नियम 30 के अनुसार, केवल ऐसा व्यय जिससे ठोस, भौतिक एवं स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन होता है, उसे पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2020–21 से 2024–25 के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा पूर्ण रूप से भारत सरकार के लेखा मानक–2 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के प्रभाव का विवरण **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है, जबकि **चार्ट 2.6** पूंजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालता है।

चार्ट 2.6: पूंजीगत व्यय में सहायतानुदान का अंश

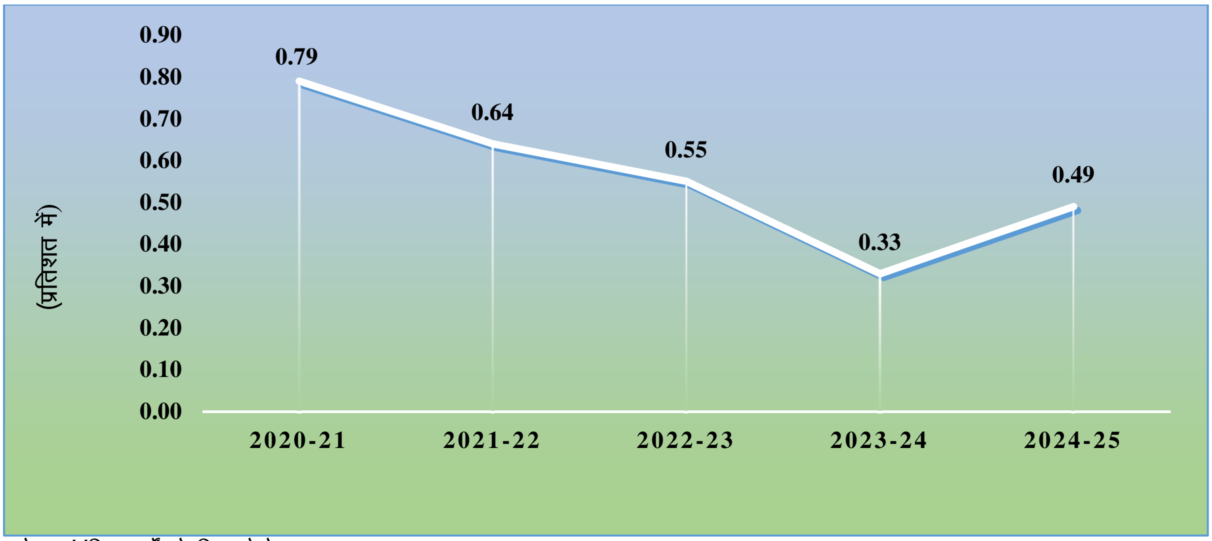

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.8 एवं **चार्ट 2.7** इंगित करते है कि 2020–25 के दौरान पूर्ण परिणाम में राज्य द्वारा भारत सरकार के लेखा मानक–2 के प्रावधानों के अनुपालन न किए जाने के कारण राजस्व अधिशेष को अधिक तथा राजस्व घाटे का कम बताया गया। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया।

तालिका 2.8: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत व्यय के रूप में पुस्तांकित सहायतानुदान	250	280	256	190	347
कुल पूंजीगत व्यय	31,586	43,962	46,798	57,349	70,585
पूंजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	0.79	0.64	0.55	0.33	0.49
राजस्व घाटा (–)/राजस्व अधिशेष (+)	(-) 18,356	4,815	4,091	12,488	1,573
राजस्व घाटा (–)/राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव, यदि सहायतानुदान से किये गयें व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।	(-) 18,606	4,535	3,835	12,298	1,226

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.7: वास्तविक राजस्व घाटा (–)/अधिशेष (+)

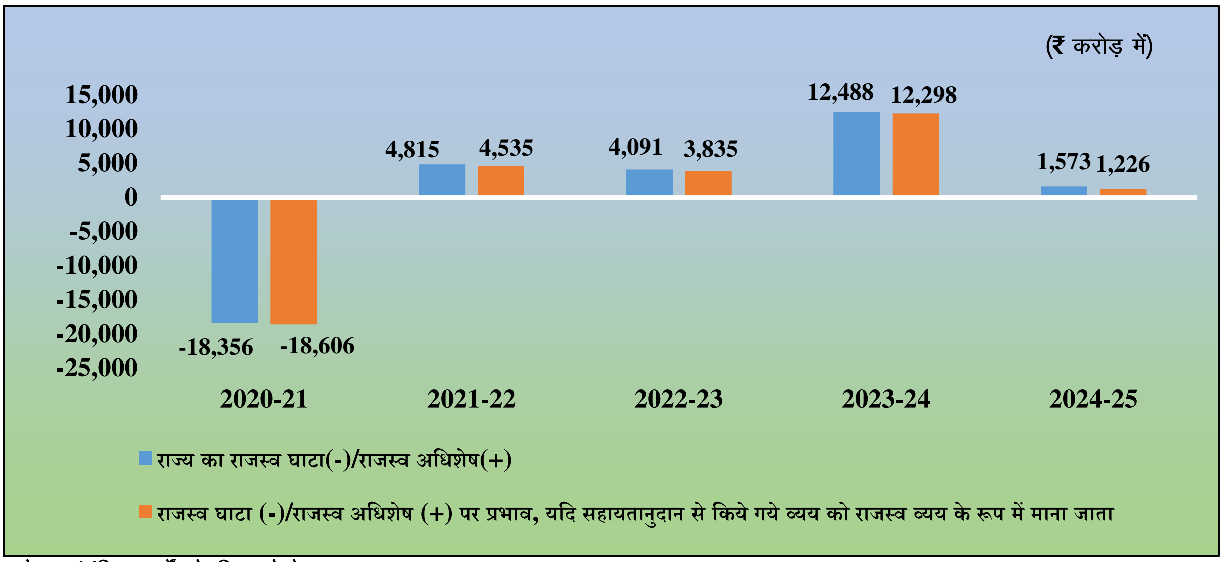

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

हालांकि, 2024–25 के दौरान राशि ₹2,004.48 करोड़ को राजस्व व्यय के अंतर्गत लेखांकन के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में राज्य शासन द्वारा गलत वर्गीकृत किये गये थे। इसमें से ₹347 करोड़ सहायतानुदान से संबंधित और ₹1,657.48 करोड़ अन्य व्यय से संबंधित है। इसके कारण, राजस्व व्यय ₹2,004.48 करोड़ से न्यूनोक्त और पूंजीगत व्यय ₹2,004.48 करोड़ से अत्योक्त था। विवरण ***परिशिष्ट 2.10(अ)*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, राज्य शासन द्वारा राशि ₹12.70 करोड़ को पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में गलत बजट और व्यय ('मशीनरी', 'सर्वेक्षण, अन्वेषण, एवं रुपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन' एवं 'निवेश' के लिए) किया गया, जिसके कारण राजस्व व्यय ₹12.70 करोड़ से अत्योक्त था और पूंजीगत व्यय ₹12.70 करोड़ से न्यूनोक्त था। विवरण ***परिशिष्ट 2.10(ब)*** में दिया गया है।

2.5.7 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्त पोषण

दिशा–निर्देशों/तौर–तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य शुरू न होने, बजट जारी न किए जाने आदि के कारण सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत पहलों को पूर्ण या आंशिक रूप से क्रियान्वित नही हो पाते है। यह देखा गया कि 24 योजनाओं के अंतर्गत, ₹739.33 करोड़ का बजट प्रावधान था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, उपरोक्त 24 योजनाओं में से 15 में ₹179.12 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, जिसे पुनरीक्षित परिव्यय में पूरी तरह से वापस ले लिया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

यह अवलोकन राज्य शासन की पहलों के संदर्भ में बजट उपयोग और योजना कार्यान्वयन में हुई कमीं को दर्शाता है। सरकार की नीतिगत पहलों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाना चाहिए।

2.5.8 त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में व्यय की अत्यधिकता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है।

तालिका 2.9: 2024–25 के दौरान व्यय में अत्यधिकता

	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष में कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च–2025)	1,31,166.43	36.86
वर्ष का आखिरी महीना (मार्च–25)	74,086.95	20.82
वर्ष का अंतिम दिन* (31 मार्च 2025)	7,290.28	2.05

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदान की गई जानकारी

* यह व्यय आंकड़े है जहां प्रमाणको को वी.एल.सी. प्रणाली में संकलित किया गया था, और देयक की तारीख 31.03.2025 है।

तालिका 2.9 से पता चलता है कि पिछली तिमाही में वार्षिक व्यय का अनुपातहीन हिस्सा (36.86 प्रतिशत) निष्पादित किया गया, जिसमें से 20.82 प्रतिशत अकेले मार्च में हुआ, और केवल 31 मार्च को ही ₹7,290.28 करोड़ की अत्याधिक राशि व्यय की गयी। यह एक वर्ष के अंत में होने वाले व्यय में अचानक हुई वृद्धि को दर्शाता है, जो प्रणालीगत बजट अक्षमताओं की ओर इंगित करता है और मजबूत वित्तीय योजना, समीक्षा तंत्र और व्यय नियंत्रण की आवश्यकता को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कुल मासिक प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों और नकद शेष) और व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.8** और **चार्ट 2.9** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.8: प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण (माहवार)

(₹ करोड़ में)

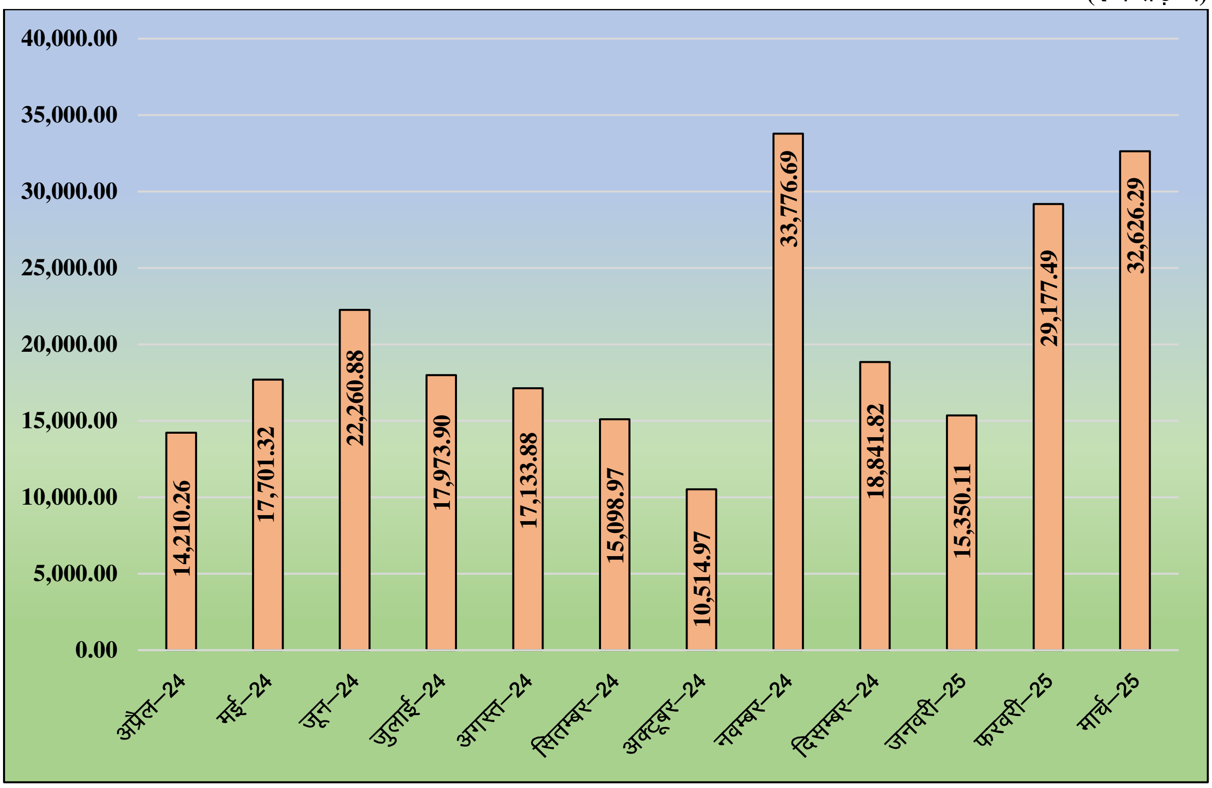

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय की गई जानकारी

चार्ट 2.9: व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण (माहवार)

(₹ करोड़ में)

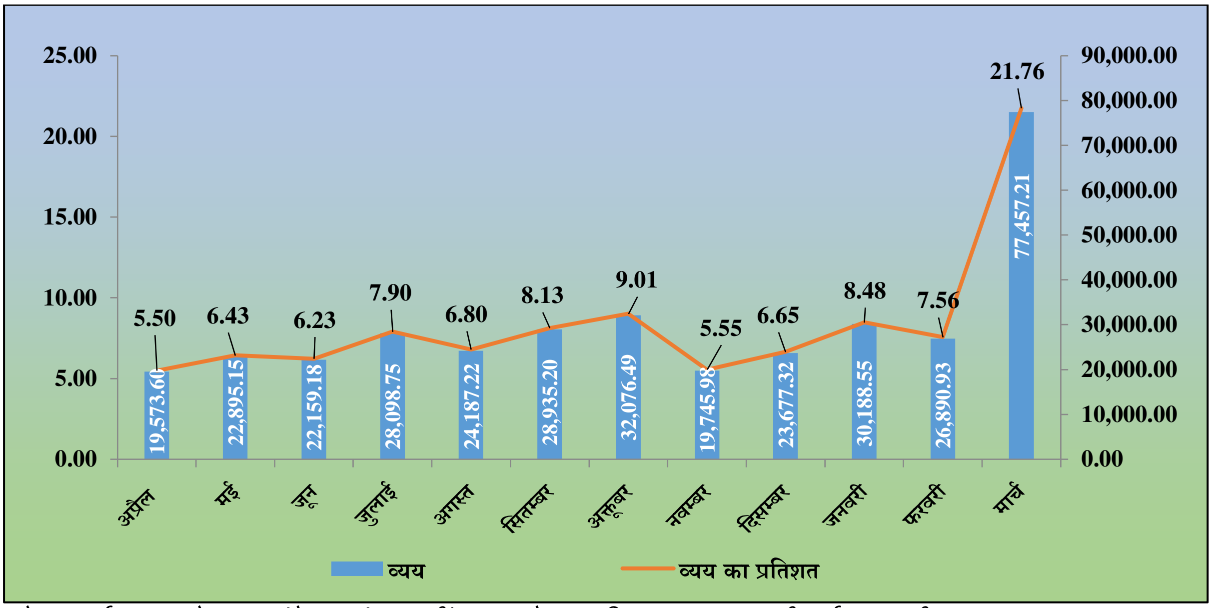

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदान की गई जानकारी

राज्य के व्यय का तिमाही–वार प्रतिशत इस प्रकार था:

प्रथम तिमाही–18.16 प्रतिशत;	द्वितीय तिमाही–22.82 प्रतिशत;
तृतीय तिमाही–21.21 प्रतिशत;	चतुर्थ तिमाही–37.80 प्रतिशत

सभी अनुदानों के अंतर्गत किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण ***परिशिष्ट 2.13*** में दर्शाया गया है। उपरोक्त चार्ट और परिशिष्ट में दर्शाए गए मासिक व्यय की प्रवृत्ति से वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह में, व्यय में भारी वृद्धि को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

व्यय की स्थिर गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इससे राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट से बचाव करता है।

2.6 सिंगल नोडल एजेन्सी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं.1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत निधि के जारी होने तथा सिंगल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी निधि के उपयोग की निगरानी की प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के लिए सिंगल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) की स्थापना की गई है, जिसका राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपना खाता है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 के अनुसार, राज्य सरकार केन्द्रांश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर केन्द्रांश के साथ अनुरूप राज्यांश भी एस.एन.ए. खाते में हस्तांतरित कर देगी। केन्द्रीय अंश को एस.एन.ए. खातें में अंतरित करने में 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर 01.04.2023 से प्रभावी, राज्य सरकार को देरी के दिनों की संख्या के अनुसार सात प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने व्ही.एल.सी. आंकड़ों एवं एस.एन.ए./पी.एफ.एम.एस. प्रतिवेदन का विश्लेषण किया और सिंगल नोडल एजेन्सी लेखों में हस्तांतरित केन्द्रांश एवं राज्यांश के आंकड़ों में विसंगति पायी, जैसा कि **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: केन्द्रांश एवं राज्यांश हस्तांतरण में विसंगति

(₹ करोड़ में)

आंकड़ों का स्रोत	केन्द्रांश प्राप्त	केन्द्रांश हस्तांतरण	राज्यांश हस्तांतरण	राज्य द्वारा कम राशि जारी करना
व्ही.एल.सी. (क)	24,434.02	25,561.61	23,309.48	9,054.96
एस.एन.ए./पी.एफ.एम.एस. प्रतिवेदन(ख)	25,432.61	18,370.83	24,037.66	पी.एफ.एम.एस. में उपलब्ध नही
अंतर राशि(क–ख)	-998.59	7,190.78	-728.18	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदान की गई जानकारी

तालिका 2.10 व्ही.एल.सी. एवं पी.एफ.एम.एस. आंकड़ों के बीच में विसंगतियों को इंगित करती है। सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए पी.एफ.एम.एस. और व्ही.एल.सी. के बीच इन आंकड़ों का नियमित रूप से पुनर्मिलान करना आवश्यक है।

2.7 सिंगल नोडल एजेन्सी–स्पर्श

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.) के अंतर्गत जारी की गयी निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग की निगरानी बढाने के लिए, व्यय विभाग द्वारा निधि प्रवाह प्रक्रियाओं के लिए संशोधित दिशा–निर्देश प्रस्तुत किए। इन दिशा–निर्देशों का उद्देश्य भुगतानों के लिए 'समय पर जारी करने' के सिद्धांतों को लागू करना, राज्य एवं केन्द्र दोनों स्तर पर अधिक कुशल नकदी प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, एक विकल्पीय निधि प्रवाह तंत्र, एस.एन.ए.–स्पर्श एक वास्तविक समय प्रणाली को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना निधियों के एकीकृत एवं त्वरित हस्तांतरण के लिए शुरू किया गया था। यह प्रणाली सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.), राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.आई.एम.एस.) और भारतीय रिजर्व बैंक के ई–कुबेर को एकीकृत करने वाले एक निर्बाध ढांचे के माध्यम से संचालित होती है, जिससे कुशल और पारदर्शी निधि वितरण की सुविधा मिलती है।

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकारों को एस.एन.ए.–स्पर्श मॉडल के तहत सिंगल नोडल एजेंसी खाते में निधियों के केंद्रांश एवं राज्यांश दोनों को अंतरित करना होता है और सभी भुगतान केवल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से भेजा जाना होता है। इसके अलावा, सभी एस.एन.ए. और कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली में पंजीकृत होना चाहिए, और व्यक्तिगत जमा खातों या अन्य मध्यस्थ खातों के माध्यम से वितरित किए बिना, सीधे लाभार्थियों या विक्रेताओं को वास्तविक समय के आधार पर राशियों को जारी किया जाना चाहिए, जिससे बेहतर नकदी प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

मध्य प्रदेश राज्य में एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल लागू किया गया है। जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में खाता खोलने का संबंध है, राज्य सरकार इसकी सहमति के लिए इस कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। 20.08.2025 तक, इस कार्यालय ने एस.एन.ए.–स्पर्श मॉडल पर 141 एस.एन.ए. खाते (एसएलएस वार) खोलने की सहमति दी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लगभग 190 योजनाओं को एस.एन.ए.–स्पर्श मॉडल में शामिल करने की आवश्यकता है।

यह अच्छी प्रगति को दर्शाता है लेकिन इंगित करता है कि पूर्ण एकीकरण के लिए अभी भी एक दूरी तय करना है। सभी योजनाओं की ऑनबोर्डिंग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच निरंतर समन्वय आवश्यक है। सभी योजनाओं को पूरी तरह से शामिल करने से वित्तीय पारदर्शिता, निधि प्रवाह की निगरानी में आसानी और योजना–वार लेखांकन में वृद्धि होगी। योजना निधि प्रबंधन में देरी से बचने के लिए शेष खातों के लिए समय पर सहमति महत्वपूर्ण है।

2.8 आकस्मिकता निधि

मध्य प्रदेश शासन की आकस्मिकता निधि की स्थापना मध्य प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अंतर्गत हुयी एवं राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1957 बनाए, ताकि मध्य प्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में धनराशि जमा करने, उससे धनराशि निकालने तथा उससे संबंधित सभी मामलों का विनियम किया जा सके, जिससे अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति की जा सके। राज्य विधानमंडल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करता है, तब इस निधि की राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इस निधि का कोष ₹1,000 करोड़ है।

2.8.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आपातकालीन प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए ही दिए जा सकते हैं, जिन्हें विधान सभा द्वारा अधिकृत किए जाने तक स्थगित करना अनुचित हो।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग नामक तीन विभागों द्वारा तीन योजनाओं के संबंध में आकस्मिकता निधि से राशि ₹12.60 करोड़ अग्रिम के रूप में आहरित की गई। वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत तक सभी राशियों की प्रतिपूर्ति कर ली गयी, साथ ही पिछले वर्ष की राशि ₹15.00 करोड़ भी मुख्य शीर्ष 2052–'सचिवालय– सामान्य सेवाएँ' के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की गई। व्यय का मुख्य शीर्ष–वार विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: मुख्य शीर्ष–वार व्यय

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	राषि
1	2202- सामान्य शिक्षा	9.00
2	2203- तकनीकी शिक्षा	1.44
3	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2.16
	योग	**12.60**

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25

आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के रूप में आहरित की जाने वाली योजनाओं का विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12: आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के रूप में आहरित किये जाने वाली योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल	व्यय	बचत/ आधिक्य	आकस्मिकता निधि से अग्रिम
1	34-2235-02-104-1456-42-007 अटल वयो अभ्युदय	28.04.2024	10.00	0.00	10.00	3.91	6.09	2.16
2	44-2202-03-102-1534-42-002 रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर को ब्लॉक अनुदान	14.08.2024	टोकन (₹2,000)	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00
3	44-2202-03-102-1535-42-002 कांतिसूर्या टंट्या	14.08.2024	टोकन (₹2,000)	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00

स. क्र.	योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल	व्यय	बचत/ आधिक्य	आकस्मिकता निधि से अग्रिम
	भील विश्वविद्यालय, खरगोन को ब्लॉक अनुदान							
4	44-2202-03-102-1536-42-002 क्रांतिकारी तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना को ब्लॉक अनुदान	14.08.2024	टोकन (₹2,000)	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00
5	47-2203-00-104-5885-44-001 आई.आई.टी. इंदौर की स्थापना	13.02.2025	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	1.44
	योग		**10.00**	**10.44**	**20.44**	**14.35**	**6.09**	**12.60**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े

तालिका 2.12 से यह स्पष्ट है कि सरल क्रमांक 1 में योजना 34—2235—02—104—1456—42—007 अटल वयो अभ्युदय में ₹2.16 करोड़ आहरित करना अनावश्यक था क्योंकि व्यय मूल बजट के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था।

2.9 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विधान सभा में अनुदान की मांगों पर मतदान पूर्ण होने के उपरांत, राज्य की समेकित निधि में से आवश्यक धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गयी अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विधेयक पर राज्यपाल की सहमति उपरान्त, विनियोग अधिनियम और इसकी अनुसूचियों में दर्शायी गई राशियां, विभिन्न मांगों के अंतर्गत व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान बन जाती है।

वर्ष 2024—25 के दौरान, दो अनुदानों को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया, अर्थात् अनुदान संख्या 12—ऊर्जा तथा अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और इन अनुदानों के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत जांच की जा सके।

2.9.1 अनुदान संख्या 12—ऊर्जा

हमने अनुदान संख्या 12 ''ऊर्जा'' से संबंधित बजटीय प्रक्रिया और व्यय नियंत्रण की समीक्षा (सितंबर 2025) की। ऊर्जा विभाग, भोपाल के सचिव (कोड संख्या 1301) और मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं सलाहकार, भोपाल (कोड संख्या 1302) अनुदान संख्या 12 के बजट नियंत्रण अधिकारी (बी.सी.ओ.) हैं।

2.9.1.1 बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

2024—25 के दौरान, अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत बजट में आवंटित राशि और व्यय का विवरण **तालिका 2.13** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 2.13: बजट एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी किया गया बजट	व्यय		बचतें	
					बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार	विनियोग लेखों के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार	विनियोग लेखों के अनुसार
1	**2**	**3**	**4 (2+3)**	**5**	**6**	**7**	**8 (5-6)**	**9 (4-7)**
राजस्व (दत्तमत)	10,709.56	12,998.43	23,707.99	19,677.82	19,662.31	19,662.44	4,045.68	4,045.55
राजस्व (भारित)	0	0	0	0	0	0	0	0
पूंजीगत (दत्तमत)	8,557.47	Token	8,557.47	8,400.47	6,769.56	6,769.56	1,787.91	1,787.91
पूंजीगत (भारित)	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**19,267.03**	**12,998.43**	**32,265.46**	**28,078.29**	**26,431.87**	**26,432.00**	**5,833.59**	**5,833.46**

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25 एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों के विवरणों से प्राप्त जानकारी

उपरोक्त **तालिका 2.13** से देखा जा सकता है कि राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत, विधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल बजट ₹23,707.99 करोड़ था तथा वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी किया गया वास्तविक बजट ₹19,677.82 करोड़ था। इस प्रकार, ₹4,030.17 करोड़ कम जारी किये गए। इसी प्रकार, पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत बजट ₹8,557.47 करोड़ था तथा बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी किया गया बजट ₹8,400.47 करोड़ था, इस प्रकार ₹157 करोड़ कम जारी किये गए।

विनियोग लेखे 2024–25 के अनुसार, ₹23,707.99 करोड़ (राजस्व) के प्रावधान के विरूद्ध ₹19,662.44 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹4,045.55 करोड़ (17.06 प्रतिशत) अव्ययित रहा। इसके अलावा, ₹8,557.47 करोड़ (पूंजीगत) के प्रावधान के विरूद्ध ₹6,769.56 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹1,787.91 करोड़ (20.89 प्रतिशत) अव्ययित रहा। भारी बचत से संकेत मिलता है कि बजट अनुमान तैयार करते समय बजट नियंत्रण अधिकारियों ने उचित सावधानी नहीं बरती और बजट नियमावली का अनुपालन भी नहीं किया।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया है; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2026)।

इस अनुदान की समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य सामने आये:

2.9.1.2 सारभूत एवं सतत् बचतें

(i) सतत् बचतें

बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के अनुसार, विभागों को वित्तीय वर्ष के दौरान विभागों द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा करके बजट निगरानी करनी चाहिए। ऐसी निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधान सभा द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित राज्य का बजट वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय का एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बना रहे। निगरानी में न केवल चालू वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय को शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि पिछले तीन वर्षों के व्यय आंकड़ों की तुलना और विश्लेषण भी किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 2020–21 से 2024–25 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान, छः योजनाओं में ₹0.33 करोड़ से अधिक की सतत् बचतें हुई, जो संबंधित विनियोग के अंतर्गत कुल बजट आवंटन के 3.24 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि नीचे **तालिका 2.14** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.14: 2024–25 के दौरान सतत् बचतें दर्शाने वाले विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	बचतों की राशि (योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत)					2024–25 के दौरान ऐसे प्रकरण (उद्देश्य शीर्ष) जहां अधितकम बचतें हुयी
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	6929–पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	54.10 (37.31%)	6.17 (3.24)	निरंक	11.52 (50.11%)	निरंक	उपलब्ध नहीं
2	5666–विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विशेष अदालतों का गठन	4.10 (62.27%)	2.79 (36.74%)	3.04 (36.59%)	3.70 (33.32%)	0.33 (3.24%)	012-2045-00-103-9999-5666-V-18-004
3	1284–पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	34.57 (100%)	242.20 (100%)	9.20 (55.99%)	6.38 (100%)	2.55 (100%)	012-6801-00-190-1201-1284-V-67-001
4	7837–15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	उपलब्ध नहीं	5,660.00 (100%)	5,850.00 (100%)	3,000.00 (100%)	7,612.00 (100%)	012-4801-05-190-0101-7837-V-64-002
5	0700–ग्रीन कोरीडोर	निरंक	618.00 (100%)	निरंक	20.00 (100%)	8.00 (100%)	012-6801-00-205-1201-0700-V-67-001
6	9542–रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	225.00 (90%)	2,598.47 (73.69%)	1,229.65 (38.96%)	012-4801-05-190-0702-9542-V-64-002

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारियों के विवरणों से प्राप्त जानकारी

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2024–25 के दौरान बचतें मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग (7837), ग्रीन कॉरिडोर (0700), पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (1284) और रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (9542) जैसी योजनाओं में हुयी। सतत् बचतें कमजोर बजटीय निगरानी या प्रदर्शन में कमी या दोनों को इंगित करती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बजट आवंटन पूर्व वर्षों के व्यय रुझानों पर विचार किए बिना किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप सतत बचतें हुयी।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया है; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2026)।

(ii) योजना में सारभूत बचतें

अनुदान 12 के अंतर्गत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करना और विश्वसनीय एवं सुलभ बिजली आपूर्ति, परिचालन दक्षता और विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 2024–25 के दौरान नौ योजनाओं में ₹5,607.08 करोड़ की सारभूत बचतें हुयी, जिनमें से प्रत्येक योजना में बचतें ₹4.99 करोड़ या उससे अधिक थी, जो कुल बजट आवंटन का 13.58 से 64.40 प्रतिशत तक थी। विवरण नीचे **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15: योजना में सारभूत बचतें

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम एवं संख्या	मूल बजट	अनुपूरक बजट	पुनर्विनियोजन	कुल बजट/ अनुदान	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत
1	4281- संग्रह प्रभार–बिजली शुल्क	38.34	0	0	38.34	27.65	10.69	27.87
2	5666- विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विशेष अदालतों का गठन	9.27	0.77	4.73	14.76	9.77	4.99	33.79
3	5378- अटल गृह ज्योति योजना	3,500.00	1,020.41	2,995.27	7,515.68	6,495.27	1,020.41	13.58
4	5381- अटल कृषि ज्योति योजना	780.00	10,474.57	0	11,254.57	9,262.79	1,991.78	17.70
5	5855- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन का निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	2,300.00	772.17	0	3,072.17	2,300.00	772.17	25.13
6	6929–पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	26.51	0	23.40	49.91	26.91	23.00	46.08
7	7313- टैरिफ अनुदान	440.00	495.72	0	935.72	720.07	215.65	23.05
8	7900- उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	565.00	0	32.71	597.71	212.81	384.89	64.40
9	9542- रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	3,156.00	0	-46.15	3,109.85	1,926.35	1,183.49	38.06
	योग				**26,588.71**	**20,981.63**	**5,607.08**	

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारियों के विवरणों से प्राप्त जानकारी

जैसा कि **तालिका 2.15** में दर्शाया गया है, मुख्य बचतें एस.एस.टी.डी. (7900), पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण (6929) और आर.डी.एस.एस. (9542) योजनाओं के अंतर्गत हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग राज्य में पारेषण/वितरण अवसंरचना के लक्षित निर्माण/सुदृढ़ीकरण को पूर्ण नहीं कर सका।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया है; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2026)।

2.9.1.3 संपूर्ण प्रावधान का अनुपयोग

2024–25 के दौरान, 20 प्रकरणों में, जहां प्रावधान ₹ एक करोड़ या उससे अधिक था, योजनाओं के लिए कुल ₹19,267.03 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें से वित्त विभाग द्वारा जारी ₹8,749.94 करोड़ (45.47 प्रतिशत) का बजट आवंटन का ऊर्जा विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया गया, जैसा कि नीचे **तालिका 2.16** में विस्तृत किया गया है।

तालिका 2.16: प्रावधान का अनुपयोग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना शीर्ष	कुल प्रावधान	बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी राशि	व्यय	बचतें
1	4801-05-190-0101-1937- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण जायका हेतु अंशपूंजी	20.00	20.00	0.00	20.00
2	4801-05-190-0101-7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	2,451.96	2,400.00	0.00	2,451.96
3	4801-05-190-0102-7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	865.04	860.00	0.00	865.04
4	4801-05-190-0103-7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	1,295.00	1,195.00	0.00	1,295.00
5	2801-80-101-0101-7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	1,572.36	1,572.36	0.00	1,572.36
6	2801-80-101-0102-7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	806.13	806.13	0.00	806.13
7	2801-80-101-0103-7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	621.50	621.50	0.00	621.50
8	4801-05-190-0702-9542- रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	348.11	348.11	0.00	348.11
9	4801-05-190-0703-9542- रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	232.07	232.07	0.00	232.07
10	6801-190-0705-9542- रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	33.50	33.50	0.00	33.50
11	6801-190-0706-9542- रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	24.36	24.36	0.00	24.36
12	4801-05-190-1201-0700- ग्रीन कोरीडोर	4.00	4.00	0.00	4.00
13	6801-00-205-1201-0700- ग्रीन कोरीडोर	4.00	4.00	0.00	4.00
14	6801-190-0101-5336- विद्युत गृहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य	27.92	27.92	0.00	27.92
15	6801-190-0101-7900- उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	250.00	250.00	0.00	250.00
16	6801-190-0102-7900- उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	80.00	80.00	0.00	80.00
17	6801-190-0103-7900- उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	85.00	85.00	0.00	85.00
18	6801-190-1201-1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.–3)	1.58	1.58	0.00	1.58
19	6801-205-1201-6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	23.00	23.00	0.00	23.00
20	6801-205-1201-7255- 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	4.41	4.41	0.00	4.41
	योग	**8,749.94**	**8,592.94**	**0.00**	**8,749.94**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारियों के विवरणों से प्राप्त जानकारी

जैसा कि **तालिका 2.16** में दर्शाया गया है, 20 योजनाओं शीर्षों का संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। आगे, यह भी पाया गया कि योजना–7837 (15वें वित्त आयोग के अनुसार आवश्यक सुधार करने हेतु सहायता) के अंतर्गत किया गया प्रावधान अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रावधान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया है; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2026)।

2.9.1.4 अनुपूरक/पुनर्विनियोजन के अनावश्यक प्रावधान

बजट नियमावली खंड–1 की कंड़िकाओं 28.8 और 28.9 के अनुसार, अनुपूरक अनुदानों को तैयार करने और उसका औचित्य सिद्ध करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बजट नियंत्रण अधिकारी की है। अनुपूरक अनुदान या विनियोजन के प्रस्ताव नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किए जाने चाहिए और प्रशासनिक विभाग को इन प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और वित्त विभाग को केवल उन्हीं प्रस्तावों की अनुशंसा करनी चाहिए जो पूर्णतः तर्कसंगत हैं।

हमनें देखा कि वर्ष 2024–25 के दौरान तीन योजनाओं में ₹1,797.58 करोड़ की अनुपूरक/पुनर्विनियोजन राशि अनावश्यक साबित हुई क्योंकि इन योजनाओं में बचतें अनुपूरक प्रावधान/पुनर्विनियोजन के बराबर या उससे अधिक थी, जैसा कि नीचे **तालिका 2.17** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.17: अनावश्यक अनुपूरक/पुनर्विनियोजन प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

योजनाएं	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	कुल	व्यय	बचतें
(5666) विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विशेष अदालतों का गठन	9.27	0.77	4.73	14.77	9.77	5.00
(5378) अटल गृह ज्योति योजना	3,500.00	1,020.41	2,995.27	7,515.68	6,495.27	1,020.41
(5855) म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	2,300.00	772.17	0.00	3,072.17	2,300.00	772.17
योग	**5,809.27**	**1,793.35**	**3,000.00**	**10,602.62**	**8,805.04**	**1,797.58**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारियों एवं बजट पुस्तिकाओं से प्राप्त जानकारी

यह इंगित करता है कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना ही अनुपूरक बजट के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए गए थे। अनावश्यक प्रावधान अनुचित बजटीय प्रक्रिया को दर्शाता है, इसलिए ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित किए जाने चाहिए। आगे, बजट/व्यय के संदर्भ में बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निधियों का पुनर्विनियोजन कठोर एवं सुव्यवस्थित तरीके से किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया है; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2026)।

2.9.1.5 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निधियों का समर्पण न करना

बजट नियंत्रण अधिकारी, मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) और मुख्य विद्युत निरीक्षक (बी.सी.ओ. कोड 1302) द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच से पता चला कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास शेष बजट निर्धारित समय (15 जनवरी से पहले) के भीतर बजट नियंत्रण अधिकारी को समर्पित नहीं किया गया था। विवरण नीचे **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निधियों का समर्पण न करना

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बजट आवंटन 2024–25	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वितरित राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उपयोग की गयी राशि	बजट एवं नियंत्रण अधिकारी के पास शेष बजट	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास शेष बजट
1	(4281) संग्रह प्रभार–बिजली शुल्क	38.14	27.87	27.65	10.26	0.22

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आवंटित बजट ₹38.14 करोड़ में से, बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा केवल ₹27.87 करोड़ ही आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित किये गये।

आगे, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास शेष बजट (₹0.22 करोड़) निर्धारित समय सीमा (15 जनवरी से पहले) के भीतर बजट नियंत्रण अधिकारी को समर्पित नहीं किया गया।

यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है; और उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2026)।

2.9.1.6 बजट का अपर्याप्त निर्गमन

बजट नियमावली की कंड़िकाओं 30.1 और 30.2 के अनुसार, विभाग को वित्तीय वर्ष के दौरान विभागों द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा करके बजट की निगरानी करनी चाहिए। इस निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधान सभा द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित राज्य बजट वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय का एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बना रहे।

हमने देखा कि वर्ष 2024–25 के दौरान, अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत योजना 1436–मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में विधान सभा द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान में ₹30.00 करोड़ की राशि शामिल की गई थी, हालांकि बजट नियंत्रण अधिकारी के विवरणों में इसके अनुरूप कोई अनुमान/आवंटन परिलक्षित नही हुआ।

आगे, यह भी देखा गया कि वर्ष 2024–25 के दौरान, योजना (1216–ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण ₹53.49 करोड़ और 1217–ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण पर ₹22.00 करोड़ का ब्याज) के अंतर्गत, बजट नियंत्रण अधिकारी के विवरणों में राशि ₹75.49 करोड़ दिखाई गई थी, हालांकि ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत बजट में इसके अनुरूप कोई अनुमान/आवंटन परिलक्षित नही हुआ।

यह अप्रभावी बजट निगरानी तथा बजट निर्माण और बजट नियंत्रण अधिकारी के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया है; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2026)।

2.9.1.7 बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनुपयोगी निधियों का समर्पण न करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खंड–1, की कंड़िका 26.9 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी को व्यय की प्रत्याशित बचतों के विवरण को हर वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करना होता है, ताकि संसाधनों का आवंटन वित्त विभाग द्वारा अन्य अनुदानों की मांगो के लिए किया जा सके।

हमने देखा कि वर्ष 2024–25 के दौरान, दो योजनाओं में ₹192.67 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹15.51 करोड (8.05 प्रतिशत) की बचत को 15 जनवरी की तय समय–सीमा के भीतर सरकार को समर्पित

कर देनी चाहिए थी। हालांकि उक्त राशि 2024–25 के दौरान शासन को समर्पित नही की गयी। इसका विवरण नीचे **तालिका 2.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: प्रत्याशित बचतों का तय समय में समर्पण न किया जाना

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	बजट नियंत्रण अधिकारी को आवंटित बजट	बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा व्ययित राशि	बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा समर्पित राशि	शेष बजट	बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अव्ययित राशि का प्रतिशत
1	(4281) संग्रह प्रभार– बिजली शुल्क	38.14	27.65	निरंक	10.49	27.50
2	(5666) विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विशेष अदालतों का गठन	14.79	9.77	निरंक	5.02	33.94
	योग	**52.93**	**37.42**		**15.51**	**29.30**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

आगे, यह भी पाया गया कि बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा समर्पित राशि का विवरण अप्रैल 2025 में तैयार किया गया।

यह इंगित करता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण की वजह से संबंधित वर्ष में निधि का उपयोग अन्य किसी विकास कार्य/ उद्देश्य में नहीं हो सका।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया है; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2026)।

2.9.2 अनुदान संख्या 52–चिकित्सा शिक्षा

लेखापरीक्षा द्वारा (सितम्बर 2025) में अनुदान संख्या 52–चिकित्सा शिक्षा से संबंधित बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय नियंत्रण की समीक्षा चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, भोपाल में की गयी, जो इस अनुदान के लिए बजट नियंत्रण अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

2.9.2.1 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2024–25 के लिए, अनुदान संख्या 52 की बजटीय समीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां देखी गयी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

(i) बजट एवं व्यय का सारांशीकृत स्थिति

बजट नियमावली–1 की कंड़िका बी–5 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी अनुमानों की तैयारी से लेकर महालेखाकार के साथ लेखों के पुनर्मिलान तक बजट चक्र के सभी चरणों में प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग, महालेखाकार और संवितरण अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

विनियोग लेखे एवं बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय अभिलेखों में भिन्नता पायी गयी जैसा कि **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.20: विनियोग लेखे एवं बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय अभिलेखों में अंतर

(₹ करोड़ में)

अनुभाग	महालेखा–कार के अनुसार मूल बजट	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी बजट	व्यय		बचतें	
						बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार	विनियोग लेखों के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार	विनियोग लेखों के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	3,292.11	3,292.03	0	3,292.11	3,157.75	2,507.14	2,508.05	650.61	784.06
राजस्व (भारित)	0.10	0.10	0	0.10	0.10	0	0	0.10	0.10
पूंजीगत (दत्तमत)	1,638.61	1,617.05	0	1,638.61	1,600.85	1,330.84	1,330.84	270.01	307.77
पूंजीगत (भारित)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**4,930.82**	**4,909.18**	**0**	**4,930.82**	**4,758.70**	**3,837.98**	**3,838.89**	**920.72**	**1,091.93**

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25 एवं बजट नियंत्रण अधिकारी के विवरण से प्राप्त जानकारी

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि:

i. विधान सभा द्वारा अनुमोदित बजट ₹4,930.82 करोड़ था, जबकि वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी किया गया वास्तविक बजट ₹4,758.70 करोड़ था। इस प्रकार, विधान सभा द्वारा अनुमोदित वास्तविक बजट की तुलना में बजट नियंत्रण अधिकारी को ₹172.12 करोड़ का कम बजट जारी किया गया।

ii विनियोग लेखे 2024–25 के अनुसार, ₹4,930.82 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध ₹3,838.89 करोड़ का व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप ₹1,091.93 करोड़ (22 प्रतिशत) का प्रावधान अनुप्रयुक्त रहा। इसके कारण बजट की बड़ी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि महालेखाकार एवं बजट नियंत्रण अधिकारी के मूल बजट आंकड़ो में ₹21.64 करोड़ (₹4,930.82 करोड़ – ₹4,909.18 करोड़) एवं महालेखाकार एवं बजट नियंत्रण अधिकारी के व्यय आंकड़ो में ₹0.91 करोड़ (₹3,838.89 करोड़ –₹3,837.98 करोड़) का अंतर है।

उत्तर में, विभाग द्वारा बताया गया कि विभागीय आवंटन प्रारंभ में 10–20 प्रतिशत कम किया गया, एवं व्यय के आवंटित सीमा पार करने उपरांत ही बकाया निधि जारी की जानी थी। चूँकि वास्तविक व्यय आवंटित बजट से कम था, वित्त विभाग द्वारा बकाया निधि जारी नहीं की गयी, जिससे आवंटन प्रावधान से कम प्रतीत हुआ। इसके अलावा, अंतरों को दूर करने हेतु भविष्य में विभागीय आंकडें एवं महालेखाकार के आंकड़ों का पुनर्मिलान किया जावेगा।

जबाव में आवंटन में कटौती एवं व्यय का बजट आवंटन के अनुरूप न होने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। साथ ही, यदि बजट नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय ने महालेखाकार कार्यालय के व्यय के आंकड़ों के साथ समय पर मिलान कर लिया होता तो अंतर से बचा जा सकता था।

2.9.2.2 सारभूत एवं सतत् बचतें

(i) सतत् बचतें:

बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के अनुसार, विभागों को वित्तीय वर्ष के दौरान विभागों द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा करके बजट निगरानी करनी चाहिए। ऐसी निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधान सभा द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित राज्य का बजट वित्तीय वर्ष के दौरान

किए गए वास्तविक व्यय का एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बना रहे। निगरानी में न केवल चालू वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय को शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि पिछले तीन वर्षों के व्यय आंकड़ों की तुलना और विश्लेषण भी किया जाना चाहिए।

हमनें देखा कि 2022–23 से 2024–25 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान, नौ योजनाओं में ₹ एक करोड़ से अधिक की सतत् बचतें हुई, जो संबंधित विनियोग के अंतर्गत कुल बजट आवंटन के दो प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि नीचे **तालिका 2.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.21: 2022–25 के दौरान सतत् बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजना का नाम	बचतों की राशि (योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत)			2024–25 के दौरान ऐसे प्रकरण (उद्देश्य शीर्ष) जहां अधितकम बचतें हुयी
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**	
1	2210-01-110-0101-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	33.83 (4)	92.49 (8)	389.91 (25)	11-वेतन, भत्ते
2	2210-01-110-0102-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	7.37 (3)	18.93 (6)	105.33 (24)	31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ 34-सामग्री एवं पूर्तियाँ 42-सहायक अनुदान
3	2210-01-110-0103-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	10.61 (4)	4.50 (2)	32.64 (9)	31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ 34-सामग्री एवं पूर्तियाँ 42-सहायक अनुदान
4	2210-01-110-0101-9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	4.59 (38)	4.25 (35)	6.00 (62)	33-अनुरक्षण कार्य
5	4210-03-105-0704-1210-स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	1.00 (9)	27.42 (82)	33.60 (100)	63-मशीनें
6	2210-05-105-0701-1211-पी.एम.एस. एस.वाय. के अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	2.09 (52)	1.89 (37)	7.61 (58)	31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ 34-सामग्री एवं पूर्तियाँ
7	2210-05-105-0704-1211- पी.एम.एस. एस. वाय. के अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	2.33 (87)	17.24 (76)	5.03 (59)	31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ 34-सामग्री एवं पूर्तियाँ
8	2210-05-105-1355-चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	2.63 (34)	2.98 (9)	44.56 (34)	11-वेतन, भत्ते 22-कार्यालय व्यय 31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ 34-सामग्री एवं पूर्तियाँ
9	4210-03-105-0101-6335-चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन	1.36 (14)	6.14 (34)	2.11 (14)	63-मशीनें

स्रोत: व्ही.एल.सी. आंकड़े एवं विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2024–25 के दौरान बचतें मुख्यतः वेतन, भत्ते, सामग्री एवं पूर्तियाँ एवं मशीनों की गतिविधियों में हुयी। सतत् बचतें कमजोर बजटीय निगरानी या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है। ये यह भी दिखाता है कि पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्ति को देखे बिना ही बजट आवंटन कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप सतत् बचतें हुयी।

विभाग ने उत्तर दिया कि बजट प्रावधान आपेक्षित नए पदों की भर्ती के आधार पर बनाये गए थे; परन्तु पदों के खाली रहने से आवंटित बजट का उपयोग नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि भविष्य में बजट प्रावधान उन योजना शीर्ष को ध्यान में रखकर तैयार किए जायेंगे, जिनमें बचतें संभावित है।

इस प्रकार, उत्तर यह इंगित करता है कि योजनाओं के लिए बजट आवंटन नए पदों को भरने की प्रत्याशा में किया जा रहा है। इसके अलावा, इसमें रख–रखाव और मशीनरी शीर्ष के अंतर्गत हुये बचतों के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

(ii) सारभूत बचतें

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और मौजूदा चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों को सुदृढ़ करके राज्य के लोगों को सर्वोत्तम तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना था। राज्य विधानसभा द्वारा स्वीकृत विनियोग की तुलना में बजट शीर्षों में सारभूत बचतों के कारण सरकार का राज्य के लोगों को सर्वोत्तम तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य विफल हो गया।

हमने पाया कि 15 योजनाओं में ₹1,074.51 करोड़ की सारभूत बचतें हुयी, जहां बचत ₹20 करोड़ या अधिक थी, जो 2024–25 के दौरान कुल बजट आवंटन के नौ प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक थी, जैसा कि नीचे **तालिका 2.22** में वर्णित है:

तालिका 2.22: 2024–25 के दौरान सारभूत बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना शीर्ष	पुनर्विनियोजन (+या–)	कुल बजट	व्यय	बचतें	बचत (प्रतिशत में)	ऐसे प्रकरण (उद्देश्य शीर्ष) जहां अधितकम बचतें हुयी
1	2210-01-110-0101-1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	(-) 47.12	1,549.77	1,159.86	389.91	25	42-सहायक अनुदान
2	2210-01-110-0102-1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	(+) 0.10	440.49	335.16	105.33	24	42-सहायक अनुदान
3	2210-01-110-0103-1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	-	381.47	348.83	32.64	9	42-सहायक अनुदान
4	2210-05-796-105-0101-1542- पी.एम.एस.एस. वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना; (राज्य सहायित)	-	105.86	43.29	62.57	59	34-सामग्री एवं पूर्तियाँ
5	2210-05-105-0101-9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	(+) 0.20	415.20	347.13	68.07	16	41- छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां
6	2210-05-105-0102-9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	(-) 9.00	55.40	32.94	22.46	41	31- व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ
7	2210-05-105-1355- चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	(+) 30.06	130.41	85.85	44.56	34	31- व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ

स. क्र.	योजना शीर्ष	पुनर्विनियोजन (+या–)	कुल बजट	व्यय	बचतें	बचत (प्रतिशत में)	ऐसे प्रकरण (उद्देश्य शीर्ष) जहां अधितकम बचतें हुयी
8	4210-03-105-0701-1210-स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	-	50.40	-	50.40	100	63-मशीनें
9	4210-03-105-0702-7853-नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	-	73.00	16.32	56.68	78	64-वृहद् निर्माण कार्य
10	4210-03-105-0703-7853-नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	-	48.00	27.68	20.32	42	64-वृहद् निर्माण कार्य
11	4210-03-105-0704-1210-स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	-	33.60	-	33.60	100	63-मशीनें
12	4210-03-105-0704-2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	-	46.97	-	46.97	100	63-मशीनें
13	4210-03-105-0704-6460-चिकित्सा महाविद्यालय में पी. जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	(-) 83.33	71.86	-	71.86	100	63-मशीनें
14	4210-03-105-0705-6460-चिकित्सा महाविद्यालय में पी. जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	-	34.79	-	34.79	100	63-मशीनें
15	4210-03-105-0705-7853-नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	(-) 5.30	43.70	9.36	34.34	79	64-वृहद् निर्माण कार्य
	योग		**3,480.92**	**2,406.42**	**1,074.51**		

स्रोतः व्ही.एल.सी. आंकड़े एवं विनियोग लेखे

विभाग ने उत्तर दिया कि बचत निर्माण कार्यों की अनुमोदन प्रक्रियाओं में देरी, छात्रवृत्तियों और व्यवसायिक सेवाओं की कम मांग, तथा मशीनरी और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया की सुस्ती के कारण हुयी।

इस प्रकार, उत्तर से पता चलता है कि विभाग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बजट प्रावधानों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को अनुकूलित करने में असफल रहा।

2.9.2.3 तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खंड–1 (भाग–ब) की कंडिकाओं ब–7 और 8 के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी उनके अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को एकत्र करने के साथ–साथ आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान संभावित बजटेत्तर निधि के अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं एवं विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाले व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए, बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए सभी अनुमानों को एकत्र करना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा नें पाया गया कि बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय, बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने से पहले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से जानकारी एकत्रित नहीं की गई थी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आवंटित ₹4,758.69 करोड़ के विरूद्ध ₹3,835.79 करोड़ का व्यय किया, जो इंगित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किये बिना ही बजट अनुमान तैयार किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप निधि का अवरोध और उक्त प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

विभाग ने उत्तर दिया कि बचतें केन्द्रांश का जारी न होना, दवाओं, उपभोग सामग्रियों, मशीनरी, उपकरण और निर्माण कार्यों पर कम व्यय और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में रिक्तियों के कारण हुई थी।

यह उत्तर इंगित करता है कि बजट अनुमान तैयार करते समय विभाग ने केन्द्रांश की उपलब्धता, वास्तविक व्यय आवश्यकताओं और मौजूदा रिक्तियों पर ठीक से विचार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप वृहद् बचतें हुयी।

(i) विभिन्न बजट शीर्षों के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना

2024–25 के दौरान, 33 प्रकरणों में, जहां प्रावधान ₹ एक करोड़ या उससे अधिक था, पुनर्विनियोजन के बाद योजनाओं का संपूर्ण प्रावधान वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त रहा, जैसा कि निम्न **तालिका 2.23** में वर्णित है:

तालिका 2.23: वर्ष 2024–25 के दौरान बजट के कम उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	मूल बजट	पुनर्विनियोजन (+या–)	कुल अनुदान	व्यय	बचतें
1	4210-03-105-0101-7280-मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन	7.00	0	7.00	0	7.00
2	4210-03-105-0701-1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	9.15	0	9.15	0	9.15
3	4210-03-105-0705-1210- स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	50.40	0	50.40	0	50.40
4	4210-03-105-0701-1211- पी.एम.एस.एस. वाय. के अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	19.20	0	19.20	0	19.20
5	4210-03-105-0701-2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	10.98	0	10.98	0	10.98
6	4210-03-105-0701-2064-टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	14.83	0	14.83	0	14.83
7	4210-03-105-0701-5388-अलाइड हेल्थ सेण्टर	5.00	0	5.00	0	5.00
8	4210-03-105-0701-7280-मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन	7.93	0	7.93	0	7.93
9	4210-03-105-0702-1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	3.45	0	3.45	0	3.45
10	4210-03-105-0702-2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	14.14	0	14.14	0	14.14
11	4210-03-105-0702-2064-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	4.83	0	4.83	0	4.83
12	4210-03-105-0702-7280-मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन	2.99	0	2.99	0	2.99
13	4210-03-105-0703-1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	2.40	0	2.40	0	2.40
14	4210-03-105-0703-2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	12.88	0	12.88	0	12.88
15	4210-03-105-0703-2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	3.36	0	3.36	0	3.36
16	4210-03-105-0703-7280-मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन	2.08	0	2.08	0	2.08
17	4210-03-105-0705-1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	6.10	0	6.10	0	6.10
18	4210-03-105-0704-1210- स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	33.60	0	33.60	0	33.60
19	4210-03-105-0704-1211- पी.एम.एस.एस. वाय. के अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	7.80	0	7.80	0	7.80
20	4210-03-105-0704-2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	46.97	0	46.97	0	46.97
21	4210-03-105-0704-2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	9.89	0	9.89	0	9.89
22	4210-03-105-0704-6460-चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	155.19	(-)83.33	71.86	0	71.86

स. क्र.	योजना का नाम	मूल बजट	पुनर्विनियोजन (+या–)	कुल अनुदान	व्यय	बचतें
23	4210-03-105-0704-9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	73.40	(-)72.39	1.00	0	1.00
24	4210-03-105-0705-1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	2.30	0	2.30	0	2.30
25	4210-03-105-0705-2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	17.79	0	17.79	0	17.79
26	4210-03-105-0705-2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	3.22	0	3.22	0	3.22
27	4210-03-105-705-6460-चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	34.79	0	34.79	0	34.79
28	4210-03-105-0705-9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	5.25	0	5.25	0	5.25
29	4210-03-105-0706-1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	1.60	0	1.60	0	1.60
30	4210-03-105-0701-2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	12.32	0	12.32	0	12.32
31	4210-03-105-0706-2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	2.24	0	2.24	0	2.24
32	4210-03-105-0706-6460-चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	10.85	0	10.85	0	10.85
33	4210-03-105-0706-9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	9.06	0	9.06	0	9.06
	योग	**602.99**	**(-)155.72**	**447.27**	**0**	**447.27**

स्रोतः व्ही.एल.सी. आंकड़े एवं विनियोग लेखे

इस प्रकार, राज्य विधानसभा द्वारा स्वीकृत कुल बजट प्रावधान ₹602.99 करोड़ के विरूद्ध, बजट नियंत्रण अधिकारी ने बजट में कटौती करके ₹155.72 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया, हालांकि, 33 योजनाओं का पूरा उपलब्ध बजट ₹447.27 करोड़ उपयोग नहीं किया गया।

विभाग ने उत्तर दिया कि बजट प्रावधान और आवंटन किये जाने के बावजूद, केंद्रांश जारी नहीं किया गया, जिसके कारण राज्यांश भी जारी नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, इन आवंटनों के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया।

इस प्रकार, यह तथ्य बना हुआ है कि योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवंटित बजट को योजना के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया जा सका और इच्छित कार्य अधूरे रह गए।

(ii) पुनर्विनियोजन द्वारा अनावश्यक वृद्धि

बजट नियमावली की कंड़िका बी–13 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान, बजट नियंत्रण अधिकारी पुनर्विनियोजन और अनुपूरक अनुदान के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

बजटीय प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि चार योजना शीर्षों के प्रकरणों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियों में की गयी वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुयी, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट से कम रहा, जैसा कि नीचे **तालिका 2.24** में वर्णित है:

तालिका 2.24: पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	मूल बजट	पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें
1	2210-01-110-0102-1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	440.39	0.10	440.49	335.16	105.33
2	2210-05-105-0101-9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	415.00	0.20	415.20	347.13	68.07
3	2210-05-105-0101-1355- चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	100.35	30.06	130.41	85.85	44.56
4	2210-05-105-1915- दन्त महाविद्यालय	37.00	10.22	47.22	35.81	11.41
	योग	**992.74**	**40.58**	**1,033.32**	**803.95**	**229.37**

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मूल बजट में ₹40.58 करोड़ की वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई, क्योंकि ₹803.95 करोड़ का वास्तविक व्यय ₹992.74 करोड़ के मूल बजट प्रावधान से कम रहा।

विभाग ने उत्तर में बताया कि संबंधित बजट शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय की संभावना को ध्यान में रखते हुए पुनर्विनियोजन किया गया था; किन्तु व्यय की मांग अपेक्षाकृत कम रहने के कारण वास्तविक व्यय मूल बजट से कम रहा।

इस प्रकार, विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि योजना शीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन करते समय व्यय का आंकलन उपयुक्त रूप से नहीं किया गया था।

2.9.2.4 निर्धारित समय में अनुमानित बचत समर्पित न करना

बजट नियमावली की कंडिका बी–29 में यह निर्दिष्ट है कि यदि प्रशासनिक विभाग को बचत की संभावना का अनुमान हो, तो उसे वित्त विभाग को समर्पित किया जाना चाहिए। ऐसी कार्यवाही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 जनवरी तक की जानी चाहिए, ताकि वित्त विभाग द्वारा इन संसाधनों को अन्य अनुदानों की मांगों के लिए आवंटित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग के आदेश (जुलाई 2021) की कंडिका 6.1 में भी इन निर्देशों को पुनः दोहराया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान अव्ययित बजट/बचत की स्थिति नीचे **तालिका 2.25** में दी गई है:

तालिका 2.25: 2024–25 के दौरान अव्ययित बजट/बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुभाग	कुल प्रावधान या अनुदान	वर्ष के अंत में अव्ययित बजट/बचत	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार समर्पित बजट	महालेखाकार के विनियोग लेखों के अनुसार समर्पित बजट
राजस्व (भारित)	0.10	0.10	0	0
राजस्व (दत्तमत)	3,292.11	784.06	657.54	0
पूंजीगत (भारित)	0	0	0	0
पूंजीगत (दत्तमत)	1,638.61	307.77	222.44	0
योग	**4,930.82**	**1,091.93**	**879.98**	**0**

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25 एवं बजट नियंत्रण अधिकारी के विवरण से प्राप्त जानकारी

2024–25 के विनियोग लेखों के अनुसार ₹4,930.82 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹1,091.93 करोड़ की बचतें हुयी। हालांकि, बचत के समर्पण से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया

गया कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बचत राशि का समर्पण नही किया गया तथा विभिन्न बजट शीर्षों के अंतर्गत ₹879.98 करोड़ की बड़ी राशि की बचत 31 मार्च 2025 को समर्पित की गयी, जिससे वित्त विभाग को अन्य विकास कार्यक्रमों हेतु इन निधियों के उपयोग का कोई अवसर नहीं मिल सका।

विभाग ने उत्तर में बताया कि 31 मार्च से पूर्व बजट प्रावधानों के उपयोग हेतु सभी संभव प्रयास किए गए थे। हालांकि वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बजट प्रावधानों में कमी की गयी। तत्पश्चात जब निधियों का पुनर्आवंटन किया गया, तो आहरण की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने में हुयी देरी के कारण अनिश्चितता उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप बजट प्रावधानों का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, निर्माण एजेंसियों तथा औषधि, उपभोग्य सामग्री एवं मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब तथा अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा देयकों की विलंबित प्रस्तुति के कारण भी बचत समय पर समर्पित नहीं की जा सकी।

विभाग का उत्तर इंगित करता है कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बजट प्रावधानों के अनुरूप गतिविधियों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बजट की बचत का समर्पण किये जाने से वित्त विभाग द्वारा अन्य विभागों अथवा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निधियों के प्रभावी पुनर्आवंटन से वंचित रह गया।

2.9.2.5 वर्तमान वर्ष के बजट प्रावधान से पूर्व वर्षों से संबंधित व्यय का भुगतान

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता, खंड–1 के नियम 14 के अनुसार, किसी भी व्यय का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए जिसमें वह व्यय किया गया हो तथा उसे आगामी वर्ष के विनियोग से भुगतान हेतु अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो व्यय को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि नये बजट में प्रावधान न कर दिया जाये तथा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त न हो जाये। किन्तु किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष में किए गए व्यय को किसी अन्य वर्ष के विनियोग पर वहन नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न बजट शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त बजट की मांग इस उद्देश्य से की गई कि वे पूर्व वर्षों (2021–22 से 2023–24) की लंबित देयताओं का भुगतान कर सकें। परिणामस्वरूप, बजट नियंत्रण अधिकारी ने उन्हें वर्तमान वर्ष (2024–25) के बजट आवंटन से पूर्व वर्षों की लंबित देयताओं का भुगतान करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार कुल ₹1.91 करोड़ का आवंटन किया गया।

पूर्व वर्षों की लंबित देयताओं के भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षों में अतिरिक्त बजट का आवंटन मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के प्रावधानों के विपरीत था।

विभाग ने उत्तर में बताया कि अधीनस्थ संस्थाओं के अनुरोध पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट आवंटन से पूर्व वर्षों की लंबित देयताओं का भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गयी, ताकि बकाया देयकों का भुगतान किया जा सके। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में सभी अधीनस्थ संस्थाओं को निर्देशित किया जाएगा कि वे इस प्रकार के भुगतान वर्तमान वर्ष के बजट से न करें।

विभाग का उत्तर स्वयं यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों के विपरीत पूर्व वर्षों की देयताओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट से वहन किया गया।

2.9.2.6 व्यय की अत्यधिकता

बजट नियमावली, खंड–1, अध्याय–26, कंडिका 26.13 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को व्यय की गति इस प्रकार विनियमित करनी चाहिए कि वह पूरे वित्तीय वर्ष में संतुलित रूप से वितरित रहे। नियमावली में विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अत्यधिकता को हतोत्साहित किया गया है, क्योंकि यह कमजोर वित्तीय नियोजन को दर्शाता है तथा इससे अनुत्पादक या अनियमित व्यय की संभावना बढ़ जाती है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि व्यय का स्वरूप असंतुलित था तथा अंतिम तिमाही, विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में, अनुपातहीन रूप से अधिक व्यय किया गया। यह प्रवृत्ति बजट नियमावली में निर्धारित अनुपातिक व्यय वितरण के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसे व्यय का विवरण नीचे **तालिका 2.26** में दिया गया है:

तालिका 2.26: 2024–25 के दौरान अंतिम माहों में किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	माह	माह में किया गया व्यय	क्रमिक/संचयी व्यय
1	अप्रैल–24	215.67	215.67
2	मई–24	239.51	455.18
3	जून–24	206.86	662.04
4	जुलाई–24	242.04	904.08
5	अगस्त–24	336.14	1,240.22
6	सितम्बर–24	464.64	1,704.86
7	अक्टूबर–24	339.73	2,044.59
8	नवम्बर–24	293.71	2,338.31
9	दिसम्बर–24	264.18	2,602.49
10	जनवरी–25	213.08	2,815.57
11	फरवरी–25	253.27	3,068.84
12	मार्च–25	770.05	3,838.89
	योग	**3,838.89**	
	जनवरी–25	213.08	
	फरवरी–25	253.27	
	मार्च–25	770.05	
योग		**1,236.40**	पिछले तीन महीनों में किया गया व्यय – 32.21%
	मार्च–25	**77.05**	मार्च 2025 में किया गया व्यय – **20.06%**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश, ग्वालियर के व्ही.एल.सी. आंकड़े

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में कुल व्यय का 32.21 प्रतिशत तथा केवल मार्च 2025 में 20.06 प्रतिशत व्यय किया गया, जो बजट नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों के प्रतिकूल व्यय की अत्यधिकता को दर्शाता है।

विभाग ने उत्तर में बताया कि वित्त विभाग द्वारा मासिक आहरण पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वर्ष की प्रारंभिक तिमाहियों में निधियों का उपयोग सीमित रहा, अव्ययित राशि अंतिम तिमाही अथवा अंतिम माह में जारी की गयी जिसके परिणामस्वरूप उस अवधि में व्यय अपेक्षाकृत अधिक हो गया।

तथ्य यह है कि पूरे वर्ष के दौरान व्यय का स्वरूप संतुलित एवं नियमित रूप से बनाए नहीं रखा गया, जो बजट नियमावली में निर्धारित दिशा–निर्देशों के विपरीत है।

2.9.2.7 सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श मॉडल के माध्यम से केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की निधियों को शामिल करना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जून 2021 में केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की निधियों को राज्यों को जारी करने तथा उनके उपयोग की निगरानी के संबंध में निर्देश जारी किये गये। इस संबंध में यह निर्देश दिया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के लिए एक सिंगल नोडल एजेंसी नामित की जानी है। प्रत्येक सिंगल नोडल एजेंसी को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में पंजीकृत किया जाना है तथा प्रत्येक सिंगल नोडल एजेंसी का बैंक खाता भी खोलना एवं प्रतिचित्रित किया जाना है।

अनुदान क्रमांक 52 के अंतर्गत विभाग में 2024–25 के दौरान 10 केंद्रीय प्रवर्तित योजनायें संचालित की गईं थी, जिनका विवरण नीचे **तालिका 2.27** में दिया गया है:

तालिका 2.27: केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का विवरण

स.क्र.	योजनाओं का नाम
1.	2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि
2.	6460- चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण
3.	9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय
4.	1210- स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना
5.	2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर
6.	1946- बर्न यूनिट की स्थापना
7	7853- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
8	5388- अलाइड हेल्थ सेण्टर
9	1211- पी.एम.एस.एस.वाय. के अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना
10	1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के सत्यापन के दौरान निम्न कमियां पायी गयी:

(i) उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करना

बजट प्रावधानों एवं आवंटन से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों के संबंध में भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने की जानकारी मांगी गई। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह उजागर हुआ कि वित्तीय वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 के लिए कोई भी उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत जारी निधियों के उपयोग की सीमा का सत्यापन लेखापरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका।

(ii) भारत सरकार की समेकित निधि में अव्ययित शेष राशि वापिस न किया जाना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जनवरी 2024 में निर्देश जारी किये गये कि किसी योजना को सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किए जाने के उपरांत राज्य सरकार उस योजना से संबंधित सभी सिंगल नोडल एजेंसी खातों को बंद करेगी तथा इन खातों में उपलब्ध अव्ययित केन्द्रांश को भारत सरकार की समेकित निधि में वापस जमा करेगी। इसी प्रकार, सिंगल नोडल एजेंसी खातों में उपलब्ध राज्यांश की अव्ययित राशि को राज्य की समेकित निधि में वापस जमा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 10 केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में से केवल एक सिंगल नोडल एजेंसी (योजना 7853–नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना) को पूर्णतः बंद किया गया था, जबकि सात

सिंगल नोडल एजेंसियों के बैंक विवरण प्रस्तुत किये गये। इन बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि की स्थिति नीचे **तालिका 2.28** में दी गयी है:

तलिका 2.28: एस.एन.ए. खाते में पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि का विवरण

स. क्र.	योजनाओं का नाम	बैंक खाता क्रमांक	बैंक का नाम	23 मई 2025 को बैंक में जमा राशि (₹)
1	2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	59160100001205	बैंक ऑफ बड़ौदा	69,78,76,344
2	6460- चिकित्सा महाविद्यालय में पी. जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	59160100001203	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,71,52,06,043
3	9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	59160100001202	बैंक ऑफ बड़ौदा	14
4	1210- स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	59160100001208	बैंक ऑफ बड़ौदा	40,14,24,712
5	2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	59160100001204	बैंक ऑफ बड़ौदा	27,93,11,370
6	1946- बर्न यूनिट की स्थापना	59160100001206	बैंक ऑफ बड़ौदा	3,33,58,371
7	5388- अलाइड हेल्थ सेंटर	59160100001207	बैंक ऑफ बड़ौदा	1
			योग	**3,12,71,76,855**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त जानकारी

इस प्रकार, बैंक खातों में ₹312.72 करोड़ की अव्ययित राशि शेष रह गयी और भारत की समेकित निधि में वापस नहीं की गयी।

(iii) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में कम राज्यांश जारी करना

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश के आवंटन की जांच के दौरान यह पाया गया कि चार केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में, राज्यांश केन्द्रांश की तुलना में ₹4.84 करोड़ कम जारी किया गया।

विभाग ने बताया कि इन सिंगल नोडल एजेन्सी खातों को बंद करने का कार्य अभी प्रक्रियाधीन है एवं इन खातों में जमा निधि को निर्धारित अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अंतरित किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि भविष्य में होने वाले अंतरण सिंगल नोडल एजेन्सी–स्पर्श योजना के अंतर्गत केन्द्रीय कोषालय के द्वारा किया जायेंगें।

यद्यपि यह तथ्य अभी तक है कि सभी सिंगल नोडल एजेन्सी खातें अभी तक बंद नहीं किये गये और बकाया निधियां राज्य एवं केन्द्र की समेकित निधियों में लागू अनुपातानुसार अंतरित नहीं की गयी।

2.9.2.8 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित बजट वितरित न किये जाने के कारण हुई बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंड़िका बी–12 के अनुसार, राज्य विधान सभा द्वारा स्वीकृत बजटीय आवंटनों को बजट नियंत्रण अधिकारियों को सूचित कर दिये जाते है, तो उनके अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निधियों का वितरण करना उनकी जिम्मेदारी होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बजट नियंत्रण अधिकारी ने वर्ष 2024–25 के दौरान सात योजनाओं के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निधि का वितरण नहीं किया, जिनमें प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का प्रावधान था। परिणामस्वरूप, ₹34.16 करोड़ का बजट अनुपयोगी रह गया जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.29** में दिया गया है:

तालिका 2.29: बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निधियों का वितरण न किये जाने का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बजट शीर्ष	योजना का नाम	वितरण हेतु बजट नियंत्रण अधिकारी के पास उपलब्ध बजट	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बजट वितरण	व्यय	बजट नियंत्रण अधिकारी के पास शेष बजट
1	052-2210-01-110-0103-6105-V-34-002	(6105) पेंशनर्स को दवाईयों की सुविधा	0.32	0.17	0.17	0.15
2	052-2210-05-105-0101-1542-V-31-005	(1542) पी.एम.एस.एस. वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना; (राज्य सहायित)	7.40	4.94	4.94	2.45
3	052-2210-05-105-0101-1542-V-31-006	(1542) पी.एम.एस.एस. वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना; (राज्य सहायित)	10.97	10.23	10.23	0.74
4	052-2210-05-105-0101-1542-V-34-009	(1542) पी.एम.एस.एस. वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना; (राज्य सहायित)	1.06	0.87	0.87	0.19
5	052-2210-05-105-0101-6458-V-22-004	(6458) चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलॉजी लैब की स्थापना (13वां वित्त आयोग)	0.10	0.00	0.00	0.10
6	052-4210-03-105-0101-5402-V-64-001	(5402) छिंदवाडा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस	196.70	168.14	168.14	28.56
7	052-4210-03-105-0703-7853-V-64-001	(7853) नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	29.65	27.68	27.68	1.97
		योग	**246.20**	**212.03**	**212.03**	**34.16**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

विभाग ने उत्तर दिया कि दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और निर्माण कार्यों की खरीद से संबंधित भुगतान की मांग प्राप्त न होने के कारण यह बचतें हुयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ इकाईयों को समय पर निधियों का वितरण किया जाता तो इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय संभंव हो पाता, जिससे ऐसी बचतों से बचा जा सकता था।

2.9.2.9 असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों को बंद न किया जाना

व्यक्तिगत जमा खातों का संचालन और अनुरक्षण मध्य प्रदेश कोषालय संहिता, खण्ड–I के सहायक नियम 542 और 543 द्वारा नियंत्रित होता है। इन प्रावधानों के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खाता केवल सरकार की पूर्व स्वीकृति से, महालेखाकार से परामर्श के बाद ही खोला जाएगा, और तभी जब सरकार संतुष्ट हो कि उचित प्रारंभिक लेखें संधारित किए जाएंगे और तत्संबंधी लेखापरीक्षा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, नियमों में यह प्रावधान है कि यदि व्यक्तिगत जमा खाता लगातार तीन वर्षों तक असंचालित रहता है, तो कोषालय अधिकारी, खातों के प्रशासक को एक लिखित सूचना जारी करेगा, जिसमें एक महीने के भीतर यह स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि अप्रयुक्त शेष राशि को क्यों न सरकारी राजस्व जमा में हस्तांतरित किया जाए।

शीर्ष 8443 (सिविल जमा) के अंतर्गत रखे गए निधियों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि व्यक्तिगत जमा खाता संख्या 31 का संचालन चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा कोषालय में स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों से एकत्रित प्रवेश शुल्क की प्राप्ति और भुगतान के लिए किया जा रहा था। हालांकि, यह खाता 15 सितंबर, 2022 से असंचालित है, पिछले तीन वर्षों से इसमें कोई लेन–देन दर्ज नहीं हुआ है, और नियमों के अनुसार ₹36.78 करोड़ की अव्ययित शेष को राज्य की समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया है।

विभाग ने उत्तर दिया कि व्यक्तिगत जमा खाते को बंद करने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है।

2.10 निष्कर्ष

वर्ष 2024–25 के दौरान कुल ₹4,06,734.33 करोड़ के बजट प्रावधान में से 57 अनुदानों और दो विनियोगों पर ₹3,55,885.58 करोड़ खर्च किए गए, जिससे ₹50,848.76 करोड़ की बचतें हुई।

पिछले चार वर्षों (2021–25) के दौरान, बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन बजट के उपयोग का प्रतिशत कभी भी 90 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा, जो बजटीय प्रावधानों के लगातार अधिक अनुमान और बजट के क्रियान्वयन और निगरानी पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ₹20,620.16 करोड़ वापस किये, जिससे इन निधियों को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं बची।

वित्त विभाग के समक्ष इस मुद्दे को कई बार उठाने और राज्य शासन के वित्त पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में उल्लेख करने के बावजूद, सरकार ने ₹2,004.48 करोड़ के राजस्व व्यय को पूंजीगत अनुभाग में गलत तरीके से वर्गीकृत करना जारी रखा, जिससे राजस्व अधिशेष और अन्य राजकोषीय मापदंड प्रभावित हुए।

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹32,252.05 करोड़ के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 13 अनुदानों पर खर्च किया गया, जो व्यय अनुशासन की कमी को दर्शाता है और अनुत्पादक एवं जल्दबाजी में किये गये व्यय के जोखिम को बढ़ाता है।

2.11 अच्छी प्रथाएं

- मूल बजट के विरूद्ध अनुपूरक बजट का प्रतिशत 2023–24 में 18.46 प्रतिशत से घटकर 2024–25 में 11.41 प्रतिशत हो गया, जो मूल बजट निर्माण में सुधार को दर्शाता है।
- इसके अलावा, कुल बजट के विरूद्ध समग्र बचत का प्रतिशत, जो 2020–21 में 9.73 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 18.26 प्रतिशत हो गया था, 2024–25 में घटकर 12.50 प्रतिशत हो गया है, जो 2024–25 में बजटीय व्यय के क्रियान्वयन में सुधार को प्रदर्शित करता है।
- वर्ष 2024–25 में आहरित कुल ₹12.60 करोड़ की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति, साथ ही पिछले वर्ष की अप्राप्त ₹15.00 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति, मध्य प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1957 के अनुपालन को दर्शाती है।

2.12 अनुशंसाएं

- बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखे तैयार करने के लिए, आवंटन एवं व्यय में अंतर की व्याख्या करने की जिम्मेदारी के प्रति नियंत्रण अधिकारियों को जागरूक किया जाना आवश्यक है।

- अनुदान/विनियोग में बड़ी बचतों को नियंत्रित करने और अपेक्षित बचत की पहचान करके निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे वापस लेने के लिए, बजट कार्यान्वयन के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- अनुदान और अन्य व्यय को संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकृत करने से संबंधित भारतीय शासकीय लेखांकन मानक–2 का अनुपालन करने के लिए राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत/आधिक्य व्यय को कम करने के लिए कुशल नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- विधानसभा द्वारा अनुमोदित अनुदानों से अधिक व्यय विधान सभा की इच्छा का उल्लंघन है। इसलिए, इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए और जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले विभिन्न योजनाओं में अनुपूरक अनुदानों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करना चाहिए, ताकि इसका प्रभावी उपयोग अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में किया जा सके।
- राज्य सरकार को विनियोग/पुनर्विनियोजन के चरण में निधियों की आवश्यकता का उचित विश्लेषण करना चाहिए, ताकि बचत/समर्पण से बचा जा सके और राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के लिए बाहरी ऋणों पर निर्भरता कम की जा सके।

अध्याय **III**
वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

अध्याय–III: वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विवरण देता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की पूर्णता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदनों में प्रस्तुत सूचना की प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

लेखों की पूर्णतः से संबंधित मुददे

3.1 राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों द्वारा बजटेत्तर उधारियां

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार, यदि किसी राज्य सरकार के पास भारत सरकार से कोई बकाया ऋण या प्रत्याभूति है, तो उसके ऋण लेने के लिए भारत सरकार की सहमति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि 2023–24 से 2025–26 की अवधि के लिए राज्य सरकारों के लिए सामान्य निवल उधार सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक सीमित किया जाए, जिसमें वर्ष 2024–25 के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार से जुड़ा 0.50 प्रतिशत एवं पूंजीगत निवेश कार्यों के लिए 0.62 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार की गुंजाइश थी, जिससे कुल उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.12 प्रतिशत तक सीमित हो जाए।

राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित निवल उधार सीमा को दरकिनार करते हुए, विभिन्न राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से बजट से बाहर ऋण लेना, जबकि ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, सरकारी वित्त की स्थिति और पारदर्शिता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिए एक वित्तीय वर्ष में उधार लेने की सीमा को बजटेत्तर उधारियों की सीमा तक कम किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में रेखांकित किया गया है कि राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों और अन्य समकक्ष उपकरणों द्वारा बजटेत्तर उधारियों से उत्पन्न होने वाली वास्तविक देनदारियों का खुलासा करके सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त उपाय करेगी जहां पुनर्भुगतान की देनदारी राज्य सरकार के आवंटन पर है। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 में यह प्रावधान किया गया है कि बजट दस्तावेजों के साथ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति विवरण में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण[27] के संबंध में पंचवर्षीय लक्ष्य शामिल होंगे।

वर्ष 2024–25 के लिए, मध्यम कालिक राजकोषीय पुनर्गठन नीति के तहत सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.32 प्रतिशत और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत 33.60 प्रतिशत ऋण का लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर, भारत सरकार ने वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य के लिए उधार लेने की अधिकतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹15,03,395 करोड़) के 4.12 प्रतिशत जो ₹61,939.87 करोड़ है निर्धारित की थी।

---

27 राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार निर्धारित, राज्य के कुल बकाया ऋण में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि, आरक्षित निधियां तथा जमाएं शामिल है।

राज्य शासन ने अपने बजट में बजटेत्तर उधारियों का विवरण नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को 31 मार्च 2025 तक दी गई जानकारी के अनुसार, बकाया बजटेत्तर उधारियां ₹3,468.34 करोड़ थी, जिसमें 2024–25 के दौरान लिए गए ₹568.12 करोड़ का उधार शामिल था, जैसा कि **तालिका 3.1** में वर्णित है:

तालिका 3.1: 31 मार्च 2025 तक राज्य शासन द्वारा प्रकटीकरण किए गए बजटेत्तर उधारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

सरकार की ओर से ऋण लेने वाली संस्थाएँ	प्रारंभिक शेष	जुटाई निधि	ऋण की अदायगी	ऋण का उद्देश्य	31 मार्च 2025 को बकाया ऋण
नर्मदा बेसिन परियोजना कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)	1,769.94	413.05	163.61	मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बहु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण	2,019.38
मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	1,059.10	155.07	--	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास योजना	1,214.17
नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	271.21	0.00	36.42	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	234.79
योग	**3,100.25**	**568.12**	**200.03**		**3,468.34**

स्रोतः वित्त विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

तालिका 3.1 में दर्शाए गए बजटेत्तर उधारियों के अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के 73 उपक्रमों/निगमों/स्वायत्त निकायों में से केवल राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों ने बजटेत्तर उधारियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि राज्य शासन ने विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजट के बाहर ₹1,630.84 करोड़ की अतिरिक्त ऋण राशि प्रवाहित की, जिसका विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया बजटेत्तर उधारियों को **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया बजटेत्तर उधारियां

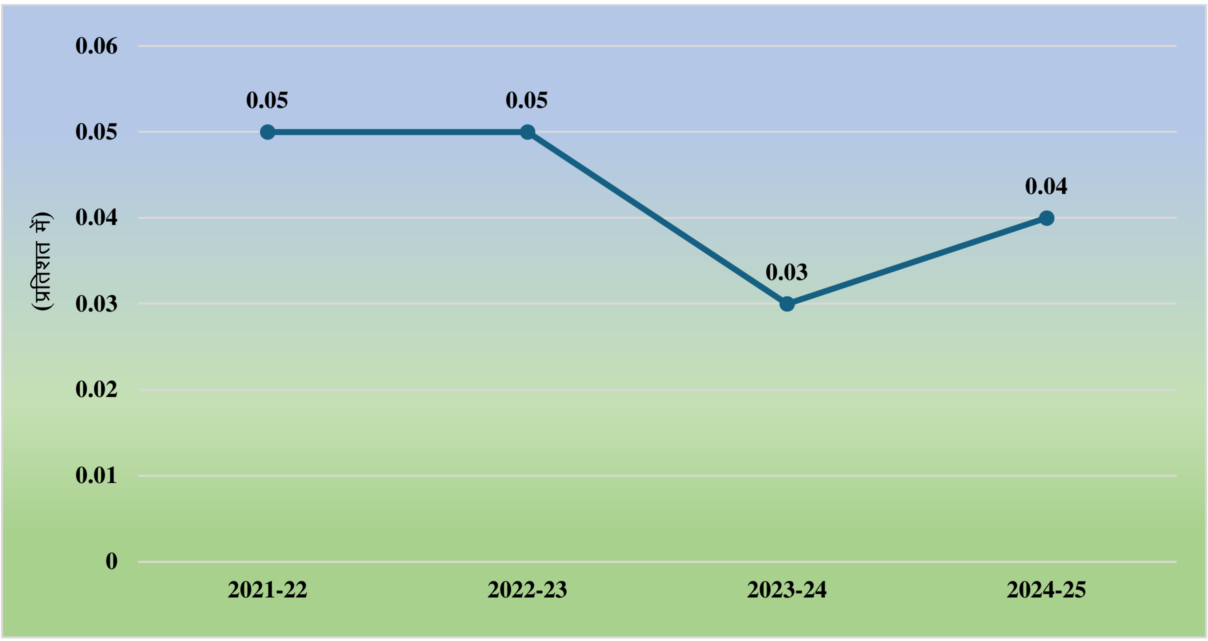

स्रोतः वित्त विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

तालिका 3.2: 31 मार्च 2025 की स्थिति में बजटेत्तर उधारियों का विवरण, जो तालिका 3.1 में दिए गए विवरण के अतिरिक्त है

(₹ करोड़ में)

सरकार की ओर से ऋण लेने वाली संस्थाएँ	बजटेत्तर उधारियों का वर्ष	ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्था	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	ऋण का उद्देश्य	31 मार्च 2025 को बकाया ऋण
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2017	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	585.50	585.50	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति परियोजना एवं एकीकृत विद्युत विकास परियोजना	408.60
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2017	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	590.38	540.35	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति परियोजना एवं एकीकृत विद्युत विकास परियोजना	354.58
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2017	पंजाब नेशनल बैंक	504.99	504.99	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति परियोजना एवं एकीकृत विद्युत विकास परियोजना	347.89
	योग		**1,680.87**	**1,630.84**		**1,111.07**

स्रोतः संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रदाय जानकारी

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी को भी मध्य प्रदेश शासन से अपने ऋणों के ब्याज भुगतान दायित्वों या मूलधन पुनर्भुगतान के लिए कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

3.2 सरकार की चुकता न की गयी देयताएं

चुकता न की गयी देयताएं जैसे कि एकत्रित उपकर को निर्दिष्ट निकायों को हस्तांतरित न करना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अल्प प्रेषण आदि के महत्वपूर्ण दीर्घकालिक राजकोषीय तथा सुशासन संबंधी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। ये भुगतान न की गयी देनदारियां समय के साथ बढ़ती जाती हैं, जिससे छिपी हुई देनदारियां उत्पन्न होती हैं जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत कर देती हैं। आगे, उपकर के हस्तांतरण में विलंब से अपेक्षित विकास या कल्याणकारी उद्देश्यों की प्राप्ति बाधित होती है, जिससे ऐसे उपकर लगाए जाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम राशि का हस्तांतरण न केवल वैधानिक प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है बल्कि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा से भी समझौता करता है। समय के साथ, ऐसी प्रणाली विश्वास को कम कर सकती हैं, कानूनी देनदारियों को जन्म दे सकती हैं एवं भविष्य में व्यय दायित्वों को बढ़ा सकती हैं, जिससे राजकोषीय गुंजाइश सीमित हो जाती है और राजकोषीय स्थिरता कमजोर हो जाती है। ऐसे प्रकरणों पर चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

3.2.1 चुकता न की गई ब्याज देयता

सरकार पर ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधियों में जमा राशि पर ब्याज प्रदान करने एवं उसका भुगतान करने का दायित्व है।

लेखापरीक्षा मे यह पाया गया कि 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधियों के अंतर्गत शेष ₹13,195.78 करोड़ की राशि पर ₹599.22 करोड़ ब्याज के रूप में देय था, जैसा कि **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है। हालांकि, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

तालिका 3.3: ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	ब्याज–सहित जमा/निधियों के नाम	1 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	ब्याज की राशि का प्रावधान नहीं किया गया
1	राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि	9,409.08	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार @3.35 प्रतिशत	315.20
2	राज्य क्षतिपूरक वनरोपण जमा	27.42		0.92
3	राज्य आपदा मोचन निधि	3,224.07	अधिविकर्षण पर लागू दर पर परिकलित ब्याज (रेपो दर + 2 प्रतिशत, जो 8.46 प्रतिशत) है।	148.20
			केन्द्रांश तथा राज्यांश को निधि में अंतरण करने में हुए विलंब के लिये 6.46 प्रतिशत की बैंक दर पर ब्याज की गणना (246 दिन के विलंब के लिए – पहली किश्त तथा 42 दिन विलंब के लिए – दूसरी किश्त)	57.29
4	राज्य आपदा शमन निधि	535.21	अधिविकर्षण पर लागू दर पर परिकलित ब्याज (रेपो दर + 2 प्रतिशत, जो 8.46 प्रतिशत है)	25.67
			केन्द्रांश तथा राज्यांश को निधि में अंतरण करने में हुए विलंब के लिये 6.46 प्रतिशत की बैंक दर पर ब्याज की गणना (231 दिन के विलंब के लिए – पहली किश्त 2023–24 तथा 20 दिन विलंब के लिए – दूसरी किश्त 2024–25)	11.94
	योग	**13,195.78**		**559.22**

स्रोत: वित्त लेखे 2024–25

₹559.22 करोड़ की ब्याज राशि के कम भुगतान होने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में कमी और राजस्व अधिशेष को उस सीमा तक अत्युक्त बताया गया।

3.2.2 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना अगस्त 2015 में खनन एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9 सी के तहत की गई थी। इस अधिनियम की धारा 9 सी (4) के अनुसार, खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक भुगतान की गई रॉयल्टी का 2 प्रतिशत अंशदान न्यास (ट्रस्ट) को करना आवश्यक है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के नियमानुसार, राज्य सरकार इन अंशदानों को एकत्र करने, उन्हें मुख्य शीर्ष 8449–123–एन.एम.ई.टी. जमा के अन्तर्गत लोक लेखा में जमा करने और इन निधियों को प्रतिमाह भारत की समेकित निधि में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी है।

1 अप्रैल 2024 को मुख्य शीर्ष 8449–123 के अन्तर्गत प्रारंभिक शेष ₹0.12 करोड़ था तथा वर्ष 2024–25 के दौरान राशि ₹89.24 करोड़ जमा की गई। हालांकि, वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रारंभिक शेष ₹0.12 करोड़ को अनदेखा करते हुए, भारत सरकार को केवल ₹89.24 करोड़ ही अंतरित किए गए।

3.2.3 राज्य खनिज अन्वेषण न्यास/राज्य खनिज विकास निधि

खनन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19 नवंबर 2024 के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 की उप–धारा (ए) के खंड (जी) के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की तर्ज पर राज्य खनिज अन्वेषण न्यास/राज्य खनिज विकास निधि स्थापित करने की सलाह दी थी।

राज्य शासन ने दिसंबर 2025 तक राज्य खनिज विकास निधि की स्थापना के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की।

3.2.4 वापसी प्रकरणों की लंबितता

वापसी प्रकरणों के निपटान में तत्परता संबंधित विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष 2024–25 के दौरान, वापसी प्रकरणों की लंबितता से संबंधित जानकारी विभिन्न विभागों जैसे वाणिज्यिक कर, आबकारी, परिवहन, खनन एवं भूविज्ञान, मुद्रांक एवं पंजीयन, वन और राजस्व विभाग से मांगी गई थी। हालांकि, वर्ष 2024–25 के दौरान केवल मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने ही वापसी प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करायी। विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: वापसी प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	4890	18.86*
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	14055	84.59
3	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	13446	84.19
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत वापसियां	100	0.51
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	5399	18.42

स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

- *मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार, वर्ष के प्रारम्भ में लंबित दावों की बकाया राशि पिछले वर्ष की राशि (₹22.27 करोड़) से भिन्न है।*

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2024–25 के दौरान लंबित वापसी दावों के प्रकरणों की संख्या 4,890 से बढ़कर 5,399 प्रकरण हो गई, जो 509 प्रकरणों (10.41 प्रतिशत) की कुल वृद्धि को प्रदर्शित करती है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

3.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 के अनुसार, विभागीय अधिकारी सशर्त सहायतानुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र आगामी वर्ष के 30 सितम्बर तक या इससे पहले महालेखाकार को प्रस्तुत करेंगे जिससे सहायता अनुदान संबंधित है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा न करने की स्थिति में वित्त लेखे में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने का जोखिम बना रहता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान राशि ₹1,758.88 करोड़ के 33 सहायतानुदान देयक उपयोगिता प्रमाण–पत्र, के लिए देय हो गए। 31 मार्च 2025 तक ₹22,049.38 करोड़ के 19,897 उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया थे। इनमें से, ₹4,241.10 करोड़ के 275 बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गए थे। वर्ष 2024–25 के दौरान राशि ₹42,310.70 करोड़ के 61,517 सशर्त अनुदान जारी की गयी जो वर्ष 2025–26 में देय हो

जाएंगे। इनमें से राशि ₹5.65 करोड़ के 10 उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हुए। उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा करने में देरी का आयु–वार विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है:

तालिका 3.5: लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का आयु–वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र देय वर्ष*	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
2014-15 तक	19,227	13,514.23
2015-16	9	39.18
2016-17	2	5.15
2017-18	0	0
2018-19	15	155.35
2019-20	1	0.70
2020-21	0	0
2021-22	313	529.19
2022-23	22	1,805.60
2023-24	33	1,758.88
2024-25	61,507	42,305.05
योग	**81,129**	**60,113.33**

स्रोत: वित्त लेखे 2024–25 और कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

**ऊपर उल्लिखित वर्ष देय वर्ष से संबंधित है अर्थात वास्तविक निकासी के 18 महीने बाद*

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 76 प्रतिशत बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र (61,507) 2024–25 से संबंधित है और 24 प्रतिशत (बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र 19,227) 2014–15 तक से संबंधित है। पिछले दस वर्ष या अधिक समय के लिये प्रदान की गई धनराशि से संबंधित व्यय के लिये जबावदेही के अभाव में, इन निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। आगे, उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब से भारत सरकार से निष्पादन अनुदानों की प्राप्ति प्रभावित हो सकती है।

वर्ष 2024–25 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विभाग–वार विभाजन ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की लंबितता राज्य शासन के 31 विभागों में है और पांच प्रमुख लंबितता के संबंध में उनकी स्थिति **चार्ट 3.2** में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट 3.2: 31 मार्च 2025 की स्थिति में पांच प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र

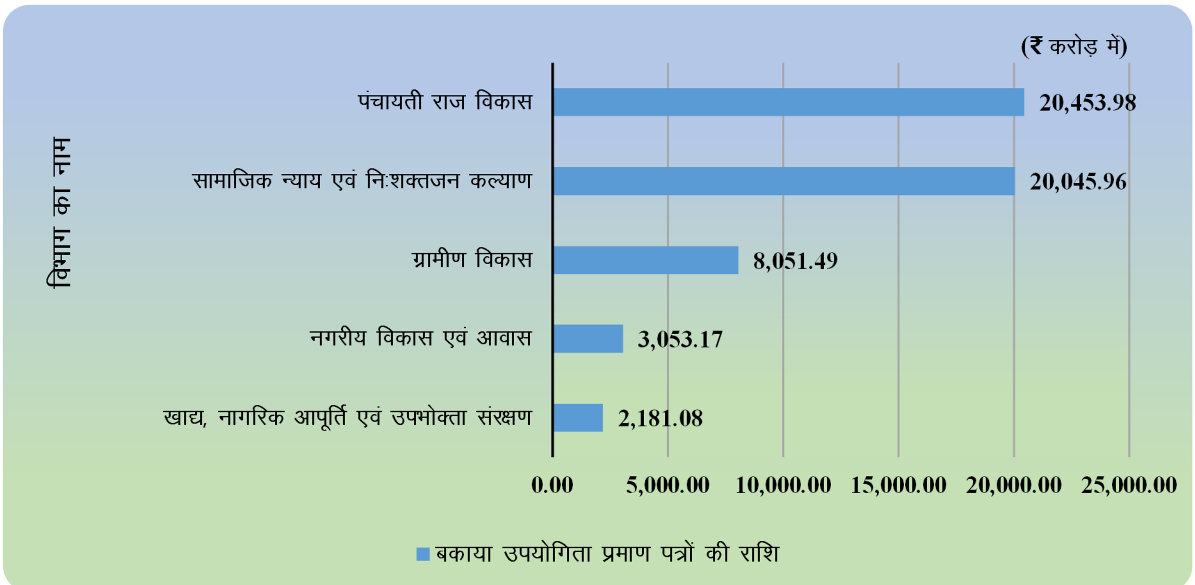

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

चूंकि उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किए जाने से दुरूपयोग का जोखिम बना रहता है, इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य शासन इस पहलू की बारीकी से निगरानी करे और संबंधित व्यक्तियों को समयबद्ध रूप से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार ठहराए।

3.3.1 उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- कार्यालय आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भोपाल (दिसंबर 2024) की लेखापरीक्षा से पता चला कि 2019–20 से 2024–25 की अवधि के दौरान नशामुक्ति गतिविधियों के लिए जिलों के माध्यम से ₹7.20 करोड़ का व्यय किया गया, एवं अंध, मूक एवं बधिर शालाओ और भारतीय कुष्ठ निवारण संघों के लिए ₹45.85 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार, जिलों को कुल ₹53.05 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया। व्यय का विवरण क्रमशः **तालिका 3.6 और 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: नशामुक्ति गतिविधियों के लिए जारी अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कार्यक्रम / गतिविधियाँ	वर्ष	अनुदानित राशि
1	मद्य निषेध सप्ताह एवं मद्य निषेध संकल्प दिवस	2019-20	0.64
2	अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस	2020-21	0.03
3	विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस एवं मद्य निषेध सप्ताह	2021-22	0.36
4	विश्व तंबाकू निषेध दिवस एवं मद्य निषेध सप्ताह	2022-23	2.65
5	विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस, मद्य निषेध सप्ताह एवं मद्य निषेध संकल्प दिवस	2023-24	1.97
6	विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस, एवं मद्य निषेध संकल्प दिवस	2024-25	1.55
		योग	**7.20**

स्रोतः संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

तालिका 3.7: अंध, मूक एवं बधिर शालाओं एवं भारतीय कुष्ठ निवारण संघों पर किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम / योजना शीर्ष	वर्ष	व्यय की गयी राशि
1	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान 0073 एवं भारतीय कुष्ठ निवारण संघ 5258	2019-20	10.03
2	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान 0073 एवं भारतीय कुष्ठ निवारण संघ 5258	2020-21	8.35
3	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान 0073 एवं भारतीय कुष्ठ निवारण संघ 5258	2021-22	8.89
4	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान 0073 एवं भारतीय कुष्ठ निवारण संघ 5258	2022-23	8.79
5	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान 0073 एवं भारतीय कुष्ठ निवारण संघ 5258	2023-24	9.79
	योग		**45.85**

स्रोतः संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि ₹53.05 करोड़ के कुल अनुदान में से केवल ₹0.05 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये थे जबकि शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी लंबित हैं।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में, विभाग ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलों से प्राप्त किए जाएंगे और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र एक से पांच वर्ष की अवधि के लिए लंबित हैं। इससे संकेत मिलता है कि विभाग अनुदानों का समय पर प्रस्तुतिकरण और उचित उद्देश्यपरक उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहा है।

प्रकरण सरकार को प्रेषित किया गया था (सितम्बर 2025); उनका उत्तर अपेक्षित (दिसम्बर 2025) था।

- कार्यालय, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, (फरवरी–मार्च 2025) की लेखापरीक्षा से पता चला कि, विभिन्न निर्माण एजेंसियों और अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थानों को ₹3.88 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी। तथापि, संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र और समर्थित अभिलेख विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। निर्माण एजेंसियों और अनुसंधान संस्थानों से लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विवरण क्रमशः **तालिका 3.8 और तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.8: निर्माण एजेंसियों से लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	निर्माण एजेंसी	वर्ष एवं माह	राशि (जारी)	स्थिति
1	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	जनवरी 2020	2.84	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
2	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल	अक्टूबर 2021	40.00	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
3	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	मार्च 2022	28.41	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
4	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	मार्च 2023	277.84	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
	योग		349.09	

स्रोतः संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

तालिका 3.9: अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थान से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	संस्थान/शोधकर्ता	परियोजना का शीर्षक	वर्ष	जारी राशि	स्थिति
1	डॉ. सुनील कुमार (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल)	स्मार्ट सोलर हाउस	2021–22	7.36	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
2	डॉ. पूर्णिमा स्वरूप खरे (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल)	कार्बन नैनो कम्पोजिट	2022–23	3.85	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
3	डॉ. रीनू शर्मा (रानी दुर्गावती, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंडला)	ज्यामितीय मॉडलिंग	2022–23	2.70	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
4	डॉ. पीयूष कुमार शुक्ला (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल)	डिजिटल अधिकार प्रबंधन के लिए बुद्धिमान एवं सुरक्षित एलगोरिदम का डिजाइन एवं विकास	2022–23	7.50	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
5	डॉ. शिखा अग्रवाल (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल)	चिकित्सा छवियों के लिए क्रिप्टोग्राफी	2022–23	3.10	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
6	डॉ. कृष्णकांत धाकड़ (श्री जी. एस. प्रौधोगिकी और विज्ञान संस्थान इंदौर)	माइक्रो–अल्ट्रासोनिक मशीनिंग	2022–23	3.85	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
7	डॉ. तुषार चौधरी, (भारतीय सूचना	स्मार्ट सोलर ड्रायर	2022–23	5.34	उपयोगिता प्रमाण

स. क्र.	संस्थान/शोधकर्ता	परियोजना का शीर्षक	वर्ष	जारी राशि	स्थिति
	प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन एवं विनिर्माण, जबलपुर)				पत्र लंबित
8	डॉ. एच. एल. तिवारी (मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल)	मछली के छिलकों से जल उपचार	2022–23	5.62	उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
	योग			39.32	

स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है और सार्वजनिक निधियों के उचित और उद्देश्य–उन्मुख उपयोग के संबंध में जवाबदेही के साथ–साथ आश्वासन को भी कमजोर करता है।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (जुलाई 2025); प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2025) कि अनुसंधान संस्थानों से ₹28.11 लाख की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को कोई उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। तत्पश्चात आवश्यक अभिलेख प्राप्त करने के लिए विभाग को पत्र जारी किया गया और प्रकरण पुनः शासन के संज्ञान में लाया गया (नवंबर 2025)। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2025)।

3.4 व्यक्तिगत जमा खाते

संघ एवं राज्यों के लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अन्तर्गत, व्यक्तिगत जमा, ब्याज रहित प्रकृति के होते हैं जो कि लेखा शीर्ष 8443–सिविल जमा–106–व्यक्तिगत जमा के अन्तर्गत खोले जाते हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य की समेकित निधि से राशि ₹12,085.57 करोड़ लेखा शीर्ष 8443–106 के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित/जमा की गई। 31 मार्च 2025 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष 2024–25 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (01–04–2024 की स्थिति में)		वर्ष 2024–25 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2024–25 के दौरान बंद/आहरण		अंत शेष (31–03–2025 की स्थिति में)	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
730	(-)917.24	11	12,085.57	62	6,356.20	679	4,812.13

स्रोत: वित्त लेखे 2024–25

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2025 तक 679 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष ₹4,812.13 करोड़ था। आगे, 2024–25 के दौरान राशि ₹12,085.57 करोड़ के अंतरण में मार्च 2025 में राज्य की समेकित निधि एवं चालानों द्वारा अंतरित ₹1,548.00 करोड़ शामिल हैं। जिसमें से ₹726.00 करोड़ मार्च 2025 के अंतिम कार्य दिवस पर राज्य की समेकित निधि से अंतरित किए गए थे।

आगे, व्यक्तिगत जमा खातों के 679 प्रशासकों में से व्यक्तिगत जमा खातों के केवल 194 प्रशासकों ने मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 359 एवं 376 में निहित प्रावधानों के अनुसार अपने शेषों का

कोषालय अभिलेखों से मिलान एवं सत्यापन किया। व्यक्तिगत जमा खातों के शेष 485 प्रशासकों ने अपने शेषों का कोषालय अभिलेखों से मिलान एवं सत्यापन नहीं किया।

व्यक्तिगत जमा खातों मे पड़ी अव्ययित शेषों को राज्य की समेकित निधि में अंतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है।

3.4.1 व्यक्तिगत जमा खातों के अंत शेष में प्रवृत्तियाँ

2020–21 से 2024–25 की अवधि के लिए व्यक्तिगत जमा खातों में अंत शेष को **तालिका 3.11** में इंगित किया गया है।

तालिका 3.11: 2020–21 से 2024–25 तक व्यक्तिगत जमा खातों मे रखी गई निधियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते	अंत शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	संख्या	संख्या	राशि
2020-21	801	6,268.70	23	7,561.86	8,867.97	8	816	4,962.59
2021-22	816	4,962.59	0	4,064.64	6,390.83	2	814	2,636.40
2022-23	814	2,636.40	10	5,417.63	5,700.45	3	821	2,353.57
2023-24	821	2,353.57	34	2,098.40	5,369.20	125	730	(-)917.24
2024-25	730	(-)917.24	11	12,085.57	6,356.20	62	679	4,812.13

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि इन खातों के अंत शेष में पिछले पांच वर्षों के दौरान उल्लेखनीय रूप से उतार–चढ़ाव आया है। 2020–21 में, 816 व्यक्तिगत जमा खातों में अंत शेष ₹4,962.59 करोड़ था, जो 2021–22 में घटकर ₹2,636.40 करोड़ एवं 2022–23 में घटकर ₹2,353.57 करोड़ रह गया। 2023–24 में तीव्र कमी देखी गई, जब लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग आदि के संकलित लेखों में निर्माण कार्यों से व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरण लेन–देन परिलक्षित न होने के कारण शेष राशि (–)₹917.24 करोड़ नकारात्मक हो गई। यह स्थिति प्राप्तियों (₹2,098.40 करोड़) की तुलना में अधिक व्यय (₹5,369.20 करोड़) को दर्शाती है। 2024–25 में प्राप्तियाँ तीव्र रूप से बढ़कर ₹12,085.57 करोड़ हो गईं, तथापि इनका उपयोग नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप 679 व्यक्तिगत जमा खातों से संबंधित अंत शेष ₹4,812.13 करोड़ रह गया। हालाँकि, संचालित व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी, जो 2020–21 में 816 से घटकर 2024–25 में 679 (17 प्रतिशत) रह गई, यह निष्क्रिय खातों के समेकन और बंद करने के प्रयासों को दर्शाता है।

3.4.2 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का नियम 319(2) बताता है कि यदि कोई व्यक्तिगत जमा खाता लगातार तीन वर्षों तक असंचालित रहता है, तो कोषालय अधिकारी लेखा के प्रशासक को लिखित रूप में संबोधित करेगा और उसे एक माह के अन्दर कारण बताने के लिए कहेगा कि लेखे में शेष राशि को राजस्व जमा में क्यों नहीं जमा किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर कोषालय अधिकारी द्वारा लेखा बंद कर दिया जायेगा तथा शेष राशि को राजस्व प्राप्ति शीर्ष 0075 में अंतरित कर दिया जायेगा।

मौजूदा लेखांकन पद्धति के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खाते से वापस लाई गई राशि को उस सेवा शीर्ष से डेबिट किया जाना चाहिए जहां से मूल रूप से अंतरित की गयी थी।

वर्ष 2024–25 के दौरान, 31 मार्च 2025 तक 189 व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें कुल शेष राशि ₹206.16 करोड़ थी, तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित थे। तथापि, संबंधित कोषालयों द्वारा इन खातों को बंद करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है।

3.4.3 व्यक्तिगत जमा खाते के अंतर्गत ऋणात्मक शेष

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खंड–।। का नियम 355 बताता है कि कोषालय में संधारित व्यक्तिगत जमा खाते में क्रेडिट शेष ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के अभिलेखों के साथ आंकड़ों का मिलान कर सुधार करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 679 व्यक्तिगत जमा खातों में से 38 कोषालयों में संधारित 114 व्यक्तिगत जमा खातों में (–)₹2,324.55 करोड़ का ऋणात्मक शेष प्रदर्शित हुआ। विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है।

3.5 लघु शीर्ष–800 का संचालन

लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय/800–अन्य प्राप्तियां का संचालन केवल तभी किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को निरुत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि, यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है। सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, लेखों के 68 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹41,034.89 करोड़ जो कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹3,16,366.17 करोड़) का 12.97 प्रतिशत था, को लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। इनमें से, विशिष्ट लघु शीर्षों की पहचान की गई है जिनका उपयोग लघु शीर्ष 800 के स्थान पर ₹5,789.23 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 1.83 प्रतिशतः ₹3,16,366.17 करोड़) के व्यय को दर्ज करने के लिए किया जा सकता था। विवरण **तालिका 3.12** में दिया गया है।

तालिका 3.12: वर्ष 2024–25 के दौरान लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

पुस्तांकन के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किये गये शीर्ष का विवरण	राशि	व्यय की प्रकृति	सही वर्गीकरण
2235-02-800-6693	36.88	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2235-02-104-6693
2204-800-5159	56.86	खेल अकादमियों की स्थापना	2204-104-5159
2204-800-6239	2.49	खेल परिषद खेल सामग्री की खरीद	2204-104-6239
2204-800-6703	9.18	स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना का निर्माण	2204-104-6703
4202-03-800-5159	84.30	खेल अकादमियों की स्थापना	4202-03-102-5159
4202-03-800-6703	75.97	स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना का निर्माण	4202-03-102-6703
2401-800-6345	4,999.01	मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	2401-115-6345
2053-800-5722	20.50	कॉल सेंटर की स्थापना	2053-094-5722

पुस्तांकन के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किये गये शीर्ष का विवरण	राशि	व्यय की प्रकृति	सही वर्गीकरण
2501-02-800-8711	6.40	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को ब्लॉक अनुदान	2501-02-307-8711
4406-01-800-9664	140.88	क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) प्रतिपूरक वनरोपण	4406-01-101-9664
4406-01-800-9666	13.14	क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) वन्यजीव संरक्षण योजना शुल्क	4406-02-110-9666
2235-02-800-6710	229.19	दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	2235-02-103-6710
2235-02-800-6692	14.43	मुख्यमंत्री विवाह योजना	2235-02-103-6692
4055-800-7352	100	प्रशासनिक भवनों का निर्माण	4055-207-7352
योग	**5,789.23**		

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े

दृष्टांत जहाँ व्यय से संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का सारभूत भाग (50 प्रतिशत या उससे अधिक) को लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, **तालिका 3.13** में दिया गया है:

तालिका 3.13: लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800 -अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	प्रतिशत
1	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	143.79	230.41	62.41
2	2217	शहरी विकास	2,155.53	2,882.99	74.77
3	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	67.72	67.72	100.00
4	2401	फसल कृषि कर्म	5,135.83	7,843.90	65.48
5	2702	लघु सिंचाई	89.38	91.63	97.55
6	2705	कमान क्षेत्र विकास	5.10	5.10	100.00
7	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	2,173.99	2,554.93	85.09
8	2852	उद्योग	2,775.02	2,785.90	99.61
9	3454	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	74.05	137.14	53.99
10	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	180.60	181.44	99.54
11	4220	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	1.67	2.97	56.26
12	4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	2.50	2.51	99.80
13	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	13,101.23	16,459.34	79.60
14	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,546.36	1,591.64	97.16
15	4853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1,106.19	1,106.90	99.94
16	4875	अन्य उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय	667.00	708.00	94.21
17	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.63	0.63	100.00

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े

इसी प्रकार, 50 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹10,793.88 करोड़ जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹2,50,498.27 करोड़) का 4.31 प्रतिशत है, को लेखों में 800–अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

दृष्टांत जहाँ प्राप्तियों से संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति का सारभूत भाग (50 प्रतिशत या उससे अधिक) को लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, **तालिका 3.14** में दिया गया है:

तालिका 3.14: लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत पुस्तांकन

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्तियां	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्ति	प्रतिशत
1	0029	भू–राजस्व	835.67	1,069.39	78.14
2	0056	जेल	1.47	1.67	87.78
3	0059	लोक निर्माण कार्य	63.15	62.98	100.27
4	0071	पेंशन तथा अन्य सेवा–निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	46.03	51.43	89.50
5	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	213.09	244.60	87.12
6	0211	परिवार कल्याण	0.03	0.03	99.97
7	0217	शहरी विकास	30.22	31.36	96.38
8	0220	सूचना तथा प्रचार	0.08	0.08	99.89
9	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	34.51	34.48	100.08
10	0401	फसल कृषि कर्म	413.32	432.30	95.61
11	0404	डेयरी विकास	0.02	0.02	100.00
12	0406	वानिकी और वन्य जीवन	854.96	1,649.63	51.83
13	0408	खाद्य भंडारण एवं भांडागार	2.67	2.63	101.64
14	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.74	1.80	96.86
15	0700	मुख्य सिंचाई	108.36	141.62	76.52
16	0702	लघु सिंचाई	347.50	347.50	100.00
17	0801	बिजली	420.28	420.28	100.00
18	0852	उद्योग	0.03	0.03	100.00

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े

माप से संबंधित मुददे्

3.6 मुख्य उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की गणना विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया नामे (डेबिट) एवं जमा (क्रेडिट) शेषों को समेकित कर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए मुख्य उचंत शीर्षों के शेष को **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2022-23		2023-24		2024-25	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658	उचंत लेखे						
101	वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	615.00	(-)116.75	161.42	31.61	162.51	85.23
	निवल डेबिट/क्रेडिट	डेबिट **731.75**		डेबिट **129.81**		डेबिट **77.28**	
102	उचंत लेखा (सिविल)	0.19	0.01	0.19	0.01	0.19	0.01
	निवल डेबिट/क्रेडिट	डेबिट **0.18**		डेबिट **0.18**		डेबिट **0.18**	
107	नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	141.60	28.05	141.60	28.05	141.60	28.05

	लेखा शीर्ष	2022-23		2023-24		2024-25	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**डेबिट 113.55**		**डेबिट 113.55**		**डेबिट 113.55**	
109	रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	3.04	200.04	303.48	200.10	302.40	200.11
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**क्रेडिट 197.00**		**डेबिट 103.38**		**डेबिट 102.29**	
110	रिजर्व बैंक उचंत– केंद्रीय लेखा कार्यालय	455.24	5.21	307.57	5.41	(-) 986.94	11.23
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**डेबिट 450.03**		**डेबिट 302.16**		**डेबिट (-) 998.17**	
112	स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	(-) 297.06	627.21	(-) 297.06	401.10	(-)297.06	470.40
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**क्रेडिट 924.27**		**क्रेडिट 698.16**		**क्रेडिट 767.46**	
123	ए.आई.एस. अधिकारी समूह बीमा योजना	4.56	15.73	4.99	16.25	5.48	16.79
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**क्रेडिट 11.17**		**क्रेडिट 11.26**		**क्रेडिट 11.31**	
129	सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	36.10	223.11	36.10	223.11	36.10	223.11
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**क्रेडिट 187.01**		**क्रेडिट 187.01**		**क्रेडिट 187.01**	
8782	**एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन**						
102	लोक निर्माण प्रेषण	1,87,976.06	1,95,677.65	2,15,221.14	2,23,771.52	2,51,081.60	2,56,488.12
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**क्रेडिट 7,701.59**		**क्रेडिट 8,550.37**		**क्रेडिट 5,406.52**	
103	वन प्रेषण	4,506.19	4,585.54	4,506.70	4,585.37	4,511.66	4,585.13
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**क्रेडिट 79.35**		**क्रेडिट 78.67**		**क्रेडिट 73.47**	
108	अन्य विभागीय प्रेषण	0.20	3.43	0.20	3.44	0.20	3.45
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**क्रेडिट 3.23**		**क्रेडिट 3.24**		**क्रेडिट 3.25**	
110	विविध प्रेषण	8,984.61	7,604.80	9,153.04	7,722.08	9,346.79	7,892.43
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**डेबिट 1,379.81**		**डेबिट 1,430.96**		**डेबिट 1,454.36**	
8793	**अंतर्राज्यीय उचंत लेखा**	724.00	0.01	997.60	0.01	1,009.00	0.01
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**डेबिट 723.99**		**डेबिट 997.59**		**डेबिट 1,008.99**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का निस्तारण न होने से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों (जिन्हे वर्ष–दर–वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) और शेषों की परिशुद्धता प्रभावित होती है।

3.7 विभागीय आंकड़ों का मिलान

सभी नियंत्रण अधिकारियों को शासन की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ करना आवश्यक हैं। मध्य प्रदेश में, बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्थान पर, संचालनालय कोष एवं लेखा प्राथमिक रूप से कार्यालय लेखा एवं हकदारी के साथ आंकड़ों का मिलान कर रहा है।

2024–25 के दौरान, संचालनालय, कोष एवं लेखा ने व्यय ₹3,40,740.22 करोड़ (समेकित निधि के अंतर्गत कुल व्यय ₹3,45,938.47 करोड़ का 98.50 प्रतिशत) एवं प्राप्ति ₹3,42,475.05 करोड़ (समेकित निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियों ₹3,44,919.59 करोड़ का 99.29 प्रतिशत) का मिलान किया है। पिछले तीन वर्ष की अवधि 2022–23 से 2024–25 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति को **तालिका 3.16** एवं **चार्ट 3.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.16: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों एवं व्यय के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	प्राप्तियों/व्यय का मिलान करने वाले नियंत्रण अधिकारियों की संख्या			मिलान के आंकड़े
प्राप्तियां		पूर्णतः मिलान किया गया	आंशिक मिलान किया गया	पूर्णतः मिलान किया गया	प्राप्तियां
2022-23	119	मध्य प्रदेश में, बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्थान पर, संचालनालय कोष एवं लेखा प्राथमिक रूप से कार्यालय लेखा एवं हकदारी के साथ आंकड़ों का मिलान कर रहा है। मिलान की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा प्राप्तियों/व्यय के आंकड़े संचालनालय कोष एवं लेखा, भोपाल को उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कार्यालय लेखा एवं हकदारी द्वारा दर्ज आंकड़ों का एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों से मिलान किया जा सके।			1,77,121.05
2023-24	119				2,95,199.94
2024-25	115				3,42,475.05
व्यय					व्यय
2022-23	119				2,36,395.56
2023-24	119				2,86,095.61
2024-25	115				3,40,740.22

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

चार्ट 3.3: वर्ष 2022–25 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

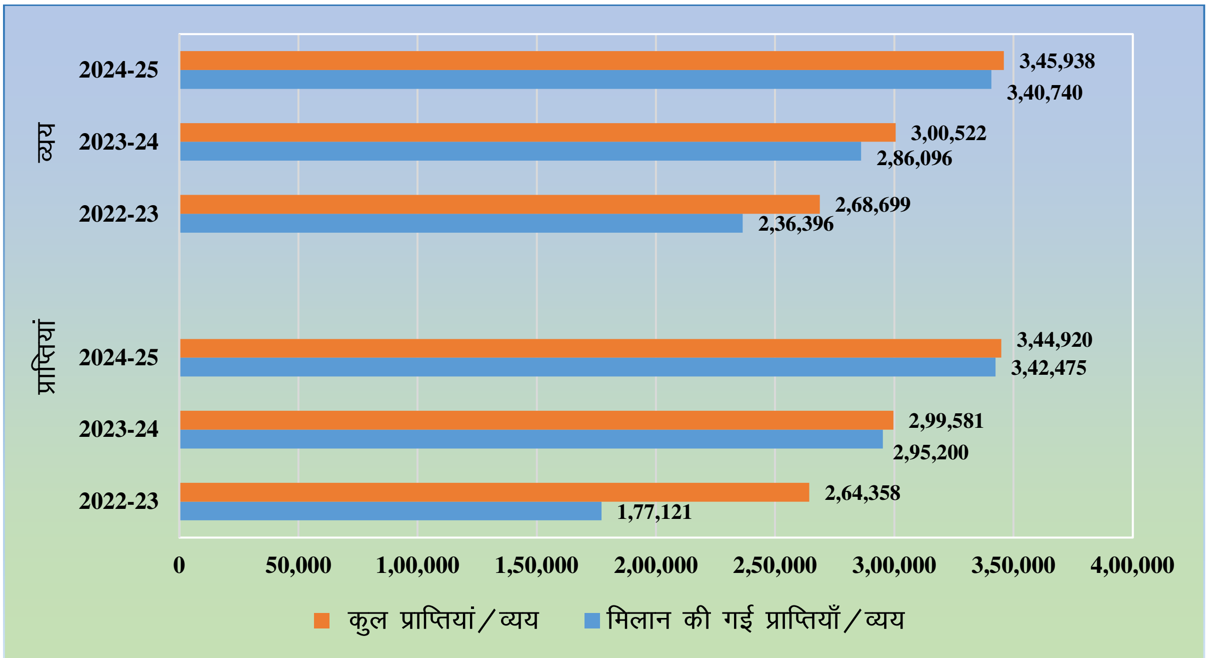

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

जुलाई 2020 में, संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा ऑनलाइन मिलान की प्रणाली की शुरूआत के बाद, लेखापरीक्षा ने पाया कि मिलान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

3.8 रोकड़ शेष का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को राज्य शासन का रोकड़ शेष ₹400.37 करोड़ (क्रेडिट) था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित वही रोकड़ शेष ₹198.74 करोड़ (डेबिट) था। इस प्रकार ₹201.63 करोड़ का अपमिलित अंतर विद्यमान था, जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एवं राज्य शासन के मध्य मिलान के अंतर्गत था।

राज्य में भुगतानों हेतु ई–कुबेर प्रणाली (भारतीय रिज़र्व बैंक की) को राज्य की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के साथ एकीकृत किए जाने के उपरांत प्रतिवेदित लेन–देन में अंतर बढ़ गया है, क्योंकि राज्य की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन लेन–देन तिथि के आधार पर हैं, जबकि ई–कुबेर प्रणाली लेन–देन को स्क्रॉल तिथि के आधार पर प्रतिवेदित करती है।

3.9 संभागीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित राशि

संहिता प्रावधानों के अनुसार अशासकीय एजेंसियों से जमा निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण संभागों द्वारा प्राप्त राशि को मुख्य शीर्ष '8443–सिविल जमा' के अंतर्गत लघु शीर्ष '108–लोक निर्माण जमा' में जमा (क्रेडिट) किया जाना आवश्यक है। संबंधित जमा निर्माण कार्यों पर होने वाला व्यय भी इसी लेखा शीर्ष से वहन किया जाता है। मासिक संभागीय लेखों में, ऐसे जमा की अप्रेषित राशि को राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत लोक निर्माण संभागो द्वारा मुख्य शीर्ष '8671–विभागीय शेष, 101–सिविल' में वर्गीकृत किया जाता है और फिर यह शासकीय लेखों का हिस्सा बनते है। तथापि, जमा निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त निधियों को शासकीय लेखों में प्रेषित करने के बजाय लोक निर्माण संभागों द्वारा संचालित संभागीय अधिकारियों के बैंक खातों में रखा जा रहा है। इस कारण यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ राज्य के रोकड़ शेष का हिस्सा नहीं बन रही है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, जैसे लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग तथा वित्त विभाग, इत्यादि से संभागीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित राशि से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। तथापि, केवल जल संसाधन विभाग ने ही संभागीय अधिकारियों द्वारा संचालित बैंक खातों में पड़ी राशि की जानकारी प्रस्तुत की, जैसा कि **तालिका 3.17** में वर्णित है।

तालिका 3.17: संभागीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	संभागीय अधिकारियों द्वारा संचालित बैंक खातों की संख्या	बैंक खाते में पड़ी राशि
1	जल संसाधन	07	0.26

स्रोतः संबंधित विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

31 मार्च 2025 की स्थिति में, बैंक खाते संचालित कर रहे सात[28] संभागीय अधिकारियों में से, उप निदेशक, जल मौसम विज्ञान संभाग क्रमांक–1, जल संसाधन विभाग, भोपाल के बैंक खाते (संख्या 42398113496) में ₹0.26 करोड़ की राशि पड़ी हुयी थी। यदि यह धनराशि कोषालय में जमा कर दी जाती, तो इसका प्रभाव राज्य शासन के दैनिक रोकड़ शेष पर पड़ता।

प्रकटीकरण से संबंधित मुददे्

3.10 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर, संघ एवं राज्यों के लेखों का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय शासकीय लेखा

[28] परियोजना निदेशक, अटल भूजल योजना, जल संसाधन विभाग, भोपाल के 2 खाते, उप निदेशक, जल मौसम विज्ञान, जल संसाधन विभाग, भोपाल के 2 खाते, अधीक्षण अभियंता, सर्वेक्षण एवं जांच सर्कल, जल संसाधन विभाग, जबलपुर का 1 खाता, वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक, संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई, जबलपुर का 1 खाता, तथा वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक, संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई, रीवा का 1 खाता शामिल हैं।

मानक अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन द्वारा इन लेखा मानकों के अनुपालन और साथ ही इनमें पाई गई कमियों का विवरण **तालिका 3.18** में दिया गया है।

तालिका 3.18ः लेखांकन मानकों का अनुपालन

स. क्र.	लेखा मानक	भारतीय शासकीय लेखा मानक का सार	राज्य शासन द्वारा अनुपालन	अनुपालन / कमी
1.	भारतीय शासकीय लेखा मानक–1	शासन द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों के प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ	अनुपालन किया गया	क्षेत्र और वर्गवार प्रत्याभूतियों का विवरण, राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वित्त लेखों के विवरण संख्या 9 और 20 में दिया गया है।
2.	भारतीय शासकीय लेखा मानक–2	सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने राशि ₹346.80 करोड़ की सहायतानुदान को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया। गैर–अनुपालन के कारण राजस्व अधिशेष को अत्युक्त एवं पूंजीगत व्यय को अत्युक्त बताया गया।
3.	भारतीय शासकीय लेखा मानक–3	शासन द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	आंशिक अनुपालन किया गया	''अप्रतिलभ्य ऋणों एवं अग्रिमों का अपलेखन'', 'बकाया में ब्याज भुगतान', 'ऋण के प्रकरणों में ऋण के रूप में स्थायी रूप से स्वीकृत किया गया', ऋणी संस्थाओं से बकायों में पुनर्भुगतान'', ''वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम'' तथा ''ऋणों एवं अग्रिमों से संबन्धित असाधारण लेन–देनों को इंगित करने वाले प्रकटीकरण'' वित्त लेखों में नहीं किए गए थे, क्योंकि राज्य शासन द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गयी थी। इसलिए राज्य वित्त के इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिवेदन करना संभव नहीं है।
4.	भारतीय शासकीय लेखा मानक–4	पूर्व अवधि समायोजन	अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार समायोजन किए हैं और ऐसी जानकारी को वित्त लेखे के विवरण संख्या 13 के परिशिष्ट–"पूर्व अवधि समायोजन का विवरण" में दर्शाया गया है।

स्रोतः वित्त लेखे 2024–25

3.11 स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

31 मार्च 2025 की स्थिति में, छः स्वायत्त निकायों के 10 लेखे 2023–24 से 2024–25 तक लंबित थे, जैसा कि **तालिका 3.19** में वर्णित है।

तालिका 3.19ः स्वायत्त निकायों / प्राधिकरणों के बकाया लेखे

स.क्र.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित	वित्त वर्ष 2024–25 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल	2023-24	2
2	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	2023-24	2
3	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2023-24	2
4	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	2024-25	1
5	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2023-24	2
6	मध्यप्रदेश राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2024-25	1
	योग		**10**

नोटः किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष के लम्बित रहने की अंतिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को ली जानी है।

चूंकि उपर्युक्त छः स्वायत्त निकायों के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I और II), मध्य प्रदेश के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए लेखापरीक्षा ने वर्ष के दौरान उनके लेखों पर कोई मत व्यक्त नहीं किया। लेखों को अंतिम रूप देने में देरी से वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम बना रहता है, इसलिए लेखों को यथाशीघ्र अंतिम रूप देकर लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अन्य मुद्दे

3.12 दुर्विनियोग, हानियां, चोरियां, इत्यादि

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–1 का नियम 22(1) प्रावधान करता है कि गबन अथवा अन्य कारण से किसी लोक धन की हानि की सूचना तत्काल महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए, भले ही जिम्मेदार पक्ष द्वारा इस हानि की पूर्ति कर दी गई हो।

31 मार्च 2025 की स्थिति में, दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि से संबंधित ₹40.24 करोड़ के 3161 प्रकरण लंबित थे। लंबित प्रकरणों का विभाग–वार विवरण **तालिका 3.20** में दिया गया है।

तालिका 3.20: दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि से संबंधित लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ लाख में)

विभाग/निगम का नाम	दुर्विनियोग/हानियों/चोरियों के प्रकरण		दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के लंबित प्रकरणों के अंतिम निराकरण में विलंब का कारण					
			विभागीय और आपराधिक जाँच का इंतजार		विभागीय कार्रवाई आरंभ लेकिन पूर्ण नहीं		आपराधिक कार्रवाई पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	08	47.89	01	3.65	05	23.71	02	20.53
2211–परिवार कल्याण	03	47.68	0	0.00	02	47.35	01	0.33
2014–न्याय प्रशासन	07	33.97	03	2.58	02	18.46	02	12.93
2015–चुनाव	01	7.90	0	0.00	01	7.90	0	0.00
2055–पुलिस	323	404.63	168	241.76	155	162.87	0	0.00
2225–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	06	7.04	06	7.04	0	0.00	0	0.00
2235–महिला एवं बाल कल्याण	07	16.13	07	16.13	0	0.00	0	0.00
2058–लेखन सामग्री एवं मुद्रण	02	8.59	0	0.00	01	0.17	01	8.41
2202–सामान्य शिक्षा	92	693.62	14	656.61	04	12.17	74	24.84
2203–तकनीकी शिक्षा	33	78.12	24	48.10	01	0.56	08	29.46
2204–खेलकूद एवं युवा सेवाएं	03	4.20	02	2.95	01	1.25	0	0.00
2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	04	46.56	02	3.34	01	42.31	01	0.90
2054– वित्त	11	830.44	11	830.44	0	0.00	0	0.00
2853–खनिज संसाधन	03	4.22	02	4.22	01	0.00	0	0.00
2040–वाणिज्यिक कर	01	0.69	01	0.69	0	0.00	0	0.00
2401–कृषि कर्म	19	47.02	11	26.28	05	10.40	03	10.34
2403–पशुपालन	17	19.75	13	13.24	02	0.91	02	5.60

विभाग/निगम का नाम	दुर्विनियोग/हानियों/चोरियों के प्रकरण		दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के लंबित प्रकरणों के अंतिम निराकरण में विलंब का कारण					
			विभागीय और आपराधिक जाँच का इंतजार		विभागीय कार्रवाई आरंभ लेकिन पूर्ण नहीं		आपराधिक कार्रवाई पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2406–वानिकी एवं वन्य जीवन	2621	1,725.32	1119	606.14	1471	1,097.72	31	21.46
योग	**3161**	**4,023.77**	**1384**	**2,463.17**	**1652**	**1,425.78**	**125**	**134.80**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय जानकारी

कुल 3161 प्रकरणों में से, 1652 प्रकरण (₹14.26 करोड़) के संबंध में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया, जबकि 1384 प्रकरणों (₹24.63 करोड़) में विभागीय और आपराधिक कार्यवाही लंबित थी।

लंबित प्रकरणों की आयु–वार स्थिति एवं प्रत्येक श्रेणी–चोरी एवं शासकीय सामग्री के गबन/हानि में लंबित प्रकरणों की संख्या को **तालिका 3.21** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.21: दुर्विनियोग, हानि, गबन, इत्यादि का विवरण

(₹ लाख में)

लंबित प्रकरणों की आयु–वार स्थिति			लंबित प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	शामिल राशि
वर्ष अन्तराल	प्रकरणों की संख्या	शामिल राशि			
0-5	262	321.90	चोरी के प्रकरण	10	22.31
			शासकीय सामग्री का दुर्विनियोग/हानि	252	299.59
5-10	659	773.18	चोरी के प्रकरण	13	21.57
			शासकीय सामग्री का दुर्विनियोग/हानि	646	751.60
10-15	471	1,716.54	चोरी के प्रकरण	102	600.82
			शासकीय सामग्री का दुर्विनियोग/हानि	369	1,115.72
15-20	114	426.66	चोरी के प्रकरण	08	10.61
			शासकीय सामग्री का दुर्विनियोग/हानि	106	416.05
20-25	180	143.57	चोरी के प्रकरण	02	0.84
			शासकीय सामग्री का दुर्विनियोग/हानि	178	142.73
25 से अधिक	1475	641.92	चोरी के प्रकरण	60	18.39
			शासकीय सामग्री का दुर्विनियोग/हानि	1415	623.54
योग	**3161**	**4,023.77**		**3161**	**4,023.77**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय जानकारी

कुल प्रकरणों में से, राशि ₹6.75 करोड़ के 195 प्रकरण, शासकीय धन/भंडार की चोरी से संबंधित एवं शेष ₹33.49 करोड़ के 2966 प्रकरण शासकीय सामग्री के दुर्विनियोग/हानि से संबंधित थे, जिनमें शासकीय सामग्री के दुर्विनियोग/हानि से संबंधित ₹6.24 करोड़ के 1415 प्रकरण, 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

3.13 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, लोक लेखा समिति/वित्त विभाग को विधानसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के एक महीने के अन्दर संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं पर स्वतः व्याख्यात्मक टीप प्रदान करने की आवश्यकता होती है। संबंधित विभागों को प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के तीन महीने के अन्दर महालेखाकार को (जांच एवं लोक लेखा समिति को आगे प्रेषित करने हेतु) कार्यान्वयन टीप प्रदान करने की भी आवश्यकता होती है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 पर 2018–19 में चर्चा की गई, जिसमें लोक लेखा समिति ने आधिक्य व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता वाली कंडिका के संबंध में नियमितीकरण की अनुशंसा की थी। तथापि, नियमितीकरण की पुष्टि दिनांक 18 दिसंबर 2025 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 पर लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा की जानी है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021–22 और 2022–23 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं का मौखिक साक्ष्य/लिखित उत्तर के माध्यम से परीक्षण हेतु चयन प्रस्ताव लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया गया है। समिति की प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है। वर्ष 2023–24 की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 जुलाई 2025 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की गई।

3.14 निष्कर्ष

विभिन्न विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित कुल राशि ₹60,113.33 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो कि निर्धारित वित्तीय नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन था तथा राज्य शासन के खराब नियंत्रण तंत्र को दर्शाते हुए अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों को इंगित करता है।

31 मार्च 2025 तक, 679 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंत शेष ₹4,812.13 करोड़ था। कुल 679 व्यक्तिगत जमा खातों में से 189 व्यक्तिगत जमा खाते, जिनमें कुल ₹206.16 करोड़ शेष थे, तीन से अधिक वर्षों से असंचालित थे। सरकार को इन खातों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए थी और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे असंचालित खाते बंद कर दिए गए हैं तथा शेषों को राज्य के कोषालय संहिता के अनुसार शासकीय लेखों में अंतरित कर दिया गया है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, ₹41,034.89 करोड जो कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹3,16,366.17 करोड़) का 12.97 प्रतिशत था, को लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार, ₹10,793.88 करोड़ जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹2,50,498.27 करोड़) का 4.31 प्रतिशत है को लेखों में 800–अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

विभागीय आंकड़ों का कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान का कार्य संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा जुलाई 2020 में ऑनलाइन शुरू किया गया है और प्राप्तियों के संबंध में 99.29 प्रतिशत तथा व्यय के संबंध में 98.50 प्रतिशत की सीमा तक मिलान किया गया है।

3.15 अच्छी प्रथाएं

- सरकार और कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान को लोक लेखे में अंतरित करने की सही लेखांकन प्रक्रिया के विपरीत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023–24 तक पहले इस अंशदान को अपनी प्राप्ति के रूप मे दर्शाया और इसके बाद इसे राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपगार लिमिटेड को अंतरित कर दिया। तथापि, राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2024–25 से कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान को लोक लेखा में अंतरित करने तथा उसके पश्चात राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपगार लिमिटेड को प्रेषित करने की स्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है।
- जुलाई 2020 में, संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा ऑनलाइन मिलान की प्रणाली की शुरूआत के बाद लेखापरीक्षा ने पाया कि मिलान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

3.16 अनुशंसाएं

- यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य शासन उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने/विलंब के कारणों की पहचान करने के लिए एक कठोर निगरानी तंत्र स्थापित करे तथा यह सुनिश्चित करें कि विभाग समय पर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करे।
- राज्य शासन को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन खातों में निष्क्रिय पड़ी निधियों को शासकीय लेखों में तत्काल अंतरित कर दिया गया है। आगे, शासन को व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेषों का विवरण प्रकट करना चाहिए।
- राज्य शासन को वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता में सुधार के लिए सर्वग्राही लघु शीर्ष–800 का उपयोग हतोत्साहित करना चाहिए। सरकार को लेखा–पुस्तकों में लेन–देनों को सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान करने के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ परामर्श कर एक विशिष्ट समय–सीमा तय करनी चाहिए।

(राम हित)
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–द्वितीय)
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांकः 30 मार्च 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 09 अप्रैल 2026

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े[29]

(संदर्भः कंडिका 1.1.3; पृष्ठ 5)

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**1,46,377**	**1,85,876**	**2,03,986**	**2,34,026**	**2,50,498**
(क) कर राजस्व (स्वयं)	54,459(37)	66,237(36)	72,611(36)	90,724(39)	94,408(38)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	17,258(32)	22,028(33)	23,397(32)	37,791(41)	35,837(38)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	13,296(24)	16,185(24)	17,719(24)	17,863(20)	19,268(20)
राज्य उत्पाद शुल्क	9,526(17)	10,334(16)	12,955(18)	13,524(15)	15,201(16)
वाहन कर	2,749(5)	3,029(5)	4,028(6)	4,606(5)	4,878(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	6,817(13)	8,098(12)	8,812(12)	10,331(11)	11,357(12)
भू–राजस्व	504(1)	733(1)	956(1)	1,079(1)	1,069(1)
माल तथा यात्री कर	75(0)	64(0)	59(0)	31(0)	22(0)
अन्य कर	4,234(8)	5,766(9)	4,685(6)	5,499(6)	6,776(7)
(ख) करेत्तर राजस्व	9,902(7)	15,305(8)	19,878(10)	19,926(9)	22,392(9)
(ग)संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	46,914(46)	69,542(51)	74,543(51)	88,665(49)	1,01,020(40)
(घ) भारत सरकार से सहायतानुदान	35,102(24)	34,792(19)	36,954(18)	34,711(15)	32,678(13)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**14**	**1,598**	**47**	**4**	**2**
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**(-)0.02**	**1.14**	**(-)0.78**	**(-)0.39**	**0.35**
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	**58**	**62**	**1,458**	**372**	**4,622**
4. कुल राजस्व तथा ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	**1,46,449**	**1,87,537**	**2,05,490**	**2,34,402**	**2,55,122**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**65,171**	**46,285**	**58,867**	**65,180**	**89,797**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	54,242	33,671	48,202	50,108	74,640
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	10,929	12,614	10,665	15,072	15,157
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**2,11,620**	**2,33,822**	**2,64,357**	**2,99,582**	**3,44,919**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**--**	**--**	**--**	**19**	**28**
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**2,35,479**	**2,29,353**	**2,63,707**	**2,92,530**	**3,67,974**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**4,47,099**	**4,63,175**	**5,28,064**	**5,92,133**	**7,12,922**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**1,64,733(84)**	**1,81,061(80)**	**1,99,895(81)**	**2,21,538(79)**	**2,48,925**(78)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	47,885(29)	49,461(27)	54,807(27)	62,830(28)	71,509(29)
सामाजिक सेवाएं	68,757(42)	71,644(40)	82,084(41)	93,007(42)	1,05,223(42)
आर्थिक सेवाएं	42,191(25)	52,831(29)	55,127(28)	57,185(26)	62,435(25)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	5,900(4)	7,125(4)	7,877(4)	8,516(4)	9,758(4)
11. पूंजीगत परिव्यय	**30,356(15)**	**40,733(18)**	**44,438(18)**	**56,538(20)**	**67,441**(21)
सामान्य सेवाएं	974(3)	989(2)	1,165(3)	1,204(2)	1,547(2)
सामाजिक सेवाएं	8,132(27)	14,352(36)	14,632(33)	21,618(38)	25,277(37)
आर्थिक सेवाएं	21,250(70)	25,392(62)	28,641(64)	33,716(60)	40,617(60)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	**1,230(1)**	**3,229(1)**	**2,360(1)**	**810(0.3)**	**3,144**(1)
12क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**(-)0.25**	**1**	**(-)0.95**	**(-)0.23**	**0.06**
13.कुल व्यय (10+11+12+12क)	**1,96,319**	**2,25,024**	**2,46,692**	**2,78,887**	**3,19,510**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**12,757**	**15,162**	**22,007**	**21,636**	**26,428**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	11,315	13,376	19,788	19,021	23,939

[29] कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उप–शीर्षक के कुल योग के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	0
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,442	1,786	2,219	2,615	2,489
15. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**2,09,076**	**2,40,186**	**2,68,699**	**3,00,522**	**3,45,938**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**--**	**--**	**19**	**15**	**13**
18. लोक लेखा संवितरण	**2,27,522**	**2,23,811**	**2,57,491**	**2,92,211**	**3,64,844**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**4,36,598**	**4,63,997**	**5,26,209**	**5,92,748**	**7,10,795**
भाग ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(–)/राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	-18,356	4,815	4,091	12,488	1,573
21. राजकोषीय घाटा(–)/राजकोषीय अधिशेष(+) (4-13)	-49,870	-37,487	-41,202	-44,485	-64,388
22. प्राथमिक घाटा(–)/अधिशेष(+) (21+23)	-33,952	-19,041	-21,749	-21,386	-38,500
भाग घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	15,918	18,446	19,453	23,098	25,888
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	30,101	28,645	31,980	29,491	34,446
25. लिया गया अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
– लिया गया अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	--
– लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर ब्याज	--	--	--	--	--
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद[30]	**9,46,218**	**11,01,168**	**12,21,813**	**13,53,809**	**15,03,395**
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	2,89,298[31]	3,23,218[32]	3,63,952[33]	4,08,888[34]	4,68,435[35]
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	37,010	35,006	39,788	45,551	45,307
30. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	54,464	60,634	67,624	69,417	70,405
भाग ङ राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक (प्रतिशत में)					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5.76	6.02	5.94	6.70	6.28
स्वयं के करेत्तर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.05	1.39	1.63	1.47	1.49
स्वयं के राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.80	7.41	7.57	8.17	7.77
स्वयं के राजस्व/कुल व्यय	32.78	36.24	37.49	39.68	36.56
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.75	20.44	20.19	20.60	21.25
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	134.12	121.06	120.94	119.17	127.55
राजस्व व्यय/कुल व्यय	83.91	80.46	81.03	79.44	77.91
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	71.48	72.98	73.16	73.70	73.10
पूंजीगत परिव्यय/कुल व्यय	15.46	18.1	18.01	20.27	21.11

[30] वर्ष 2020–21 से 2023–24 के लिये शासन द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।
[31] इसमें से ₹4,542 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।
[32] इसमें से ₹11,553 (₹7,011+₹4,542) करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।
[33] इसमें से ₹11,553 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।
[34] इसमें से ₹11,553 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।
[35] इसमें से ₹2,976 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत परिव्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.21	3.70	3.64	4.18	4.49
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(–)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-1.94	0.44	0.33	0.92	0.10
राजकोषीय घाटा(–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-5.27	-3.40	-3.37	-3.29	-4.28
प्राथमिक घाटा(–)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-3.59	-1.73	-1.78	-1.58	-2.56
IV ऋण संधारणीयता					
बकाया देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	30.57	29.35	29.79	30.20	31.16
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	10.87	9.92	9.54	9.87	10.33

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.2

वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त सार

(संदर्भः कंडिकाएं 1.1.4, 1.2.4.1 एवं 1.2.4.2; पृष्ठ 6, 24 एवं 29)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25	2023-24
भाग क: राजस्व					
I. राजस्व प्राप्तियां	**2,50,498**	**2,34,026**	**I.** राजस्व व्यय	**2,48,925**	**2,21,538**
कर राजस्व	94,408	90,724	सामान्य सेवाएं	71,509	62,830
			सामाजिक सेवाएं	1,05,223	93,007
करेत्तर राजस्व	22,392	19,926	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	39,750	36,604
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14,603	13,804
संघीय करों में राज्यांश	1,01,020	88,665	जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	11,260	8,179
			सूचना एवं प्रसारण	675	1,017
			अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,332	4,442
			श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,927	1,141
			समाजिक कल्याण एवं पोषण	31,568	27,703
			अन्य	108	117
			आर्थिक सेवाएं-	**62,435**	**57,184**
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं	24,967	25,855	कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	15,176	13,035
			ग्रामीण विकास	9,123	9,796
वित्त आयोग अनुदान	6,961	5,306	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,752	1,474
राज्यों के लिए अन्य हस्तांतरण/अनुदान	750	3,550	ऊर्जा	26,801	26,850
			उद्योग एवं खनिज	7,491	3,839
			परिवहन	1,550	1,765
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	217	164
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	325	261
			सहायता अनुदान एवं अंशदान	**9,758**	**8,517**
II. अग्रेनित राजस्व घाटा	--	--	**II.** अग्रेनित राजस्व अधिशेष	**1,573**	**12,488**

भाग ख : पूंजीगत					
III. स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष	**18,534**	**19,152**	**III.** भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष	0	0
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**2**	**4**	**IV.** पूंजीगत परिव्यय	**67,441**	**56,539**
			सामान्य सेवाएं	**1,547**	**1,204**
			सामाजिक सेवाएं	**25,277**	**21,618**
			शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4,515	3,887
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,080	2,505
			जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	17,154	13,670
			सूचना एवं प्रसारण	3	1

प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25	2023-24
			अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,307	1,343
			समाजिक कल्याण एवं पोषण	165	139
			अन्य	54	73
			आर्थिक सेवाएं-	**40,617**	**33,716**
			कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	1,063	2,230
			ग्रामीण विकास	2,523	2,355
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	18,843	14,694
			ऊर्जा	5,819	1,174
			उद्योग एवं खनिज	2,176	1,702
			परिवहन	9,764	11,343
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	145	73
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	284	145
V. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	**4,622**	**372**	**V. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण**	**3,144**	**809**
विद्युत परियोजनाओं से	4,455	315	विद्युत परियोजनाओं के लिए	28	195
सरकारी कर्मचारियों से	0.02	0.02	सरकारी कर्मचारियों के लिए	0	0
अन्यों से	166.98	56.98	अन्यों को	3,116	615
VI. अधोनीत राजस्व अधिशेष	**1,573**	**12,488**	**VI. अधोनीत राजस्व घाटा**	0	0
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	**89,797**	**65,180**	**VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान**	**26,428**	**21,636**
बाह्य ऋण			बाह्य ऋण		
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आंतरिक ऋण	74,640	50,108	अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आंतरिक ऋण	**23,939**	**19,021**
अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन–देन	0	**0**	अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन–देन	**0**	**0**
अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन–देन	0	**0**	अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन–देन	**0**	**0**
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	15,157	15,071	केन्द्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान	**2,489**	**2,615**
VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0	**0**	**VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोजन**	**0**	**0**
IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	**28**	**19**	**IX. . आकस्मिकता निधि से व्यय**	**13**	**15**
X. लोक लेखा प्राप्तियां	**3,67,974**	**2,92,530**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**3,64,844**	**2,92,212**
अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	3,785	3,952	अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	**5,417**	**4,996**
आरक्षित निधियां	8,593	9,555	आरक्षित निधियां	**8,281**	**5,953**
उचंत तथा विविध	2,32,910	2,04,759	उचंत तथा विविध	**2,31,466**	**2,06,355**
प्रेषण	32,887	28,211	प्रेषण	**36,071**	**27,688**
जमा एवं अग्रिम	89,799	46,053	जमा एवं अग्रिम	**83,609**	**47,220**

प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25	2023-24
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष	**0**	**0**	**XI.** वर्ष के अंत में रोकड़ शेष	**20,660**	**18,534**
			कोषालय में रोकड़ शेष तथा स्थानीय प्रेषण	**0**	**0**
			रिजर्व बैंक में जमा	**-400.38**	**-508.49**
			स्थायी अग्रिमों सहित रोकड़ शेष	**-2.68**	**-2.54**
			उद्दिष्ट निधि में निवेश	**1,088**	**974**
			रोकड़ शेष निवेश	**19,975**	**18,071**
योग	**7,33,028**	**6,23,771**	योग	**7,33,028**	**6,23,771**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3

31 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति का सारांशीकरण

(संदर्भः कंडिका 1.1.5, पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2025 तक
	देयताएं	
2,82,515.51	**आंतरिक ऋण -**	**3,33,216.47**
2,22,625.39	ब्याज सहित बाजार ऋण	2,70,567.39
0.26	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.17
-0.87	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	-1.09
59,890.73	अन्य संस्थाओं से ऋण	62,650
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
0	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	0
62,254.31	**केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम -**	**66,345.46**
1.88	1984–85 से पहले ऋण	1.88
11.03	आयोजनेत्तर ऋण	7.76
8,092.44	राज्य नियोजित योजनाओं के लिए ऋण	5,608.08
0	केन्द्र नियोजित योजनाओं के लिए ऋण	0
0	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	0
54,148.96	राज्यों/विधान सभा वाले राज्यों की योजनाओं के लिए ऋण	60,727.74
1,000.00	**आकस्मिकता निधि**	**1,000.00**
16,976.37	**लघु बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि**	**15,344.25**
20,544.55	**जमाएं**	**26734.35**
27,571.12	**आरक्षित निधि अग्रिम**	**27,882.96**
735.68	**उचंत एवं विविध शेष**	**2,181.86**
6,200.69	**प्रेषण शेष**	**3,016.85**
0	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	**0**
63,482.37	**व्यय की तुलना में प्राप्तियों का संचित अधिशेष**	**73,632.30**
4,81,280.60	**योग**	**5,49,354.50**
	परिसंपत्तियां	
4,14,464.87	**स्थिर परिसंपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय–**	**4,81,905.78**
47,483.80	कंपनियों के अंशों, निगमों में निवेश–	54,475.96
3,66,981.07	अन्य पूंजीगत परिव्यय–	4,27,429.82
48,263.44	**ऋण एवं अग्रिम–**	**46,785.27**
26,938.74	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	23,418.91
21,136.90	अन्य विकास ऋण	23,178.58
187.80	सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अन्य विविध ऋण	187.78
3.50	**अग्रिम**	**3.58**
0	**प्रेषण शेष**	**0**
0	**उचंत एवं विविध शेष**	**0**
18,533.79	**रोकड़**	**20,659.87**
0	कोषालय एवं स्थानीय प्रेषण में रोकड़	0
-508.49	रिजर्व बैंक में जमाएं	-400.38
-2.54	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	-2.68
0	प्रतिभूति जमाएं	0
973.76	उद्दिष्ट निधि में रोकड़ शेष निवेश	1,088.29
18,071.06	**रोकड़ शेष निवेश**	19,974.64
0	**शासकीय लेखे में घाटा–**	**0**

31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2025 तक
0	(i) चालू वर्ष के राजस्व अधिशेष को घटाना	0
0	(ii) आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन	0
0	वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	0
15	**आकस्मिकता निधि**	**0**
4,81,280.60	**योग**	**5,49,354.50**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1

बिना बजट प्रावधान या पुनर्विनियोजन के व्यय (₹ दो करोड़ से अधिक)

(संदर्भः कंडिका 2.5.1; पृष्ठ 62)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	प्रकरणों की संख्या	किया गया व्यय
1	12-ऊर्जा	4801-05-190-0101-2051	5	4,455.00
2		4801-05-190-0704-9542		632.39
3		4801-05-190-0705-9542		128.83
4		4801-05-190-0706-9542		77.82
5		4801-05-190-0410-9654		13.44
6	22-नगरीय विकास एवं आवास	2217-05-800-0701-1544	4	16.06
7		2217-05-800-0704-1544		5.35
8		2217-05-800-0701-1545		2.06
9		2217-05-800-0710-7839		58.47
		योग		**5,389.42**

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

परिशिष्ट 2.2

ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ तीन करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भः कंडिका 2.5.3; पृष्ठ 64)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट में से बचतें
अ–राजस्व (दत्तमत)					
1	1-सामान्य प्रशासन	976.21	3.83	668.72	307.49
2	3-गृह	10,462.43	10.80	8,885.55	1,576.88
3	7-वाणिज्यिक कर	2,558.33	25.31	2,423.67	134.65
4	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	9,765.66	72.82	6,209.00	3,556.66
5	10-वन	2,523.89	131.92	2,119.60	404.29
6	16-मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	204.74	124.32	197.60	7.14
7	17-सहकारिता	963.84	84.50	867.40	96.44
8	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14,235.44	290.00	11,085.49	3,149.95
9	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1,101.34	84.00	981.32	120.01
10	22-नगरीय विकास एवं आवास	10,283.50	65.38	8,837.12	1,446.38
11	23-जल संसाधन	1,459.47	78.00	1,295.28	164.19
12	24-लोक निर्माण कार्य	2,608.35	242.00	2,055.24	553.11
13	29-विधि और विधायी कार्य	3,436.91	5.29	2,598.48	838.43
14	30-ग्रामीण विकास	15,317.94	1,061.00	15,000.81	317.13
15	33-जनजातीय कार्य	10,760.75	324.30	9,229.89	1,530.86
16	38-आयुष	821.42	54.32	709.09	112.33
17	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,496.96	10.00	1,161.38	335.58
18	40-पंचायत	9,123.15	85.00	6,940.50	2,182.65
19	44-उच्च शिक्षा	3,247.20	34.59	2,481.69	765.51
20	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1,849.20	301.44	1,741.54	107.66
21	49-अनुसूचित जाति कल्याण	2,117.91	140.00	1,356.41	761.49
22	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	510.80	44.00	354.15	156.65
23	54-पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,499.35	567.34	1,403.47	95.89
24	55-महिला एवं बाल विकास	26,253.59	550.01	25,634.39	619.20
	योग	**1,33,578.36**	**4,390.18**	**1,14,237.79**	**19,340.57**
ब–राजस्व (भारित)					
25	29-विधि और विधायी कार्य	305.37	5.40	234.65	70.72
	योग	**305.37**	**5.40**	**234.65**	**70.72**

स. क्र.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट में से बचतें
स–पूंजीगत (दत्तमत)					
26	5-जेल	110.59	15.00	38.82	71.76
27	6-वित्त	402.87	150.00	266.44	136.43
28	22-नगरीय विकास एवं आवास	4,976.40	570.00	3,691.82	1,284.58
29	29-विधि और विधायी कार्य	483.60	10.00	254.56	229.04
30	30-ग्रामीण विकास	3,428.12	905.39	3,347.40	80.72
31	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	609.49	8.00	565.66	43.83
32	43-खेल एवं युवा कल्याण	354.95	89.26	331.85	23.09
33	44-उच्च शिक्षा	618.93	110.43	485.75	133.18
	योग	10,984.94	1,858.08	8,982.30	2,002.64
	महायोग	**1,44,868.68**	**6,253.66**	**1,23,454.74**	**21,413.93**

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

परिशिष्ट 2.3

ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक साबित हुए

(संदर्भः कंडिका 2.5.3; पृष्ठ 64)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (बचतें)
अ–राजस्व (दत्तमत)						
1	11-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	1,862.05	926.00	2,788.05	2,783.65	4.40
2	12-ऊर्जा	10,709.56	12,998.43	23,707.99	19,662.44	4,045.56
3	18-श्रम	1,000.01	800.00	1,800.01	1,666.63	133.38
4	35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	969.02	1,525.80	2,494.82	2,460.43	34.39
5	48-नर्मदा घाटी विकास	355.97	141.90	497.87	488.15	9.72
	योग	**14,896.61**	**16,392.13**	**31,288.74**	**27,061.30**	**4,227.44**
ब–राजस्व (भारित)						
6	22-नगरीय विकास एवं आवास	1244.05	229.35	1473.40	1297.54	175.86
	योग	**1,244.05**	**229.35**	**1,473.40**	**1,297.54**	**175.86**
स–पूंजीगत (दत्तमत)						
7	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	9,175.60	6,359.70	15,535.30	14,839.74	695.55
8	23-जल संसाधन	5,778.60	2,515.14	8,293.73	8,240.72	53.01
9	24-लोक निर्माण कार्य	7,511.47	2,342.00	9,853.47	9,236.45	617.02
10	36-परिवहन	21.72	21.00	42.72	40.24	2.48
11	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	18.70	2,000.00	2,018.70	2,012.32	6.38
12	48-नर्मदा घाटी विकास	5,990.76	4,864.50	10,855.26	10,736.05	119.21
	योग	**28,496.85**	**18,102.34**	**46,599.18**	**45,105.52**	**1,493.67**
द–पूंजीगत (भारित)						
13	24-लोक निर्माण कार्य	45.00	500.00	545.00	520.00	25.00
	योग	**45.00**	**500.00**	**545.00**	**520.00**	**25.00**
	महायोग	**44,682.51**	**35,223.82**	**79,906.33**	**73,984.36**	**5,921.96**

स्रोतः मासिक विनियोग लेखे 2024–25

परिशिष्ट 2.4

2024–25 के दौरान निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(संदर्भः कंडिका 2.5.4; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वास्तविक अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचतें (-) / आधिक्य(+)
पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से प्रावधान में कमी, जिससे आधिक्य व्यय हुआ								
1	1	01-2013-00-105-5839	200.00	0.00	-5.40	194.60	194.74	0.14
2	1	01-2235-60-200-5710	82.00	0.00	-33.53	48.47	48.83	0.35
3	3	03-2055-00-113-2634	5.00	0.00	-3.47	1.53	1.98	0.45
4	3	03-2055-00-109-4491	16.20	0.00	-4.20	12.00	26.16	14.15
5	3	03-2055-00-109-4491	84.00	0.00	-30.42	53.58	54.34	0.75
6	10	10-2406-01-203-0535	15.50	0.00	-5.15	10.35	11.51	1.15
7	13	13-2401-00-800-0701-5626	88.70	0.00	-73.77	14.93	51.36	36.43
8	13	13-2401-00-800-0702-5626	31.47	0.00	-17.05	14.42	23.21	8.79
9	13	13-2401-00-102-0701-7499	18.60	0.00	-17.21	1.39	8.18	6.79
10	13	13-2401-00-102-0702-7499	6.60	0.00	-4.00	2.60	4.21	1.61
11	13	13-2401-00-108-0701-7500	29.99	0.00	-9.51	20.48	23.38	2.90
12	13	13-2401-00-108-0702-7500	10.28	0.00	-4.08	6.20	6.86	0.66
13	13	13-2401-00-108-0703-7500	9.13	0.00	-5.13	4.01	4.64	0.63
14	13	13-2401-00-102-0703-7501	32.06	0.00	-13.75	18.32	26.33	8.01
15	14	14-2403-00-102-0102-1108	52.92	0.00	-13.48	39.44	39.46	0.02
16	14	14-2403-00-101-0701-1458	15.32	0.00	-6.57	8.75	9.05	0.31
17	17	17-2425-00-107-0102-9254	138.00	0.00	-68.00	70.00	70.07	0.07
18	23	23-4701-E2-800-0101-2884	0.00	8.55	-5.55	3.00	5.80	2.80
19	23	23-4702-00-101-1901-3803	500.00	0.00	-137.66	362.34	363.88	1.54
20	24	24-4217-01-050-0101-7218	36.00	0.00	-34.99	1.01	5.00	3.99
21	24	24-5054-04-337-1902-2457	209.62	0.00	-35.00	174.62	179.88	5.26
22	24	24-5054-04-337-1903-4557	128.00	0.00	-65.00	63.00	67.25	4.25
23	24	24-5054-03-337-1902-5139	53.00	0.00	-44.91	8.09	9.72	1.63
24	28	28-2011-02-101-4007	7.70	0.00	-3.48	4.22	4.42	0.20
25	33	33-4225-02-277-0102-0762	36.00	0.00	-21.90	14.10	14.26	0.16
26	43	43-4202-03-800-0101-6703	17.11	0.00	-11.00	6.11	15.11	9.00
27	48	48-4700-43-001-0101-2428	20.50	0.00	-3.38	17.12	17.19	0.07
28	48	48-4700-43-800-0101-2884	15.00	0.00	-10.21	4.79	4.81	0.02
		योग	**1,858.71**	**8.55**	**-687.80**	**1,179.46**	**1,291.59**	**112.13**
प्रावधान में वृद्धि अनुचित सिद्ध हुई								
29	20	20-4215-01-800-1701-7301	2.20	10.00	10.80	23.00	9.76	-13.24
30	27	27-2202-02-109-0581	1,125.18	0.00	48.89	1,174.07	1,038.19	-135.88
31	35	35-2851-00-800-0101-2124	267.00	683.00	48.00	998.00	950.00	-48.00
32	43	43-4202-03-102-0101-7662	0.00	0.00	89.26	89.26	0.00	-89.26
33	50	50-2401-00-119-0701-5116	21.69	36.85	14.46	73.00	28.83	-44.17
34	50	50-2401-00-119-0702-5116	11.52	4.80	7.68	24.00	10.50	-13.50
35	50	50-2401-00-119-0703-5116	9.39	2.35	6.26	18.00	6.29	-11.71
		योग	**1,436.98**	**737.00**	**225.35**	**2,399.33**	**2,043.57**	**-355.76**
		महायोग	**3,295.69**	**745.55**	**-462.45**	**3,578.79**	**3,335.16**	**-243.63**

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

परिशिष्ट 2.5

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान समर्पण के पश्चात् बृहद् बचतों वाली अनुदानें (₹100 करोड़ से अधिक)

(संदर्भः कंडिका 2.5.5; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	समर्पण	बचतें (समर्पण के पश्चात्)
अ–राजस्व (दत्तमत)						
1	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	9,838.48	6,209.00	3,629.48	3,351.52	277.96
2	12-ऊर्जा	23,707.99	19,662.44	4,045.56	0.00	4,045.56
3	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	19,689.11	17,231.08	2,458.03	2,172.90	285.13
4	16-मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	329.06	197.60	131.46	14.52	116.95
5	18-श्रम	1,800.01	1,666.63	133.38	24.46	108.91
6	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14,525.44	11,085.49	3,439.95	0.00	3,439.95
7	22-नगरीय विकास एवं आवास	10,348.88	8,837.12	1,511.76	14.73	1,497.03
8	23-जल संसाधन	1,537.47	1,295.28	242.19	3.79	238.40
9	24-लोक निर्माण कार्य	2,850.35	2,055.24	795.11	0.00	795.11
10	27-स्कूल शिक्षा	30,117.29	28,756.40	1,360.90	197.07	1,163.83
11	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,506.96	1,161.38	345.58	6.97	338.60
12	40-पंचायत	9,208.15	6,940.50	2,267.65	0.00	2,267.65
13	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2,150.64	1,741.54	409.10	0.00	409.10
14	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	554.80	354.15	200.65	0.00	200.65
15	52-चिकित्सा शिक्षा	3,292.11	2,508.05	784.06	0.00	784.06
16	54-पिछड़ा वर्ग कल्याण	2,066.69	1,403.47	663.23	0.00	663.23
	योग	**1,33,523.43**	**1,11,105.36**	**22,418.07**	**5,785.96**	**16,632.11**
ब–राजस्व (भारित)						
17	6-वित्त	144.66	17.57	127.09	0.04	127.05
18	22-नगरीय विकास एवं आवास	1,473.40	1,297.54	175.86	0.05	175.81
19	CH-II-भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	27,399.86	25,887.86	1,511.99	0.30	1,511.70
	योग	**29,017.92**	**27,202.97**	**1,814.95**	**0.39**	**1,814.56**
स–पूंजीगत (दत्तमत)						
20	2-विमानन	176.12	44.64	131.48	0.00	131.48
21	6-वित्त	552.87	266.44	286.43	22.91	263.53
22	12-ऊर्जा	8,557.47	6,769.56	1,787.91	0.00	1,787.91
23	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,273.07	727.69	545.38	0.00	545.38
24	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	15,535.30	14,839.74	695.55	6.10	689.45
25	22-नगरीय विकास एवं आवास	5,546.40	3,691.82	1,854.58	0.52	1,854.06
26	24-लोक निर्माण कार्य	9,853.47	9,236.45	617.02	2.00	615.02
27	43-खेल और युवा कल्याण	444.21	331.85	112.35	0.00	112.35
28	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	816.92	383.12	433.79	0.00	433.79
29	52-चिकित्सा शिक्षा	1,638.61	1,330.84	307.77	0.00	307.77

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	समर्पण	बचतें (समर्पण के पश्चात्)
30	53-अल्प संख्यक कल्याण	140.03	0.00	140.03	0.00	140.03
	योग	**44,534.47**	**37,622.16**	**6,912.31**	**31.53**	**6,880.78**
द–पूंजीगत (भारित)						
31	CH-I-भारित विनियोग–लोक ऋण	29,696.85	26,428.21	3,268.64	1.96	3,266.68
	योग	**29,696.85**	**26,428.21**	**3,268.64**	**1.96**	**3,266.68**
	महायोग	**2,36,772.67**	**2,02,358.70**	**34,413.97**	**5,819.84**	**28,594.13**

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

परिशिष्ट 2.6

वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 के दौरान सतत् बचतों (₹100 करोड़ से अधिक) वाली अनुदानें

(संदर्भः कंडिका 2.5.5; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या एवं अनुदान का नाम	बचतें		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**
राजस्व (दत्तमत)				
1	1-सामान्य प्रशासन	267.05	191.32	311.32
2	3-गृह	1,145.70	1,287.34	1,587.68
3	7-वाणिज्यिक कर	238.19	198.51	159.96
4	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2,362.50	3,097.29	3,629.48
5	10-वन	298.36	465.12	536.22
6	12-ऊर्जा	225.00	186.67	4,045.56
7	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	3,204.80	3,348.34	2,458.03
8	14-पशुपालन एवं डेयरी	340.87	447.73	761.36
9	16-मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	133.11	103.97	131.46
10	17-सहकारिता	188.21	118.25	180.94
11	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,273.62	1,458.13	3,439.95
12	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	117.70	201.80	204.01
13	22-नगरीय विकास एवं आवास	1,218.38	1,930.83	1,511.76
14	23-जल संसाधन	306.97	372.08	242.19
15	24-लोक निर्माण कार्य	621.03	364.09	795.11
16	27-स्कूल शिक्षा	2,820.65	2,093.23	1,360.90
17	29-विधि और विधायी कार्य	450.87	465.19	843.73
18	30-ग्रामीण विकास	4,822.73	6,000.15	1,378.13
19	33-जनजातीय कार्य	1,319.55	1,777.60	1,855.16
20	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	211.29	218.94	345.58
21	40-पंचायत	2,546.20	2,181.18	2,267.65
22	44-उच्च शिक्षा	664.10	791.08	800.10
23	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	258.90	943.22	409.10
24	49-अनुसूचित जाति कल्याण	280.37	833.82	901.49
25	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	374.63	178.83	200.65
26	54-पिछड़ा वर्ग कल्याण	251.05	346.20	663.23
27	55-महिला एवं बाल विकास	1,209.80	649.48	1,169.21
	योग	**27,151.63**	**30,250.39**	**32,189.96**
राजस्व (भारित)				
28	6-वित्त	101.88	1,086.45	127.09
29	CH-II-भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2,713.17	1,483.39	1,511.99
	योग	**2,815.05**	**2,569.84**	**1,639.08**
पूंजीगत (दत्तमत)				
30	2-विमानन	120.92	189.76	131.48
31	6-वित्त	1,325.91	401.35	286.43
32	12-ऊर्जा	4,771.71	20,482.47	1,787.91
33	17-सहकारिता	1,020.05	500.45	704.56
34	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1,073.17	1,239.39	695.55
35	24-लोक निर्माण कार्य	281.15	533.81	617.02

स.क्र.	अनुदान संख्या एवं अनुदान का नाम	बचतें		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**
36	26-संस्कृति	323.95	200.46	528.24
37	30-ग्रामीण विकास	298.13	763.07	986.11
38	33-जनजातीय कार्य	411.41	274.11	405.12
39	44-उच्च शिक्षा	119.47	228.53	243.61
40	48-नर्मदा घाटी विकास	147.26	235.63	119.21
41	49-अनुसूचित जाति कल्याण	108.16	113.23	111.87
	योग	**10,001.29**	**25,162.26**	**6,617.11**
पूंजीगत (भारित)				
42	CH-I- भारित विनियोग–लोक ऋण	2,107.86	2,915.27	3,268.64
	योग	**2,107.86**	**2,915.27**	**3,268.64**
	महायोग	**42,075.83**	**60,897.76**	**43,714.79**

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

परिशिष्ट 2.7

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, बजट का अनुदान–वार उपयोग का प्रतिशत एवं बचतें

(संदर्भः कंडिका 2.5.5; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचतें	उपयोग का प्रतिशत	सीमा
1	4-पर्यावरण	38.71	2.02	36.69	5.22	50.00 तक
2	9-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	64.01	1.12	62.89	1.75	
3	26-संस्कृति	1,080.78	477.10	603.68	44.14	
4	53-अल्पसंख्यक कल्याण	156.51	10.70	145.81	6.83	
5	57-आनंद	15.00	4.32	10.68	28.80	
	योग	**1,355.01**	**495.26**	**859.75**	**36.55**	
6	1-सामान्य प्रशासन	1,144.65	760.07	384.58	66.40	50.01 से 75.00
7	2-विमानन	383.56	193.57	189.99	50.47	
8	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	10,298.21	6,549.07	3,749.14	63.59	
9	14-पशुपालन एवं डेयरी	2,149.92	1,342.88	807.04	62.46	
10	15-घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	49.09	34.12	14.97	69.49	
11	16-मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	354.37	216.44	137.93	61.08	
12	17-सहकारिता	2,053.75	1,168.13	885.62	56.88	
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15,798.72	11,813.18	3,985.54	74.77	
14	21-लोक सेवा प्रबंधन	121.67	69.81	51.86	57.38	
15	28-राज्य विधान मंडल	143.35	91.22	52.13	63.63	
16	29-विधि और विधायी कार्य	4,252.01	3,090.63	1,161.38	72.69	
17	36-परिवहन	190.59	123.00	67.59	64.53	
18	41-प्रवासी भारतीय	19.50	14.29	5.21	73.29	
19	42-भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	158.75	113.41	45.34	71.44	
20	43-खेल और युवा कल्याण	676.22	501.21	175.01	74.12	
21	44-उच्च शिक्षा	4,011.64	2,967.58	1,044.06	73.97	
22	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	31.60	20.52	11.08	64.94	
23	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2,967.66	2,124.70	842.96	71.60	
24	49-अनुसूचित जाति कल्याण	2,466.86	1,453.40	1,013.46	58.92	
25	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	562.98	358.76	204.22	63.73	
26	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	115.43	66.33	49.10	57.47	
27	54-पिछड़ा वर्ग कल्याण	2,067.90	1,403.50	664.40	67.87	
28	56-कुटीर एवं ग्रामोद्योग	152.60	89.61	62.99	58.72	
	योग	**50,171.03**	**34,565.43**	**15,605.60**	**68.90**	
29	3-गृह	11,303.57	9,626.67	1,676.90	85.16	75.01 से 90.00
30	5-जेल	742.13	586.65	155.48	79.05	
31	10-वन	4,822.23	4,075.72	746.51	84.52	
32	12-ऊर्जा	32,265.47	26,432.00	5,833.47	81.92	
33	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	19,717.77	17,233.72	2,484.05	87.40	
34	22-नगरीय विकास एवं आवास	17,608.68	14,033.66	3,575.02	79.70	

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचतें	उपयोग का प्रतिशत	सीमा
35	24-लोक निर्माण कार्य	13,258.83	11,812.37	1,446.46	89.09	
36	30-ग्रामीण विकास	20,712.51	18,348.20	2,364.31	88.59	
37	33-जनजातीय कार्य	12,977.66	10,717.32	2,260.34	82.58	
38	38-आयुष	899.98	727.85	172.13	80.87	
39	40-पंचायत	9,208.15	6,940.50	2,267.65	75.37	
40	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	472.34	355.68	116.66	75.30	
41	52-चिकित्सा शिक्षा	4,930.82	3,838.89	1,091.93	77.86	
42	CH-I-भारित विनियोग–लोक ऋण	29,696.85	26,428.21	3,268.64	88.99	
	योग	**1,78,616.99**	**1,51,157.44**	**27,459.55**	**84.63**	
43	6-वित्त	27,025.96	26,810.19	215.77	99.20	90.01 से 100.00
44	7-वाणिज्यिक कर	2,646.33	2,447.15	199.18	92.47	
45	11-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	3,796.21	3,791.65	4.56	99.88	
46	18-श्रम	1,801.97	1,666.82	135.15	92.50	
47	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	16,722.88	15,823.30	899.58	94.62	
48	23-जल संसाधन	9,841.31	9,544.63	296.68	96.99	
49	25-खनिज साधन	2,346.65	2,301.93	44.72	98.09	
50	27-स्कूल शिक्षा	33,532.69	32,094.75	1,437.94	95.71	
51	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	988.91	902.25	86.66	91.24	
52	32-जनसंपर्क	736.08	718.40	17.68	97.60	
53	34-सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	4,603.88	4,405.45	198.43	95.69	
54	35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2,744.04	2,671.14	72.90	97.34	
55	37-पर्यटन	413.87	404.49	9.38	97.73	
56	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	3,525.68	3,173.70	351.98	90.02	
57	48-नर्मदा घाटी विकास	11,354.63	11,224.39	130.24	98.85	
58	55-महिला एवं बाल विकास	27,110.35	25,799.32	1,311.03	95.16	
59	CH-II-भारित विनियोग– ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	27,399.86	25,887.86	1,512.00	94.48	
	योग	**1,76,591.30**	**1,69,667.42**	**6,923.88**	**96.08**	
	महायोग	**4,06,734.33**	**3,55,885.55**	**50,848.78**	**87.50**	

स्रोतः विनियोग लेखे 2024–25

परिशिष्ट 2.8

समर्पित नहीं की गयी बचतें

(संदर्भः कंडिका 2.5.5; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	समर्पित नहीं की गयी राशि
1	1-सामान्य प्रशासन	1,140.24	4.40	1,144.65	760.07	384.58	64.58
2	2-विमानन	383.56	0.00	383.56	193.57	189.99	189.99
3	3-गृह	11,292.02	11.55	11,303.57	9,626.67	1,676.90	2.09
4	4-पर्यावरण	38.71	0.00	38.71	2.02	36.69	36.69
5	5-जेल	727.01	15.12	742.13	586.65	155.48	5.55
6	6-वित्त	26,875.96	150.00	27,025.96	26,810.19	215.78	178.47
7	7-वाणिज्यिक कर	2,621.02	25.31	2,646.33	2,447.15	199.18	12.76
8	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	10,225.29	72.92	10,298.21	6,549.07	3,749.13	335.87
9	9-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	63.86	0.15	64.01	1.12	62.89	62.89
10	10-वन	4,686.97	135.25	4,822.23	4,075.72	746.51	50.67
11	11-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2,820.21	976.00	3,796.21	3,791.65	4.56	0.08
12	12-ऊर्जा	19,267.03	12,998.43	32,265.47	26,432.00	5,833.47	5,833.47
13	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	19,717.77	0.00	19,717.77	17,233.72	2,484.05	285.13
14	14-पशुपालन एवं डेयरी	2,149.92	0.00	2,149.92	1,342.88	807.04	0.00
15	15-घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	48.11	0.98	49.09	34.12	14.98	14.98
16	16-मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	229.99	124.38	354.37	216.44	137.93	123.41
17	17-सहकारिता	1,969.25	84.50	2,053.75	1,168.13	885.62	78.55
18	18-श्रम	1,001.97	800.00	1,801.97	1,666.82	135.15	110.50
19	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15,508.72	290.00	15,798.72	11,813.18	3,985.54	3,985.54
20	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	10,279.18	6,443.70	16,722.88	15,823.30	899.58	754.71
21	21-लोक सेवा प्रबंधन	121.67	0.00	121.67	69.81	51.86	48.06
22	22-नगरीय विकास एवं आवास	16,743.95	864.73	17,608.68	14,033.66	3,575.02	3,559.72
23	23-जल संसाधन	7,248.17	2,593.14	9,841.31	9,544.63	296.68	239.61
24	24-लोक निर्माण कार्य	10,174.83	3,084.00	13,258.83	11,812.37	1,446.45	1,444.45
25	25-खनिज साधन	2,346.65	0.00	2,346.65	2,301.93	44.72	44.72
26	26-संस्कृति	1,080.78	0.00	1,080.78	477.10	603.68	21.43
27	27-स्कूल शिक्षा	33,532.69	0.00	33,532.69	32,094.75	1,437.94	1,211.39
28	28- राज्य विधान मंडल	143.35	0.00	143.35	91.22	52.13	22.22
29	29- विधि और विधायी कार्य	4,231.32	20.69	4,252.01	3,090.63	1,161.38	49.57
30	30- ग्रामीण विकास	18,746.12	1,966.39	20,712.51	18,348.20	2,364.31	92.37
31	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	980.91	8.00	988.91	902.25	86.67	9.59
32	32- जनसंपर्क	736.08	0.00	736.08	718.40	17.68	0.36
33	33-जनजातीय कार्य	12,653.36	324.30	12,977.66	10,717.32	2,260.34	17.50

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	समर्पित नहीं की गयी राशि
34	34-सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	4,603.88	0.00	4,603.88	4,405.45	198.43	117.41
35	35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	1,218.24	1,525.80	2,744.04	2,671.14	72.89	72.89
36	36-परिवहन	169.59	21.00	190.59	123.00	67.60	66.03
37	37-पर्यटन	282.33	131.54	413.87	404.49	9.38	8.80
38	38-आयुष	845.46	54.52	899.98	727.85	172.13	48.86
39	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,515.68	2,010.00	3,525.68	3,173.70	351.98	343.73
40	40-पंचायत	9,123.15	85.00	9,208.15	6,940.50	2,267.65	2,267.65
41	41-प्रवासी भारतीय	19.50	0.00	19.50	14.29	5.21	0.00
42	42-भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	158.75	0.00	158.75	113.41	45.34	4.74
43	43-खेल और युवा कल्याण	586.42	89.80	676.22	501.21	175.00	175.00
44	44-उच्च शिक्षा	3,866.48	145.16	4,011.64	2,967.58	1,044.06	9.09
45	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	31.60	0.00	31.60	20.52	11.08	11.08
46	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	472.34	0.00	472.34	355.68	116.66	0.00
47	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2,666.21	301.44	2,967.66	2,124.70	842.95	842.95
48	48-नर्मदा घाटी विकास	6,348.23	5,006.40	11,354.63	11,224.39	130.24	6.47
49	49-अनुसूचित जाति कल्याण	2,326.86	140.00	2,466.86	1,453.40	1,013.46	0.00
50	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	518.98	44.00	562.98	358.76	204.22	204.22
51	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	115.43	0.00	115.43	66.33	49.10	49.10
52	52-चिकित्सा शिक्षा	4,930.82	0.00	4,930.82	3,838.89	1,091.93	1,091.93
53	53-अल्प संख्यक कल्याण	156.51	0.00	156.51	10.70	145.82	145.82
54	54-पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,499.56	568.34	2,067.90	1,403.50	664.39	664.39
55	55-महिला एवं बाल विकास	26,560.34	550.01	27,110.35	25,799.32	1,311.02	0.00
56	56-कुटीर एवं ग्रामोद्योग	152.60	0.00	152.60	89.61	62.99	62.99
57	57-आनंद	15.00	0.00	15.00	4.32	10.68	0.00
58	CH-I- भारित विनियोग . लोक ऋण	29,696.85	0.00	29,696.85	26,428.21	3,268.64	3,266.68
59	CH-II- भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	27,399.86	0.00	27,399.86	25,887.86	1,511.99	1,511.70
	महायोग	**3,65,067.37**	**41,666.97**	**4,06,734.34**	**3,55,885.59**	**50,848.75**	**29,858.45**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 2.9

मार्च 2025 के अंतिम दिन ₹100 करोड़ से अधिक राशि का समर्पण

(संदर्भः कंडिका 2.5.5; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	दिनांक 31.03.2025 को समर्पित राशि
1	1-सामान्य प्रशासन	1,140.24	4.40	1,144.65	760.07	384.58	306.80
2	3-गृह	11,292.02	11.55	11,303.57	9,626.67	1,676.90	1,674.81
3	5-जेल	727.01	15.12	742.13	586.65	155.48	149.93
4	7-वाणिज्यिक कर	2,621.02	25.31	2,646.33	2,447.15	199.18	171.42
5	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	10,225.29	72.92	10,298.21	6,549.07	3,749.13	3,413.26
6	10-वन	4,686.97	135.25	4,822.23	4,075.72	746.51	695.84
7	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	19,717.77	0.00	19,717.77	17,233.72	2,484.05	2,198.92
8	14-पशुपालन एवं डेयरी	2,149.92	0.00	2,149.92	1,342.88	807.04	807.04
9	17-सहकारिता	1,969.25	84.50	2,053.75	1,168.13	885.62	807.07
10	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	10,279.18	6,443.70	16,722.88	15,823.30	899.58	144.87
11	26-संस्कृति	1,080.78	0.00	1,080.78	477.10	603.68	582.26
12	27-स्कूल शिक्षा	33,532.69	0.00	33,532.69	32,094.75	1,437.94	226.54
13	29-विधि और विधायी कार्य	4,231.32	20.69	4,252.01	3,090.63	1,161.38	1,111.81
14	30-ग्रामीण विकास	18,746.12	1,966.39	20,712.51	18,348.20	2,364.31	2,271.94
15	33-जनजातीय कार्य	12,653.36	324.30	12,977.66	10,717.32	2,260.34	2,242.84
16	44-उच्च शिक्षा	3,866.48	145.16	4,011.64	2,967.58	1,044.06	1,034.97
17	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	472.34	0.00	472.34	355.68	116.66	116.66
18	49-अनुसूचित जाति कल्याण	2,326.86	140.00	2,466.86	1,453.40	1,013.46	1,013.46
19	55-महिला एवं बाल विकास	26,560.34	550.01	27,110.35	25,799.32	1,311.02	1,311.02
	महायोग	**1,68,278.96**	**9,939.30**	**1,78,218.28**	**1,54,917.34**	**23,300.92**	**20,281.46**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 2.10(अ)

पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण का विवरण

(संदर्भः कंडिका 2.5.6; पृष्ठ 68)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनपूरक+पुनर्विनियोजन)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 11–वेतन				
1	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	0.66	0.66
2	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	31.80	30.86
3	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	93.25	93.34
4	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6.38	6.39
5	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	52.67	52.67
		योग (उद्देश्य शीर्ष 11–वेतन)	**184.76**	**183.92**
उद्देश्य शीर्ष 12–मजदूरी				
6	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	1,079.83	1,054.61
7	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8.08	8.07
8	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.48	0.48
9	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.71	6.60
10	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.46	0.46
11	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	37.83	37.83
12	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4.57	4.57
13	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.13	15.14
		योग (उद्देश्य शीर्ष 12–मजदूरी)	**1,152.09**	**1,127.76**
उद्देश्य शीर्ष 13–पेंशन और पेंशन लाभ				
14	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.02
		योग (उद्देश्य शीर्ष 13–पेंशन और पेंशन लाभ)	**0.02**	**0.02**
उद्देश्य शीर्ष 16–वेतन भत्ते–अखिल भारतीय सेवाएं				
15	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	0.31	0.31
16	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.41	0.41
		योग (उद्देश्य शीर्ष 16–वेतन भत्ते–अखिल भारतीय सेवाएं)	**0.72**	**0.72**
उद्देश्य शीर्ष 19–भारित/आकस्मिक कार्यों के कर्मचारी का वेतन				
17	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	39.09	25.96
18	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.74	0.75
19	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.78	1.89
20	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.06	2.07
21	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	28.55	28.54
22	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.57	1.55
23	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.75	3.75
		योग (उद्देश्य शीर्ष 19–भारित/आकस्मिक कार्यों के कर्मचारी का वेतन)	**78.54**	**64.51**
उद्देश्य शीर्ष 21–यात्रा भत्ता				
24	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.43	0.43
25	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.03	0.03
26	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.21	0.21
		योग (उद्देश्य शीर्ष 21–यात्रा भत्ता)	**0.67**	**0.67**

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनपूरक+पुनर्विनियोजन)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 22–कार्यालय व्यय				
27	1	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	0.08	0.08
28	1	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.28	0.10
29	3	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3.79	3.45
30	3	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
31	3	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.08	0.04
32	5	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
33	6	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.06	0.57
34	7	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.18	0.18
35	8	4058-स्टेशनरी और छपाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.03	0.03
36	8	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.28	2.44
37	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	11.42	11.42
38	13	4402-मृदा एवं जल पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
39	14	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
40	17	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.03	0.03
41	18	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.16	0.02
42	19	4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3.51	1.90
43	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.06
44	22	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.07
45	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.25
46	25	4853-अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	0.14	0.07
47	26	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	0.11	0.11
48	27	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	92.88	76.25
49	29	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.90	6.90
50	30	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	0.03	0.03
51	31	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
52	35	4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.02
53	36	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.22	0.05
54	39	4408-खाद्य भंडारण और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय	0.15	0.14
55	42	4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.10	0.10
56	44	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7.01	7.01
57	47	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2.99	0.43
58	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.58	1.45
59	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.04
60	48	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.70	2.67
61	50	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.04
62	52	4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.69	0.67
63	54	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.10	0.04
64	55	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.02
65	56	4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	0.06	0.01
		योग (उद्देश्य शीर्ष 22–कार्यालय व्यय)	**143.32**	**116.74**

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनपूरक+पुनर्विनियोजन)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 24—परीक्षण और प्रशिक्षण				
66	6	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.50	0.01
67	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	10.04	10.04
68	48	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.04	0.04
		योग (उद्देश्य शीर्ष 24—परीक्षण और प्रशिक्षण)	**10.58**	**10.09**
उद्देश्य शीर्ष 26—संगोष्ठी, कार्यषाला, सम्मेलन				
69	6	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.03
70	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.23	0.23
		योग (उद्देश्य शीर्ष 26—संगोष्ठी, कार्यषाला, सम्मेलन)	**0.48**	**0.26**
उद्देश्य शीर्ष 31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ				
71	6	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.41	0.51
72	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	126.04	126.04
73	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8.12	8.00
74	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.49	0.48
75	48	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7.92	7.84
		योग (उद्देश्य शीर्ष 31—व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ)	**145.98**	**142.87**
उद्देश्य शीर्ष 33—अनुरक्षण कार्य				
76	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.02
77	48	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.07
		योग (उद्देश्य शीर्ष 33—अनुरक्षण कार्य)	**0.09**	**0.09**
उद्देश्य शीर्ष 35—विज्ञापन एवं प्रचार				
78	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.02
		योग (उद्देश्य शीर्ष 35—विज्ञापन एवं प्रचार)	**0.02**	**0.02**
उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान				
79	30	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	170.00	170.00
		योग (उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान)	**170.00**	**170.00**
उद्देश्य शीर्ष 43—अंशदान				
80	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	5.00
81	48	4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	5.00
		योग (उद्देश्य शीर्ष 43—अंशदान)	**10.00**	**10.00**
उद्देश्य शीर्ष 45—सहायता अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए				
82	22	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,353.00	176.80
योग (उद्देश्य शीर्ष 45—सहायता अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए)			**1,353.00**	**176.80**
		महायोग	**3,250.27**	**2,004.48**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 2.10(ब)

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के गलत वर्गीकरण का विवरण

(संदर्भः कंडिका 2.5.6; पृष्ठ 68)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनपूरक+पुनर्विनियोजन)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 43–वाहन खरीद				
1	23	2701-मध्यम सिंचाई	0.04	0.04
		योग (उद्देश्य शीर्ष 23–वाहन खरीद)	**0.04**	**0.04**
उद्देश्य शीर्ष 61–सर्वेक्षण, अन्वेषण, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन				
2	25	2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	15.00	8.96
3	33	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	0.23	0.23
		योग (उद्देश्य शीर्ष 61– सर्वेक्षण, अन्वेषण, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)	**15.23**	**9.19**
उद्देश्य शीर्ष 63–मशीनरी				
4	22	2217-शहरी विकास	3.00	1.87
		योग (उद्देश्य शीर्ष 63– मशीनरी)	**3.00**	**1.87**
उद्देश्य शीर्ष 65–निवेश				
5	35	2851-ग्रामीण और लघु उद्योग	2.00	1.60
		योग (उद्देश्य शीर्ष 65–निवेश)	**2.00**	**1.60**
		महायोग	**20.71**	**12.70**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 2.11
बिना व्यय की नीतिगत पहल
(संदर्भः कंडिका 2.5.7; पृष्ठ 68)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या और विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष तथा नई योजनाओं के नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	1-सामान्य प्रशासन	01-2052-00-092-1484-कर्मचारी चयन मण्डल को फीस की प्रतिपूर्ति	50.00	0.00
2	1-सामान्य प्रशासन	01-4070-00-003-1510-मिशन कर्मयोगी	0.53	0.00
3	5-जेल	05-2056-00-101-1614-गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता (राज्य सहायित)	5.00	0.00
4	9-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	09-2810-00-105-1609-प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य	10.00	0.00
5	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	13-4401-00-113-1457- म.प्र. में कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन	5.00	0.00
6	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	13-4401-00-113-1465-म.प्र. राज्य चना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	1.00	0.00
7	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	13-4401-00-113-1460-म.प्र. राज्य श्री अन्न अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	1.00	0.00
8	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	13-4401-00-113-1461—म.प्र. राज्य सरसों अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	1.00	0.00
9	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2211-00-800-1531-मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा	24.48	0.00
10	22-नगरीय विकास एवं आवास	22-2217-05-800-1546-सिंहस्थ–2028	5.00	0.00
11	22-नगरीय विकास एवं आवास	22-4217-60-800-1546-सिंहस्थ–2028	500.00	0.00
12	26-संस्कृति	26-4202-04-800-1617-सिंहस्थ–2028 के कार्य	70.00	0.00
13	30-ग्रामीण विकास	30-4515-00-103-1598-प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेस–1 एवं 2 के शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु (राज्य पोषित)	25.50	0.00
14	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	39-4408-01-102-1466-स्मार्ट पी.डी.एस.	4.20	0.00
15	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-2203-00-104-1538-डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना	1.00	0.00
16	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-2203-00-105-1537-कोडिंग लेब की स्थापना	1.00	0.00
17	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-2203-00-105-1539-शासकीय/स्वशासी पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों का उन्नयन	1.00	0.00
18	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-2203-00-105-1540-स्टूडेंट इनोवेशन फण्ड का क्रियान्वयन	1.00	0.00
19	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-2230-03-003-1541-अग्निवीर प्रशिक्षण योजना	1.00	0.00
20	48-नर्मदा घाटी विकास	48-4700-80-800-1608-बडनगर उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना	0.01	0.00
21	55-महिला एवं बाल विकास	55-2235-02-102-1528-आंगनवाडी सह क्रेच योजना	16.20	0.00
22	55-महिला एवं बाल विकास	55-2235-02-102-1527-केयर एण्ड सपोर्ट टू विक्टिम अंडर पॉस्को (मिशन वात्सल्य)	5.10	0.00
23	55-महिला एवं बाल विकास	55-2235-02-103-1530-सखी निवास	0.31	0.00

स. क्र.	अनुदान संख्या और विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष तथा नई योजनाओं के नाम	बजट प्रावधान	व्यय
24	56-कुटीर एवं ग्रामोद्योग	56-2851-00-105-1532-पारंपरिक समूहों के पुनर्जनन के लिये निधि की योजना (स्फूर्ति)	10.00	0.00
		योग	**739.33**	

स्रोतः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 2024–25

परिशिष्ट 2.12

नीतिगत पहल जिसमें पुनरीक्षित परिव्यय में पूर्ण बजट राशि वापस ली गयी

(संदर्भः कंडिका 2.5.7; पृष्ठ 68)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष तथा नई योजनाओं के नाम	बजट प्रावधान	पुनर्विनियोजन/ समर्पण	व्यय
1	1-सामान्य प्रशासन	01-2052-00-092-1484-कर्मचारी चयन मण्डल को फीस की प्रतिपूर्ति	50.00	-50.00	0.00
2	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	13-4401-00-113-1457-) म.प्र. में कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन	5.00	-5.00	0.00
3	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	13-4401-00-113-1465-म.प्र. राज्य चना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	1.00	-1.00	0.00
4	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	13-4401-00-113-1460-म.प्र. राज्य श्री अन्न अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	1.00	-1.00	0.00
5	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	13-4401-00-113-1461-म.प्र. राज्य सरसों अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	1.00	-1.00	0.00
6	26-संस्कृति	26-4202-04-800-1617-सिंहस्थ 2028 के कार्य	70.00	-70.00	0.00
7	30-ग्रामीण विकास	30-4515-00-103-1598-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–1 एवं 2 के शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु (राज्य पोषित)	25.50	-25.50	0.00
8	47 तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-2203-00-104-1538-डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना	1.00	-1.00	0.00
9	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-2203-00-105-1537-कोडिंग लैब की स्थापना	1.00	-1.00	0.00
10	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-2203-00-105-1539-शासकीय/स्वशासी पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों का उन्नयन	1.00	-1.00	0.00
11	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-2203-00-105-1540-स्टूडेंट आफ इनोवेशन फण्ड का क्रियान्वयन	1.00	-1.00	0.00
12	48-नर्मदा घाटी विकास	48-4700-80-800-1608-बडनगर उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना	0.01	-0.01	0.00
13	55-महिला एवं बाल विकास	55-2235-02-102-1528-आंगनवाडी सह क्रेच योजना	16.20	-16.20	0.00
14	55-महिला एवं बाल विकास	55-2235-02-102-1527-केयर एण्ड सर्पोट टू विक्टिम अंडर पॉस्को (मिशन वात्सल्य)	5.10	-5.10	0.00
15	55-महिला एवं बाल विकास	55-2235-02-103-1530-सखी निवास	0.31	-0.31	0.00
		योग	**179.12**	**-179.12**	**0.00**

स्रोतः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 2024–25

परिशिष्ट 2.13

2024–25 के दौरान सभी अनुदानों/विनियोगों के लिए तिमाही–वार व्यय दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.5.8; पृष्ठ 70)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	2024–25 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही में व्यय	द्वितीय तिमाही में व्यय	तृतीय तिमाही में व्यय	चतुर्थ तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	2024–25 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2025 में व्यय
1	1	सामान्य प्रशासन	1,144.65	168.58	169.86	171.14	250.48	123.83	760.07	32.95	16.29
2	2	विमानन	383.56	7.95	66.25	18.52	100.85	51.29	193.57	52.10	26.50
3	3	गृह	11,303.57	2,770.49	2,166.69	2,641.61	2,047.88	896.36	9,626.67	21.27	9.31
4	4	पर्यावरण	38.71	0.00	1.63	0.00	0.39	0.38	2.02	19.31	18.81
5	5	जेल	742.13	136.50	149.24	134.85	166.06	71.27	586.65	28.31	12.15
6	6	वित्त	27,025.96	6,578.21	6,494.66	5,957.64	7,779.67	3,657.82	26,810.19	29.02	13.64
7	7	वाणिज्यिक कर	2,646.33	139.99	178.55	172.34	1,956.27	1850.62	2,447.15	79.94	75.62
8	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	10,298.21	899.42	969.34	930.77	3,749.54	3,204.20	6,549.07	57.25	48.93
9	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	64.01	0.21	0.26	0.30	0.35	0.03	1.12	31.25	2.68
10	10	वन	4,822.23	581.34	932.29	1,052.95	1,509.14	752.27	4,075.72	37.03	18.46
11	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	3,796.21	718.92	307.21	894.07	1,871.45	1,710.91	3,791.65	49.36	45.12
12	12	ऊर्जा	32,265.47	2,795.97	4,162.16	4,513.79	14,960.08	9,305.04	26,432.00	56.60	35.20
13	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	19,717.77	4,269.90	4,824.70	3,318.22	4,820.90	1,698.65	17,233.72	27.97	9.86
14	14	पशुपालन एवं डेयरी	2,149.92	273.06	265.75	384.51	419.55	282.45	1,342.88	31.24	21.03
15	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	49.09	2.62	2.31	13.22	15.96	9.87	34.12	46.78	28.93
16	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	354.37	38.09	14.72	58.06	105.57	94.23	216.44	48.78	43.54
17	17	सहकारिता	2,053.75	275.21	74.89	153.09	664.94	602.42	1,168.13	56.92	51.57
18	18	श्रम	1,801.97	74.71	72.85	329.92	1,189.34	731.70	1,666.82	71.35	43.90
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15,798.72	2,358.20	2,849.32	3,095.56	3,510.09	2,126.77	11,813.18	29.71	18.00
20	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	16,722.88	2,582.94	4,076.19	2,972.10	6,192.08	3,775.14	15,823.30	39.13	23.86
21	21	लोक सेवा प्रबंधन	121.67	31.85	10.76	10.10	17.11	8.08	69.81	24.51	11.57
22	22	नगरीय विकास एवं आवास	17,608.68	2,974.76	3,489.47	3,117.80	4,451.62	2,136.82	14,033.66	31.72	15.23
23	23	जल संसाधन	9,841.31	2,138.93	1,673.68	1,870.54	3,861.48	2,277.26	9,544.63	40.46	23.86

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	2024–25 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही में व्यय	द्वितीय तिमाही में व्यय	तृतीय तिमाही में व्यय	चतुर्थ तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	2024–25 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2025 में व्यय
24	24	लोक निर्माण कार्य	13,258.83	2,757.88	2,316.65	2,167.68	4,570.16	2,550.77	11,812.37	38.69	21.59
25	25	खनिज साधन	2,346.65	244.24	456.77	306.96	1,293.96	1,096.38	2,301.93	56.21	47.63
26	26	संस्कृति	1,080.78	48.01	86.27	135.36	207.46	144.96	477.10	43.48	30.38
27	27	स्कूल शिक्षा	33,532.69	8,201.43	6,932.55	9,598.03	7,362.75	3,386.06	32,094.75	22.94	10.55
28	28	राज्य विधान मंडल	143.35	27.60	20.86	14.01	28.75	8.65	91.22	31.52	9.48
29	29	विधि और विधायी कार्य	4,252.01	721.54	1,057.03	668.36	643.70	228.55	3,090.63	20.83	7.39
30	30	ग्रामीण विकास	20,712.51	1,689.42	4,771.94	2,951.84	8,935.01	3,073.37	18,348.20	48.70	16.75
31	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	988.91	27.53	165.70	208.00	501.02	315.52	902.25	55.53	34.97
32	32	जनसंपर्क	736.08	115.55	197.03	159.65	246.17	115.84	718.40	34.27	16.12
33	33	जनजातीय कार्य	12,977.66	2,643.44	2,552.78	2,791.70	2,729.40	1,234.24	10,717.32	25.47	11.52
34	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	4,603.88	1,035.89	1,096.80	1,104.24	1,168.52	307.73	4,405.45	26.52	6.99
35	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2,744.04	93.21	385.49	487.11	1,705.34	1,187.27	2,671.14	63.84	44.45
36	36	ग्रामीण विकास	190.59	16.32	28.41	20.28	57.98	47.36	123.00	47.14	38.50
37	37	पर्यटन	413.87	63.12	80.46	177.79	83.13	58.01	404.49	20.55	14.34
38	38	आयुष	899.98	150.48	226.45	148.18	202.74	113.99	727.85	27.85	15.66
39	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	3,525.68	109.20	145.50	567.10	2,351.90	2,263.27	3,173.70	74.11	71.31
40	40	पंचायत	9,208.15	1,310.36	1,087.97	787.66	3,754.51	2,556.29	6,940.50	54.10	36.83
41	41	प्रवासी भारतीय	19.50	0.00	7.29	7.00	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00
42	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	158.75	27.07	29.30	26.40	30.64	14.97	113.41	27.02	13.20
43	43	खेल और युवा कल्याण	676.22	116.22	86.47	71.29	227.23	118.73	501.21	45.34	23.69
44	44	उच्च शिक्षा	4,011.64	742.34	824.39	690.27	710.58	258.61	2,967.58	23.94	8.71
45	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	31.60	0.54	0.00	0.00	19.98	18.79	20.52	97.37	91.57
46	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	472.34	83.06	99.92	122.00	50.70	36.32	355.68	14.25	10.21
47	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2,967.66	338.44	453.80	518.70	813.76	471.38	2,124.70	38.30	22.19
48	48	नर्मदा घाटी विकास	11,354.63	1,179.82	2,760.91	1,904.38	5,379.27	3,306.45	11,224.39	47.92	29.46
49	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2,466.86	203.42	403.25	377.62	469.11	163.61	1,453.40	32.28	11.26
50	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	562.98	107.02	45.57	52.90	153.28	80.12	358.76	42.72	22.33

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	2024–25 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही में व्यय	द्वितीय तिमाही में व्यय	तृतीय तिमाही में व्यय	चतुर्थ तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	2024–25 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2025 में व्यय
51	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	115.43	6.69	8.08	25.62	25.93	6.10	66.33	39.09	9.20
52	52	चिकित्सा शिक्षा	4,930.82	662.04	1,042.82	897.63	1236.40	770.05	3,838.89	32.21	20.06
53	53	अल्प संख्यक कल्याण	156.51	2.55	2.90	2.38	2.88	0.72	10.70	26.92	6.73
54	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	2,067.90	89.15	211.69	834.36	268.31	122.21	1,403.50	19.12	8.71
55	55	महिला एवं बाल विकास	27,110.35	5,522.59	6,515.51	7,161.73	6,599.49	2,883.71	25,799.32	25.58	11.18
56	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	152.60	20.94	30.59	19.19	18.89	6.25	89.61	21.08	6.97
57	57	आनंद	15.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	100.00	0.00
58	CH-I	भारित विनियोग .लोक ऋण	29,696.85	2,677.18	6,041.03	4,824.59	12,885.41	9,350.63	26,428.21	48.76	35.38
59	CH-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	27,399.86	3,775.79	8,096.22	3,858.65	10,157.20	5,792.87	25,887.86	39.24	22.38
		योग	**4,06,734.33**	**64,627.93**	**81,221.17**	**75,499.79**	**1,34,536.69**	**77,457.21**	**3,55,885.58**	**37.80**	**21.76**

स्रोतः मासिक विनियोग लेखे 2024–25

परिशिष्ट 3.1
लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की विभाग–वार स्थिति
(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 100)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
1	संसदीय कार्य	2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	सामान्य प्रशासन	2013	मंत्री परिषद	37	0.74
		2014	न्याय प्रशासन	375	1.55
		2052	सचिवालय–सामान्य सेवाएं	95	92.04
		2053	जिला प्रशासन	14	43.06
		2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	03	2.50
3	राजस्व विभाग	2029	भू–राजस्व	94	1.61
4	वाणिज्यिक कर	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	01	0.13
5	वित्त	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	04	0.01
		2075	विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
6	स्कूल शिक्षा विभाग	2202	सामान्य शिक्षा	31883	1,287.73
7	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार	2203	तकनीकी शिक्षा	3449	257.80
8	खेल एवं युवक कल्याण	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	96	24.24
9	संस्कृति	2205	कला एवं संस्कृति	38	35.04
10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	6126	1,478.50
11	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	जलपूर्ति तथा सफाई	567	577.67
12	नगरीय विकास एवं आवास	2216	आवास	39	2,768.35
		2217	शहरी विकास	18	108.02
		4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	03	176.80
13	जन संपर्क	2220	सूचना एवं प्रचार	36	1.60
14	अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	1399	523.98
15	श्रम	2230	श्रम तथा रोजगार	1269	44.61
16	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1577	20,045.96
17	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401	फसल कृषि–कर्म	3220	450.88
		4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11	1.25
		2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	49	130.16
18	पशुपालन	2403	पशुपालन	527	256.79
19	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	2405	मछली पालन	3594	11.40
20	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408	खाद्य, भंडारण एवं भंडागार	1441	2,181.08
21	सहकारिता	2425	सहकारिता	728	282.69
22	ग्रामीण विकास	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	31	222.70
		2505	ग्रामीण विकास	06	189.13
		2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	165	7,639.66
23	जल संसाधन	2702	लघु सिंचाई	536	14.79
24	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	34	30.77
25	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	737	240.50
26	उद्योग नीति एवं निवेश	2852	उद्योग	2957	190.45

स.क्र.	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
	प्रोत्साहन				
27	खनिज संसाधन	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	871	234.49
28	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	161	89.70
29	पर्यावरण	3435	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	03	0.86
30	पर्यटन	3452	पर्यटन	101	13.87
31	पंचायती राज विकास	3604	स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	18272	20,453.98
		योग		**81129**	**60,113.33**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 3.2
31 मार्च 2025 को अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.4.2; पृष्ठ 105)

(₹ लाख में)

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
1	अलीराजपुर	2	0.17
2	अनूपपुर	1	0.24
3	अशोक नगर	1	-8.30
4	बैतूल	10	-126.44
5	भिण्ड	1	12.84
6	भोपाल	4	331.06
7	छतरपुर	11	633.20
8	दतिया	3	12.40
9	देवास	3	6.04
10	धार	7	303.07
11	डिंडौरी	2	4.93
12	गुना	1	0.98
13	हरदा	7	46.03
14	इंदौर शहर	12	1,453.44
15	जबलपुर शहर	4	119.88
16	जबलपुर	8	3,081.34
17	झाबुआ	5	841.82
18	खरगौन	7	2,441.54
19	खण्डवा	3	2,104.50
20	मंडला	3	1,578.55
21	मुरैना	1	10.13
22	नरसिंहपुर	9	53.75
23	राजगढ़	4	-42.61
24	रतलाम	4	67.83
25	रीवा	5	64.97
26	रायसेन	18	1,825.60
27	सागर	5	-259.74
28	शाजापुर	2	-0.95
29	सतना	8	21.20
30	सीहोर	2	109.06
31	सिवनी	6	83.94
32	शहडोल	7	-315.34
33	सीधी	4	2.76
34	सिंगरौली	3	18.95
35	टीकमगढ़	2	17.12
36	उज्जैन	2	11.52
37	उमरिया	1	35.57
38	वल्लभ भवन	1	-2,044.66
39	विन्ध्याचल	10	8,119.64
	योग	**189**	**20,616.03**

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 3.3

31 मार्च 2025 को व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.4.3; पृष्ठ 105)

(₹ लाख में)

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
1	अलीराजपुर	1	-0.47
2	अशोक नगर	1	-8.30
3	बैतूल	4	-168.72
4	भिण्ड	1	-3.62
5	छतरपुर	9	-2,973.23
6	छिंदवाड़ा	1	-50.04
7	देवास	4	-257.92
8	धार	3	-7,361.15
9	डिंडोरी	2	-0.24
10	ग्वालियर	1	-4.90
11	हरदा	7	-1,989.28
12	इंदौर शहर	1	-0.14
13	जबलपुर	2	-26.67
14	झाबुआ	1	-865.82
15	खरगौन	10	-44,187.17
16	कटनी	2	-32.75
17	खण्डवा	2	-447.27
18	मंडला	2	-325.95
19	नरसिंहपुर	4	-24.12
20	नीमच	1	-0.09
21	पन्ना	1	-0.13
22	राजगढ़	3	-38,285.89
23	रतलाम	1	-1.69
24	रायसेन	6	-5,341.59
25	सागर	8	-27,828.13
26	शाजापुर	2	-1.86
27	सतना	3	-16.19
28	सीहोर	2	-505.90
29	सिवनी	3	-12.25
30	शहडोल	3	-330.23
31	शिवपुरी	1	-48.91
32	सीधी	2	-1.02
33	सिंगरौली	1	-5.37
34	टीकमगढ़	4	-8,802.57
35	उज्जैन	2	-3.09
36	उमरिया	2	-1,860.26
37	वल्लभ भवन	1	-2,044.66
38	विन्ध्याचल	10	-88,637.90
	योग	**114**	**-2,32,455.49**

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/hi